वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मुख्यालय: ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

दूरभाष नंबर: 0120- 2544040, 2544036, 2543972; फैक्स नंबर: 0120-2543973, 2521764

ईमेल: iwainoi@nic.in, वेबसाइट: www.iwai.nic.in

प्राधिकरण के सदस्य

(2022-23 के दौरान)

		दूरभाष नंबर	फैक्स नंबर
अध्यक्ष	**श्री संजय बंदोपाध्याय, आई.ए.एस.** (06.12.2021 से....)	0120-2543972	0120-2543973
उपाध्यक्ष	**श्री जयंत सिंह, आई.आर.टी.एस.** (30.04.2021 से....)	0120-2544004	0120-2424544
सदस्य	**श्री संजय कुमार, आई.ए.एस.,** अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्रालय (01.01.2020 से..)	01123736455	
सदस्य	**श्री सुनील कुमार सिंह** वरिष्ठ सलाहकार, (सांख्यिकी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (01.11.2020 से 10.02.2023 तक)	011-23716619	011-23350648
सदस्य	**श्री प्रवीण नंदवाना, आई.सी.ए.एस.** सदस्य (वित्त), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (07.01.2022 से..)	0120-2544009	0120-2544009
सदस्य	**श्री आशुतोष गौतम** **सदस्य (तकनीकी),** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (18.02.2021 से..)	0120-2521664	
सदस्य	**श्री विनायक आजाद**, **सदस्य (यातायात)**, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (06.02.2023 से..)		
सदस्य	**श्री विनीत कुमार, आई.आर.एस.ई.ई.** **अध्यक्ष** कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता (09.10.2017 से 06.10.2022 तक)	033-22303451	

अन्य विवरण

		दूरभाष नंबर
सचिव	**कर्नल हर्षवर्धन**	0120-2543994
लेखापरीक्षक	**भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक**	011-23509600
बैंकर	**केनरा बैंक** परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001	011-23717573
	केनरा बैंक सेक्टर-18, नोएडा 201 301	011-23717573
	बैंक ऑफ बड़ौदा संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	0120-2511026
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-15, नोएडा 201 301	011-23448956
	पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-18, नोएडा 201 301	0120-2511426

क्षेत्रीय कार्यालय

	दूरभाष नंबर	फैक्स नंबर
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गायघाट, पोस्ट गुलजारबाग पटना-800 007 (बिहार)	0612-2310026 0612-2310057 0612-2310028 0612-2310067 0612-2630100 (Terminal)	0612-2310029
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पी-78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता-700 043 (पश्चिम बंगाल)	033-24390393 033-24395577 033-24396055	033-24395570 033-24391710
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पांडु पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पांडु गुवाहाटी-781 012 (असम)	0361-2570109 0361-2676925 0361-2676927 0361-2676929	0361-2570099 0361-2570055
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग रोड, एन.एच. 47 बाईपास, कन्नडिक्काडु, मराडू, एर्नाकुलम-682 304 (केरल)	0484-2295064 0484-2389804	0484-2389445

उप कार्यालय/इकाइयां

	दूरभाष नंबर	फैक्स नंबर
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 360/एफ/44, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद-211006 (उ.प्र.)	0532-2561151 0532-2560537	0532-2561152
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 52, दूसरी मंजिल, पटेल नगर, नदेसर, वाराणसी-221002 (उ.प्र.)	0542-2505329	0542-2505329
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कक्ष संख्या 309, दूसरी मंजिल, न्यू एसडीओ कार्यालय, सक्रोगड, साहिबगंज - 816109 (झारखंड)	07544006484	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कार्यालय भवन संख्या 1, एफबीपी कार्यालय परिसर, पो.ओ. फरक्का बैराज, जिला मुर्शिदाबाद-742212 (पश्चिम बंगाल)	03485-255809	03485-255809
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण फकीरतला, पो. ओ.-महेशगंज, स्वरूपगंज, नादिया-741315 (पश्चिम बंगाल)	09830508079	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दुर्गाबाड़ी रोड तिनियाली, ए. टी. रोड, नलियापूल, डिब्रूगढ़-786001 (असम)	0373-2302540	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धुबरी टर्मिनल, फ्री इंडिया घाट, धुबरी–786005	0366-2298111	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अ.ज.प. टर्मिनल सह कार्यालय परिसर, आश्रम, निकट ईएसआई अस्पताल, कोल्लम-691002	0474-2766460	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परिसर संख्या-191, पहली मंजिल, बाया बाबा मठ लेन, यूनिट नंबर 9, राधे कृष्ण मंदिर के पास, भुवनेश्वर–751022 (ओडिशा)	0674-2397334	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भा.अ.ज.प्रा उप कार्यालय, भूतल, ब्लॉक-1, सिंचाई कार्यालय परिसर, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश-520002	0866-2575123	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण चौथी मंजिल, प्रोग्रेसिव मेंशन पब्लिक स्कूल रोड, सिलचर (असम)-788 005		

विषय-वस्तु

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र-सामान्य जानकारी	6
2.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका	7
3.	राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास	7
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-1)	7
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-2)	16
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-3)	21
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-4)	25
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-5)	30
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-16) (बराक नदी)	32
10.	नए राष्ट्रीय जलमार्ग	33
11.	पारगमन और व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल	34
12.	जलीय सर्वेक्षण गतिविधियाँ	38
13.	राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना	58
14.	वर्ष के दौरान यातायात, कार्गो संचालन और अन्य मुख्य विशेषताओं का विवरण	62
15.	रा.ज.-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना	91
16.	भारत-म्यांमार कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना	117
17.	वित्तीय निष्पादन: आय और व्यय	119
18.	प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	121
19.	कार्मिक और प्रशासन	122
20.	तुलन-पत्र	126
21.	आय और व्यय	128
22.	प्राप्तियां और भुगतान लेखे	130
23.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची-1)	134
24.	लेखों पर टिप्पणियां वित्तीय विवरण की अभिन्न अंग हैं (अनुसूची-2)	138
25.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची-3 से 12)	156
26.	अचल संपत्तियों की अनुसूची (अनुसूची-13)	166
27.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची-14 से 23)	170
28.	आय और व्यय की अनुसूचियां (अनुसूची-24 से 26)	178
29.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची-27)	181
30.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (सनदी लेखाकार) (अनुबंध-क)	183
31.	भूमि का कार्यालय-वार ब्यौरा (अनुबंध-ख)	189
32.	अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची (अनुबंध-ग)	205
33.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	214
34.	प्रबंधन के उत्तर	217

1. अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र-सामान्य जानकारी

(i) अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा नौवहन ने सदैव नदी के किनारों और नौगम्य नदियों और नहर प्रणालियों के जलग्रहण क्षेत्रों के साथ व्यापार और वाणिज्य के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। नौगम्य जलमार्ग परिवहन का एक ईंधन-कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी तरीका है, विशेष रूप से थोक सामान, खतरनाक कार्गो और ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए। अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) भी परिवहन का एक सुरक्षित, सस्ता और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला साधन भी है। इस माध्यम को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता अ.ज.प. अवसंरचना (नौवहन सहायता) का विकास करना है और साथ ही अ.ज.प. बेड़े के संवर्धन के लिए मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा एक सक्षम वातावरण बनाना है। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में अब तक सड़क और रेल परिवहन का वर्चस्व रहा है और विकसित देशों की तुलना में देश में जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई का अत्यधिक कम उपयोग किया जाता है।

(ii) भारत में कई नदियाँ, नहरें, खाड़ियाँ और बैकवाटर हैं जिनमें लागत प्रभावी और कुशल अंतर्देशीय जलमार्गों के रूप में विकसित और उपयोग करने की क्षमता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, अ.ज.प. का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया गया था। हालांकि, सड़क और रेलवे के तेजी से विकास सहित विभिन्न कारकों के कारण, आर्थिक गतिविधि के नए केंद्र जलमार्ग से दूर विकसित हुए, जिससे अंततः उनकी प्रमुखता का नुकसान हुआ। जैसा भी हो, बढ़ती सड़क और रेलवे की भीड़, यातायात की बाधाओं और परिवहन के साधनों में पर्यावरणीय स्थिरता की अनिवार्य आवश्यकता ने अंतर्देशीय जल परिवहन के स्वाभाविक हितलाभों पर प्रकाश डाला है और परिवहन के इस तरीके पर पुन: ध्यान केंद्रित किया है। अ.ज.प. में अत्यधिक बोझ वाले रेलवे और भीड़भाड़ वाले सड़क मार्गों को पूरक करने और विशेष रूप से जलमार्ग नेटवर्क से सटे क्षेत्र के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा के रूप में काम करने की क्षमता है। कार्गो आवाजाही के अलावा, अ.ज.प. में क्रॉस फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) मोड पर वाहनों की ढुलाई, स्थानीय समुदाय के साथ-साथ पर्यटकों की सुविधा को भी पूरा करती है।

(iii) अ.ज.प. क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2016 के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 17) के अधिनियमन के माध्यम से जो 12 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ है, तीव्रगति प्रदान की गई है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के लागू होने के साथ, राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या अब 111 हो गई है, जिसमें पहले के अधिनियमों के माध्यम से घोषित 05 जलमार्ग शामिल हैं। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग देश के 24 राज्यों में फैले 20186 किलोमीटर की कुल लंबाई को शामिल करते हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने की कतार में हैं। हालांकि, समग्र परिवहन परिदृश्य में, भारत के मॉडल मिश्रण में जलमार्गों का हिस्सा केवल 2% है, जबकि अधिकांश विकसित देशों में यह 10% से अधिक है। परिवहन के इस साधन को अधिकतम करने की आवश्यकता वर्षों से महसूस की गई है और 2016 से सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली को पुन: सुदृढ़ करने के लिए इसे एक मिशन बना रही है। मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी)-2030 के अनुसार, सरकार 2030 तक अ.ज.प. के मॉडल हिस्से को बढ़ाकर 5% करने का विचार है।

(iv) वर्तमान में भारत में अ.ज.प. क्षेत्र जिन कुछ प्रमुख बाधाओं का सामना कर रहा है, उनमें शामिल हैं-कम बारिश

के मौसम के दौरान नदियों में अपर्याप्त निर्वहन जिसके परिणामस्वरूप उचित आकार के अ.ज.प. जलयानों के पूरे वर्ष संचालन के लिए आवश्यक गहराई और चौड़ाई के साथ अपर्याप्त फेयरवे; प्रत्येक बाढ़ के मौसम के बाद तट कटाव के कारण नौगम्य चैनल का बहना, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए टर्मिनल अवसंरचना की कमी और सड़क/रेल अवसंरचना के साथ उनके पहले और अंतिम मील संपर्क की कमी; दिन और रात के दौरान सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए नौवहन सहायता और अ.ज.प. जलयानों की कमी। इसलिए पर्याप्त अ.ज.प. यातायात प्राप्त करने के लिए, अवसंरचना के सृजन (मुख्य रूप से सार्वजनिक वित्त-पोषण के माध्यम से) पर जोर दिया जाता है और साथ ही, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के माध्यम से अ.ज.प. बेड़े का संवर्धन किया जाता है।

2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) का गठन नौवहन और नौवहन के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत 27 अक्तूबर, 1986 को किया गया था। भा.अ.ज.प्रा अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अनुसार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार की जाती है और सरकार को एक प्रति प्रस्तुत की जाती है।

इसके अलावा, भा.अ.ज.प्रा देश के अंतर्देशीय जलयानों के माध्यम से दूसरे देश में पारगमन और व्यापार के लिए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के अंतर्गत नामित जलमार्ग मार्गों का विकास और रखरखाव कर रहा है और कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में म्यांमार सरकार की सहायता भी कर रहा है।

अ.ज.प. क्षेत्र के समग्र संवर्धन में भा.अ.ज.प्रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, रोजगार सृजन, पर्यटन आदि के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज के लाखों लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए परिवहन के पर्यावरण अनुकूल, सस्ते और व्यवहार्य साधन के रूप में विकसित होने की क्षमता है।

3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

नौवहन और नौचालन के लिए जलमार्ग को व्यवहार्य बनाने के लिए तीन बुनियादी अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं हैं। ये हैं (i) अंतर्देशीय जलयानों के उचित आकार के संचालन के लिए पर्याप्त गहराई और चौड़ाई के साथ नौवहन चैनल हैं; (ii) दिन और रात के नौचालन के लिए नौवहन सहायता; (iii) जलयानों की बर्थिंग, कार्गो/यात्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा सड़क/रेल संपर्क प्रदान करने के लिए टर्मिनल।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-1)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) को भा.अ.ज.प्रा अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में निर्धारित अ.ज.प. अवसंरचना जैसे अ.ज.प. टर्मिनलों के साथ-साथ जैसे अ.ज.प. अवसंरचनाओं में न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) और चौड़ाई प्रदान करके जलमार्गों के विकास

और रखरखाव और अ.ज.प. संचालन को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, 2016 का 17 के अनुसार हल्दिया (सागर) (सीएच. 0 कि.मी.) और प्रयागराज (1620 कि.मी.) के बीच को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया था। और उनके अधिदेश के साथ, भा.अ.ज.प्रा विभिन्न विकासात्मक कार्य कर रहा है जैसे रा.ज.-1 (गंगा नदी) के माध्यम से 24 घंटे सुरक्षित और सुचारू नौवहन से 2.5 मीटर से 3.0 मीटर के एलएडी को सुनिश्चित करने के लिए नौवहन चैनल के विकास (बैंडलिंग और ड्रेजिंग द्वारा) के साथ-साथ नौवहन सहायता और अन्य अ.ज.प. अवसंरचना जैसे टर्मिनल, फ्रेट विलेज के विकास और रखरखाव के लिए कार्गो प्रचालकों और शिपिंग एजेंसियों द्वारा रा.ज.-1 के माध्यम से अ.ज.प. संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए भंडारण सुविधाएं।

व्यावसायिक नौचालन को सक्षम करने और अ.ज.प. संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए जलमार्गों की क्षमता में वृद्धि के साथ क्षमता का पता लगाने के लिए, जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत कई विकासात्मक गतिविधियां शुरू की गई हैं और पूरी की गई हैं और कई परियोजनाएं अर्थ गंगा (जेएमवीपी-II) के अंतर्गत निष्पादित की जा रही हैं। वर्तमान में, जलमार्ग निजी कार्गो जलयानों, पर्यटक जलयानों, ओडीसी वाहकों और भा.अ.ज.प्रा जलयानों आदि की आवाजाही के साथ चल रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान गंगा नदी पर रा.ज.-1 के कहलगांव (सीएच. 690 कि.मी.)-इलाहाबाद (सीएच. 1620 कि.मी.) खंड में फेयरवे, नौवहन सहायता और टर्मिनल सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य नीचे उल्लिखित हैं:

4.1 फेयरवे विकास:

वर्ष भर सुचारू और सुरक्षित नौवहन के उद्देश्य से रा.ज.-1 के कहलगांव (सीएच. 690 कि.मी.)-वाराणसी (सीएच. 1318 कि.मी.) खंड में 2.5 मीटर और 45 मीटर की लक्षित गहराई और चौड़ाई के साथ नौवहन चैनल (फेयरवे) का विकास/रखरखाव किया जा रहा है। रा.ज.-1 के त्रिवेणी/इलाहाबाद (प्रयागराज)-हल्दिया खंड में नदी संरक्षण कार्य (बैंडलिंग/ड्रेजिंग) और सागर (सीएच.0 कि.मी.) से बलिया/मझुआ (सीएच.1160 कि.मी.) खंड तक 24 घंटे नौवहन के लिए सहायता (डे मार्क चैनल और रात्रि नौवहन सहायता) प्रदान की जा रही है।

भा.अ.ज.प्रा न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) की निगरानी के लिए लीन मौसम के दौरान पाक्षिक आधार पर और बाढ़ के मौसम में मासिक आधार पर थलवेग सर्वेक्षण कर रहा है और अ.ज.प. प्रचालकों को फेयरवे संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए नियमित नदी नोटिस जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आरओ पटना अर्थात सुल्तानगंज-बाढ़ के अंतर्गत रा.ज.-1 के संबंधित खंड में लक्ष्य एलएडी सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित गहराई अनुबंध किए जा रहे हैं।

"मापन अनुबंधों की अधिप्राप्ति, बैंडलिंग और डे नौवहन के निर्माण और रखरखाव" के अनुबंध के अंतर्गत, कहलगांव-एमएमटी वाराणसी खंड में 628 कि.मी. भाग में 12,105 मीटर के बैडलिंग कार्य नौवहन चैनल (फेयरवे) के विकास और रखरखाव के लिए निष्पादित किए जा रहे हैं। बैंडलिंग का खंडवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	विस्तार	बंडल की लंबाई (मीटर)	लक्षित एलएडी
1.	कहलगांव-सुल्तानगंज	2100	3.0
2.	सुल्तानगंज-महेंद्रपुर	सुनिश्चित गहराई अनुबंध के अधीन	3.0
3.	महेंद्रपुर-बाढ़	सुनिश्चित गहराई अनुबंध के अधीन	3.0
2.	बाढ़-दीघा	2400	2.5
3.	दीघा–मझुआ	2100	2.5
4.	मझुआ-गाजीपुर	2400	2.5
5.	गाजीपुर-वाराणसी	3105	2.2
	योग	**12,105**	

इसके अलावा, कहलगांव-चुनार/इलाहाबाद (प्रयागराज) सेक्टर में 61531m^3 ड्रेजिंग 2022-23 में सुनिश्चित गहराई अनुबंधों के अंतर्गत किए गए ड्रेजिंग के अलावा भा.अ.ज.प्रा के ड्रेजर्स को तैनात करके की गई थी।

क्र.सं	विस्तार	लंबाई (कि.मी. में)	एलएडी (एम) 2022-23 के दौरान अनुरक्षित
1.	कहलगांव (सीएच.690 कि.मी.) - सुतनगंज (सीएच.748 कि.मी.)	57	1.6
2.	बाढ़ (सीएच. 893 कि.मी.)-पटना (सीएच. 955 कि.मी.)	62	1.1
3.	पटना (955 कि.मी.)-गाजीपुर (सीएच. 1178 कि.मी.)	223	1.1
4.	गाजीपुर (सीएच. 1178 कि.मी.)-एमएमटी वाराणसी (सीएच. 1318 कि.मी.)	140	1.1

4.2. टर्मिनल

4.2.1 स्थायी टर्मिनल (मौजूदा) :

(i) गायघाट पटना में लो लेवल और हाई लेवल जेटी

पटना (बिहार) गंगा नदी के माध्यम से कार्गो के लिए अ.ज.प. के संभावित उपयोग के लिए एक मल्टीमॉडल टर्मिनल के विकास के लिए रा.ज.-1 (गंगा नदी) पर सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तदनुसार, 26.47 करोड़ रुपये की लागत से एक निम्न-स्तरीय जेटी का निर्माण किया गया और इसे वर्ष 2007 में चालू किया गया। कंटेनरों और भंडारण सुविधाओं सहित यांत्रिक हैंडलिंग सुविधा के साथ वर्ष भर संचालन के लिए 2012 के दौरान 27.62 करोड़ रुपये की लागत से एक उच्च स्तरीय जेटी भी चालू की गई थी। गायघाट टर्मिनल के माध्यम से 2022-23 के दौरान 229.84 टन कार्गो की आवाजाही की गई।

(ii) वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल

विश्व बैंक द्वारा समर्थित जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत कार्गो और यात्रियों के लिए अ.ज.प. के अत्यधिक उपयोग के लिए 186.33 करोड़ रुपये की लागत से रा.ज.-1 (गंगा नदी) पर एक और टर्मिनल एमएमटी वाराणसी का निर्माण किया गया था और 2017 में चालू किया गया था। चरणबद्ध विकास योजना के अनुसार जेएमवीपी-II के अंतर्गत टर्मिनल का विस्तार प्रगति पर है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद कार्य निष्पादित किया जाएगा। मूल रूप से, वाराणसी में एमएमटी (क) कंटेनर कार्गो सहित 1.25 एमटीपीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ (ख) खुला भंडारण क्षेत्र-2000 वर्ग मीटर (ग) पूरे वर्ष यात्री बोर्डिंग/डिस्बोर्डिंग जेटी सुविधा के साथ प्रचालन में हैं।

एमएमटी वाराणसी के पास फ्रेट विलेज के विकास के लिए 2022-23 के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एमएमटी वाराणसी टर्मिनल के माध्यम से 2022-23 के दौरान 436.82 टन कार्गो की आवाजाही की गई।

4.2.2 फ्लोटिंग टर्मिनल:

चूंकि गंगा नदी में जल स्तर में बड़ी भिन्नता (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों) के कारण स्थायी टर्मिनलों का निर्माण बहुत पूंजी गहन हो जाता है। अतः कहलगांव-इलाहाबाद (प्रयागराज) सेक्टर अर्थात् साहिबगंज, भागलपुर, मुंगेर

सेमरिया, बक्सर, गाजीपुर राजघाट, अस्सीघाट, प्रयागराज में चिन्हित स्थानों पर फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं और उनका रख-रखाव किया गया है।

4.2.3 पर्यटक जेट्टी:

संभावित पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप और भारतीय नदियों पर क्रूज उद्योग के साथ-साथ घरेलू क्रूज यात्रा को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने और निजी क्रूज प्रचालकों को पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) की सीएफए योजना के अंतर्गत पर्यटन संवर्धन गतिविधियों के लिए पर्यटक सर्किटों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भा.अ.ज.प्रा ने विभिन्न स्थानों पर 5 पर्यटक जेट्टी के निर्माण का कार्य सौंपा है। कार्य अभी शुरू किया जाना है।

4.2.4 स्थायी टर्मिनल (नियोजित):

अ.ज.प. की क्षमता का पता लगाने और अ.ज.प. प्रचालकों और शिपर्स को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, रा.ज.-1 पर कालूघाट और गाजीपुर में विश्व बैंक द्वारा समर्थित जेएमवीपी के अंतर्गत 2 स्थायी टर्मिनल के निर्माण की योजना बनाई गई है। कालूघाट में आईएमटी का निर्माण प्रगति पर है और इसे नवंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। तथापि, गाजीपुर में टर्मिनल को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

4.2.5 समुदायिक जेट्टी (प्रस्तावित)

स्थानीय लोगो को अ.ज.प. की सुविधा देने और सामुदायिक जेटी के विकास के लिए उनके योगदान को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 15 स्थानों पर बिहार में 21 स्थानों और झारखंड में 3 स्थानों को अर्थ गंगा (जेएमवीपी-II) के अंतर्गत रा.ज.-1 के राजमहल-इलाहाबाद (प्रयागराज) सेक्टर में प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 स्थानों पर सामुदायिक जेटी की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और बिहार और झारखंड के लिए जेटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4.3. नौवहन सहायता:

पूरे खंड में दिन के नौवहन के लिए डे चैनल मार्किंग प्रदान की गई है और इसका रखरखाव किया गया है। कहलगांव (690 कि.मी.) और बलिया (सीएच. 1060 कि.मी.) (कुल 470 कि.मी.) खंड के बीच रात्रि नौवहन सहायता भी प्रदान की गई है और इनका रखरखाव किया जा रहा है।

नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) 6 स्थानों अर्थात वाराणसी, जमानिया, गोविंद खास (बलिया), मौजमपुर (आरा), पटना, बाढ़, हथिडा, मुंगेर, भागलपुर, मनिहारी में स्थापित और प्रचालन में है। ये प्रणालियां अ.ज.प. प्रचालकों

और शिपर्स को फेयरवे से संबंधित जानकारी प्रदान करने और जलमार्ग पर सुरक्षा और सुचारू नौवहन सुनिश्चित करने में सहायक हैं।

4.4. नदी पर्यटन:

पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ रा.ज.-1 पर कई वर्षों से अंतर्देशीय पर्यटक जलयानों/नदी क्रूज और स्थानीय नौका सेवाओं की आवाजाही की जा रही है। विदेशी पर्यटकों के साथ इन पर्यटक जलयानों की आवाजाही नदी पर्यटन के नए तरीके की खोज कर रही है और कहलगांव-इलाहाबाद (प्रयागराज) सेक्टर में दिन-प्रतिदिन राष्ट्रीय जलमार्गों की क्षमता को बढ़ा रही है।

चित्र: गंगा विलास क्रूज

चित्र: कथा पांडव

4.5. कार्गो संचालन:

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) का उपयोग करते हुए कहलगांव से वाराणसी के बीच वर्ष 2022-23 के दौरान खाद्य तेल, चावल, निर्माण सामग्री, ओडीसी वाहक आदि सहित 2512.46 टन कार्गो का परिवहन किया गया है।

चित्र: ओडीसी कार्गो

चित्र: कार्गो संचालन

4.6. कहलगांव-प्रयागराज खंड में महत्वपूर्ण घटनाएं (2022-23)

अप्रैल 2022

- जलयान एम वी आए एन टैगोर की कोलकाता से पटना के लिए 101.17 मीट्रिक टन खाद्य तेल से भरी जल की निर्धारित सेवा 15.04.2022 को पूरी हुई।

मई 2022

- 16.05.2022 को पटना कार्यालय में अमृत महोत्सव (आजादी के 75 वर्ष) मनाया गया।
- 06.05.2022 को 128.67 मीट्रिक टन टूटे चावल से लदे एम.वी.आर.एन. टैगोर की यात्रा की निर्धारित सेवा पटना से कोलकाता के लिए रवाना हुई।

जून 2022

- मैसर्स जे.एम. बक्सी हैवी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के माध्यम से बजबज, पुजाली से बक्सर, बिहार तक कुल 379.00 मीट्रिक टन (कंसाइनरी: मैसर्स एल एंड टी लिमिटेड, सी/ओ एसजेवीएन थर्मल (पी) लिमिटेड, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट) की एक ओडीसी जल यात्रा।
- 21.06.2022 को पटना कार्यालय में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

जुलाई 2022

- 27.07.2022 को पटना कार्यालय में अमृत महोत्सव (आजादी के 75 वर्ष) मनाया गया।

अक्तूबर 2022

- क्रूज जलयान आरवी कथा पांडव 7 विदेशी पर्यटकों के साथ कोलकाता से मोकामा के लिए रवाना हुआ। जलयान को 28 अक्तूबर को मोकामा पहुंचना है।

नवंबर 2022

- वाराणसी में 11 और 12 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सर्बानंद सोनोबाल, माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अन्य केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रियों (उत्तर प्रदेश) की उपस्थिति में वाराणसी से बलिया के बीच 7 सामुदायिक जेटीयों का उद्घाटन और रविदास घाट, वाराणसी में रा.ज.-1 (गंगा नदी) में 8 सामुदायिक जेटीयों की आधारशिला रखी गई।
- कोलकाता से रवाना हुए 8 विदेशी पर्यटकों के साथ क्रूज जलयान आरवी कथा पांडव ने 21.11.2022 को मोकामा तक अपनी यात्रा गंतव्य पूरा किया।

दिसंबर 2022

- क्रूज जलयान एमवी गंगा विलास 32 विदेशी पर्यटकों के साथ कोलकाता से वाराणसी/चुनार के लिए रवाना हुआ। जलयान को 31.12.2022 को सिमरिया पहुंचना है।
- क्रूज जलयान आरवी कथा पांडव 5 विदेशी पर्यटकों के साथ सिमरिया से कोलकाता के लिए रवाना हुआ। जलयान को 31.12.2022 को मुंगेर पहुंचना है।

जनवरी 2023

- क्रूज जलयान एमवी गंगा विलास 32 विदेशी पर्यटकों के साथ कोलकाता से रवाना हुआ और वाराणसी तक अपनी यात्रा पूरी कर ली है।
- क्रूज पोत आरवी कथा पांडव 17 विदेशी पर्यटकों के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुआ और 21.01.2023 को सिमरिया तक अपनी यात्रा पूरी की।
- 13 जनवरी 2023 को रविदास घाट, वाराणसी में अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से बांग्लादेश के माध्यम से डिब्रूगढ़ के लिए सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और 32 विदेशी पर्यटकों के साथ वाराणसी से रवाना हुआ और आईबीपी मार्ग के माध्यम से डिब्रूगढ़ की ओर आगे की यात्रा के लिए 19.01.2023 को कहलगांव पहुंचा।
- 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी के रविदास घाट पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में वर्चुअल रुप से उत्तर प्रदेश में सामुदायिक जेटियों का उद्घाटन किया और बिहार में सामुदायिक जेटियों की आधारशिला रखी गई।
- एमवी आर. एन टैगोर 10 खाली कंटेनर और 8 कंटेनर कार्गो (मवेशी भोजन) के साथ कोलकाता से वाराणसी पहुंचा। और पटना के लिए रवाना हुआ और 21.01.2023 को पटना पहुंचा।

फरवरी 2023

- कोलकाता से मैसर्स टोटल मूवमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के माध्यम से कुल 703.50 मीट्रिक टन (कंसाइनी: मैसर्स सीबी एंड आई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी रिफाइनरी) की 1 ओडीसी ने 20.02.2023 को सिमेरिया तक अपनी यात्रा गंतव्य पूरा किया।
- डायमंड हार्बर से मैसर्स इयूथ्रो प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से कुल 384.30 मीट्रिक टन (कंसाइनी: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी, बिहार) की 1 ओडीसी यात्रा ने 25.02.2023 को सिमरिया तक अपनी यात्रा गंतव्य पूरा किया।
- रा.ज.-1 के माध्यम से कोलकाता से बक्सर, बिहार तक कुल 379.00 मीट्रिक टन की 1 ओडीसी यात्रा मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता द्वारा भेजी गई (कंसाइननी: प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स एसजेवीएन थर्मल (पी) लिमिटेड बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चौसा गोला क्षेत्र के पास, निकट बक्सर चौसा बक्सर) और 27.02.2023 को भागलपुर में सीएच. संख्या 715.00 को पार करने के लिए निर्धारित है।
- क्रूज जलयान एमवी गंगा विहार का उद्घाटन 03.02.2023 को माननीय उप-मुख्यमंत्री बिहार द्वारा एनआईटी घाट, पटना में किया गया है। यह जलयान बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित है।

मार्च 2023

- क्रूज जलयान आरवी कथा पांडव 18 विदेशी पर्यटकों के साथ 13.03.2023 को सिमेरिया से कोलकाता के लिए रवाना हुआ।
- मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (कंसाइननी: प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स एसजेवीएन थर्मल (पी) बक्सर थर्मल (पी) बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, चौसा गोला क्षेत्र के पास, चौसा, निकट बक्सर, चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा रा.ज.-1 के माध्यम से कोलकाता से बक्सर, बिहार तक कुल 379.00 मीट्रिक टन की 1 ओडीसी यात्रा 26.03.2023 को पूरी की।
- बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार सरकार के अंतर्गत मार्च 2023 के दौरान एनआईटी घाट, पटना से काली घाट, पटना (रा.ज.-1) और इसके विपरीत क्रम में एमवी गंगा विहार का संचालन किया जा रहा है।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-2)

राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में असम राज्य में धुबरी से सादिया तक 891 कि.मी. में ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। धुबरी-पांडु (255 कि.मी.) और पांडु-नीमाटी (374 कि.मी.) खंड में भा.अ.ज.प्रा द्वारा न्यूनतम 45 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) के एक नौगम्य फेयरवे का अनुरक्षण किया गया था। नेमाटी-डिब्रूगढ़ खंड में, 350 दिनों के लिए 2.0 मीटर एलएडी का रखरखाव किया गया था। डिब्रूगढ़-सादिया (ओरियमघाट) खंड में 1.5 मीटर के एलएडी का 365 दिनों के लिए रखरखाव किया गया। धुबरी और सिलघाट के बीच प्रदान की जाने वाली रात्रि नौवहन सुविधाओं को मांग के आधार पर थोड़े समय में बढ़ाया जा सकता है। भा.अ.ज.प्रा रा.ज.-2 पर दिन और रात के दौरान पर्यटक जलयानों/कार्गो जलयानों/यात्री नौका सेवाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए बांग्लादेश सीमा से सिलघाट तक रात की नौवहन सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

वर्तमान में, असम के दक्षिणी और उत्तरी भागों के बीच संपर्क के लिए गुवाहाटी, तेजपुर, सादिया में ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन सड़क पुल और जोगीघोपा गुवाहाटी और बोगीवील में तीन रेल सह सड़क पुल हैं। नदी के दोनों ओर रहने वाले लोगों को अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के लिए विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक नौका सेवा का उपयोग करके नदी को पार करने की आवश्यकता होती है।

इससे पहले, भा.अ.ज.प्रा ने धुबरी और हतसिंगीमारी के बीच इसी तरह की रो-पैक्स सेवा शुरू की थी, जिससे यात्रा की दूरी 190 किलोमीटर कम हो गई थी। जोगीघोपा के माध्यम से 220 कि.मी. के घुमावदार मार्ग से बचते हुए, असम और मेघालय के बीच एक सीधा संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से धुबरी में एक स्थायी रो-रो टर्मिनल का निर्माण किया गया था, धुबरी और हतसिंगीमारी के बीच रो-रो संचालन स्थापित किया गया था। भा.अ.ज.प्रा ने जुलाई, 2017 से इस मार्ग पर रो-रो संचालन के लिए अपने आधुनिक रो-रो पोत गोपीनाथ बोरदोलोई को तैनात किया है। दो रो-रो मार्ग अर्थात् i) नेमाटी से कमलाबाड़ी के बीच और ii) हतसिंगीमारी और धुबरी के बीच प्रचालन में हैं। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण रो-रो जलयान एमवी गोपीनाथ बोरदोलोई और एमवी भूपेन हजारिका को ओडिशा और रा.ज.-1 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18.2.2021 को 4 रो-पैक्स जलयानों क्रमशः (1) धुबरी-हतसिंगीमारी-एमवी बॉब खथिंग (2) दक्षिण गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी-एमवी जेएफआर जैकब (3) नेमाटी-कमलाबाड़ी-एमवी रानी गाइदिन्ल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन का उदघाटन किया गया। मैजान (डिब्रूगढ़) से सेंगाजन तक रो-रो टर्मिनल भी प्रस्तावित हैं जिसके लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। भा.अ.ज.प्रा ने 4 विभागीय ड्रेजर्स तैनात किए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में 5 सर्वेक्षण शुरू किए गये है और रा.ज.-16 (बराक नदी) में एक सर्वेक्षण जलयान का प्रचालन किया जा रहा है।

भा.अ.ज.प्रा ने 11 अक्तूबर, 2018 से असम में नेमाटी से माजूजी द्वीप/कमलाबाड़ी तक रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) सेवा शुरू की थी। नई रो-रो सुविधा असम सरकार के सहयोग से माजुली द्वीप के लिए बहुत आवश्यक संपर्कता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस सेवा ने 423 कि.मी. की सड़क मार्ग की दूरी को, जिसे ट्रक तेजपुर रोड़ बिज के माध्याम से नेमाटी से माजूली व्दीप के लिए उपयोग करते थे, नदी मार्ग में केवल 12.7 कि.मी. कर दिया है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों (144 कि.मी. 2) में से एक है और संयोजकता की गंभीर चुनौतियों का सामना करता है। इसमें 1,50,000 से अधिक की आबादी वाले 144 गांव हैं।

भा.अ.ज.प्रा ने 10.40 करोड़ रुपये की लागत से एम वी रानी गैंडिन्ल्यू, एमवी सचिनदेव बर्मन, एमवी बॉब खथिंग और एमवी जेएफआर जैकब जैसे नए जलयान खरीदे थे। नई सेवाओं के लिए नीमाटी से माजूजी द्वीप/कमलियाबाड़ी और नेमाती से अफलामुख तक आवश्यक टर्मिनल अवसंरचना भी प्रदान की जा रही है। 36.46 मीटर लंबे, 12.50 मीटर चौड़े जलयानों में दो ट्रक और 200 यात्रियों और 4 कारों की क्षमता है। भा.अ.ज.प्रा ब्रह्मपुत्र नदी पर उपयोग के लिए ऐसे और रो-रो जलयानों की खरीद की भी योजना बना रहा है।

5.1 उत्तर भारत में विकास कार्य

क. अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (पीअ.ज.प. एंड टी) की स्थायी समिति की 19वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गुमटी नदी के बांग्लादेश भाग अर्थात सोनामुरा से दाउदकांडी/सतनाल खंड को क्रमश

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग 9 और 10 के भाग के रूप में शामिल किया गया था। सोनामुरा में एक स्थायी टर्मिनल के निर्माण के लिए संशोधित एसएफसी में 10.10 करोड़ रुपये की राशि की परिकल्पना की गई है। भा.अ.ज.प्रा ने दोनों देशों के व्यापारियों की सुविधा के लिए सोनामुरा में एक अस्थायी फ्लोटिंग जेटी स्थापित की है। टर्मिनल के निर्माण के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के पास भूमि उपलब्ध है।

ख. गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन और पांडु में जलयान मरम्मत सुविधा के विकास के लिए शिलान्यास समारोह और भा.अ.ज.प्रा पांडु टर्मिनल से एनएच-27 तक संपर्क मार्ग के विकास का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13.01.2023 को वर्चुअल माध्यम से किया गया।

ग. बोगीबील और गुइजान में डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और दो अस्थाई जेटियों को चालू करने का कार्य और जोगीघोपा, असम में अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) टर्मिनल का निर्माण राज्य के भीतर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण निर्माणाधीन है, जिसमें ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और भूटान के भीतरी इलाकों को सेवा प्रदान करने की क्षमता है। हितधारकों के साथ प्राथमिक संवाद के आधार पर, यह समझा जाता है कि भूटान से उत्पन्न पत्थर के चिप्स को प्रस्तावित टर्मिनल सुविधा के माध्यम से भूटान में जलमार्ग का उपयोग करके संभावित रूप से ले जाया जा सकता है।

घ. पांडु, नीमाटी, बिश्वनाथघाट, जोगीघोपा में जमा कार्य आधार पर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) के साथ पर्यटक जटियां निर्माणाधीन है।

5.2 वर्ष 2022-23 के दौरान रा.ज.-2 और रा.ज.-16 में अन्य विकासात्मक परियोजनाएं/गतिविधियां:

रा.ज.-2 और रा.ज.-16 में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे किए गए या सौंपे गए अन्य विकासात्मक कार्यों/गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:–

1. जोगीघोपा में जोगीघोपा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए एनएचआईडीसीएल के माध्यम से मैसर्स डीवीपी इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड को कार्य आदेश दिया गया है।
   - नियत तिथि - 22.04.2022
   - पूरा होने की तिथि - 14.10.2023
   - पूरा होने की प्रत्याशित तिथि - 29.02.2024
   - कार्य का मूल्य - 63.9 करोड़

2. माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग की उपस्थिति में 19 सितंबर, 2022 को बोगीबील, डिब्रूगढ़, असम में आयोजित बोगीबील रिवरफ्रंट (रेलवे) पर पर्यटक जेट्टी का उद्घाटन और रा.ज.-2 पर बोगीबील और गुइजान में फ्लोटिंग जेटी के निर्माण के लिए आधारशिला का अनावरण।

3. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 जनवरी, 2023 को पांडु बंदरगाह पर जलयान मरम्मत सुविधा के निर्माण के लिए आधारशिला का वर्चुअल अनावरण किया गया।
   - कुल परियोजना लागत - 208 करोड़ रुपये

- सलाहकार का नाम - मैसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)
- डीओसी/डीओसी - 3 जून, 2023/दिसंबर' 2024
- निर्माण-कार्य का मूल्य - 63.9 करोड़
- एचसीएसएल द्वारा मैसर्स एल एंड टी जियो स्ट्रक्चर को 31.03.2023 को कार्य सौंपा गया । 05.04.2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

4. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 जनवरी, 2023 को पांडु बंदरगाह को एनएच-27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड के लिए आधारशिला का वर्चुअल अनावरण किया गया।

- कुल परियोजना लागत - 180 करोड़ रुपये
- एजेंसी का नाम - पीडब्ल्यूआरडी असम सरकार
- डीओएस/डीओसी - फरवरी 2023/मार्च 2026
- संशोधित डीओसी - मार्च 2025
- भौतिक प्रगति - 25%
- पीडब्ल्यूआरडी, असम सरकार द्वारा 153.05 करोड़ रुपये की कुल लागत के लिए मैसर्स किशोर बोरा को 17.02.2023 को काम सौंपा गया है और कार्य प्रगति पर है।

5. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 जनवरी, 2023 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का वर्चूअल उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 13 फरवरी, 2023 से शुरू हुए।

6. भा.अ.ज.प्रा ने असम में तीन प्रमुख परियोजनाओं के साथ-साथ वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबे नदी क्रूज "एमवी गंगा विलास" के उद्घाटन/ हरी झंडी दिखाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया। एमवी गंगा विलास क्रूज ने अपनी ऐतिहासिक पहली यात्रा पूरी की, जिसे 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश (भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से) और असम राज्यों के माध्यम से लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 28 फरवरी, 2023 को डिब्रूगढ़ में अपने गंतव्य पर पहुंचा।

गुवाहाटी में ब्रहमपुत्र नदी (रा.ज.-2) में एमवी गंगा विलास

गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र

वर्ष 2022-23 के दौरान रा.ज.-2 में कुल बैंडल मात्रा

क्र.सं.	स्थानों की संख्या	मात्रा
1.	35	25,350 मी.

वर्ष 2022-23 के दौरान रा.ज.-2 में कुल ड्रेजिंग मात्रा

क्र.सं.	स्थानों की संख्या	मात्रा
1.	16	3,60,789.96 क्यू.मी.

रा.ज.-2 पर भा.अ.ज.प्रा के मौजूदा स्थायी जेटी का विवरण

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

स्थान	जेट्टी/टर्मिनल	भंडारण सुविधा	उपकरण	अन्य सुविधाएं
पांडु, गुवाहाटी	निम्न स्तर आरसीसी जेटी-(लंबाई- 50 मीटर, चौड़ाई-20 मीटर)	2 ट्रांजिट शेड (75 मीटर x 21 मीटर प्रत्येक),	20 मीट्रिक टन और 75 मीट्रिक टन क्षमता के दो हाइड्रोलिक शोर क्रेन,	एक रेलवे ब्रॉड गेज (बीजी) साइडिंग
	उच्च स्तरीय आरसीसी जेटी-(लंबाई- 50 मीटर, चौड़ाई-20 मीटर)	खुला भंडारण क्षेत्र: 553.90 वर्ग मीटर	एक वजन पुल: 100 मीट्रिक टन क्षमता	सीमा शुल्क अधिसूचित
धुबरी	रो-रो आरसीसी जेट्टी-(लंबाई-186 मीटर, चौड़ाई-15.6 मीटर)	2 ट्रांजिट शेड (25 मीटरx15 मीटर प्रत्येक),	एक शोर क्रेन-20 मीट्रिक टन क्षमता,	सीमा शुल्क अधिसूचित
		खुला भंडारण क्षेत्र: 553.90 वर्ग मीटर।	एक वजन पुल-60 मीट्रिक टन क्षमता	

वर्ष 2022-23 के दौरान रा.ज.-2 में प्रदान किए गए फ्लोटिंग टर्मिनल

1. धुबरी
2. जोगीघोपा
3. पांडु
4. उजानबाजार
5. तेजपुर
6. सिलघाट,
7. बिश्वनाथघाट
8. नीमती
9. कमलाबाड़ी,
10. अफलामुख
11. बोगीबील
12. ओइरम घाट/गुइजान

6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-3)

6.1 केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों में चंपाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर और अलप्पुझा-एडापल्लीकोट्टा खंड में तट सुरक्षा प्रदान करना, विभागीय ड्रेजर सीएसडी चंपक्कारा के माध्यम से अ.ज.प. टर्मिनल, मरडू और चंपाकारा नहर में थेवरा में एडी मणिमाला में रखरखाव ड्रेजिंग कार्य और कोरामकोट्टा और मुलावुकाडु (उद्योगमंडल नहर में) में 2.0 मी गहराई रखने के लिए अनुबंध एजेंसी के माध्यम से किए गए रखरखाव ड्रेजिंग कार्य शामिल थे।

मराडू के पास ड्रेजिंग

थेवरा में ड्रेजिंग

6.2 राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में पूंजीगत ड्रेजिंग और संकीर्ण खंडों को चौड़ा करने के साथ-साथ अनुरक्षण ड्रेजिंग के संबंध में पिछले कुछ वर्षों से ड्रेजिंग सामग्री के निपटान, अतिरिक्त तट सुरक्षा की मांग और ड्रेजिंग खराब होने, स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों और मुकदमों को बार-बार रोके जाने और मछुआरों द्वारा आपत्ति से संबंधित विभिन्न स्थानीय मुद्दों के कारण विलंब का सामना करना पड़ रहा है। गीली भूमि आदि के संरक्षण के बारे में नए नियमों के साथ, राष्ट्रीय जलमार्ग से निकाली गई सामग्री के लिए निपटान स्थलों की पहचान करना काफी कठिन हो गया है। ऐसी समस्याओं को हल करने और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, भा.अ.ज.प्रा नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ संवाद कर रहा है, लेकिन फिर भी, डंपिंग साइटों को आवंटित करने के लिए लंबी प्रक्रिया के कारण रा.ज.-3 में भा.अ.ज.प्रा की ड्रेजिंग क्षमता का काफी कम उपयोग हो रहा है।

फेयरवे चैनल प्रदान करने के लिए रा.ज.-3 के एडापल्लीकोट्टा-कोल्लम खंड में कैपिटल ड्रेजिंग, संकीर्ण नहरों को चौड़ा करने, तट संरक्षण, अवरोधों को हटाने और उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए निविदा (तीसरी बार) जारी की गई है।

6.3 केरल सरकार के सिंचाई विभाग को जमा आधार पर 38 करोड़ रुपये की लागत से त्रिक्कुन्नप्पुझा (61 मीटर लंबे, 14.75 मीटर चौड़े और 6 मीटर (एचएफएल से ऊपर) ऊर्ध्वाधर मंजूरी के आयामों के साथ) में नए नौवहन लॉक के पुनर्निर्माण का काम सौंपा गया था। भा.अ.ज.प्रा ने केरल सरकार को कुल 38 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। लॉक-गेट के निर्माण की वास्तविक प्रगति के संबंध में लगभग 64% सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। सिंचाई विभाग, केरल सरकार द्वारा कार्य प्रगति पर है और सिंचाई विभाग द्वारा दिया गया संशोधित पूरा होने का समय दिसंबर 2024 है।

6.4 केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) को चंपक्कारा नहर में 5.97 करोड़ रुपये की लागत से 5 हाई टेंशन लाइनों को 19 मीटर ऊर्ध्वाधर मंजूरी (एचएफएल से ऊपर) तक उठाने के लिए सौंपा गया। चार स्थानों पर जलमार्ग श्रेणी-III के मानकों के अनुसार कार्य पूरा हो चुका है और शेष एक स्थान का कार्य प्रगति पर है।

6.5 400 मीटर की लंबाई के लिए निष्पादित संवेदनशील स्थानों में रिप-रैप प्रकार के तट संरक्षण कार्य रा.ज.-3 के अलप्पुझा-एडापल्लीकोट्टा खंड में पूरे हो गए हैं।

6.6. कार्गो टर्मिनलों का निर्माण 9 स्थानों (जैसे, कोट्टाप्पुरम, अलुवा, मराडू, वैक्कोम, थन्नीरमुक्कोम, अलाप्पुझा, त्रिक्कुन्नापुझा, कायमकुलम और कोल्लम) पर किया गया है। उपर्युक्त टर्मिनल अपेक्षित कार्गो को आकर्षित नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्य रूप से मालवाहकों और माल भेजने वालों की ओर से अ.ज.प. मोड में मॉडल शिफ्ट को स्वीकार करने की अनिच्छा है। इसलिए, 3 टर्मिनलो (अर्थात कोट्टप्पुरम, अलुवा और कोल्लम) को केरल राज्य भंडारण निगम (केएसडब्ल्यूसी), केरल सरकार को पट्टे के आधार पर टर्मिनलों के उपयोग के लिए सौंप दिया गया था।

6.7 भा.अ.ज.प्रा द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीओपीटी) लिमिट के भीतर दो रोल-ऑन/रोल-ऑफ टर्मिनलों का निर्माण कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से आईसीटीटी, वल्लारपदम के साथ संपर्कता प्रदान करने के लिए एक समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत किया गया है। इस सुविधा का उपयोग करके, वल्लारपदम जाने वाले ट्रकों/ट्रेलरों को कोच्चि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

6.8 24.57 करोड़ रुपये की लागत से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के माध्यम से निर्मित 15 टीईयू के परिवहन की क्षमता वाले दो रो-रो जलयानों एमवी सीवी रमन और एमवी आदि शंकरा को 28.09.2020 को लिया गया और रा.ज.-3 पर विलिंगटन द्वीप और बोलघट्टी के बीच कंटेनर ट्रेलरों के साथ रो-रो सेवा के लिए तैनात किया गया। मैसर्स केरल शिपिंग एंड इनलैंड नौवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केरल सरकार का एक उपक्रम) के साथ 24.10.2020 को हस्ताक्षरित एक समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत संचालन और रखरखाव 15 वर्षों की अवधि के लिए 2 रो-रो जलयानों के संचालन के लिए सौंपा गया है। रो-रो सेवा फरवरी 2021 से शुरू हुई, जो कोच्चि शहर की सड़कों से सड़क की भीड़/कंटेनर यातायात को कम करेगी और अ.ज.प. मोड के माध्यम से आईसीटीटी, वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल पर गंतव्य तक पहुंचेगी।

6.9 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अ.ज.प. मोड/बार्ज द्वारा रा.ज..3 में कुल कार्गो आवाजाही 31.60 लाख टन थी, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड, तरलीकृत अमोनिया गैस, रॉक फॉस्फेट शामिल हैं, जो रा.ज.-3 में स्थानांतरित की गई उच्चतम मात्रा है।

6.10 कुल 312 सौर ऊर्जा से संचालित लाइट वाले एफआरपी बॉय और 17 बिकन लैंपो का भा.अ.ज.प्रा द्वारा चंपक्कारा और उद्योगमंडल नहरों और रा.ज.-3 के कोट्टापुरम-कोल्लम (वेस्ट कोस्ट कैनाल) खंड में चौबीसों घंटे नौवहन की सुविधा के लिए रखरखाव किया जाता है।

रा.ज.-3 में स्थापित सौर ऊर्जा संचालित एफआरपी बॉय

7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–4)

भा.अ.ज.प्रा मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। अंतर्देशीय जल परिवहन यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए व्यवहार्य पूरक साधनों में से एक के रूप में तेजी से उभर रहा है। अ.ज.प. में परिवहन का एक लागत कुशल, आर्थिक, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रूप प्रदान करने की क्षमता है।

1,078 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-4) को 2008 में अधिसूचित किया गया था, जिसमें लगभग 750 किलोमीटर नहरें और 328 किलोमीटर नदी खंड शामिल हैं। बदले में, रा.ज.-4 के नदी खंड में दो प्रमुख "**गोदावरी नदी** खंड (भद्राचलम से राजमुंदरी) और "**कृष्णा नदी** खंड" (वजीराबाद से विजयवाड़ा) शामिल हैं। रा.ज.-4 में नहरें **काकीनाडा** नहर (काकीनाडा से राजमुंदरी), **एलुरु नहर** (राजमुंदरी से विजयवाड़ा), **कममूर नहर** (विजयवाड़ा से पेडागंजम), **उत्तरी बकिंघम नहर** (पेडागंजम से चेन्नई), **दक्षिण बकिंघम नहर** (चेन्नई से मरक्कानम) और **कालूवेली टैंक** (मरक्कानम से कालुवेल्ली) हैं।

बाद में, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 (2016 की संख्या 17) के अंतर्गत, रा.ज.-4 को गोदावरी नदी पर नासिक तक और कृष्णा नदी पर गलगली पुल तक बढ़ाया गया है, जिससे राष्ट्रीय जलमार्ग-4 की लंबाई **2,890** किलोमीटर हो गई है।

19 दिसंबर, 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समन्वय के लिए सिंचाई विभाग के कार्यालय परिसर में विजयवाड़ा में भा.अ.ज.प्रा का एक कार्यालय स्थापित किया गया था; भा.अ.ज.प्रा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों सहित भारत के दक्षिणी भाग में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-4 के 2,890 किलोमीटर के कुल खंड के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-4) की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। परियोजना के चरण-। में कृष्णा नदी पर मुक्तयाला से विजयवाड़ा खंड 82 कि.मी. की दूरी तय करेगा। कृष्णा नदी के मुक्तयाला से विजयवाड़ा तक **चरण-1** खंड में विकास कार्य प्रगति पर है। विजयवाड़ा-काकीनाडा और राजमुंदरी से पोलावरम (233 कि.मी.) तक **चरण-2** में सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और मंत्रालय के अनुमोदन से खंड विकासात्मक कार्यकलाप बाद में किए जाएंगे।

भा.अ.ज.प्रा ने राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के काकीनाडा-विजयवाड़ा-राजमुंदरी-पोलावरम खंड

राष्ट्रीय जलमार्ग - 4

में व्यापक हाइड्रोग्राफिक और नेवीगेशनल अध्ययन के लिए फील्ड कार्य किया है और रिपोर्ट को मुख्यालय में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

7.1 फेयरवे विकास :

भा.अ.ज.प्रा ने राष्ट्रीय जलमार्ग-4 में चरण-I गतिविधि के एक भाग के रूप में कृष्णा नदी के मुक्तयाला-हरिश्चंद्रपुरम (विजयवाड़ा का यू.एस) खंड के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्रेजिंग गतिविधि की है। कृष्णा नदी में रा.ज.-4 का ड्रेजिंग कार्य माह दिसंबर, 2019 में बंद कर दिया गया है।

7.2 रो-रो टर्मिनल भूमि का भूमि अधिग्रहण :

भा.अ.ज.प्रा ने (i) इब्राहिमपटनम (ii) हरिश्चंद्रपुरम और (iii) मुक्तयाला में तीन स्थायी रो-रो टर्मिनलो को विकसित करने का प्रस्ताव किया है और राष्ट्रीय जलमार्ग-4 में कृष्णा नदी के किनारे उपर्युक्त रो-रो टर्मिनलो के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण को पूरा करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों, आंध्र प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया है।

भूमि योजना में तीन रो-रो टर्मिनलों (i) मुक्त्याला (सीमा=एसी. 8.57 सीटीएस.)-एनटीआर जिला, (ii) हरिशचंद्रपुरम (विस्तार=एसी. 3.63 सीटीएस)-गुंटूर जिला और (iii) इब्राहिमपट्टनम (सीमा=एसी. 3.80 सीटीएस)-एनटीआर जिले में, भूमि अधिग्रहण पूरा करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भूमि योजना सारणी प्रस्तुत कर दी गई है।

7.2.1 मुक्त्याला में रो-रो टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण:

भा.अ.ज.प्रा ने अप्रैल, 2018 के माह में आरडीओ, विजयवाड़ा को 1,60,27,147 रुपये की राशि माह, मार्च, 2022 में उप-जिलाधीश, विजयवाड़ा को 1,39,93,258 रुपये और मुक्त्याला में भूमि अधिग्रहण के लिए

मुक्तयाला टर्मिनल स्थान

आरडीओ, नंदीगामा को 46,62,610 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की है। इसलिए, रा.ज.-4 में मुक्तियाला, जग्गयापेटा मंडल, एनटीआर जिला, आंध्र प्रदेश में स्थायी रो-रो टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (एसी. 1.00 जलमग्न भूमि को छोड़कर 7.57 सेंट) को पूरा करने के लिए कुल जमा की गई राशि: 3,46,83,015 रुपये है। **आरडीओ, नंदीगामा ने 10.11.2022 को 7.57 सेंट की सीमा के लिए आदेश पारित किया है और 09.02.2022 को भा.अ.ज.प्रा, विजयवाड़ा को भूमि सौंप दी है।** 1.00 सेंट की जलमग्न भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिलाधीश, एनटीआर जिला, आंध्र प्रदेश सरकार में चल रही है।

7.2.2 इब्राहिमपट्टनम में स्थायी रो-रो टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण:

इब्राहिमपटनम में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि (**एसी. 3.80 सेंट**) कृष्णा नदी (रा.ज.-4) के तट पर स्थित है जो जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित थी। जल संसाधन विभाग ने आंध्र प्रदेश सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि कृष्णा नदी के तट पर टर्मिनल के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिमपटनम गांव और मंडल में 335 आरएस में एसी 5.50 सेंट की सीमा में से 3.80 प्रतिशत भूमि भा.अ.ज.प्रा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है। जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ हाल ही में चर्चा के दौरान; उनसे आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन के नवीकरण की स्थिति के बारे में पूछा गया है जो अप्रैल, 2022 में समाप्त हो गया था।

मुख्य अभियंता (सिंचाई), जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 09.12.2022 को सूचित किया कि **25/06/2021 को** मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार और **अध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा** के साथ हुई बैठक के दौरान हुई सहमति के अनुसार इब्राहिमपटनम गांव और मंडल के रू.335/- में एसी. 5.50 सेंट की कुल सीमा में से 380 सेंट भूमि की उपलब्ध सीमा को **स्वामित्व के आधार** पर भा.अ.ज.प्रा को आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि के लिए एकमुश्त लागत का निर्णय उप रजिस्ट्रार, इब्राहिमपटनम द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बाजार मूल्य पर लिया गया है, जिसे जनहित में

इब्राहिमपटनम टर्मिनल स्थान

भा.अ.ज.प्रा द्वारा टर्मिनल सुविधाओं को विकसित करने के लिए आवंटन के लिए प्रस्तावित एसी. 3.80 सेंट की कुल सीमा के लिए **6.02 करोड़ रुपये** निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बैठक के दौरान सहमति के अनुसार स्वामित्व के आधार पर निर्णय को एक मुश्त लागत के साथ अवगत कराया जाए। इसे 20.01.2023 को भा.अ.ज.प्रा, मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है, मुख्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

7.2.3 हरिशचंद्रपुरम में रो-रो टर्मिनल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण:

भा.अ.ज.प्रा ने अप्रैल, 2018 में जिलाधीश, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश को 4,50,000,00/- रुपये (4.50 करोड़ रुपये) की राशि जमा की है। हरीशचंद्रपुरम में भूमि (एसी. 3.63 सेंट) तहसीलदार, थुल्लुरु द्वारा 28/03/2022 को भा.अ.ज.प्रा, विजयवाड़ा को पहले ही सौंप दी गई है। जिला जिलाधीश, गुंटूर ने हरिशचंद्रपुरम भूमि के भूमि अधिग्रहण के लिए 1,94,50,835/- रुपये की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया है और 27.03.2023 को भा.अ.ज.प्रा को 2,55,49,165/- रुपये की शेष राशि भेज दी है। भूमि रिकॉर्ड भा.अ.ज.प्रा के पक्ष में शामिल किए गए हैं।

हरीशचंद्रपुरन टर्मिलन का स्थान

7.5 रा.ज.-4 में चार फ्लोटिंग स्टील पंटून की तैनाती:

भा.अ.ज.प्रा ने पर्यटन/यात्री टर्मिनलों अर्थात क) दुर्गा घाट ख) भवानी द्वीप ग) इब्राहिमपट्टनम आदि में रखने के लिए चार फ्लोटिंग स्टील पोंटून का निर्माण किया है। रा.ज.-4 पर कृष्णा नदी में भवानी द्वीप, विजयवाड़ा में चार पंटून लॉन्च किए गए हैं और रखे गए हैं। चार पंटूनों का संचालन और रखरखाव आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम, भारत सरकार के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए मसौदा समझौता मुख्यालय, नोएडा में प्रक्रियाधीन है।

क. प्रारंभ में 16/04/2021 को भा.अ.ज.प्रा, विजयवाड़ा द्वारा तीन फ्लोटिंग स्टील पंटून का अधिग्रहण किया गया था और भवानी द्वीप पर रखा गया था।

ख. इसके अलावा, शेष चौथे फ्लोटिंग स्टील पंटून को 01/07/2022 को भा.अ.ज.प्रा, विजयवाड़ा द्वारा ले लिया गया है और भवानी द्वीप पर अन्य तीन पंटून के साथ रखा गया है।

7.6 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्रॉस संरचनाओं के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया:

वर्ष 2022-23 के दौरान रा.ज.-4 में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का विवरण नीचे उल्लिखित है:

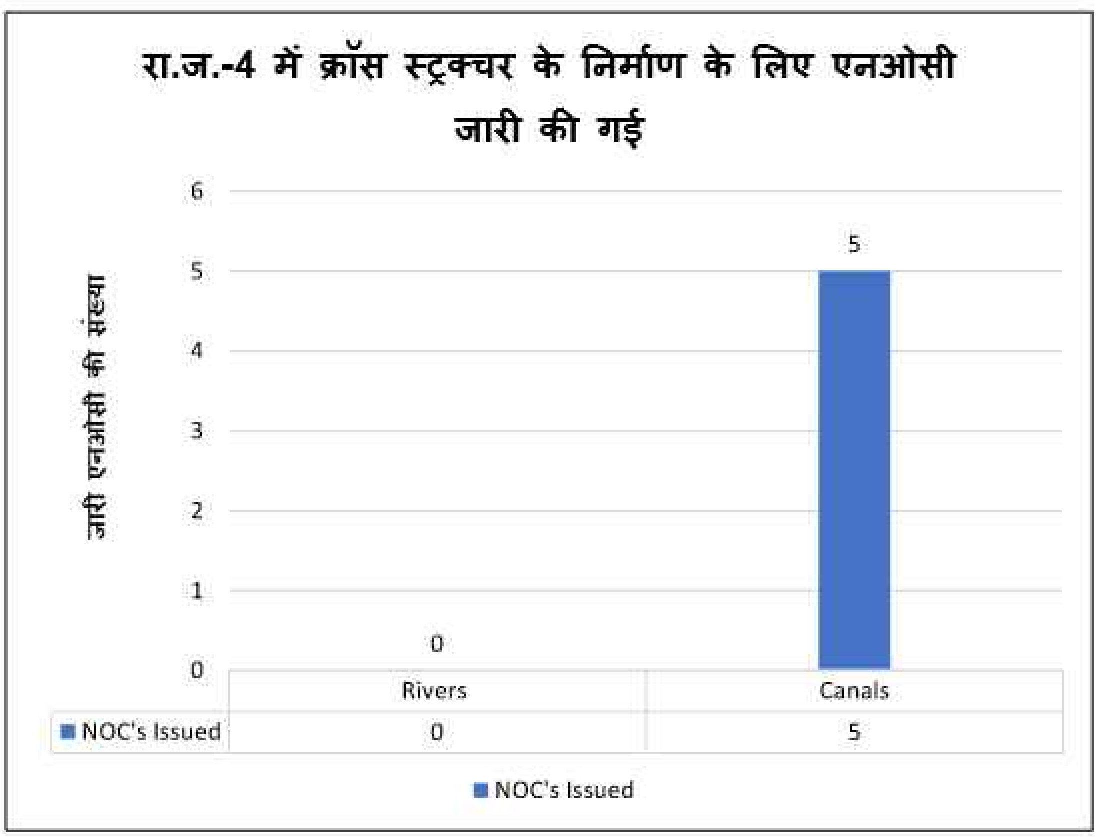

7.7 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए सर्वेक्षण:

विजयवाड़ा से मुक्तयाला तक कृष्णा नदी में 22 जून से मार्च-23 तक 82 कि.मी. लंबाई के लिए थलवेग सर्वेक्षण किया गया था।

1. **टर्मिनल सर्वेक्षण**: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया गया टर्मिनल सर्वेक्षण शून्य है।
2. थलवेग सर्वेक्षण (82 कि.मी.)–जून, 2022 से राष्ट्रीय जलमार्ग-4, आंध प्रदेश पर कृष्णा नदी में विजयवाड़ा (0 कि.मी.) और मुक्तयाला (82 कि.मी.) के बीच एमएलटीएस आयोजित करने के लिए मैसर्स जीएमआई प्राइवेट लिमिटेड को 25.05.2022 को एक वर्ष के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है।
3. **विस्तृत सर्वेक्षण**: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया गया विस्तृत सर्वेक्षण-शून्य

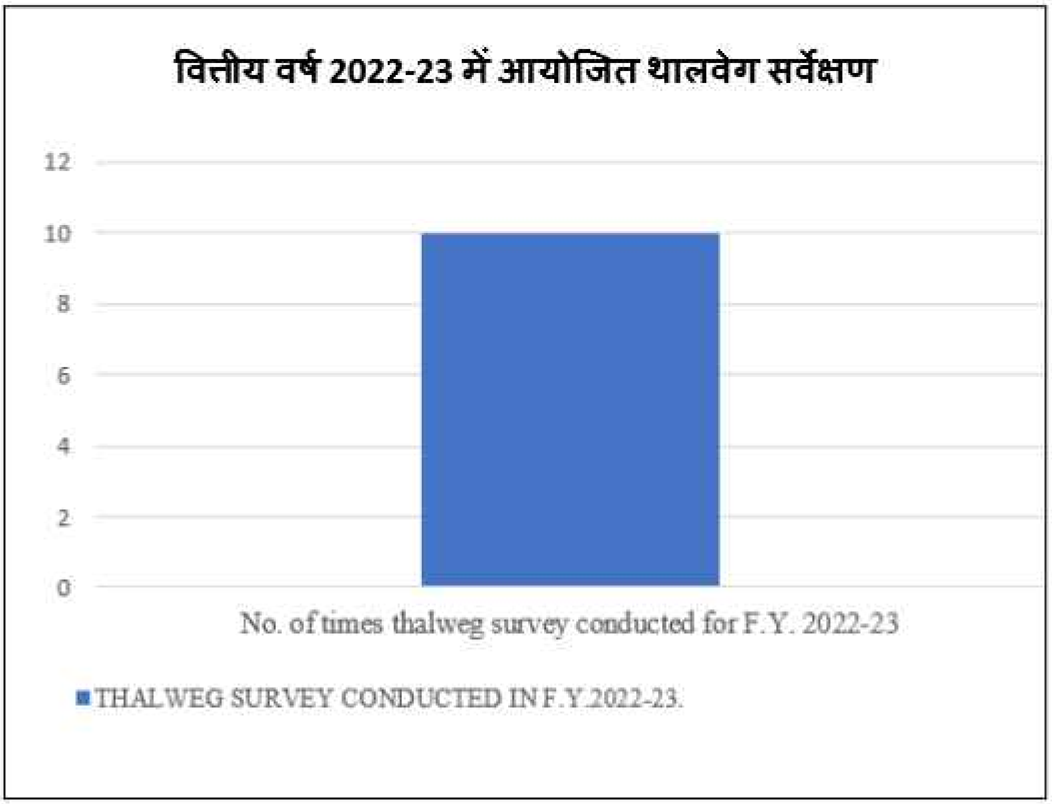

8. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–5)

8.1 भारत सरकार ने नवंबर 2008 में महानदी/ब्राह्मणी डेल्टा, मताई नदी और पूर्वी तट नहर (ईसीसी) में लगभग 588 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (रा.ज.-5) घोषित किया। डीपीआर के अनुसार 3 अलग-अलग खंडों में रा.ज.-5 का लंबाईवार वितरण नीचे दिया गया है:

(i)	खंड I	:	तालचेर से मंगलगड़ी	:	237 कि.मी.
(ii)	खंड II	:	धामरा से पारादीप	:	95 कि.मी.
(iii)	खंड III	:	धामरा से जियोनखली	:	256 कि.मी.
			कुल	:	**588 कि.मी.**

सूचकांक मानचित्र नीचे संलग्न है:

National Waterway-5
(East Coast Canal integrated with Brahmani and Mahanadi delta river system)

8.2 2016 में किए गए व्यवहार्यता अध्ययनों और प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर और विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से उत्पन्न कार्गो आवाजाही की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, शुरू में निम्नलिखित 2 चरणों में पारादीप/धामरा और तालचेर के बीच रा.ज.-5 के 332 कि.मी. आर्थिक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य खंडों को विकसित करने का निर्णय लिया गया था और धामरा से जियोनखली तक जलमार्ग की शेष लंबाई को विकास के लिए व्यवहार्य नहीं माना जाता है:

i.	चरण-1	:	पारादीप/धामरा और पंकापाल के बीच	:	212 कि.मी.
ii.	चरण-2	:	पंकापाल से तालचेर	:	120 कि.मी.

8.3 पारादीप/धामरा और पंकापाल के बीच 212 कि.मी. को शामिल करते हुए चरण-I का विकास शुरू किया गया है, जैसे (i) मासिक थलवेग सर्वेक्षण, (ii) मौजूदा क्रॉस संरचनाओं/पुलों के संशोधन पर अध्ययन 9 (अध्ययन पूरा हो गया और ओडिशा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई) (iii) वीयर/बैराज/तालों का निर्माण (एलएडी बनाने के लिए पानी के तालाब बनाने के लिए-डिजाइनों की जांच के लिए एनटीसीपीडब्ल्यूसी (आईआईटी-एम) को कार्य सौंपा गया) और (iv) पनकापाल से तालचेर तक 120 किलोमीटर को शामिल करते हुए चरण-II में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण (अक्तूबर, 2020 में अध्ययन पूरा हुआ)। 45.08 करोड़ रुपये की लागत से जमा आधार पर ओडिशा सरकार को सौंपी गई एचटी/एलटी बिजली लाइनों के स्थानांतरण/पुनर्स्थापन का कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2024 तक पूरा होने की आशा है।

8.4 रा.ज. 5 और रा.ज. 64 में कार्गो की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, भा.अ.ज.प्रा ने पीपीपी मोड पर ओडिशा में रा.ज.-5 और रा.ज.-64 के विकास और परिचालन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए एक लेनदेन सलाहकार (फरवरी, 2023) को नियुक्त किया है। पहली वितरण योग्य पूर्ण और लेनदेन सेवा प्रगति पर है।

8.5 अ.ज.प. मोड द्वारा जिप्सम कार्गो परीक्षण संचालन 02.02.2022 को महानदी नदी में इफको रिवरिन जेट्टी से पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (रा.ज.-5 और रा.ज.-64 के माध्यम से) तक आयोजित किया गया था और अ.ज.प. बार्ज द्वारा नियमित जिप्सम परिवहन प्रगति पर है। उद्घाटन/हरी झंडी दिखाने का समारोह 25.04.2022 को ओडिशा में इफको जेट्टी पर माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा आयोजित किया गया था।

8.6 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ओडिशा में अ.ज.प. मोड द्वारा कुल 8,70,145 मीट्रिक टन कार्गो (अर्थात, रा.ज. 5 में 4,20,619 मीट्रिक टन और रा.ज.-64 में 4,49,526 मीट्रिक टन) की आवाजाही की गई।

9. राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी)

राष्ट्रीय जलमार्ग-16				
स्थान	**जेट्टी/टर्मिनल**	**भंडारण सुविधा**	**उपकरण**	**अन्य सुविधाएं**
बदरपुर	आरसीसी जेट्टी-(लंबाई-91 मीटर, चौड़ाई-37 मीटर)	शामिल स्टोरेज (29.84 मीटरx16.07 मीटर), कुल स्टैक स्थान	एक शोर क्रेन, एक फ्लोटिंग पंटून, एक फोर्क लिफ्ट	
करीमगंज	आरसीसी जेट्टी-(लंबाई-136.5 मीटर, चौड़ाई-14.5 मीटर)	शामिल भंडारण (85 मीटरx23 मीटर), 553.90 वर्ग मीटर का खुला स्टैक क्षेत्र।	एक शोर क्रेन, एक फ्लोटिंग पंटून, एक फोर्क लिफ्ट	सीमा शुल्क अधिसूचित

10. नए राष्ट्रीय जलमार्ग

106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए की गई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणामों के आधार पर 26 राष्ट्रीय जलमार्ग तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाए गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) भी तैयार की गई हैं। 10 सर्वाधिक व्यवहार्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यकलाप शुरू किए गए हैं यथा बराक नदी (रा.ज.-16), गोवा-रा.ज.-27-कंबरजुआ, रा.ज.-68-मंडोवी, रा.ज.-111-जुआरी, काली नदी (रा.ज.-52), अलप्पुझा-कोट्टायम-अथिरामपुझा नहर (रा.ज.-9), अलप्पुझा-चांगनासरी नहर (रा.ज.-8), घाघरा नदी (रा.ज.-40), रुपनारयण नदी (रा.ज.- 86) सुंदरवन जलमार्ग (एन डब्ल्यू – 97).

क, ख, ग के वर्गीकरण के अनुसार विकास के लिए संभावित जलमार्गों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विकास के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों पर विचार किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक अगले चार वर्षों के दौरान 267 करोड़ रुपये की लागत से नए जलमार्ग-चरण-1) 23 नए जलमार्गों (रा.ज.-3, रा.ज.-4, रा.ज.-5 और 20) के विकास के लिए डीआईबी मेमो को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 07.11.2022 को मंजूरी दी गई है। निर्देशों के अनुसार, डीआईबी मेमो भी 12.12.2022 को परिचालित किया गया है। विकास के लिए विचारार्थ जलमार्गों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	ब्यौरा	राष्ट्रीय जलमार्गों का नाम	राज्य
1	राष्ट्रीय जलमार्ग-3	पश्चिम तटीय नहर	केरल
2	राष्ट्रीय जलमार्ग-4	काकीनाडा गोदावरी नदी	आंध्र प्रदेश
3	राष्ट्रीय जलमार्ग-5	पूर्व तटीय नहर	ओडिशा
4	राष्ट्रीय जलमार्ग-8	अलप्पुझा-चंगानसरी नहर	केरल
5	राष्ट्रीय जलमार्ग-9	अलप्पुझा-कोट्टायम-अथिरमपुझा नहर	केरल
6	राष्ट्रीय जलमार्ग-10	अम्बा नदी	महाराष्ट्र
7	राष्ट्रीय जलमार्ग-27	कंबरजुआ नदी	गोवा
8	राष्ट्रीय जलमार्ग-44	इचामती नदी	पश्चिम बंगाल
9	राष्ट्रीय जलमार्ग -52	काली नदी	कर्नाटक
10	राष्ट्रीय जलमार्ग -57	कोपली नदी	असम
11	राष्ट्रीय जलमार्ग-68	मंडोवी नदी	गोवा
12	राष्ट्रीय जलमार्ग-111	जुआरी नदी	गोवा
13	राष्ट्रीय जलमार्ग-28	दाभोल क्रीक-वशिष्ठी नदी	महाराष्ट्र
14	राष्ट्रीय जलमार्ग-37	गंडक नदी	बिहार
15	राष्ट्रीय जलमार्ग-73	नर्मदा नदी	गुजरात और मध्य प्रदेश
16	राष्ट्रीय जलमार्ग-85	रेवाडांडा क्रीक	महाराष्ट्र
17	राष्ट्रीय जलमार्ग-86	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल

18	राष्ट्रीय जलमार्ग-97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
19	राष्ट्रीय जलमार्ग-100	तापी नदी	मध्य प्रदेश
20	राष्ट्रीय जलमार्ग-94	सोन नदी	मध्य प्रदेश और बिहार
21	राष्ट्रीय जलमार्ग-40	घाघरा नदी	बिहार
22	राष्ट्रीय जलमार्ग-25	चपोरा नदी	गोवा
23	राष्ट्रीय जलमार्ग-31	धनसिरी नदी	असम

10.1 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-8)

रा.ज.-8 अलप्पुझा से चेंगनास्सेरी तक 28 कि.मी. लंबी दूरी तय करता है। चैनल की गहराई की निगरानी के लिए मासिक अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुरक्षित नौवहन के लिए नौवहन सहायता प्रदान किए गए।

10.2. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-9)

रा.ज.-9 अलप्पुझा से कोडिमाथा (कोट्टायम) तक 28 कि.मी. लंबी दूरी तय करता है। चैनल की गहराई की निगरानी के लिए मासिक अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुरक्षित नौवहन के लिए नौवहन सहायता प्रदान किए गए। 2.0 मीटर एलएडी को बनाए रखने के लिए विभागीय ड्रेजर का उपयोग करके पल्लोम साइट पर देखे गए शोल और जलकुंभी को साफ किया गया था।

रा.ज.-97 के माध्यम से हल्दिया से असम तक एक्जिम कार्गो की आवाजाही

11. पारगमन और व्यापार पर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल

भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पी.अ.ज.प. एंड टी) पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत एक देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्गों के माध्यम से पारगमन कर

सकते घोषित हैं। पी.अ.ज.प. एंड टी के अंतर्गत प्रत्येक देश में ग्यारह पोर्ट ऑफ कॉल और दो विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किए गए हैं। भारत में पोर्ट ऑफ कॉल कोलाघाट, (पश्चिम बंगाल), हल्दिया (पश्चिम बंगाल), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), मैया (पश्चिम बंगाल), धुलियान (पश्चिम बंगाल), सोनामुरा (त्रिपुरा), धुबरी (असम), पांडु (असम), करीमगंज (असम), सिलघाट (असम) और जोगीगोफा (असम) हैं। कॉल के विस्तारित बंदरगाह त्रिबेनी (पश्चिम बंगाल और बदरपुर (असम) हैं। बांग्लादेश में पोटर्सऑफ कॉल नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशुगंज, पनगांव, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाउदखंडी और बहादुराबाद हैं। बांग्लादेश में विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल घोरसाल और मुक्तारपुर हैं। भा.अ.ज.प्रा और बीअ.ज.प.ए के सहयोगात्मक प्रयासों से आईबीपी मार्ग पर यातायात निरंतर बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 2023 में आईबीपी मार्ग पर 5.20 मिलियन टन यातायात की आवाजाही हुई और भारतीय निर्यातकों को

पीआईडब्ल्यटी एंड टी के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

बांग्लादेश में लेटर्स ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जारी करने पर प्रतिबंध के कारण वित्त वर्ष-22 की तुलना में 4.37% की मामूली कमी देखी गई।

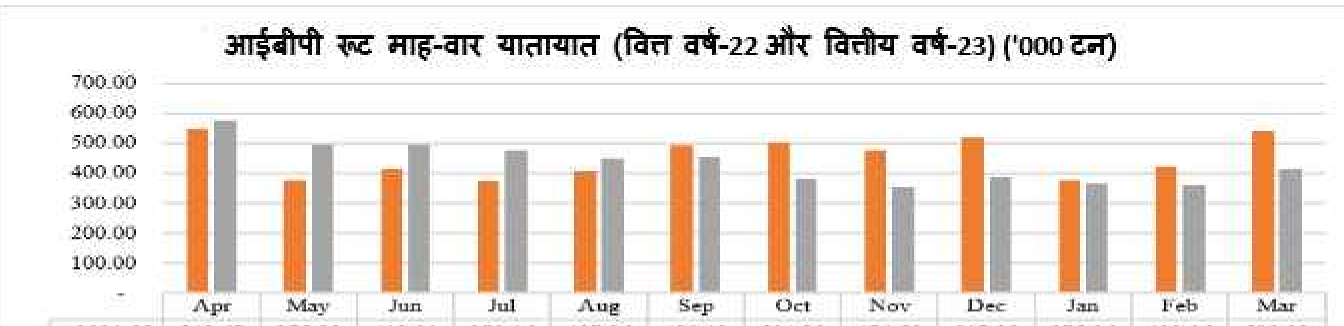

	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar
2021-22	548.67	375.88	413.01	373.16	407.36	490.12	504.20	474.50	517.00	375.06	423.06	539.93
2022-23	574.80	493.96	494.17	475.88	447.77	453.52	380.14	354.81	389.17	366.11	360.03	413.96

■ 2021-22 ■ 2022-23

<u>*प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए वास्तविक संख्या को निकटतम हजार तक बढ़ा दिया गया है।*</u>

आईबीपी मार्ग: माह-वार यातायात (वित्त वर्ष-21 और वित्त वर्ष-22)

आईबीपी मार्ग पर यातायात में मुख्य रूप से कोलकाता/हल्दिया से बांग्लादेश स्थित गंतव्यों के लिए फ्लाई ऐश की आवाजाही होती है। अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी वित्त वर्ष-22 में 26.6% से घटकर वित्त वर्ष-23 में 16.79% हो गई। बांग्लादेश में फ्लाई ऐश की आवाजाही सीमेंट संयंत्रों की आवश्यकता से प्रेरित है। धुबरी से चिलमारी की ओर भूटानी पत्थर के समुच्चय की आवाजाही शुरू कर दी गई है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान इस मार्ग पर 135112.63 मीट्रिक टन माल की आवाजाही हुई।

आईबीपी मार्ग पर चलने वाले जलयान

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में आईबीपी मार्ग पर नियंत्रित यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।

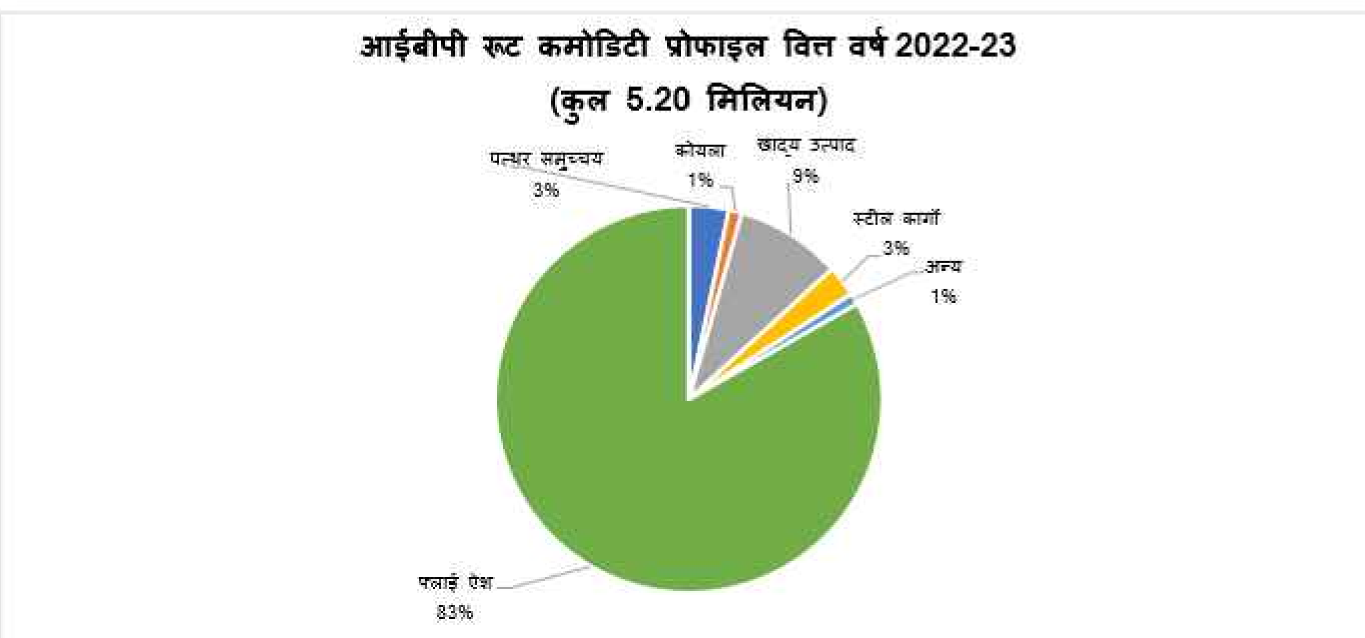

आईबीपी मार्ग: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-22)

यह देखा जा सकता है कि आईबीपी मार्ग पर यातायात खाद्य पदार्थों (9%), और स्टोन एग्रीगेट्स (3%) स्टील कार्गो (3%) और अन्य (2%) के अलावा लगभग 83% आवाजाही फलाईऐश की है। कार्गो संचलन वाले मूल स्थानों पर जेटी बजबज, कोलकाता (21%), भा.अ.ज.प्रा बीटीपीएस जेट्टी (11%), जीआर जेट्टी 2 (8%) और टीटी शेड (5%) हैं। गंतव्य स्थानों पर जेटी में, नारायणगंज में 82% इसके बाद खुलना (8%), मोंगला में 4%, पनगांव (3%) और चिलमारी में 3% है।

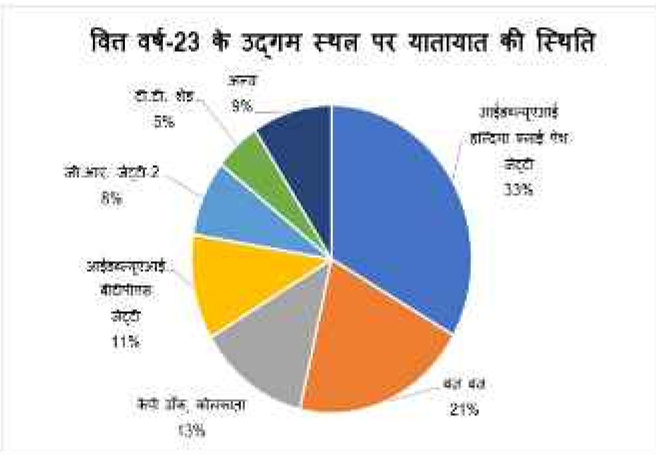

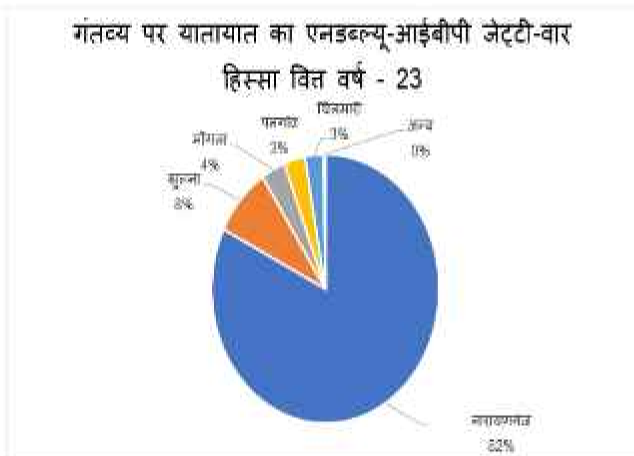

आईबीपी मार्ग: मूल और गंतव्य पर यातायात का जेट्टी-वार हिस्सा (वित्त वर्ष-22)

यह देखा जा सकता है कि मूल जेटी/बंदरगाहों (इंडिया पोर्ट्स ऑफ कॉल) के बीच, आईबीपी मार्ग पर 86% यातायात 5 जेटी अर्थात् भा.अ.ज.प्रा हल्दिया फ्लाई ऐश जेट्टी, बजबज-कोलकाता, केपी डॉक, कोलकाता, भा.अ.ज.प्राबीटीपीएस जेट्टी और भा.अ.ज.प्रा जीआर जेट्टी 2-कोलकाता पर संचलन किया जाता है। इन 4 में से प्रमुख 2 जेटी, भा.अ.ज.प्रा की हल्दिया फ्लाई ऐश जेट्टी और बजबज-कोलकाता ने केवल फ्लाई ऐश संचलन किया। भूटानी पत्थर के समुच्चय की आवाजाही धुबरी से बांग्लादेश की ओर शुरू हूई। टीटी शेड ने मुख्य रूप से ओडीसी की एक छोटी मात्रा के साथ फ्लाई ऐश का संचलन किया, जबकि भा.अ.ज.प्रा के जीआर जेट्टी 2 ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचलन किया। गंतव्य जेटी/बंदरगाहों (बांग्लादेश पोर्ट ऑफ कॉल) के संदर्भ में, नारायणगंज और खुलना ने 90% से अधिक यातायात का संचलन किया। ये दोनों जेटी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट कार्गो, स्टील सामग्री, कोयला और खाद्य उत्पादों आदि के साथ फ्लाई ऐश की उतराई करते हैं।

कई शिपर्स हैं जो आईबीपी मार्ग का उपयोग करके अपने कार्गो को स्थानांतरित करते हैं। इनमें से अधिकांश शिपर्स फ्लाई ऐश के निर्यातक हैं। आईबीपी मार्ग पर 30 शीर्ष शिपर्स हैं, जिनमें से 10 शिपर्स यातायात का 73% हिस्सा बनाते हैं।

यद्यपि आईबीपी मार्ग का उपयोग मुख्य रूप से भारत से बांग्लादेश तक माल की आवाजाही के लिए किया जाता है, इस मार्ग का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र से घरेलू पारगमन यातायात के आवागमन के लिए भी किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन से घिरे हुए हैं और भारत के भीतर से इन राज्यों तक पहुंचने का एकमात्र भूमि मार्ग चिकन नेक कॉरिडोर (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) के माध्यम से है, जो खड़ी सड़कों और कई घुमावदार मोड़ों के साथ पहाड़ी इलाकों से गुजरता है। इस क्षेत्र से परिवहन

रेलवे और सड़क के माध्यम से होता है और पूर्वोत्तर में विकास और विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण कॉरिडोर पर दबाव बढ़ रहा है। हर वर्ष मानसून के मौसम के दौरान, कॉरिडोर को बंद होने और ट्रकों की अत्यधिक प्रतीक्षा के उदाहरणों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी होती है। ये चुनौतियां भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियमित पहुंच के लिए आईबीपी मार्ग को कार्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। पूरे वर्ष नौवहन की अनुमति देने के लिए, आईबीपी मार्ग पर दो खंडों अर्थात बांग्लादेश में सिराजगंज-दाइखावा और आशुगंज-जकीगंज को 80:20 लागत हिस्सेदारी के आधार पर लगभग 305.84 करोड़ रुपये की कुल लागत (80% भारत द्वारा और 20% बांग्लादेश द्वारा वहन किया जा रहा है) पर विकसित किया जा रहा है। इन दो खंडों के विकास से आईबीपी मार्ग के माध्यम से जलमार्ग के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत से निर्बाध नौवहन प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों से यातायात के ट्रांसशिपमेंट के लिए आईबीपी मार्ग के उपयोग को बढ़ाने के लिए, भा.अ.ज.प्रा ने प्रलेखन प्रक्रियाओं में ढील देने और बांग्लादेश जलमार्गों में नौवहन सहायता सेवाओं में सुधार करने के लिए सीमा शुल्क, बीअ.ज.प.ए आदि जैसे हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है।

12. जलीय सर्वेक्षण गतिविधियाँ

जलीय महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों, नदियों और नहरों की भौतिक विशेषताओं को मापने और चित्रित करने के साथ-साथ समय के साथ उनके परिवर्तन की भविष्यवाणी/अवलोकन के साथ, नौवहन की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के लिए और आर्थिक विकास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सभी समुद्री गतिविधियों के समर्थन में प्रवृत्त विज्ञान है। जलीय सर्वेक्षक नौगम्य चैनल, तटरेखाएं, फर्श की स्थलाकृति, पानी की गहराई और अन्य विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए बंदरगाहों, नदियों और अन्य जल निकायों का अध्ययन करते हैं।

जलीय सर्वेक्षण नौवहन की सुरक्षा के लिए जलमार्ग विकास के अध्ययन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है और निर्णय लेने में आधारभूत गतिविधि है, चाहे वह विकास और रखरखाव गतिविधियों की योजना और निष्पादन से संबंधित हो, नाविकों/उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करना, सुरक्षित नौवहन के लिए सहायता के रूप में समुद्री चार्ट का प्रकाशन। एकत्र किए गए अधिकांश डेटा को एक चार्ट में संकलित किया जाता है, जो उचित प्रतीकों के माध्यम से, पानी की गहराई, कम और उच्च जल रेखाओं, अपतटीय विशेषताओं जैसे द्वीपों, पृथक चट्टानों, नदी तल की ऊंचाई की प्रकृति और सीमा, नौगम्य चैनलों और मार्गों के साथ-साथ नौवहन के लिए सहायता और सुरक्षित नौवहन के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक जानकारी दिखाता है।

माप प्रौद्योगिकी में जलीय सर्वेक्षण में मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं। मल्टीबीम ध्वनिक और हवाई लेजर सिस्टम अब बाथमेट्रिक प्रोफाइल द्वारा पहले के नमूने की तुलना में लगभग कुल सीफ्लोर कवरेज और माप प्रदान करते हैं। उपग्रह पोजिशनिंग सिस्टम की उपलब्धता से क्षैतिज तल में डेटा को सटीक रूप से रखने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, विशेषकर जब अंतर तकनीकों द्वारा बढ़ाया जाता है।

12.1. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (सागर-प्रयागराज)

- **थलवेग सर्वेक्षण**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, कमजोर मौसम (लीन सीजन) में थलवेग (अनुदैर्ध्य) सर्वेक्षण साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर और बाढ़ के दौरान साप्ताहिक/मासिक आधार पर आयोजित किए गए और अ.ज.प. उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) जारी की गई हैं। रा.ज.-1 के फरक्का-कहलगांव, सुल्तानगंज-महेंद्रपुर, महेंद्रपुर-बाढ़ खंडों में नियमित साप्ताहिक थलवेग सर्वेक्षण सुनिश्चित गहराई अनुबंध के अंतर्गत आयोजित किए गए थे। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 37,114 किलोमीटर थलवेग सर्वेक्षण किए गए।

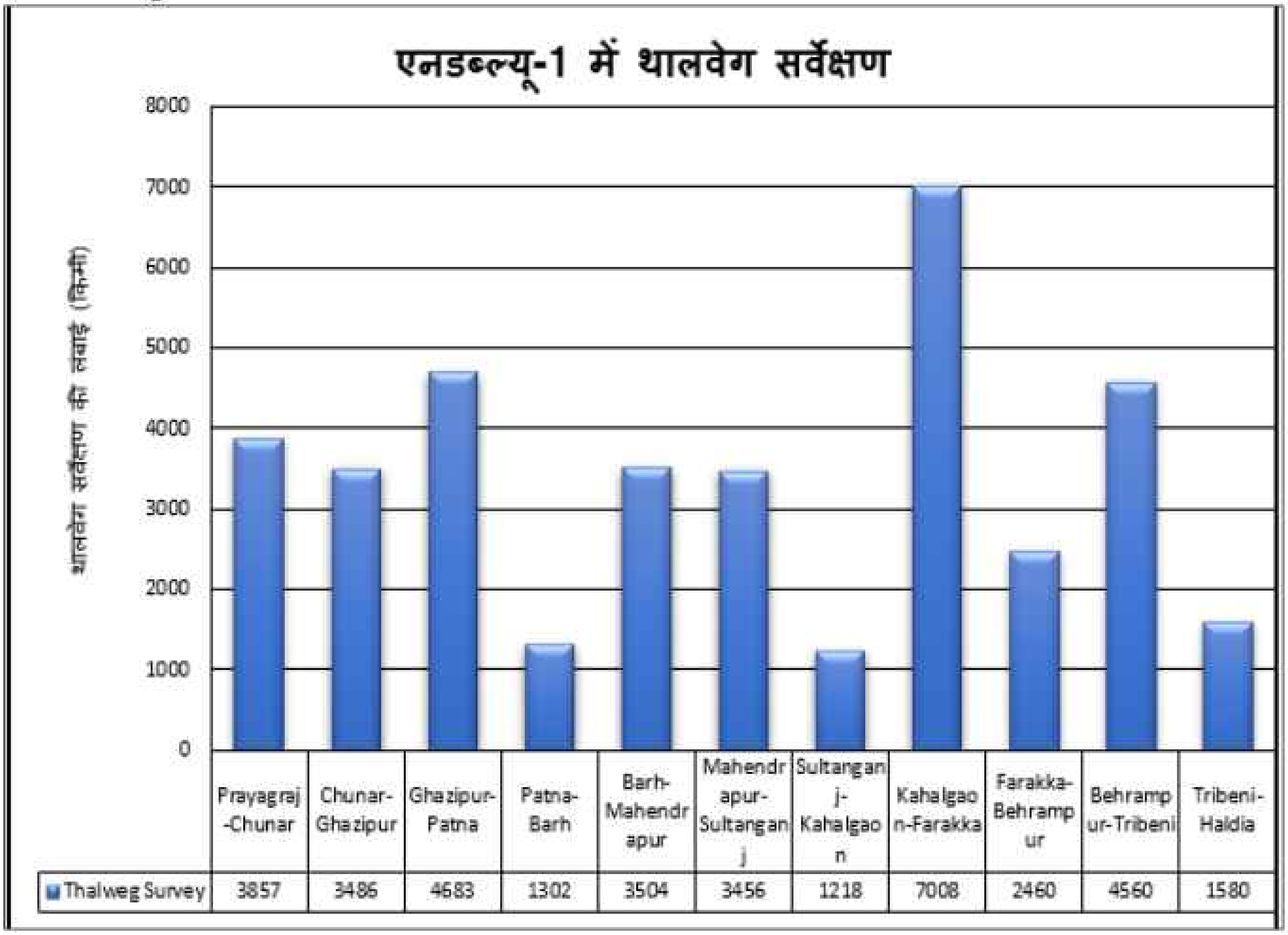

रा.ज. -1 में थलवेग सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत/बैंडलिंग/ड्रेजिंग सर्वेक्षण**

वर्ष 2022-23 के दौरान 87 विभागीय स्तर पर बैंडलिंग/ड्रेजिंग पूर्व और बाद और विस्तृत सर्वेक्षण किए गए। 06 टोही (अन्य) सर्वेक्षण भी किए गए थे।

- **टर्मिनल सर्वेक्षण**

वर्ष 2022-23 के दौरान 13 मौजूदा/प्रस्तावित टर्मिनलों पर टर्मिनल सर्वेक्षण किए गए थे, जिनका ब्यौरा बार-चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

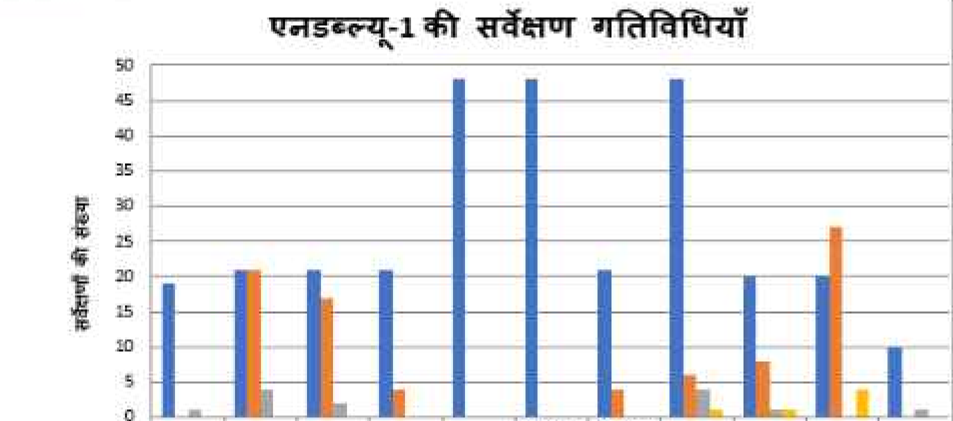

	Prayagraj-Chunar	Chunar-Ghazipur	Ghazipur-Patna	Patna-Barh	Barh-Mahendrapur	Mahendrapur-Sultanganj	Sultanganj-Kahalgaon	Kahalgaon-Farakka	Farakka-Behrampur	Behrampur-Tribeni	Tribeni-Haldia
Thalweg Survey	19	21	21	21	48	48	21	48	20	20	10
Detailed Survey	0	21	17	4	0	0	4	6	8	27	0
Terminal Survey	1	4	2	0	0	0	0	4	1		1
Other Survey	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0

एनडब्ल्यू-1 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.2. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी)

- **थलवेग सर्वेक्षण**

वर्ष 2022-23 के दौरान, थलवेग सर्वेक्षण कमजोर मौसम (लीन सीजन) में पाक्षिक आधार पर और बाढ़ के मौसम के दौरान मासिक आधार पर विभागीय रूप से आयोजित किए गए और अ.ज.प. उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाएँ (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) जारी की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 16,038 किलोमीटर थलवेग सर्वेक्षण किए गए। रा.ज.-2 में किए गए थलवेग सर्वेक्षण की विस्तार-वार कुल लंबाई (कि.मी. में) आलेखित की गई है और नीचे बार चार्ट में दर्शाया गया है।

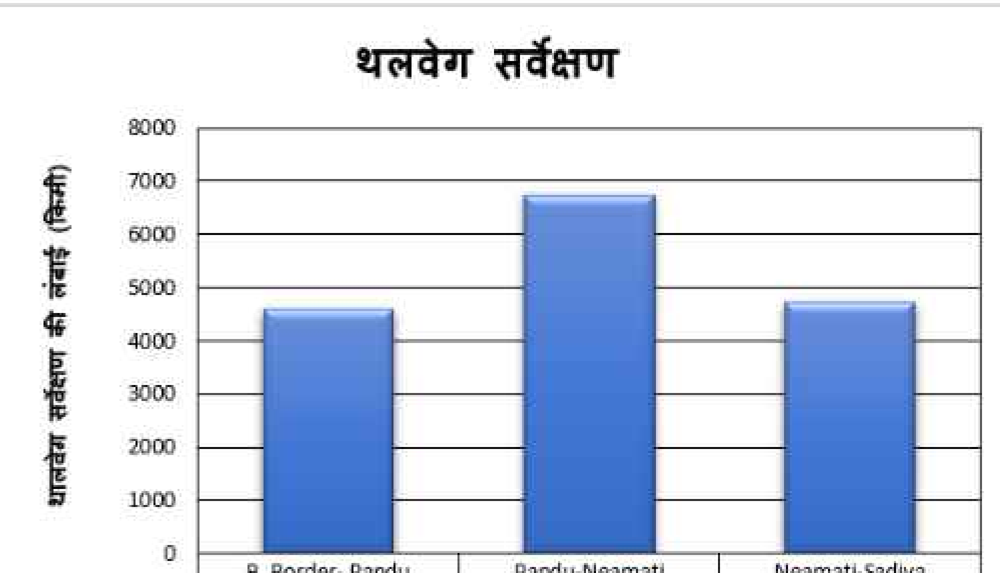

	B. Border- Pandu	Pandu-Neamati	Neamati-Sadiya
Thalweg Survey	4590	6732	4716

रा.ज. - 2 में थलवेग सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत/बैंडलिंग/ड्रेजिंग सर्वेक्षण**

वर्ष के दौरान, वर्ष 2022-23 के दौरान आरसी कार्यों को शुरू करने और सुचारू नौवहन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर विभागीय रूप से 118 पहले/बाद बैंडलिंग/ड्रेजिंग/विस्तृत सर्वेक्षण किए गए। विवरण बार-चार्ट के रूप में इंगित किए गए हैं।

- **टर्मिनल सर्वेक्षण**

वर्ष 2022-23 के दौरान मौजूदा/प्रस्तावित टर्मिनलों स्थलों पर 5 टर्मिनल सर्वेक्षण किए गए।

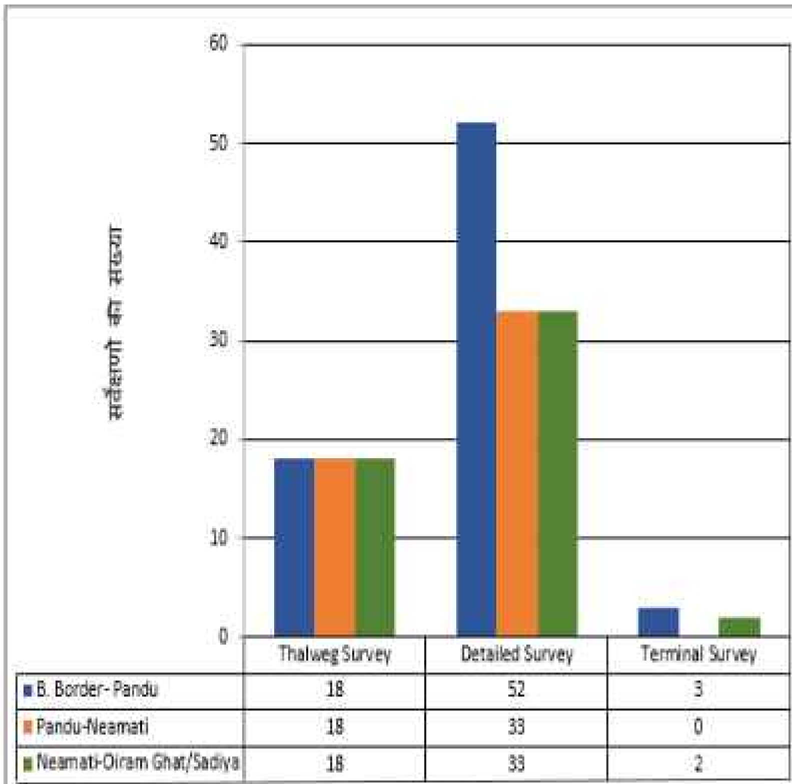

रा.ज.-2 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.3. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (पश्चिम तटीय नगर), उद्योगमंडल और चंपाकारा नहर)

- **थलवेग सर्वेक्षण**

कोट्टापुरम-कोच्चि-कोल्लम खंड (उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ पश्चिमी तट नहर) में मासिक आधार पर विभागीय रूप से थलवेग सर्वेक्षण किया जाता है और नदी सूचनाएं (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) जारी की जाती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 2,757.60 किलोमीटर थलवेग सर्वेक्षण किए गए।

एनडब्ल्यू-3 के थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत सर्वेक्षण**

  वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 04 विस्तृत सर्वेक्षण किए गए।

- **टर्मिनल सर्वेक्षण**

  वर्ष 2022-23 के दौरान मौजूदा टर्मिनल स्थल पर 01 टर्मिनल सर्वेक्षण किया गया।

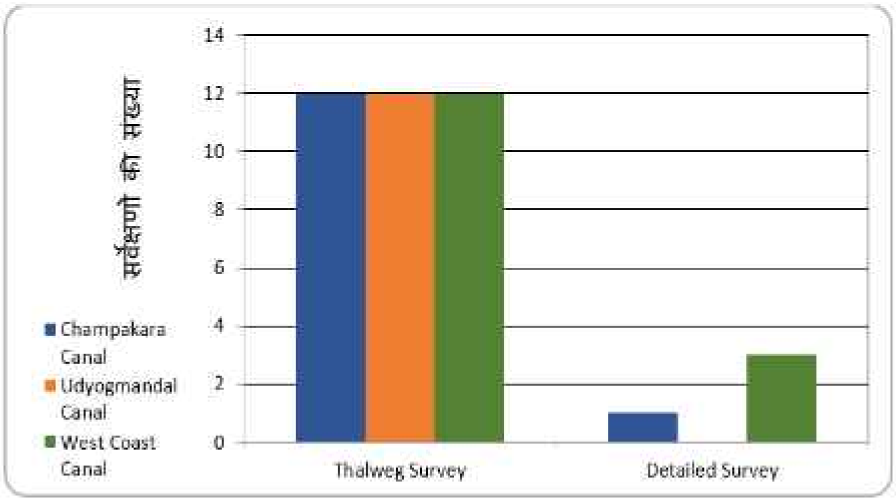

रा.ज.-3 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.4. राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (नहरों का काकीनाडा-पुडुचेरी खंड गोदावरी नदी के भद्राचलम-राजमुंदरी खंड और कृष्णा नदी के वजीराबाद-विजयवाड़ा खंड को एकीकृत करता है)

विजयवाड़ा से मुक्तयाला तक कृष्णा नदी में 22 जून से मार्च-23 तक 82 कि.मी. लंबाई के लिए 10 थालवेग सर्वेक्षण किए गए, जिसमें कुल 820 कि.मी. लंबाई शामिल थी और एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। रा.ज.-4 में सर्वेक्षण कार्यों का विवरण नीचे दिखाए गए बार चार्ट में दर्शाया गया है:

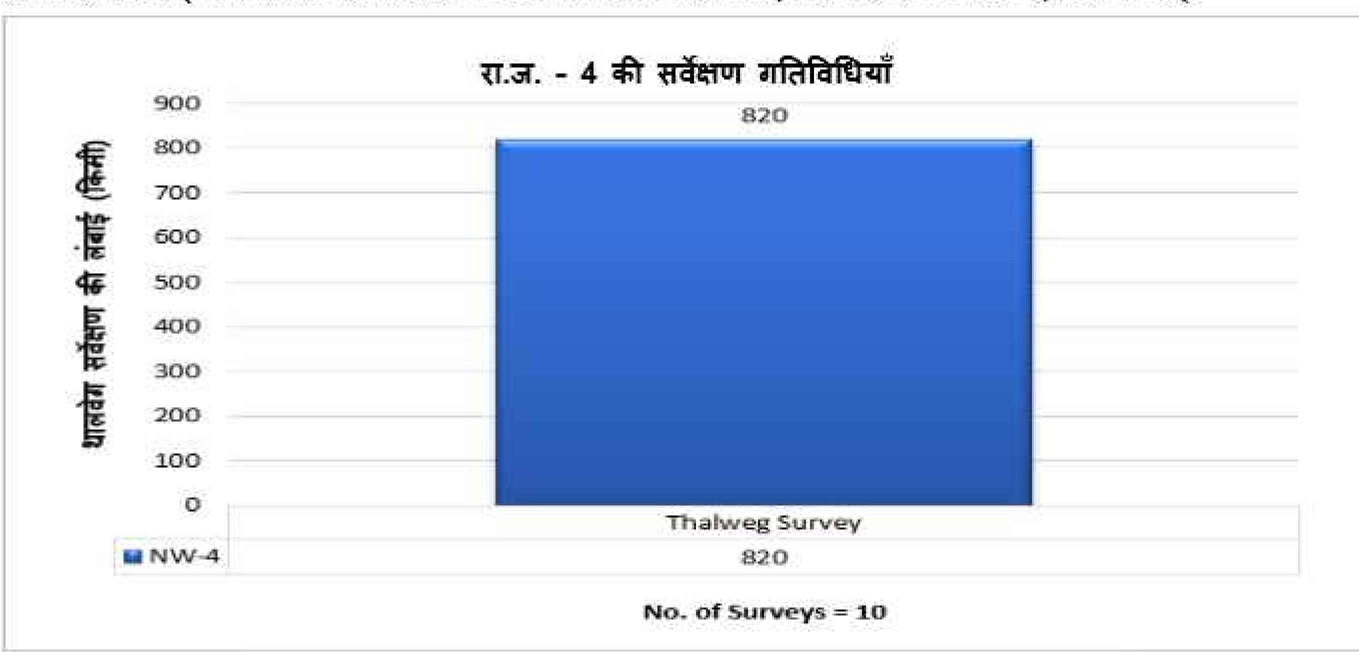

रा.ज. - 4 की सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.5. राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा के साथ पूर्वी तट नहर)

वर्ष 2022-23 के दौरान, रा.ज. -5 में कुल 1967.38 किमी के 10 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर एलएडी और नदी सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। नीचे दिया गया ग्राफ रा.ज. -5 में किए गए सर्वेक्षण विवरण को दर्शाता है।

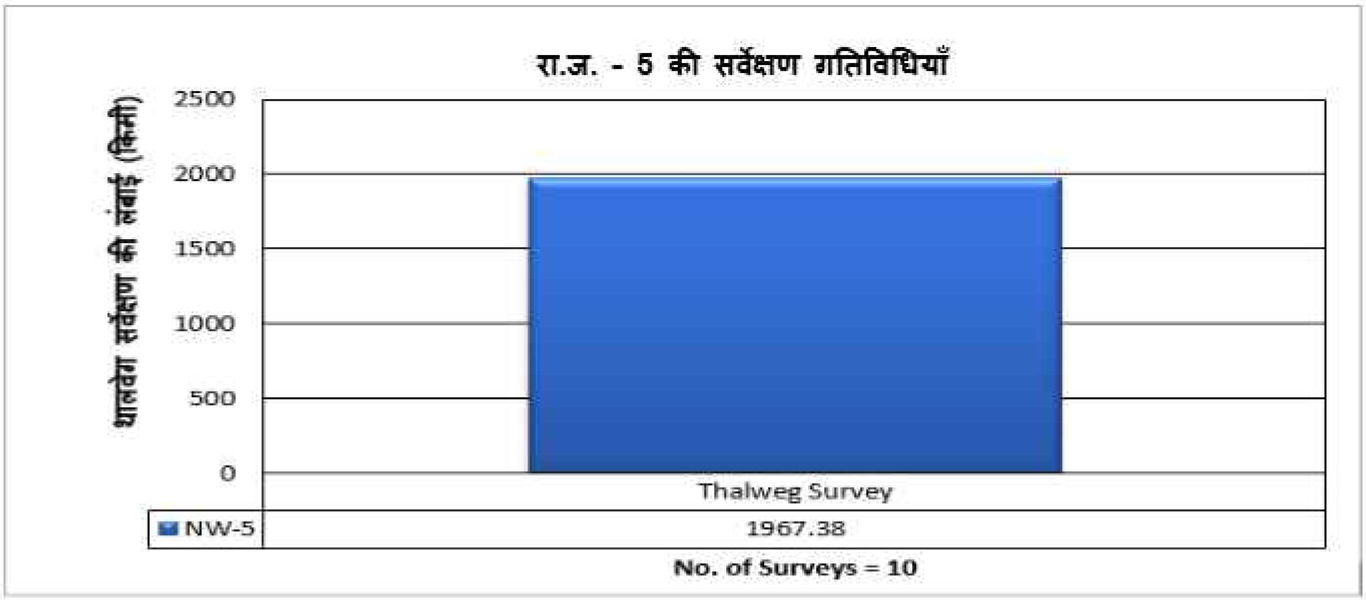

एनडब्ल्यू-5 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.6. राष्ट्रीय जलमार्ग-8 (अलप्पुझा-चंगानसरी नहर)

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 308 लाइन-किलोमीटर के 12 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर एलएडी और नदी सूचनाएं प्रकाशित की गई। नीचे दिया गया बार चार्ट रा.ज.-8 पर सर्वेक्षण गतिविधियों का विवरण दिखाता है।

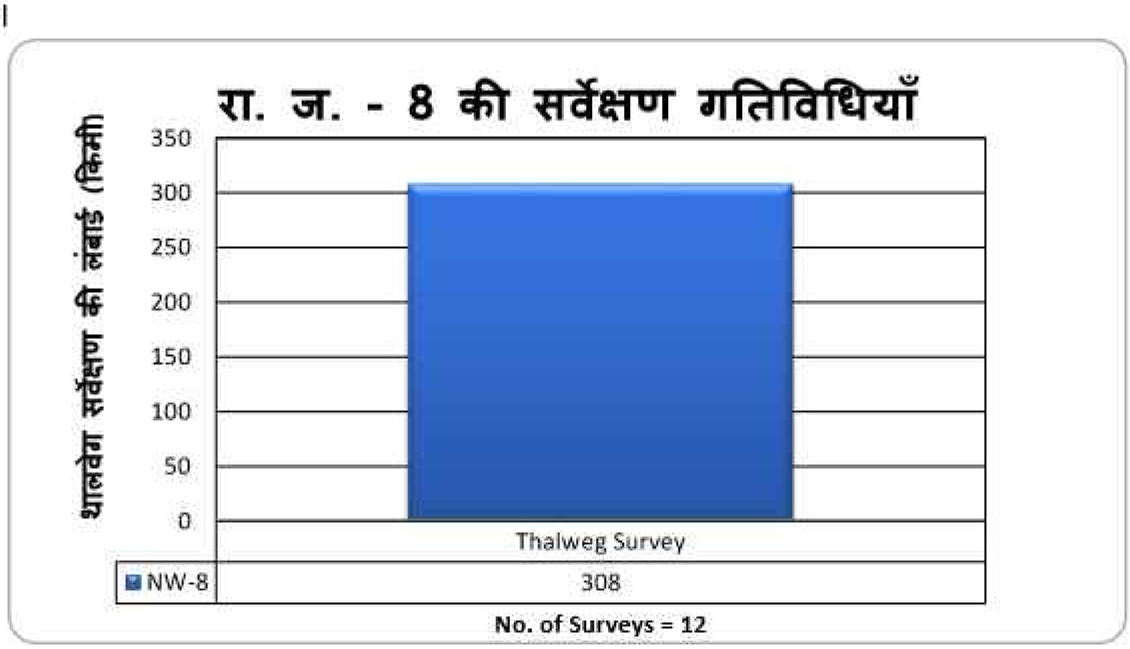

रा.ज.-8 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.7. राष्ट्रीय जलमार्ग-9 (अलप्पुझा-कोट्टायम नहर)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, कुल 300 लाइन-किलोमीटर में रा.ज.-9 पर 12 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और नदी एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए। नीचे दिया गया बार चार्ट रा.ज.-9 में किए गए थलवेग सर्वेक्षण की व्याख्या करता है।

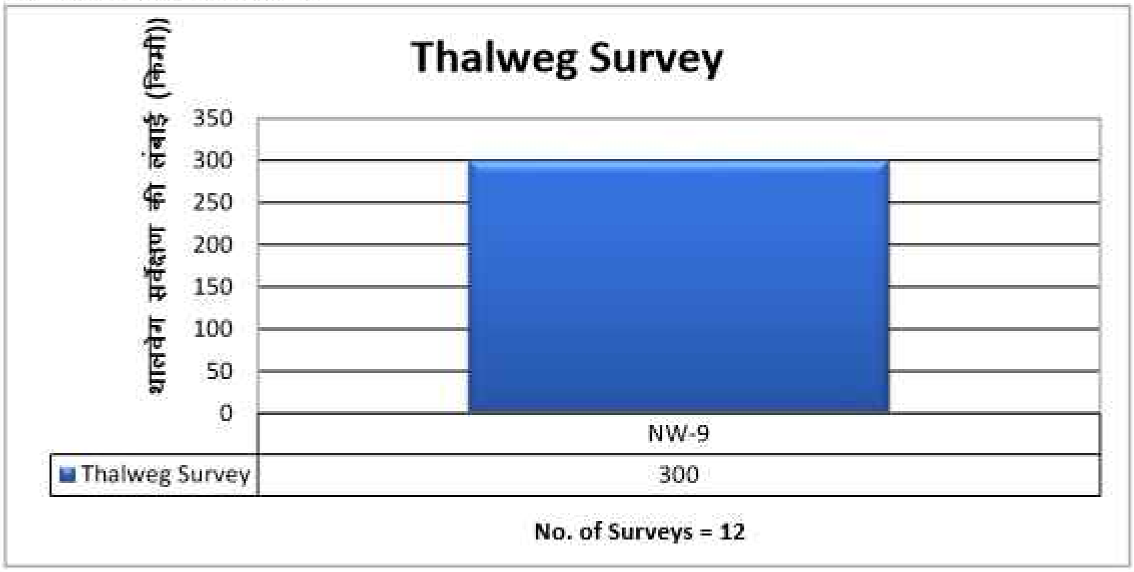

रा.ज.-9 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज. -9 में 03 विस्तृत सर्वेक्षण किए गए हैं। रा.ज.-9 में किए गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिरूप नीचे दिए गए बार चार्ट में दिखाया गया है:

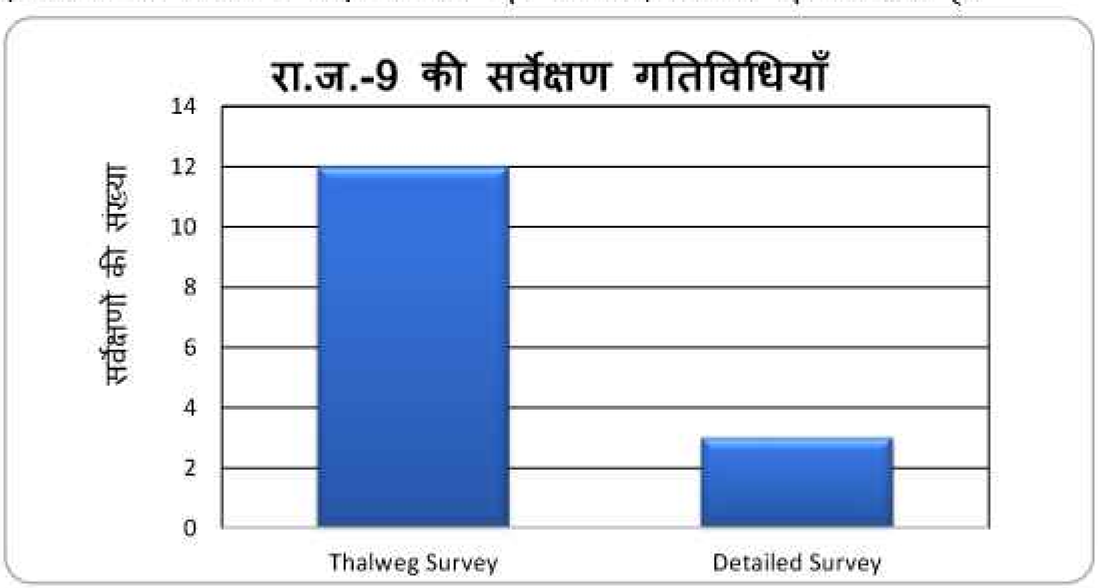

रा.ज.-9 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.8. राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक नदी)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, रा.ज.-16 में कुल 1341 किमी के 12 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है:

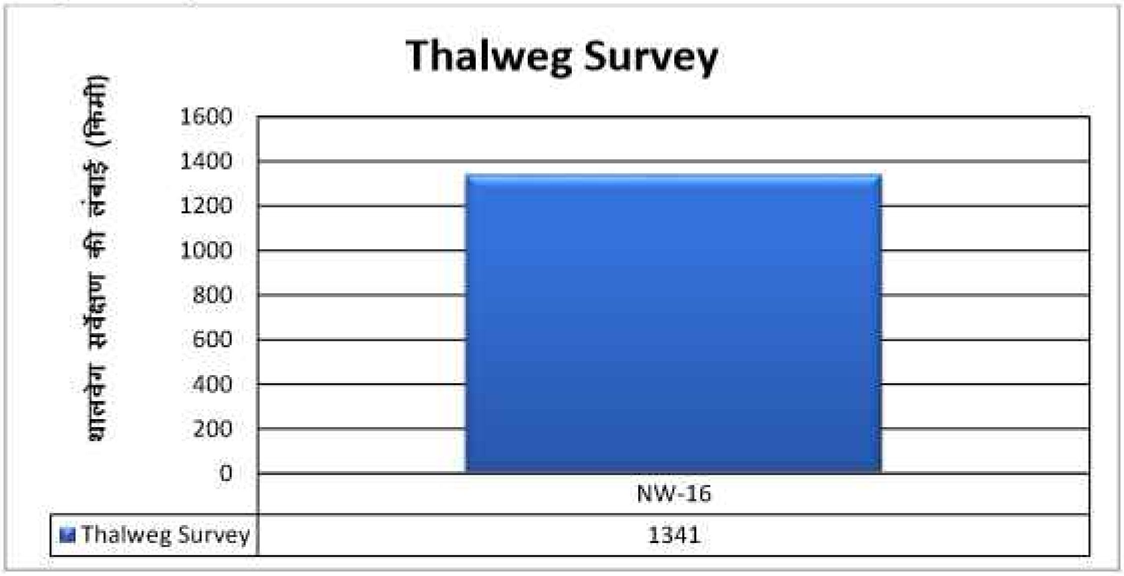

रा.ज.-16 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **टर्मिनल सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज.-16 में 01 टर्मिनल सर्वेक्षण आयोजित किया गया है। रा.ज.-16 में की गई सभी सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला व्यापक बार चार्ट नीचे दिया गया है:

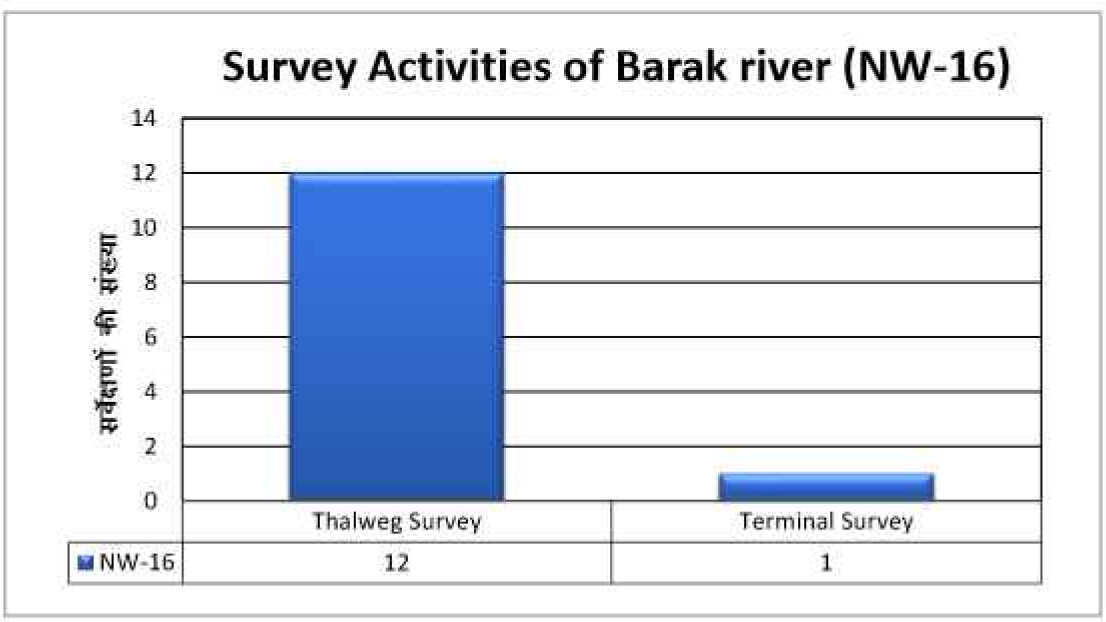

रा.ज.-16 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.9. राष्ट्रीय जलमार्ग-31 (धनसिरी नदी)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, रा.ज.-31 में कुल 245 कि.मी. के 6 थलवेग सर्वेक्षण किए गए था। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है:

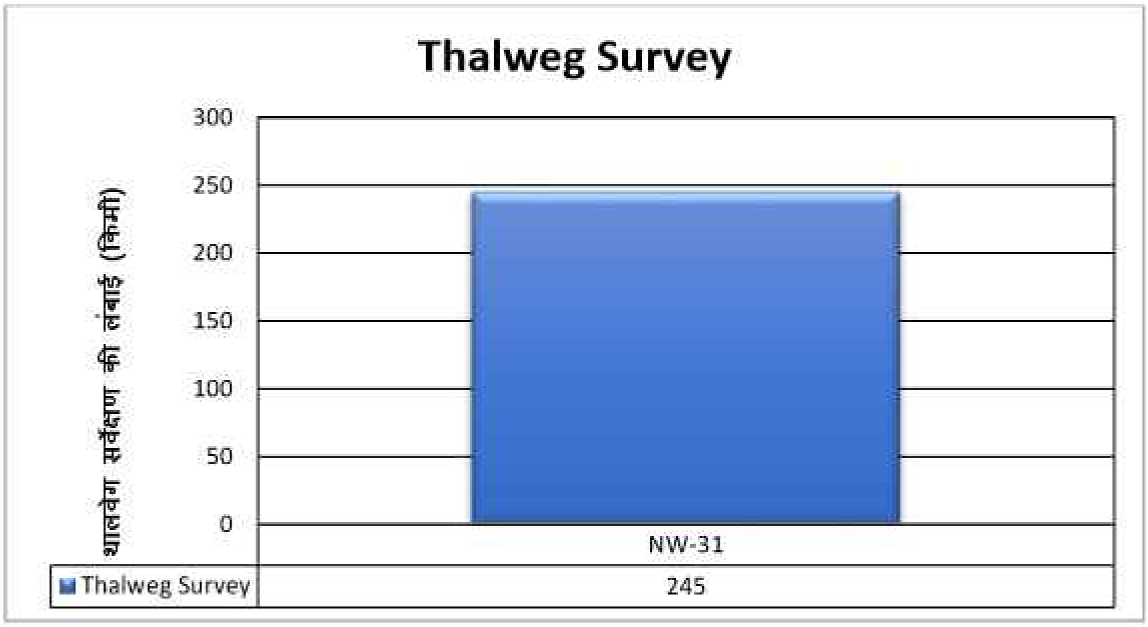

रा.ज.-31 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **टर्मिनल सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज.-31 में 01 टर्मिनल सर्वेक्षण किया गया है। रा.ज.-31 में की गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला व्यापक बार चार्ट नीचे दिया गया है:

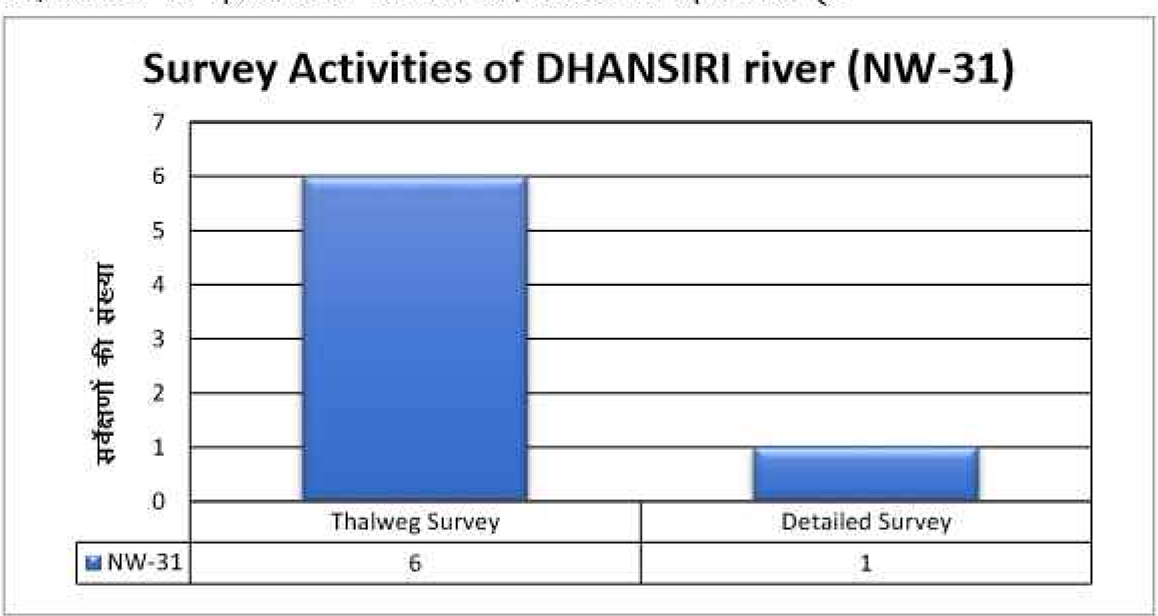

रा.ज.-31 मे थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

12.10. राष्ट्रीय जलमार्ग-40 (घाघरा नदी)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, रा.ज. -40 में कुल 3,883 किमी के 11 थलवेग सर्वेक्षण किए गए थे। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है।

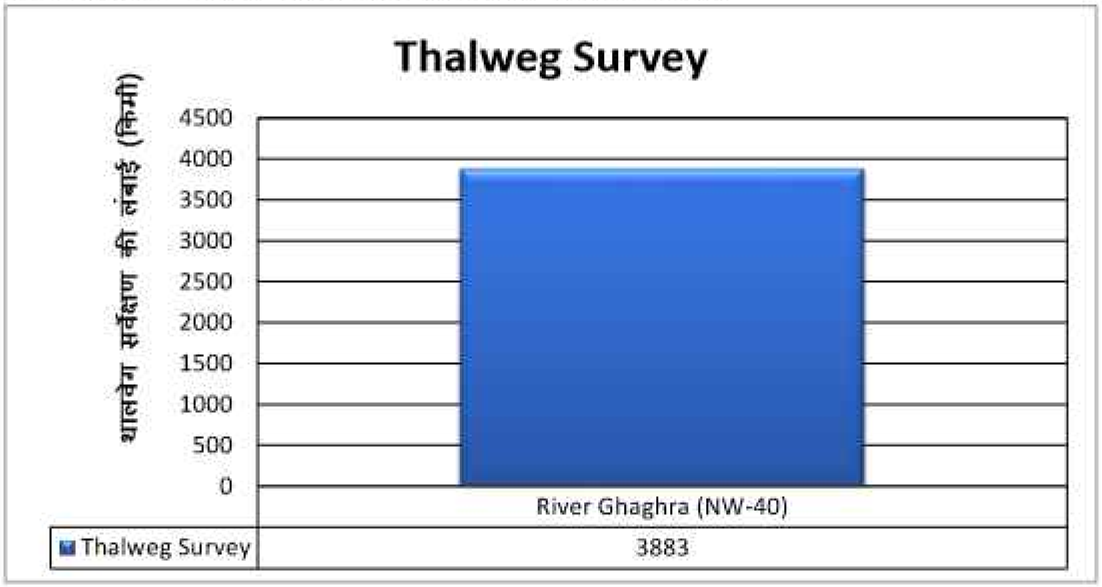

रा.ज.-40 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज.-40 में 04 विस्तृत सर्वेक्षण किए गए हैं। रा.ज.-40 में किए गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए बार चार्ट में दिखाया गया है।

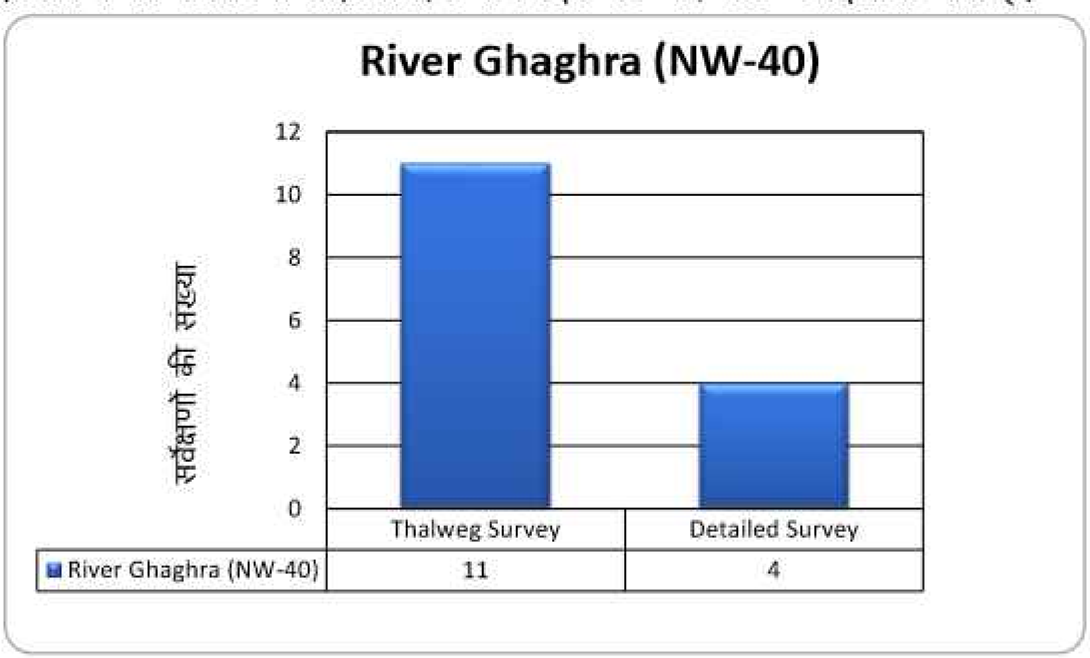

रा.ज.-40 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.11. राष्ट्रीय जलमार्ग-44 (इचामती नदी)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, रा.ज.-44 में कुल 200 किमी के 20 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है।

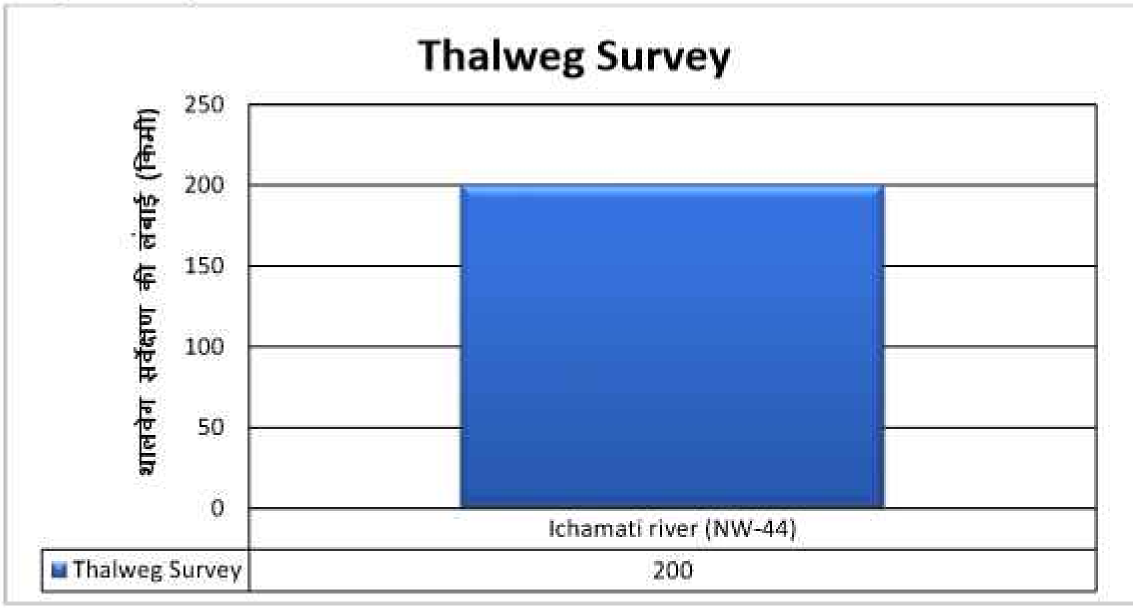

रा.ज.-44 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज.-44 में 01 विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। रा.ज.-44 में किए गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिरूप नीचे दिए गए बार चार्ट में दिखाया गया है।

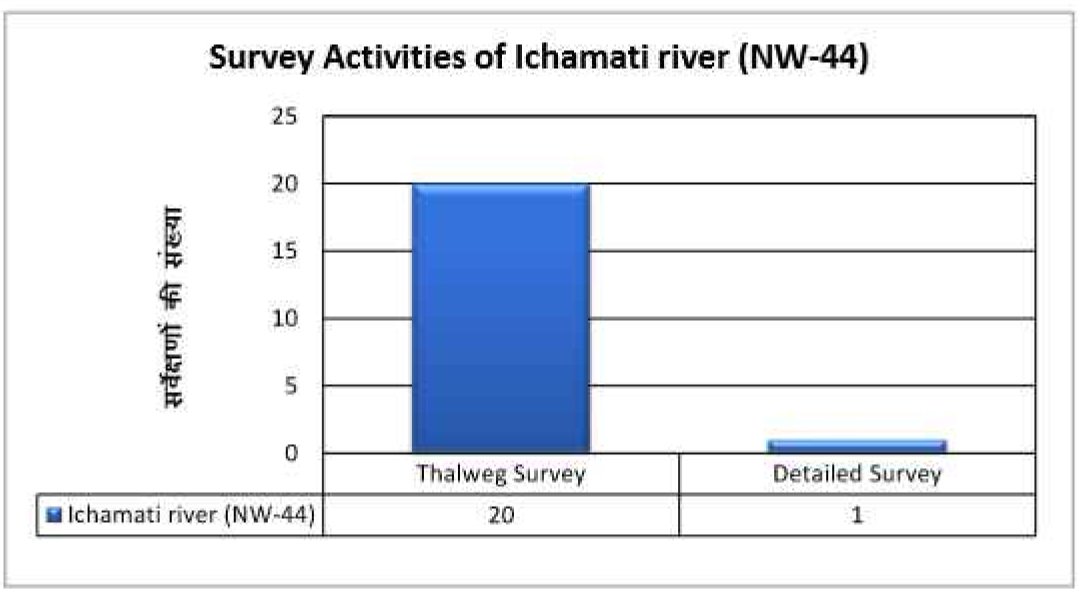

रा.ज.-44 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.12. राष्ट्रीय जलमार्ग-86 (रूपनारायण नदी)

वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 700 किलोमीटर के 20 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर एलएडी और नदी सूचनाएं प्रकाशित की गई। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है।

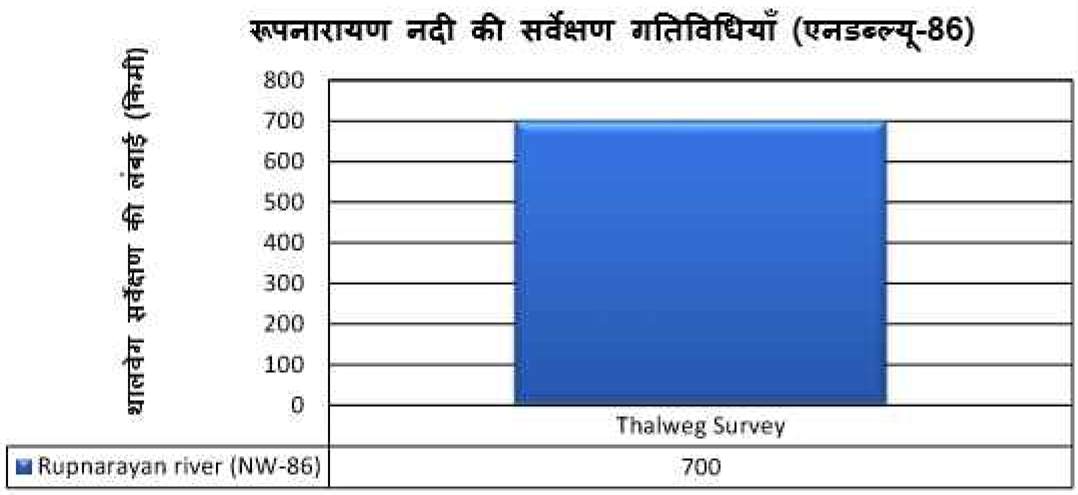

रा.ज.-86 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

12.13 भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरबन-रा.ज.-97)

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-23 के दौरान, सिल्वर ट्री प्वाइंट से अथारबांकी खल (रा.ज. -97) तक 201 किलोमीटर की लंबाई के लिए भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में 24 मासिक थलवेग सर्वेक्षण किए गए और एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 4,824 किलोमीटर थलवेग सर्वेक्षण किए गए। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है:

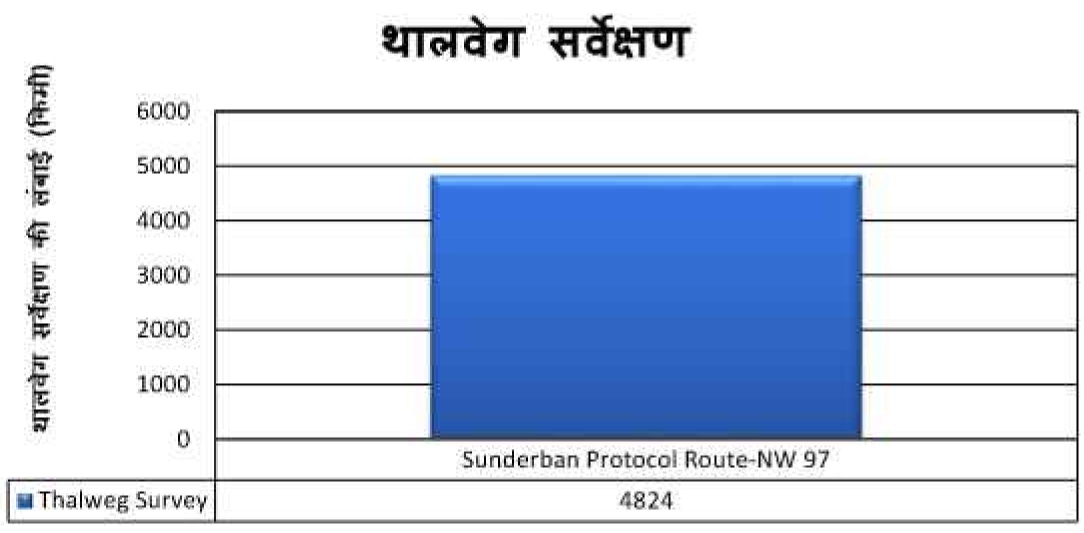

रा.ज.-97 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला ग्राफ

- **विस्तृत सर्वेक्षण**:

वर्ष 2022-2023 के दौरान रा.ज.-97 में 01 विस्तृत सर्वेक्षण और 01 टोही (अन्य) सर्वेक्षण भी किए गए थे। रा.ज.-97 में किए गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिरूप नीचे बार चार्ट में दिखाया गया है:

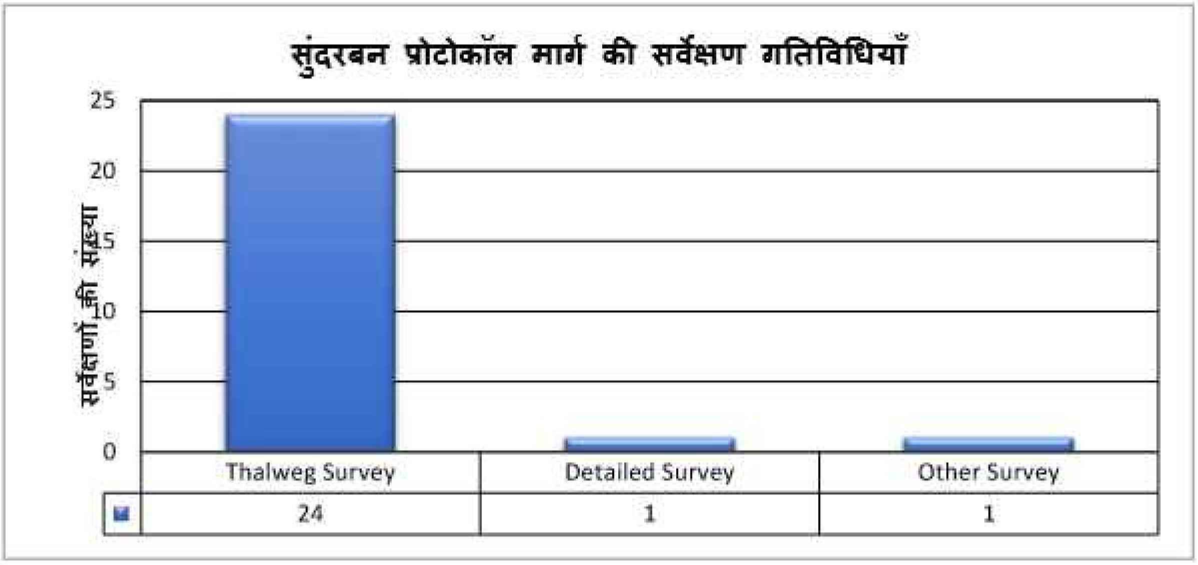

रा.ज.-97, सुंदरबन प्रोटोकॉल मार्ग में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को दर्शाने वाला

12.14. भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6

वर्ष 2022-23 के दौरान डी/एस खंडुआ बीओपी-यू/एस नरुलखाई बीओपी खंड में 20 मासिक थलवेग सर्वेक्षण किए गए और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6 के डी/एस निर्मल चार बीओपी से यू/एस टिकली चार खंड में 19 मासिक थलवेग सर्वेक्षण किए गए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 388 किलोमीटर थलवेग सर्वेक्षण किए गए। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है:

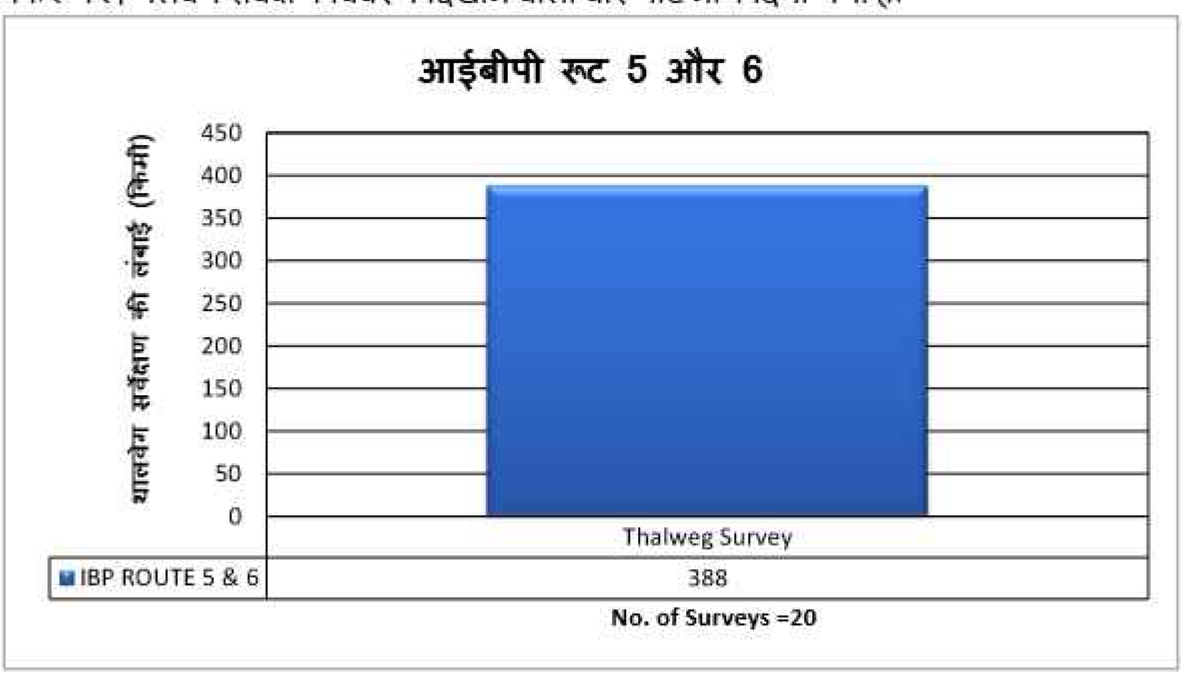

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग 5 और 6 में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ

12.15 भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग 3 और 4 और 7 और 8

- **थलवेग सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 3 और 4 और 7 और 8 में कुल 420 किमी के 12 थलवेग सर्वेक्षण किए गए और एलएडी और नदी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए। थलवेग सर्वेक्षण विवरण दिखाने वाला बार चार्ट नीचे दिया गया है:

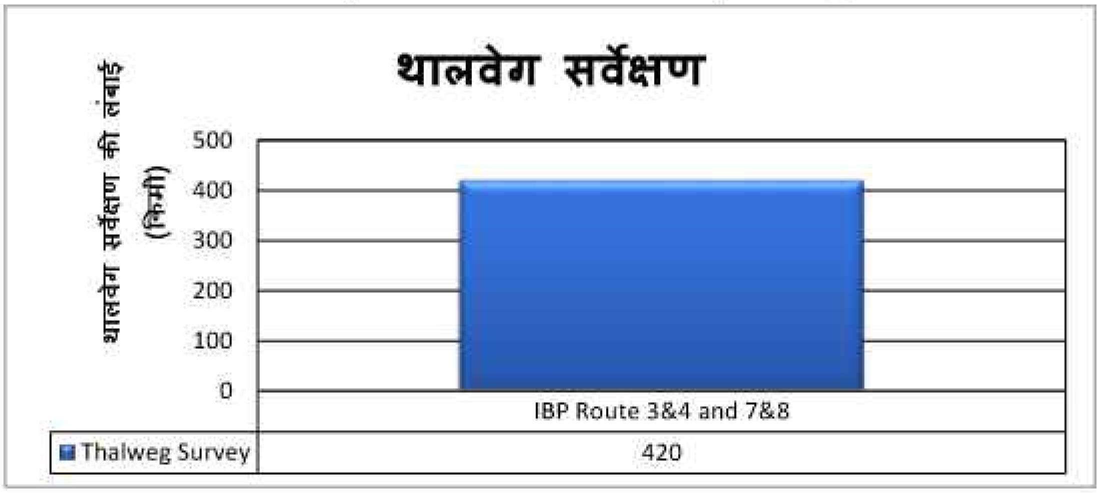

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट में थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ रूट आईबीपी रूट 3 और 4 और 7 और 8

- **विस्तृत सर्वेक्षण:**

वर्ष 2022-2023 के दौरान आईबीपी 3 और 4 और 7 और 8 में 01 विस्तृत सर्वेक्षण किए गए हैं। आईबीपी 3 और 4 और 7 और 8 में किए गए सभी सर्वेक्षण गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिरूप नीचे दिए गए बार चार्ट में दिखाया गया है:

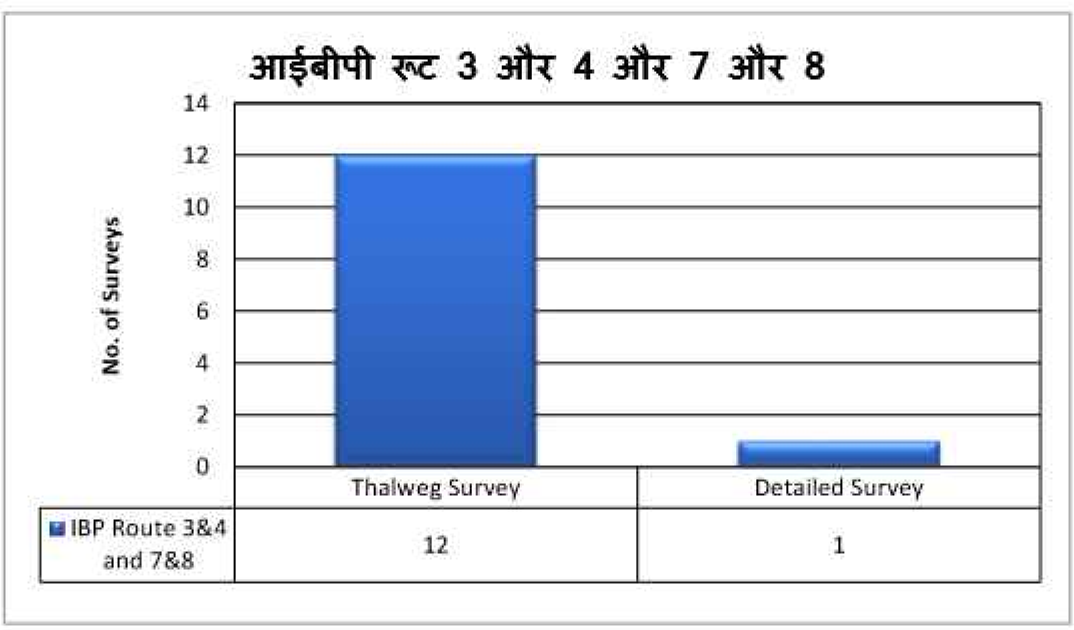

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल में 3 और 4 थलवेग सर्वेक्षण विवरण को दर्शाने वाला ग्राफ रूट और 7 और 8

12.16 सर्वेक्षण जलयान

- भा.अ.ज.प्रा ने डिजिटल मल्टी-बीम/सिंगल बीम इकोसाउंडर, डीजीपीएस रिसीवर, साइड स्कैन सोनार, एडीसीपी, लैपटॉप/डेस्कटॉप के साथ एकीकृत ऑटोमेटेड हाइड्रोग्राफिक सर्वे सिस्टम जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों के साथ-साथ जलीय सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के साथ 17 सर्वेक्षण जलयानों सहित 29 जलयानों में डेटा संग्रह के लिए उपलब्ध कराया है। रा.ज.-1 में जलयानों की निगरानी आरआईएस नियंत्रण स्टेशनों द्वारा की जाती है।
- जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रा.ज.-1 में एस.एल.गंगा और एस.एल.जाह्नवी नामक अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से लैस 2 सर्वेक्षण जलयानों को भी तैनात किया गया है।
- विभिन्न जलमार्गों में निम्नलिखित सर्वेक्षण जलयान चालू हैं और सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात किए गए हैं:-

राष्ट्रीय जलमार्ग	जलयान का नाम			
रा.ज.-1	1) एस.एल. कोयल	2) एस.एल. गंडक	3) एस.एल. मेघना	4) एस.एल. अनुपल्लव
	5) एस.एल. कमला	6) एस.एल. घाघरा	7) एस.एल. मंदाकिनी	8) एस.एल. द्वारकेश्वर
	9) एस.एल. पुनपुन	10) एस.एल. रिहंद	11) एस.एल. दिहांग	12) एस.एल. गंगा
	13) एस.एल.			
रा.ज.-2	1) एस.एल. लोहित	2) एस.एल. बराक	3) एस.एल. सुबनसिरी	4) एस.एल. बूढ़ी दिहिंग
	5) एस.एल. दिबांग			
रा.ज.-3	1) एस.एल. पंबा			

12.17 नदी सूचना प्रणाली

अंतर्देशीय नौवहन जलयानों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए नदी सूचना सेवा (आरआईएस) हल्दिया से वाराणसी तक 3 चरणों में स्थापित की गई है। यह ऑनबोर्ड नौवहन, तट-आधारित यातायात निगरानी और आपदा उपशमन जैसे अन्य कार्यों का समर्थन करती है।

तीन चरणों अर्थात् हल्दिया-फरक्का, फरक्का-पटना और पटना-वाराणसी का विवरण इस प्रकार है:

	चरण-1:	चरण-II:	चरण-III:
	हल्दिया-फरक्का	**फरक्का-पटना**	**पटना-वाराणसी**
कवरेज	545 कि.मी.	410 कि.मी.	353 कि.मी.
नियंत्रण स्टेशन	बीआईएसएन जेट्टी (कोलकाता) और फरक्का	पटना	रामनगर

बेस स्टेशन	1. हल्दिया 2. त्रिबेनी 3. स्वरूपा 4. बलिया 5. कुमारपुर	1. मनिहारी 2. भागलपुर 3. मुंगेर 4. हतिदाह 5. बाढ़	1. मौजमपुर 2. गोबिंदपुर खास (बक्सर) 3. ज़मानिया
चालू होने की तिथि	01.10.2015	15.03.2018	26.8. 2020

इसके अतिरिक्त, रा.ज.-2, रा.ज.-16, रा.ज.-97, रा.ज.-68, रा.ज.-111 में नदी सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए डीपीआर भी एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास के माध्यम से तैयार की जा रही है।

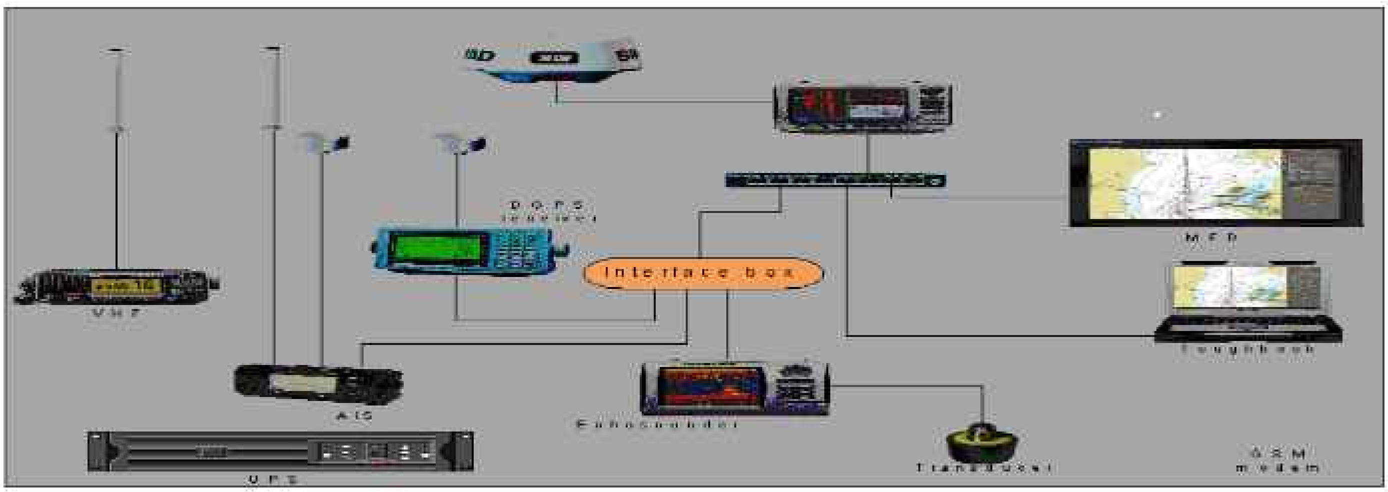

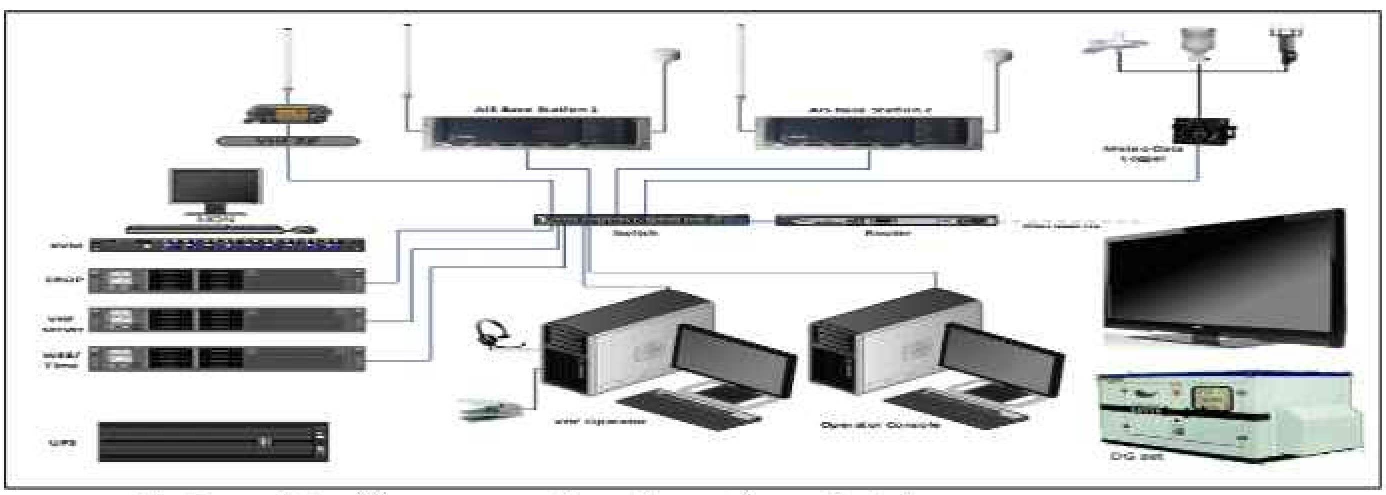

12.18 सार्वजनिक डोमेन में भा.अ.ज.प्रा वैसल ट्रैकर और पानी पोर्टल

भा.अ.ज.प्रा ने भा.अ.ज.प्रा वेसल ट्रैकर और पानी पोर्टल नामक एक नया एप्लिकेशन पेश किया है जिसका उपयोग ई-नौवहन सॉफ्टवेयर अ.ज.प. क्षेत्र के रूप में किया जाता है। सभी राष्ट्रीय जलमार्गों में थलवेग सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़े समय-समय पर भा.अ.ज.प्रा वेसल ट्रैकर और पानी पोर्टल में प्रकाशित किए जाते हैं। डेटा यात्रा योजनाकार के लिए उपलब्ध है। पोर्टल पोत यातायात के प्रबंधन और जलयान की आवाजाही को पता करने के लिए भी उपयोगी है। वेसल ट्रैकर एप्लिकेशन का एडमिन पोर्टल भी सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध कराया गया है और लिंक भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट में भी अपडेट किया गया है।

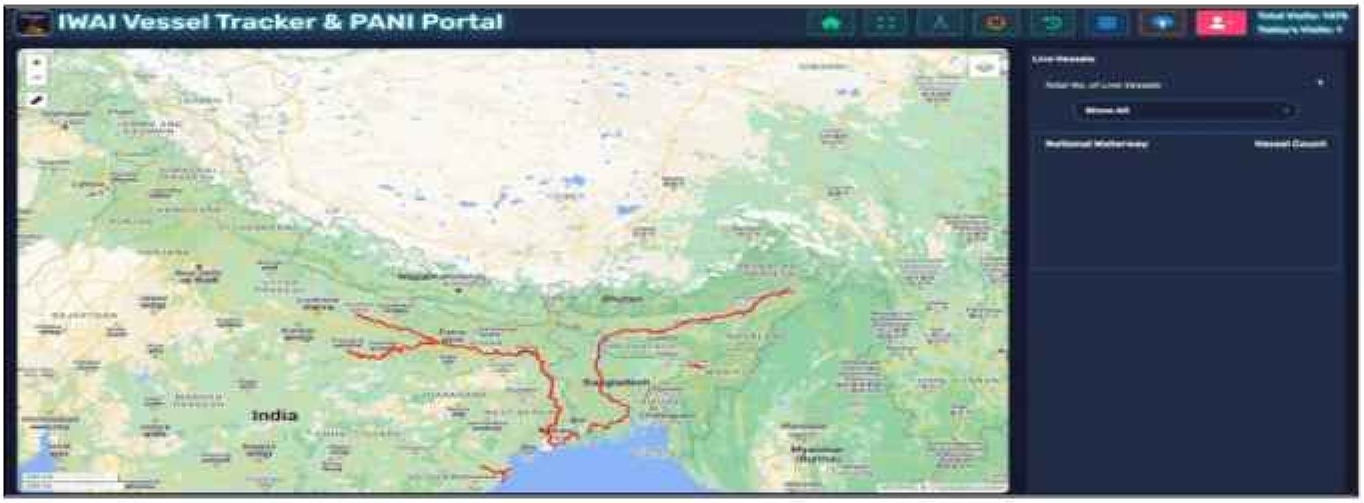

नदी क्रूज गंगा विलास डिब्रूगढ़ की ओर नौकायन

एस.एल. गंडक

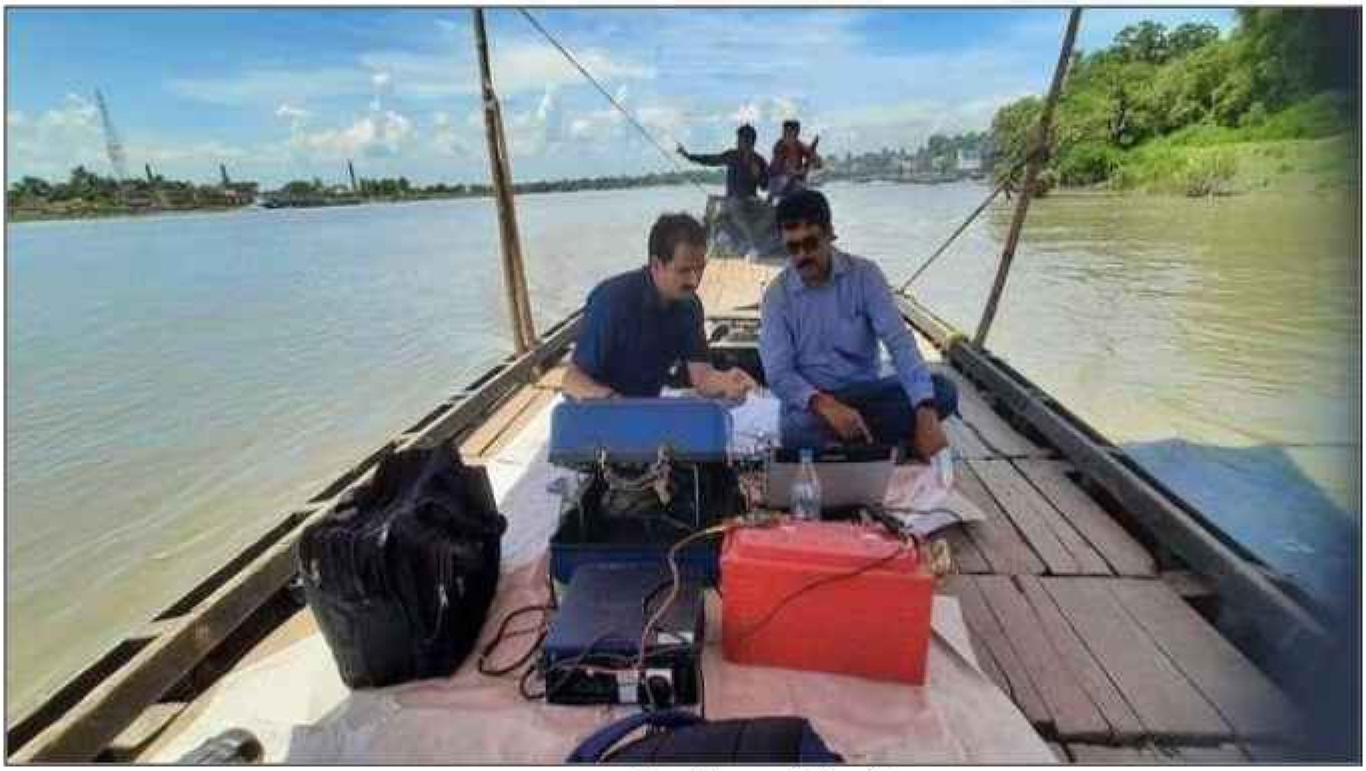

रा.ज.-44 (इचमती नदी) पर टोही सर्वेक्षण

रा.ज.-1 पर जंगीपुर लॉक पर विस्तृत सर्वेक्षण

रा.ज. -3 में विस्तृत सर्वेक्षण

12.19 कार्टोग्राफिक सेल/संगोष्ठी/प्रशिक्षण

- भा.अ.ज.प्रा मुख्यालय नोएडा में कार्टोग्राफिक सेल सूचना प्रणाली (जीआईएस) और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे सीएआरआईएस, ईआरडीएएस इमेजिन, ऑटोकैड, ग्लोबल मैपर आदि का उपयोग करके डिजिटल चार्ट तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित हैं। भा.अ.ज.प्रा के कार्टोग्राफरों को जीआईएस सॉफ्टवेयर और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करने में प्रशिक्षित किया गया है।
- कार्टोग्राफिक खंड में, नए चिन्हित किए गए 106 जलमार्गों का पता लगाया गया है और नए जलमार्गों का सूचकांक मानचित्र तैयार करने के लिए कार्टोग्राफिक लैब में स्थापित अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नदी मार्ग का डिजिटलीकरण किया गया है।
- भा.अ.ज.प्रा राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 से सर्वेक्षण कर रहा है। भा.अ.ज.प्रा अधिनियम, 2016 की धारा 14 (2) (ग) में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और नदी चार्ट के प्रकाशन की परिकल्पना की गई है और भा.अ.ज.प्रा ने सुरक्षित नौवहन उद्देश्यों के लिए नदी एटलस और नदी पायलट राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1,2,3 और सुंदरबन रा.ज.-97 को निम्नानुसार प्रकाशित किया है:–

क्र.सं.	रा.ज.	विवरण	चार्ट की संख्या
1.	रा.ज. 1	सागर से इलाहाबाद (पेपर चार्ट)	103
2.	रा.ज. 2	बांग्लादेश सीमा से सादिया (पेपर चार्ट)	40
3.	रा.ज. 3	कोट्टापुरम से कोल्लम सहित चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित (पेपर चार्ट)	49
4.	सुंदरबन	नामखाना से अथराबांकीखान	25
5.	रा.ज. 1	सागर से फरक्का का अद्यतन (पेपर चार्ट) नई ईएनसी का उत्पाद	66
6.	रा.ज. 1	फरक्का से पटना (पेपर चार्ट और ईएनसी)	

- जलमार्गों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से उपग्रह डेटा प्राप्त किया गया था और जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे संसाधित, डिजिटाइज़ किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) डिजिटल डेटा स्थलाकृतिक विशेषताओं को इलेक्ट्रॉनिक चार्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण डेटा (हाइपैक से) और नवीनतम एनआरएससी डेटा के साथ संकलित किया गया था।
- वर्ष 2022-23 के दौरान, जलमार्गों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से उपग्रह डेटा प्राप्त किया गया था और अंतर्देशीय के विश्लेषण के लिए जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे संसाधित, डिजिटाइज़ किया गया है।
- भा.अ.ज.प्रा भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक एसोसिएशन के कॉर्पोरेट सदस्य हैं, आईएनसीए ने एनएचओ, देहरादून में आयोजित 42 आईएनसीए में भाग लिया है, जिसमें स्टॉल के दौरान नदी नौवहन पेपर चार्ट और अंतर्देशीय नौवहन इलेक्ट्रॉनिक नौवहन चार्ट का प्रदर्शन किया गया है।

भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर उप नौसना अध्यक्ष अधीर अरोड़ा का आईएनसीए में भा.अ.ज.प्रा स्टॉल का दौरा

माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का आईएनसीए में भा.अ.ज.प्रा स्टॉल का दौरा

12.20 नौवहन सॉफ्टवेयर

ई-नौवहन एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है जिसे भा.अ.ज.प्रा द्वारा एनटीसीपीडब्ल्यूसी आईआईटी मद्रास के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग यात्री/रो-रो जलयानों के मास्टर्स द्वारा प्रस्तावित नौका मार्गों पर नौवहन के लिए किया जाता है। यद्यपि नदी सूचना प्रणाली लागू है, लेकिन किसी भी जलयान पर नज़र रखने के लिए एआईएस की बुनियादी आवश्यकता है और एआईएस के लिए खरीद और वार्षिक लाइसेंस शुल्क को ध्यान में रखते हुए, छोटे समय के ऑपरेटर लागत को वहन करने में असमर्थ थे। तदनुसार, यह महसूस किया गया कि हम एक और सॉफ्टवेयर विकसित कर सकते हैं जो सुरक्षित नौवहन के लिए भा.अ.ज.प्रा के अधिदेश के अनुसार समाज के सभी वर्गों में स्मार्ट फोन और इंटरनेट की पहुंच को ध्यान में रखते हुए समान दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है।

सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर काम करता है। पहले चरण में, रा.ज.-1 को शामिल करने का विचार है क्योंकि भा.अ.ज.प्रा के पास थलवेग/विस्तृत सर्वेक्षण का भंडार है जिसका उपयोग एनटीसीपीडब्ल्यूसी द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास में नौवहन मार्ग पर विचार करते हुए किया जा रहा है। फील्ड परीक्षण चल रहे हैं और हाल ही में पटना में जलीय मुख्य भा.अ.ज.प्रा द्वारा एक परीक्षण किया गया है।

13. राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने की दृष्टि से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) द्वारा फरवरी 2004 में पटना, बिहार में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई) की स्थापना की गई थी। संस्थान का प्रबंधन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) द्वारा किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

13.1 गतिविधियां

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की गईं:

- प्रेरण प्रशिक्षण जीपी रेटिंग कोर्स (35वें और 36वें बैच)
- जीपी रेटिंग (अंतर्देशीय पोत) प्रशिक्षुओं को बोर्ड प्रशिक्षण जलयान एचएसडी सोन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के लिए बिहार सरकार के कर्मियों के लिए एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।
- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षकों के लिए उपकरण, हाइपैक और नदी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण।
- भा.अ.ज.प्रा के जलयान चालक दल के लिए जलयानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- एएसडीसी गुवाहाटी असम में एअ.ज.प.डीएस कर्मियों के लिए जलयात्री सहायक पाठ्यक्रम आयोजित करना।

(ii) अंतर्देशीय जलयानों के लिए बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम

- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व
- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक
- अंतर्देशीय जलयान के लिए आग की रोकथाम और अग्निशमन
- अंतर्देशीय जलयान के लिए प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा
- एसएएस

(iii) योग्यता के अंतर्देशीय जलयान प्रमाणपत्र के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम।

- अंतर्देशीय जलयान परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक पाठ्यक्रम आयोजित किए:
  - सेरंग
  - मास्टर क्लास II
  - मास्टर क्लास I
  - द्वितीय श्रेणी के इंजन चालक
  - प्रथम श्रेणी इंजन चालक

13.2 प्रशिक्षण

- निनी नियमित आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करता है और राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अपने पाठ्यक्रम का विज्ञापन करता है।
    - डेक और इंजन पर इंडक्शन कोर्स करने के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति निजी बार्ज प्रचालकों के साथ की गई।
    - सीओसी परीक्षा और प्रमाण पत्रों को डेटाबेस का रखरखाव किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्रशिक्षितों का विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रमों का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या
1.	अंतर्देशीय जलयान सामान्य प्रयोजन रेटिंग का प्रेरण प्रशिक्षण	37
2.	सेरंग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	65
3.	मास्टर II के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	19
4.	मास्टर I के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	27
5.	इंजन ड्राइवर II के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	53
6.	इंजन ड्राइवर I के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	21
7.	अंतर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	05
8.	अंतर्देशीय जलयान कौशल सिम्यूलेटट पाठ्यक्रम	28
9.	"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण	157
10.	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम–हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षकों के लिए उपकरण, हाइपैक और नदी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण	18
11.	भा.अ.ज.प्रा के जलयान चालक दल के लिए जलयानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	28
12.	एअ.ज.प.डीएस कर्मियों के लिए जलयात्री सहायक पाठ्यक्रम	21
13.	अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व	33
14.	अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक	33
15.	अंतर्देशीय जलयान के लिए आग की रोकथाम और अग्निशमन	33
16.	अंतर्देशीय जलयान के लिए प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा	33
17.	अंतर्देशीय जलयान कर्मियों के लिए सुरक्षा पाठ्यक्रम	33
	योग	**644**

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निनी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 644 है।

13.3. मानव संसाधन

संस्थान ने संस्थान के प्रबंधन के लिए संकाय सदस्यों और प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित किया है। संस्थान तीन श्रेणियों अर्थात् नियमित परामर्श संकाय, नियमित अतिथि संकाय और आवश्यकता आधारित अतिथि संकाय में संकाय की तैनाती करता है।

13.4. संबद्धता और संघ:

अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग (एबीएस) द्वारा संस्थान के निरीक्षण के बाद आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र नवीनीकृत किया गया।

निनी अ.ज.प., बिहार की ओर से निनी कैंपस में सीओसी (सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी) परीक्षा आयोजित करता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निनी गतिविधियों के कुछ छाया-चित्र

समुद्री कौशल विकास केंद्र (पूर्वोत्तर)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13 जनवरी 2023 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नए समुद्री कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कौशल विकास केंद्र विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य में अ.ज.प. क्षेत्र में शामिल जनशक्ति के कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से खोला गया है।

कौशल विकास केंद्र, गुवाहाटी में फरवरी-2023 से कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और कुल 21 उम्मीदवारों को जलयात्री सहायक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 23 फरवरी से 23 मार्च (वित्त वर्ष 2022-23) तक प्रशिक्षित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसडीसी गतिविधियों की कुछ छाया-चित्र

14. वर्ष के दौरान यातायात, कार्गो संचालन और अन्य मुख्य विशेषताओं का विवरण

14.1 भूमिका

अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) परिवहन के सबसे अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन में से एक है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, अ.ज.प. साधन की परिचालन लागत 0.015 अमरीकी डालर प्रतिटन कि.मी. है, जबकि सड़क के लिए 0.033 अमरीकी डालर प्रतिटन कि.मी. और रेल के लिए 0.02 अमरीकी डालर प्रतिटन कि.मी. है। विश्व स्तर पर, अंतर्देशीय जलमार्गों को इन लाभों को उठाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में मान्यता दी गई है और विकसित किया गया है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर के नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं, जिन्हें परिवहन के साधन के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। आजादी से पहले के वर्षों में, यात्रियों और माल दोनों के परिवहन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अ.ज.प. मोड का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण, अ.ज.प. मोड ने परिवहन के साधन के रूप में मान्यता खो दी। नतीजतन, अंतर्निहित लाभों के बावजूद, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (अ.ज.प.) मोड का हिस्सा वर्तमान में लगभग 2% होने का अनुमान है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा), पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक प्राधिकरण, पोत परिवहन और नौवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के लिए 1986 में स्थापित किया गया था। अंतर्देशीय जलमार्गों के लाभों और महत्व को स्वीकार करते हुए और इसके मॉडल हिस्से को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) के रूप में घोषित किया, जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई। विभिन्न तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से भा.अ.ज.प्रा ने भावी विकास के लिए 23 राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की है। इन राष्ट्रीय जलमार्गो के विकास के लिए भा.अ.ज.प्रा विभिन्न गतिविधियां चला रहा है जिनमें विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक अध्ययन, विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान करना और अ.ज.प. मोड का उपयोग करते हुए कार्गो और यात्रियों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त फेयरवे, लॉक, नदी सूचना प्रणाली, टर्मिनल और संबद्ध अवसंरचना के रूप में नौवहन अवसंरचना प्रदान करना शामिल है। अ.ज.प. क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भा.अ.ज.प्रा द्वारा आयोजित विभिन्न बाजार आउटरीच गतिविधियों के साथ-साथ इन हस्तक्षेपों के प्रभाव के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे उद्योग द्वारा परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में अ.ज.प. मोड को मान्यता दी जा रही है।

इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में 24 प्रचालनात्मक राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही का विस्तृत विश्लेषण किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में यातायात की मात्रा और प्रवृत्ति, वस्तु प्रोफाइल और प्रचालनात्मक राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रमुख आरंभ और गंतव्य जेटी/स्थान जैसे विवरण शामिल किए गए हैं।

14.2 राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात

वित्त वर्ष 21-22 में 108.79 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात आवाजाही 126.15 मिलियन टन दर्ज की गई, जिससे 2013-14 से लगभग 25.71% की वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज की गई। निम्नलिखित तालिका विभिन्न रा.ज. पर यातायात संचालन का विवरण प्रस्तुत करती है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कार्गो/यातायात संचालन का विवरण			
राष्ट्रीय जलमार्ग	**वित्त वर्ष 2021-22 (मीट्रिक टन)**	**वित्त वर्ष 2022-23 (मीट्रिक टन)**	**% परिवर्तन**
रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद))	1,09,27,788	1,31,69,853	21%
रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सादिया))	4,28,134	6,29,853	47%
रा.ज.-3 (पशिचम तटीय नहर)	16,95,033	32,27,896	90%
रा.ज.-4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली)	1,12,33,685	84,18,067	-25%
रा.ज.-5 (पूर्वी तट नहर और मताई नदी/ब्राह्मणी-खरसुआ-धामरा नदियाँ/महानदी डेल्टा नदियाँ)	14,923	4,02,619	2598%
रा.ज.-8 (अलप्पुझा-चंगानसरी नहर)	0	33,689	-
रा.ज.-9 (अलप्पुझा-कोट्टायम अथिरमपुझा नहर)	0	17,093	-
रा.ज.-14 (बैतरणी नदी)	0	1,329	
रा.ज.-16 (बराक नदी)	5088	11302	122%
रा.ज.-23 (बूढ़ा बलंगा)	0	30,151	-
रा.ज.-31 (धनसिरी/चाथे)	0	521	
रा.ज.-44 (इचामती नदी)	8,17,950	4,62,546	-43%
रा.ज.-64 (महानदी नदी)	14,923	4,49,526	2912.30%
रा.ज.-86 (रुपनारायण नदी)	616	87,828	14157.79%
रा.ज.-94 (सोन नदी)	0	0	-
रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग)	61,02,787	54,73,305	-10%
उप कुल (राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 23, 31, 44, 64, 86,94, और 97)	3,12,40,927	3,24,15,578	4%
महाराष्ट्र जलमार्ग			
रा.ज.-10 (अम्बा नदी)	2,02,29,460	2,85,44,304	41%
रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक)	2,28,505	2,41,110	6%
रा.ज.-85 (रेवाडांडा क्रीक-कुंडलिका नदी प्रणाली)	7,00,955	4,97,873	-29%
रा.ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक सिस्टम)	2,24,47,037	3,38,65,863	51%
कुल महाराष्ट्र जलमार्ग	4,36,05,957	6,31,49,150	45%
गोवा जलमार्ग			
रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	26,21,634	25,42,291	-3%
रा.ज.-111 (ज़ुआरी नदी)	19,56,232	3,86,634	-80%
कुल गोवा जलमार्ग	45,77,866	29,28,925	-36%
गुजरात जलमार्ग			
रा.ज.-73 (नर्मदा नदी)	45,223	41,625	-8%
रा.ज.-100 (तापी नदी)	2,93,22,174	2,76,15,806	-6%
कुल गुजरात जलमार्ग	2,93,67,397	2,76,57,431	-6%
सकल मीट्रिक टन	10,87,92,147	12,61,51,084	15.96%
सकल मिलियन मीट्रिक टन	108.79	126.15	15.96%

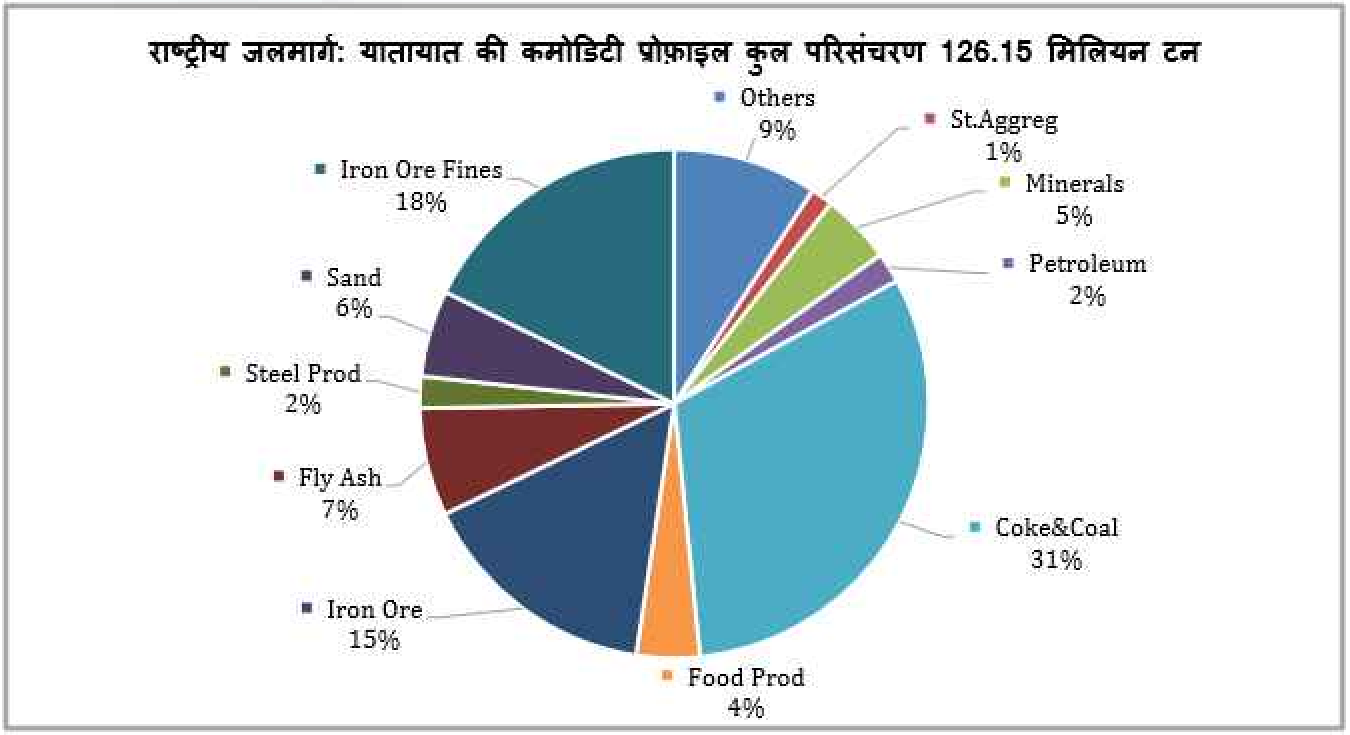

वित्त वर्ष 2023 में यातायात का राष्ट्रीय जलमार्ग-वार

वित्त वर्ष 2023 में कुल अ.ज.प. यातायात में गुजरात जलमार्ग 2 और महाराष्ट्र जलमार्ग 4 का हिस्सा वित्त वर्ष-22 के लिए 67% से अधिक की तुलना में बढ़कर 72% हो गया है।

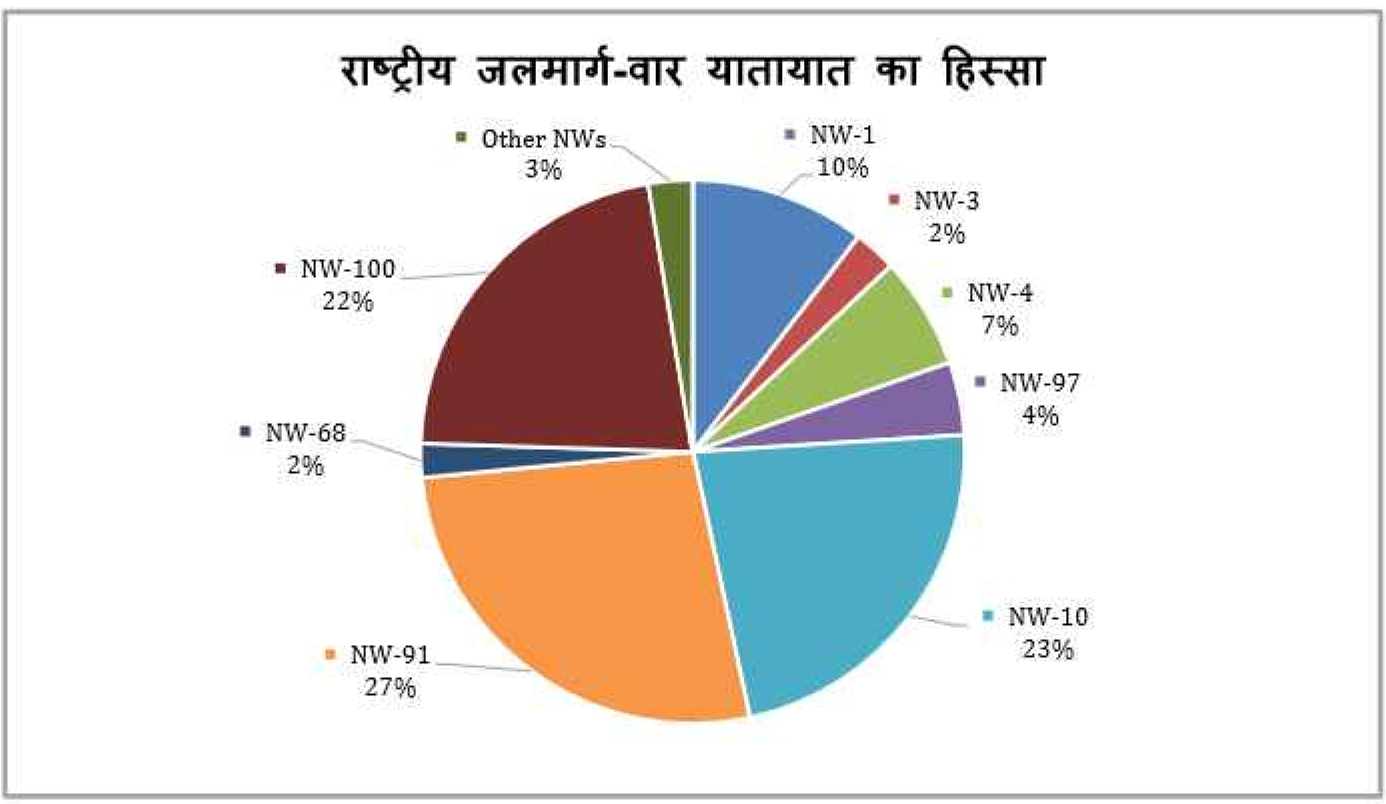

राष्ट्रीय जलमार्ग-यातायात की वस्तु प्रोफाइल वित्त वर्ष 2023

मुख्य रूप से थोक वस्तुएं जैसे कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क फाइन्स, रेत, खनिज और अन्य भारत में अ.ज.प. मोड का उपयोग कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2023 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर दर्ज यातायात संचलन के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

- वित्त वर्ष 2023 में परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, जो वित्त वर्ष 2022 में 19 थी। रा.ज.-8 (अलप्पुझा-चंगानसरी नहर), रा.ज.-9 (अलप्पुझा-कोट्टायम - अथिरमपुझा नहर), रा.ज.-14 (बैतरनी नदी), रा.ज.-23 (बूढ़ा बलंगा) और रा.ज.-31 (धनसिरी/चाथे) पर यातायात की आवाजाही को वित्त वर्ष-23 में शामिल किया गया था।
- महाराष्ट्र जलमार्ग (रा.ज.-10 नदी अम्बा, रा.ज.-83 राजपुरी क्रीक, रा.ज.-85 रेवडांडा क्रीक और कुंडलिका नदी, रा.ज.-91 नदी शास्त्री - जयगढ़ फोर्ट क्रीक) और राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-1 गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली, रा.ज.-2 नदी ब्रह्मपुत्र, रा.ज.-3 पश्चिमी तटीय नहर, चंपाकारा नहर, उद्योगमंडल नहर, रा.ज.-4 कृष्णा नदी और रा.ज.-5 (पूर्वी तट नहर मताई नदी/ब्राह्मणी-खरसुआ-धामरा नदियाँ/महानदी डेल्टा नदियाँ) पूरे राष्ट्रीय जलमार्ग यातायात का 70% से अधिक योगदान देता है, इसके बाद गुजरात जलमार्ग (रा.ज.-73, नर्मदा नदी और रा.ज.-100, तापी नदी) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर 22% यातायात का गठन करते हैं।

14.3 राष्ट्रीय जलमार्ग-1

हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद (1,620 कि.मी.) के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया है। रा.ज.-1 के हल्दिया-वाराणसी खंड को नौवहन उद्देश्यों के लिए जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत विकसित किया जा रहा है। रा.ज.-1 पर यातायात को 4 अलग-अलग खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग पर यातायात की आवाजाही, जो मुख्य रूप से कोलकाता/हल्दिया से बांग्लादेश, कोलकाता/हल्दिया पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट/लाइटरेज यातायात, रा.ज.-1 पर रो-रो यातायात और हल्दिया और वाराणसी के बीच अनुदैर्ध्य यातायात के विभिन्न हिस्सों में यातायात की आवाजाही है। नीचे दिए गए ग्राफ और तालिका वित्त वर्ष-22 और वित्त वर्ष-23 में इन 4 वर्गों के बीच यातायात के विभाजन को दर्शाते हैं

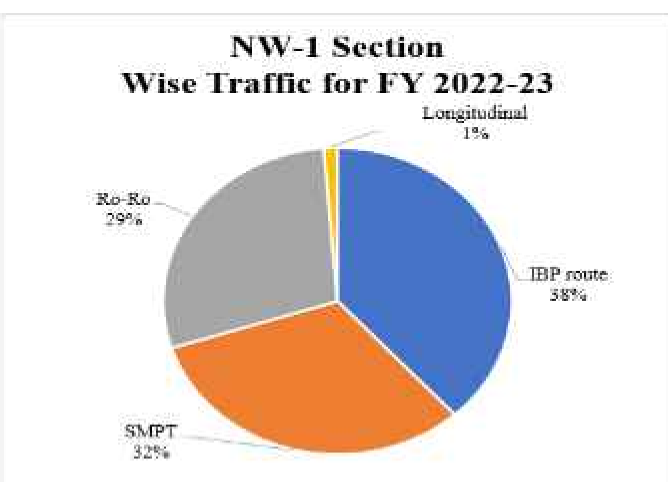

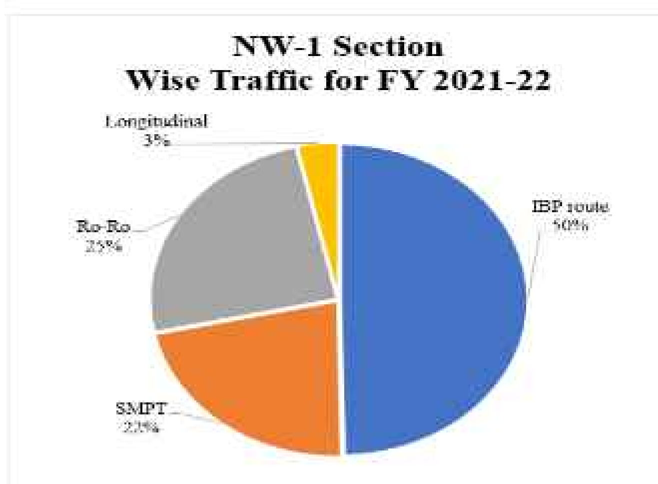

रा.ज.-*1:* अनुभाग-वार यातायात (वित्त वर्ष-*22* और वित्त वर्ष-*23)*

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रा.ज.-1 का कमोडिटी प्रोफाइल नीचे दिया गया है:

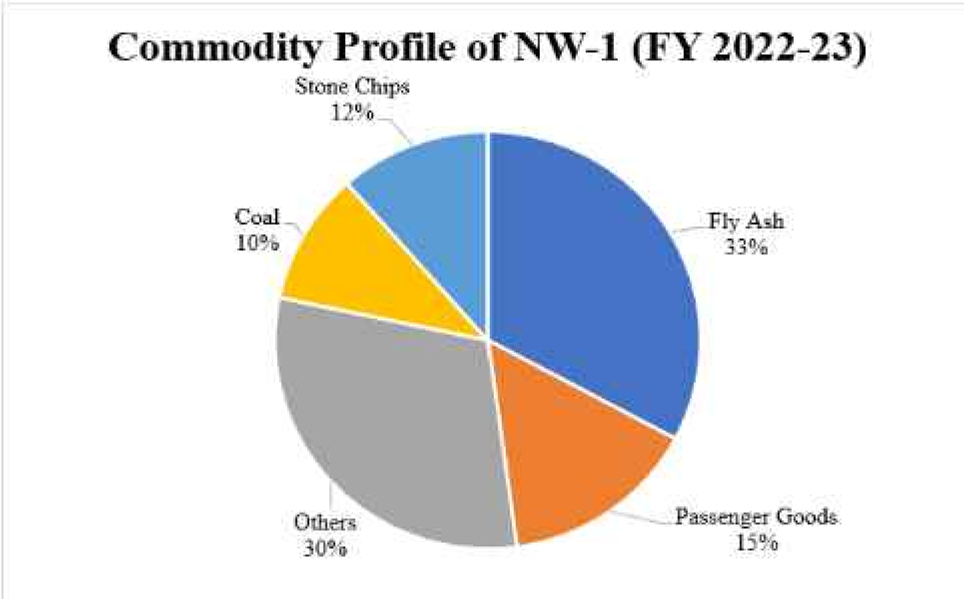

आईबीपी मार्ग पर यातायात, रो-रो यातायात और वित्त वर्ष-23 में रा.ज.-1 पर अनुदैर्ध्य यातायात का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	रा.ज.-1 अनुभाग	मात्रा मिलियन टन में	
		वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
1	भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग	5429287	5040124
2	एसएमपीटी (ट्रांसशिपमेंट/लाइटरेज)	2393000	4185000
3	रो-रो	2716675	3779603
4	अनुदैर्ध्य (हल्दिया और वाराणसी के बीच)	388828	165126
	कुल	10927790	13169853

यह देखा जा सकता है कि भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर चलने वाला यातायात रा.ज.-1 यातायात में प्राथमिक योगदानकर्ता है, इसके बाद एसएमपीटी (ट्रांसशिपमेंट/लाइटरेज) है। रा.ज.-1 पर रो-रो संचालन मुख्य रूप से कोलकाता और राजमहल (झारखंड) के बीच स्थित कई ओ-डी-सी के बीच विविध वस्तुओं की आवाजाही है।

हल्दिया और वाराणसी के बीच रा.ज.-1 के साथ अनुदैर्ध्य संचालन में मुख्य रूप से कोएलवार (बिहार में गंगा नदी और सोन नदी का संगम बिंदु) से उत्पन्न रेत संचालन शामिल हैं और गंगा नदी (रा.ज.-1) पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की यात्रा करते हैं। इसके अलावा, ओडीसी, स्टोन चिप्स, स्टील उत्पादों और कंटेनरीकृत कार्गो को ले जाने वाले कुछ संचालन रा.ज.-1 पर हुए।

राष्ट्रीय जलमार्ग-*1:* एमएमटी वाराणसी

14.4 रो-रो ट्रैफिक

वित्त वर्ष 2023 में, रा.ज.-1 पर रो-रो परिचालन के माध्यम से लगभग 3.8 मिलियन टन यातायात की आवाजाही हुई। नीचे दिया गया ग्राफ रा.ज.-1 पर माह-वार रो-रो यातायात संचालन प्रस्तुत करता है।

ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) संचालन

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (अ.ज.प.) मोड भूमि परिवहन की तुलना में कई फायदों के कारण ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) के परिवहन के लिए पसंदीदा साधन है। मानक वैगन आकार के कारण रेल परिवहन में ओडीसी कार्गो को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण लचीलापन नहीं है। सड़क परिवहन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि मार्ग और समय प्रतिबंध, कई अनुमतियों की आवश्यकता और ओडीसी कार्गो ले जाने के लिए मार्ग सर्वेक्षण करने में महत्वपूर्ण प्रयास। अ.ज.प. मोड अपेक्षाकृत सुविधाजनक तरीके से ओडीसी कार्गो की आवाजाही को सुकर करता है।

वित्त वर्ष 2023 में रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-5, रा.ज.-31, रा.ज.-64, एमडब्ल्यू-86 और आईबीपी मार्ग पर 5232.41 टन ओवर डायमेंशनल कार्गो के 16 शिपमेंट भेजे गए।

रा.ज.-*1:* ओडीसी कार्गो संचलन

वित्त वर्ष 2023 में ट्रांसफार्मर, एमोनिया कनवर्टर, बैच डाइजेस्टर, चिमनी, पावर जनरेटर उपकरण, डीजल एचडीटी रिएक्टर, ग्राइंडिंग और कोटिंग प्लांट आदि जैसे उत्पादों को अ.ज.प. मोड का उपयोग करके कोलकाता/हल्दिया पोत से रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-5, रा.ज.-31, रा.ज.-64, रा.ज.-86 और आईबीपी मार्ग के साथ गंतव्यों तक पहुंचाया गया था।

2022-23 के दौरान ओडीसी संचलन का विवरण नीचे दिया गया है

क्र.सं.	रा.ज.	माह	वर्ष	मूल	गंतव्य	सामान	माल मि.ट. में	प्रेषक
1	रा.ज.-5 रा.ज.-64	अप्रैल	2022	पारादीप	लूना जेट्टी	अमोनिया कनवर्टर	930	तालचर उर्वरक
2	रा.ज.-86, रा.ज.-1, आईबीपी	अप्रैल	2022	कोलाघाट	मोंगला	जनरेटर पार्ट्स	458	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
3	रा.ज.-86, रा.ज.-1	अप्रैल	2022	कोलाघाट	मोंगला	जीआरपी चिमनी	85	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-

								फ्रेंडशिप पावर कंपनी
4	रा.ज.-1	अप्रैल	2022	कोलकाता	कहलगांव	जनरेटर स्टेटर	397	अडानी पावर
5	रा.ज.-1	मई	2022	बज बज	बक्सर	ट्रांसफार्मर	379	एल एंड टी लिमिटेड
6	रा.ज.-1, आईबीपी	जून	2022	कोलकाता	मोंगला	जनरेटर पार्ट्स	83.34	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
7	रा.ज.-1, आईबीपी	जुलाई	2022	कोलकाता	मोंगला	जनरेटर रोटर	212.56	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
8	रा.ज.-1, आईबीपी	जुलाई	2022	कोलकाता	मोंगला	जीआरपी चिमनी	68.81	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
9	रा.ज.-1, रा.ज.-86	जुलाई	2022	हल्दिया	कोलाघाट	जेनरेटर	460	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
10	रा.ज.-1, आईबीपी	अक्तूबर	2022	कोलकाता	मोंगला	जीआरपी चिमनी	61	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
11	रा.ज.-1, आईबीपी	नवंबर	2022	कोलकाता	मोंगला	जीआरपी चिमनी	49.9	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
12	रा.ज.-1	फ़रवरी	2023	कोलकाता	सेमारिया	डीजल एचडीटी रिएक्टर	703.5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

13	रा.ज.-1, आईबीपी, रा.ज.-2 & रा.ज.-31	फ़रवरी	2023	कोलकाता	एनआरएल जेट्टी, नुमालीगढ़	डीएचटी रिएक्टर	521	नुमालीगढ़ रिफाइनरी
14	रा.ज.-1	फ़रवरी	2023	कोलकाता	बक्सर	जनरेटर स्टेटर	379	बक्सर ताप विद्युत परियोजना
15	रा.ज.-1	फ़रवरी	2023	डायमंड हार्बर	सेमारिया	रिएक्टर	384.3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
16	रा.ज.-1 और आईबीपी	फ़रवरी	2023	कोलकाता	मोंगला	5 टीपीएच-प्री क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड कोटिंग प्लांट	60	भारत बांग्लादेश मैत्री शक्ति-फ्रेंडशिप पावर कंपनी
योग							**5232.41**	

14.5. राष्ट्रीय जलमार्ग -2

राष्ट्रीय जलमार्ग -2 धुबरी और सादिया के पास बांग्लादेश सीमा के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर का खंड है। रा.ज.-2 ऐतिहासिक रूप से असम राज्य (उत्तर पूर्व भारत में) के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है और ऐसा ही बना हुआ है। भा.अ.ज.प्रा वर्ष भर रा.ज.-2 पर खंड-वार न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) बनाए रखता है, जिसके परिणामस्वरूप नियमित यातायात आवाजाही हुई है। रा.ज.-2 पर यातायात में मुख्य रूप से भूटानी पत्थरों की बांग्लादेश तक आवाजाही, चावल, यात्री, वाहन और नौकाओं के माध्यम से माल की आवाजाही शामिल है।

रा.ज.-2 रो.रो. संचालन

वित्त वर्ष-23 में कुल यातायात वित्त वर्ष-22 में 0.43 मिलियन टन से लगभग 47% बढ़कर वित्त वर्ष-23 में 0.63 मिलियन टन हो गया है। यातायात में वृद्धि बांग्लादेश में भूटानी पत्थर समुच्चय संचालन की आवाजाही शुरू होने और अधिक रो-पैक्स सेवा शुरू करने के कारण हुई है। जुलाई 2019 में, भूटानी स्टोन चिप्स और बोल्डर की आवाजाही धुबरी से बांग्लादेश के गंतव्यों के लिए अ.ज.प. मोड का उपयोग करके शुरू हुई।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष 2022-23 में रा.ज.-2 पर चलने वाले यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

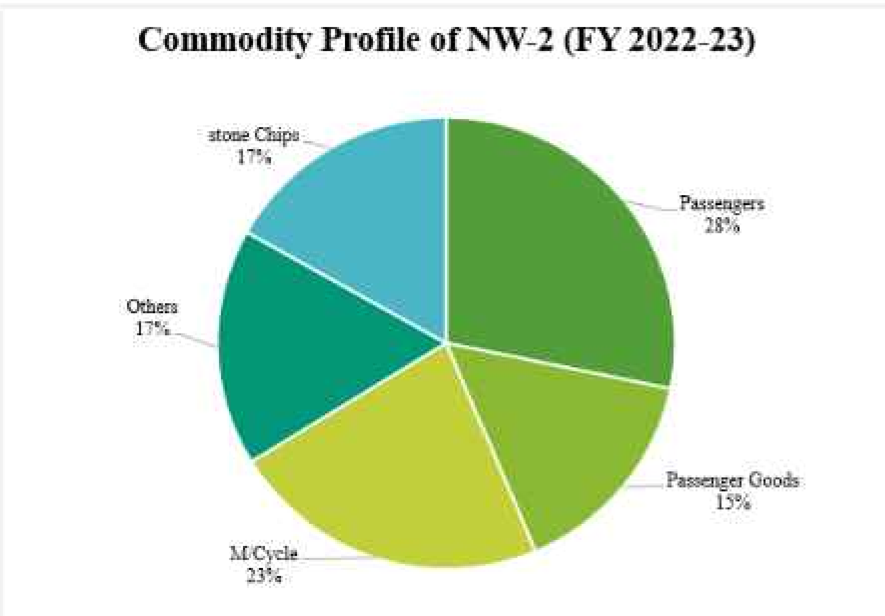

रा.ज.-2: यातायात की प्रोफाइल (वित वर्ष-22)

रा.ज.-2 पर चलने वाले यातायात का सबसे अधिक हिस्सा यात्रियों (28%) का है, इसके बाद यात्री सामान (15%) है। रा.ज.-2 पर माल की आवाजाही प्रकृति में असंगठित है जिसमें व्यक्तिगत वस्तुएं, सब्जियां आदि शामिल हैं।

रा.ज.-2: कार्गो जलयान संचालन

रा.ज.-2: एमवी गंगा विलास

एम की गंगा विलास - आई.बी.पी. मार्ग के द्वारा रा.ज. - 1 और रा.ज. - 2 को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा

एमवी गंगा विलास ने जनवरी/फरवरी 2023 में वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज पूरा किया। एमवी गंगा विलास कोलकाता और बांग्लादेश के बीच यात्राएं करना जारी रखेगा।

इसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हरी झंडी दिखाई थी। एमवी गंगा विलास ने बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ (बोगीबील) तक 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें गंगा नदी के तट पर चालीस ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, जिनमें महाबोधि मंदिर, हजारद्वारी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंदानगर चर्च, चार बांग्ला मंदिर और बहुत कुछ शामिल हैं। 51 दिनों के क्रूज ने विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों का दौरा किया। इसने बोगीबील, डिब्रूगढ़, असम तक की सफल यात्रा 28.02.2023 को पूरी कर ली है।

एमवी गंगा विलास का मार्ग

कोलकाता से एनआरएल जेट्टी, नुमालीगढ़, असम तक नुमालीगढ़ बायो-रिफाइनरी के लिए एक ओडीसी (ओवर डायमेंशनल कार्गो) 521 मीट्रिक टन की आवाजाही भी रा.ज.-1, आईबीपी मार्ग रा.ज.-2 और रा.ज.-31 के माध्यम से हुई।

अ.ज.प. मोड के माध्यम से पूर्वोत्तर में संचालन शुरू करने के लिए भा.अ.ज.प्रा (पोत परिवहन मंत्रालय) की इस पहल की सभी हितधारकों ने बड़े उत्साह के साथ सराहना की है। भा.अ.ज.प्रा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्कता की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के संचलन को शुरू करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है ताकि यातायात के मॉडल शिफ्ट के लिए उद्योग में विश्वास पैदा किया जा सके और साथ ही परिचालन और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने और हल करने के लिए बीअ.ज.प.ए, सीमा शुल्क अधिकारियों और उद्योग जैसे हितधारकों के साथ बातचीत की जा सके।

रा.ज.-2 के माध्यम से भूटान-बांग्लादेश व्यापार को सक्षम करना

भूटान बांग्लादेश में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि मार्ग के माध्यम से पत्थर के समुच्चय की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्यात कर रहा है। पत्थर निर्यातकों ने अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में पहचाना है जैसे कि कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़ा शिपमेंट आकार, भूमि मार्गों पर भीड़ से बचना आदि।

अपनी तरह के पहले ऐसे संचालन में, भूटान से निकलने वाले 1,005 टन कुचल पत्थर के समुच्चय (क्रश्ड स्टोन एग्रीमेंट) को 11 जुलाई 2019 को रा.ज.-2 पर धुबरी (असम) में भा.अ.ज.प्रा के जेटी से नारायणगंज, बांग्लादेश ले जाया गया था। पत्थर के समुच्चय को भूटान स्थित पत्थर खदानों से भा.अ.ज.प्रा के धुबरी जेट्टी तक ट्रकों का उपयोग करके ले जाया गया और बाद में मशीनीकृत लोडिंग सिस्टम का उपयोग करके भा.अ.ज.प्रा के पोत एमवी एएआई पर लोड किया गया।

इस संचालन ने भूटानी निर्यातकों में तेजी से जलमार्ग मोड में स्थानांतरित होने और भूटान और बांग्लादेश के बीच पत्थर के समुच्चय और अन्य वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्वास व्यक्त किया। पहले संचालन की सफलता के परिणामस्वरूप, धुबरी और चिलमारी (बांग्लादेश) के बीच पत्थर के समुच्चय की आवाजाही नियमित हो गई है और वित्त वर्ष 2023 के दौरान 135112.63 मीट्रिक टन भूटानी स्टोन एग्रीगेट्स से लदे 560 जहाज धुबरी से बांग्लादेश में चिमारी के लिए रवाना हुए हैं।

पत्थर के चिप्स से भरा जलयान

14.6 राष्ट्रीय जलमार्ग-3

पश्चिम तट नहर के कोट्टापुरम-कोल्लम खंड के साथ-साथ चंपाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (रा.ज.-3) के रूप में घोषित किया गया है। वित्त वर्ष 2023 में रा.ज.-3 पर लगभग 3.23 मिलियन टन यातायात की आवाजाही हुई। रा.ज.-3 पर यातायात की आवाजाही, जिसमें बोलगट्टी और विलिंगडन द्वीप के बीच रो-रो आवाजाही, यात्री संचालन, असंगठित आवाजाही और मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) से संबंधित कच्चे माल की आवाजाही शामिल है।

वित्त वर्ष-22 में कुल यातायात लगभग 90% बढ़कर वित्त वर्ष-23 में लगभग 3.23 मिलियन टन हो गया है, जो वित्त वर्ष-22 में लगभग 1.70 मिलियन टन था।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में रा.ज.-3 पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

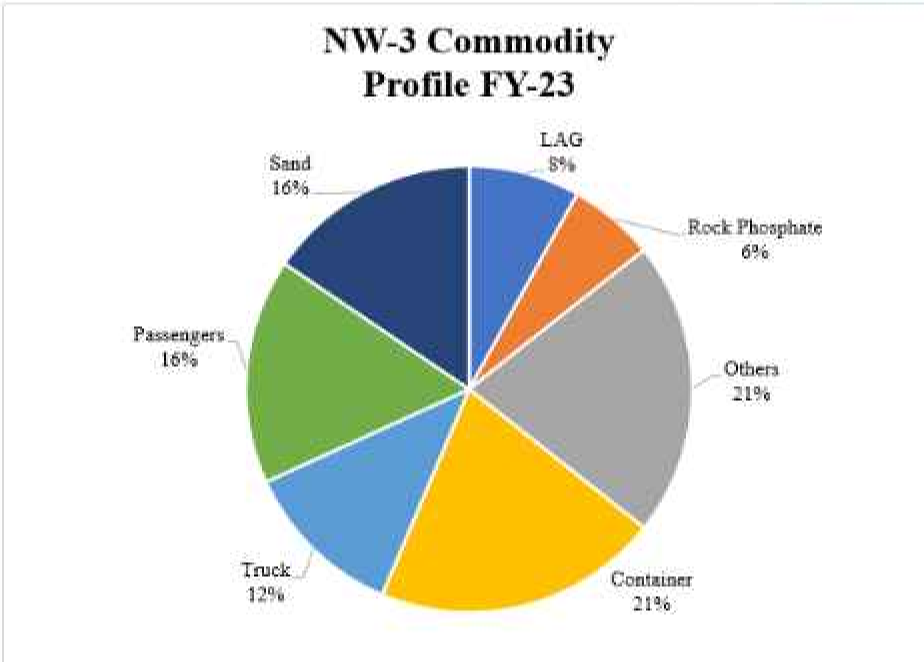

रा.ज.-3: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त

रा.ज.-3 पर चलने वाले यातायात में मुख्य रूप से रो-रो सेवा (43%) द्वारा स्थानांतरित कंटेनर और ट्रक शामिल हैं, इसके बाद यात्री संचालन (16%), रेत (16%), उर्वरक और रसायन त्रावणकोर (एफएसीटी) द्वारा अपने संयंत्रों अर्थात एलएजी (8%) और रॉक फॉस्फेट (6%) के बीच ले जाया जाने वाला कच्चा माल है। एलएजी को एफएसीटी के कोचीन डिवीजन और पेट्रोकेमिकल डिवीजन में ले जाया जाता है; रसायनों को एफएसीटी के कोचीन डिवीजन और उद्योग मंडल डिवीजन में ले जाया जाता है, जबकि अधिकांश रॉक फॉस्फेट को एफएसीटी के कोचीन डिवीजन जेटी में ले जाया जाता है।

रा.ज.-3 पर रो-रो जलयान

14.7 राष्ट्रीय जलमार्ग -4

राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (रा.ज.-4) एक 2,890 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जिसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कममूर नहर और बकिंघम नहर के खंड शामिल हैं। यह भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर गुजरती है।

रा.ज.-4 पर यातायात की आवाजाही में कृष्णापटनम पोत से आवाजाही और देशी नौकाओं में रेत की असंगठित आवाजाही शामिल है। वित्त वर्ष 2022 में रा.ज.-4 पर 11.23 करोड़ टन यातायात संभाला गया जबकि वित्त वर्ष 2023 में रेत की आवाजाही में कमी के कारण यातायात घटकर 8.42 रह गया।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में रा.ज.-4 पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

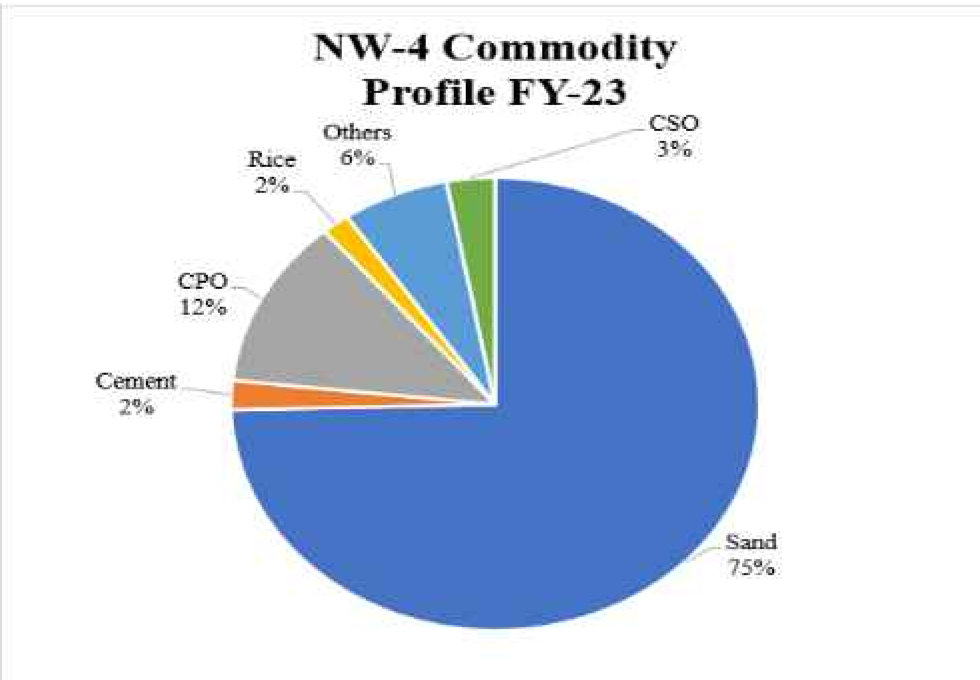

रा.ज.-4: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-23)

14.8 राष्ट्रीय जलमार्ग -5 और 64

इफको संयंत्र से उत्पन्न जिप्सम ने अ.ज.प. मोड के माध्यम से इफको रिवरिन जेट्टी (रा.ज.-64, महानदी आर) से पारादीप पोर्ट (बर्थ-एनक्यू -2 और ड्राफ्ट - 7.5 मीटर) तक 15.0 कि.मी. की दूरी के लिए मैसर्स उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड (ओएसएल) द्वारा परिवहन शुरू किया। माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 25.04.2022 को नदी सागर पोत-टाइप 4 (आरएसवी -4) पोत एमवी दृष्टि द्वारा बल्क कार्गो (जिप्सम) की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वित्त वर्ष 2023 के दौरान 377472 मीट्रिक टन का परिवहन किया गया है।

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बल्क कार्गो (जिप्सम) की पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाना

निम्नलिखित ग्राफ वित्त वर्ष-23 में रा.ज.-5 पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

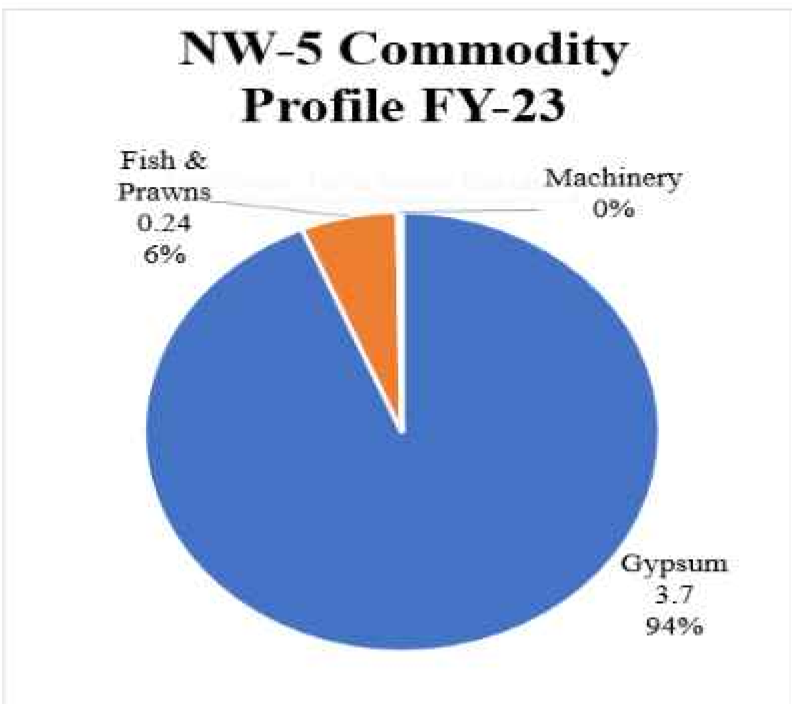

रा.ज.-5: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-23)

14.9 महाराष्ट्र जलमार्ग

महाराष्ट्र में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परिचालन में हैं जो रा.ज.-10 (अंबा नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवडांडा क्रीक/कुंडलिका नदी) और रा.ज.-91 (शास्त्री नदी/जयगढ़ फोर्ट क्रीक) हैं। वित्त वर्ष-23 में देश के सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर संचालित किए गए कुल यातायात में महाराष्ट्र जलमार्गों का हिस्सा लगभग 50% था। रा.ज.-91

महाराष्ट्र जलमार्ग के कुल यातायात का लगभग 53.6% संभालता है, इसके बाद रा.ज.-10 है जो 45.2% को संभालता है।

महाराष्ट्र रा.ज.: प्रचालन जलमार्ग

वित्त वर्ष 2022 में, महाराष्ट्र जलमार्ग पर यातायात लगभग 43.61 मिलियन टन था, जबकि वित्त वर्ष-23 में यातायात मुख्य रूप से आयातित कोयला, लौह अयस्क और चीनी आदि की आवाजाही में वृद्धि के कारण बढ़कर 63.15 मिलियन टन हो गया। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में महाराष्ट्र जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

यह देखा जा सकता है कि कोयला (43%) और लौह अयस्क (38%) महाराष्ट्र जलमार्ग पर 81% यातायात के लिए जिम्मेदार है। चूना पत्थर और सुगत प्रत्येक यातायात का 3% हिस्सा है, जबकि डोलोमाइट, क्लिंकर और यूरिया जैसी वस्तुएं अन्य श्रेणियों में आते हैं।

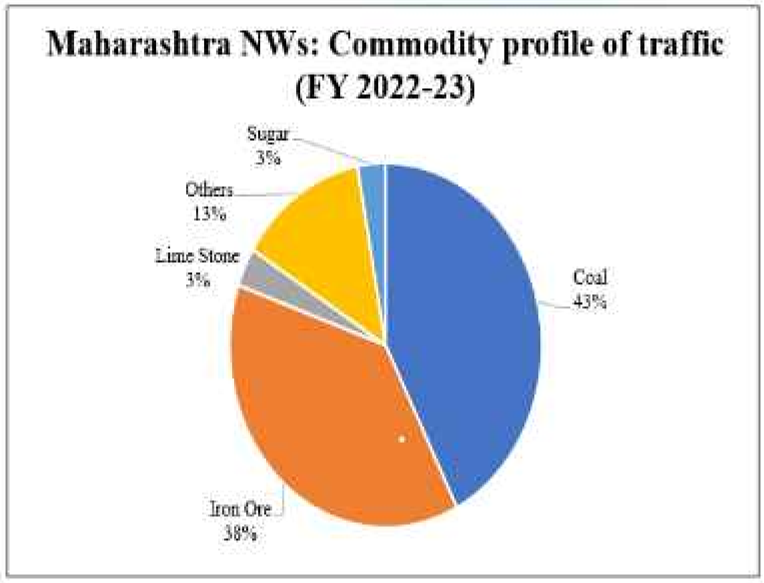

महाराष्ट्र रा.ज.: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-23)

14.10 गोवा जलमार्ग

गोवा में 2 परिचालन राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अर्थात्, रा.ज.-68 (मंडोवी नदी) और रा.ज.-111 (जुआरी नदी)।

चित्र 40- गोवा जलमार्ग: परिचालन राष्ट्रीय जलमार्ग

लगभग 2.93 मिलियन टन के यातायात संचालन के साथ, गोवा जलमार्ग ने वित्त वर्ष-23 में सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात का लगभग 2.32% हिस्सा बनाया। गोवा जलमार्ग पर कुल यातायात का 87% (लगभग 2.54 मिलियन टन) रा.ज.-68 पर संभाला गया था, जबकि शेष 13% (लगभग 0.4 मिलियन टन) रा.ज.-111 पर संभाला गया था।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में गोवा जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

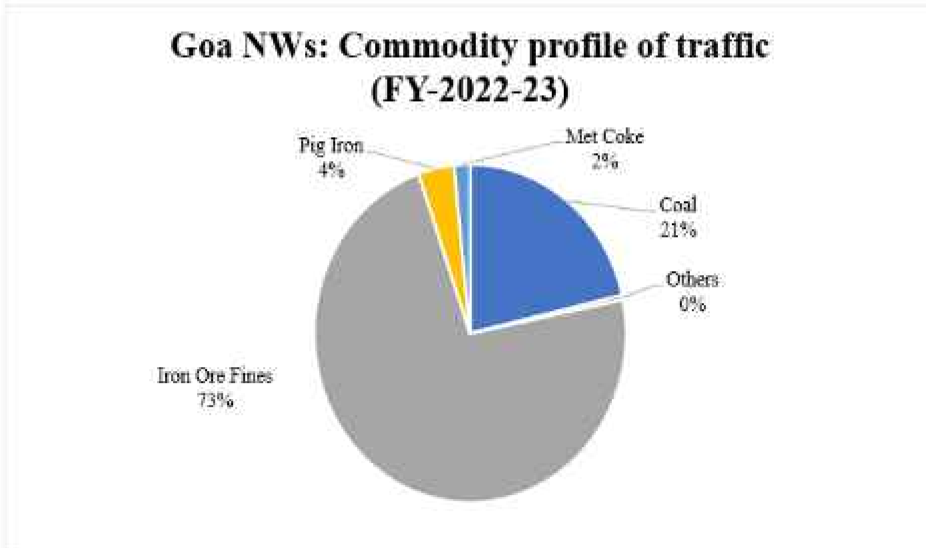

गोवा रा.ज.: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-23)

यह देखा जा सकता है कि गोवा जलमार्ग पर शीर्ष दो वस्तुएं लौह अयस्क (73%) और कोयला (21%) हैं। अधिकांश लौह अयस्क मोरमुगाओ पोत से विदेशों में निर्यात किया जाता है, जबकि कोयला विदेशी बंदरगाहों से मोरमुगाओ पोत में आयात किया जाता है। गोवा जलमार्ग में अन्य वस्तुओं में पिग आयरन (4%) और मेट कोक (2%) शामिल हैं।

14.11 गुजरात जलमार्ग

गुजरात में 2 परिचालन राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अर्थात्, रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) और रा.ज.-100 (तापी नदी)। लगभग 27.66 मिलियन यातायात के साथ, गुजरात जलमार्गों ने वित्त वर्ष-23 में सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात का 21.92% हिस्सा बनाया। गुजरात जलमार्ग यातायात का 99% से अधिक रा.ज.-100 (नदी-तापी) पर संभाला जाता है।

गुजरात जलमार्ग: परिचालन राष्ट्रीय जलमार्ग

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-23 में गुजरात जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।

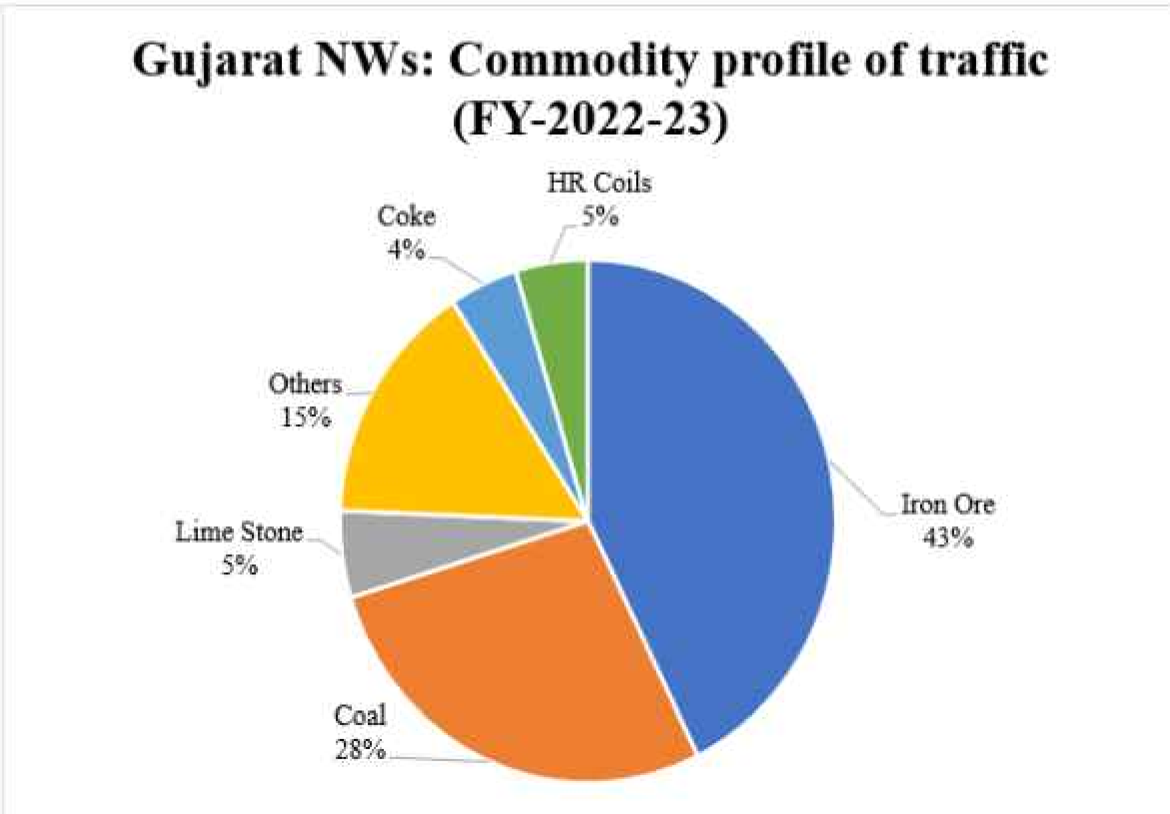

गुजरात रा.ज.: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष-23)

यह देखा जा सकता है कि शीर्ष दो वस्तुएं अर्थात लौह अयस्क (43%) और कोयला (28%) महाराष्ट्र जलमार्गों पर चलने वाले कुल यातायात का 71% हिस्सा हैं। इनके बाद एचआर कॉइल्स और चूना पत्थर हैं जो प्रत्येक के लिए 5% हैं। अन्य वस्तुएं कोक, क्लिंकर, सीमेंट आदि हैं।

वित्त वर्ष-22 में रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) पर केवल 2 वस्तुओं का परिवहन किया गया था, जिसमें से एथिलीन (99%) कुल यातायात का उच्चतम हिस्सा था, इसके बाद प्रोपलीन (1%) था।

14.12 नए चालू राष्ट्रीय जलमार्ग

रा.ज.-23 (बूढ़ा बलंगा), रा.ज.-8 (अलप्पुझा-चंगानसरी नहर), रा.ज.-9 (अलप्पुझा-कोट्टायम - अथिरमपुझा नहर), रा.ज.-14 (बैतरनी नदी) और (रा.ज.-31 धनसिरी/चाथे) पर यातायात को शामिल करने के साथ वित्त वर्ष 2023 में परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है।

14.13 संचालित सेवाएं

रा.ज.-1 और रा.ज.-2 पर अनुसूची सेवाओं के छह संचालन सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, संचालनों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जलयान/जलयात्रा	ले जाया गया माल		कार्गो/कमोडिटी के प्रकार
		टीईयू	एमटी	
1	एमवी लाल बहादुर शास्त्री/003 और 004-रा.ज. 2 में टी/सी पर	---	300	धुबरी से चिलमारी तक कोयला/स्टोन चिप्स और चिलमारी/धुबरी से खाली-14.03.2022-09.04.2022
2	एमवी लाल बहादुर शास्त्री/005-रा.ज. 2 में पायलट प्रोजेक्ट पर	---	300	धुबरी से चिलमारी तक बोल्डर-10.04.2022 15.05.2022
3	एमवी लाल बहादुर शास्त्री/005-रा.ज. 2 में पायलट प्रोजेक्ट पर	---	300	धुबरी से चिलमारी तक बोल्डर-16.05.2022-15.06.2022
4	एमवी आरएन टैगोर/003 (पश्चिम की ओर जाने वाले)/रा.ज. 1	6	102	कोलकाता से पटना के लिए मिश्रित कार्गो ए/सी मैसर्स इमामी एग्रो टेक-03.04.2022-16.04.2022
5	एमवी आरएन टैगोर/004 (पूर्व की ओर)/रा.ज. 1	6	128.67	पटना से कोलकाता तक 6 x 20' कंटेनरों में टूटे हुए चावल - 06.05.2022 - 31.05.2022
6	एमवी आरएन टैगोर/004 (पूर्व की ओर)/रा.ज. 2	10		वाराणसी से पटना जनवरी - 23
	कुल	22	1130.67	

14.14 राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात के विकास के लिए पहल

कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए रा.ज. के उपयोग को बढ़ाने के लिए, भा.अ.ज.प्रा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कई पहल कर रहा है। इन पहलों को संक्षेप में निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

1. **जलयानों के बेड़े में वृद्धि:** राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलयानों की कमी है और तदनुसार विभिन्न प्लेटफार्मों पर भा.अ.ज.प्रा ने राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलयान संचालन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम प्रस्तावित किए:

   क. अंतर्देशीय जलयान राजसहायता योजना का पुनरुद्धार, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना में थी।

   ख. भा.अ.ज.प्रा ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन के लिए 1/- रुपये प्रति टन प्रति कि.मी. का प्रोत्साहन प्रदान करके केरल सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना के अनुरूप राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

2. **अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार मार्ग का विस्तार:** अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के तहत भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग को कोलकाता से वाराणसी तक विस्तारित करने के प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए बांग्लादेश की तकनीकी टीम फरवरी, 2021 के दौरान साहिबगंज और वाराणसी का दौरा कर चुकी है। इस विषय पर नई दिल्ली में 21 अक्टूबर, 2021 को आयोजित एसएसएलटी के दौरान भी चर्चा की गई थी, जिसमें बांग्लादेश पक्ष ने सूचित किया है कि उक्त बंदरगाहों पर उपलब्ध सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन प्रस्तावित मार्ग इस स्तर पर तकनीकी समिति के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है। तथापि, व्यापार के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार मार्ग को कोलकाता से वाराणसी तक बढ़ाया जा सकता है और साहिबगंज तथा वाराणसी को अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के अंतर्गत नए बंदरगाहों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

3. **सागरदेघी, पाकुड़, साहिबगंज, वाराणसी और मैया में सीमा शुल्क सुविधाओं का विस्तार:** इन टर्मिनलों से बांग्लादेश तक कार्गो के सुचारू परिवहन के लिए उपर्युक्त अ.ज.प. टर्मिनलों पर सीमा शुल्क सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीबीआई/सीमा शुल्क विभाग के साथ पहल की गई है।

4. **भारतीय कार्गो को पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए मुनीशगंज और पनगांव** में ट्रांस-शिपमेंट सुविधाएं प्रदान करने के लिए बांग्लादेश पक्ष से लगातार आग्रह किया जाता है, जब तक कि ये सुविधाएं आशुगंज, जिसे पहले से ही अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के तहत ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया है, उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। हालांकि, बांग्लादेश पक्ष अब तक इसके लिए सहमत नहीं हुआ है।

5. **अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के तहत भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग संख्या 9 और 10 (गोमती नदी) का संचालन:** 21 वीं स्थायी समिति की बैठक में, बांग्लादेश सरकार ने सहमति व्यक्त की है कि बांग्लादेश सरकार की लागत पर 2.5 मीटर गहराई और 30 मीटर चौड़ाई के लिए फेयरवे विकसित करने के लिए बिबीर बाजार से दाउदकांडी तक प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 9 और 10 (बांग्लादेश में लंबाई 93 कि.मी. और भारत में 1 कि.मी.) के लिए बांग्लादेश के हिस्से में विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस मामले में तेजी लाने की आवश्यकता है।

6. **तीसरे देश द्वारा आवागमन की सुविधा "अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर एक्जिम व्यापार":** अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार में प्रोटोकॉल मार्गों पर तीसरे देश के कार्गो की आवाजाही का प्रावधान है। इस मुद्दे पर 21वीं एससीएम के दौरान और एसएसएलटी में चर्चा की गई थी और बांग्लादेश पक्ष ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर तीसरे देश के कार्गो के परिवहन और तटीय शिपिंग समझौते के संबंध में फील्ड फॉर्मेशन या उद्योग को कोई अधिसूचना या सलाह जारी करने पर विचार करने से पहले आगे का अध्ययन, परीक्षा और हितधारकों के परामर्श करने की इच्छा व्यक्त की थी।

   विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि बांग्लादेश की ओर से विशेषज्ञों, संबंधित अधिकारियों और बांग्लादेश के हितधारकों का एक संयुक्त दल कृष्णापट्टनम, विशाखापत्तनम का दौरा करेगा, जहां कहा जाता है कि मदर वेसल्स नियमित रूप से आ रहे हैं। समग्र दल आगे विचार के लिए बांग्लादेश में पत्तन मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस मामले में तेजी लाने की आवश्यकता है।

7. **अ.ज.प. उपयोगकर्ताओं को जानकारी के प्रसार के लिए डिजिटल पोर्टल:** भा.अ.ज.प्रा द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, भा.अ.ज.प्रा ने एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके हितधारकों को राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए प्रमुख जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजिटल समाधान विकसित किए हैं। अ.ज.प. क्षेत्र के लिए शिपर्स, पोत मालिकों, उद्योगों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, मेरीटाइम बोर्डों और अन्य आंतरिक और बाहरी हितधारकों के परामर्श से समाधानों की पहचान और विकास किया गया।

8. **भा.अ.ज.प्रा. द्वारा विकसित प्रमुख डिजिटल समाधान हैं:**

क. सीएआर-डी (कार्गो डेटा) पोर्टल-वेब पोर्टल (https://iwaicargoportal.nic.in)

सीएआर-डी भा.अ.ज.प्रा और इसके हितधारकों के लिए सभी कार्गो और क्रूज संचलन डेटा के संग्रह और संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल है। यह विभिन्न टर्मिनल प्रचालकों, क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-कार्यालयों से कार्गो और क्रूज के लिए यातायात डेटा उपलब्ध करता है और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के खिलाफ डेटा का आगे विश्लेषण करता है।

सीएआर-डी टर्मिनल प्रचालकों, समुद्री बोर्डों और क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से कार्गो यातायात और यात्री यातायात के वास्तविक समय को हासिल करने में मदद करता है। यह सभी हितधारकों के लिए सुलभ है और यातायात प्रवाह पैटर्न, प्रमुख वस्तुओं और क्षमता, क्षेत्र में प्रमुख रसद नायकों को समझने में मदद करता है और कार्गो समेकन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की क्षमता को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

ख. पानी (संपत्ति और नौवहन जानकारी के लिए पोर्टल) – वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्स (https://pani.iwai.nic.in)

पानी नदी नौवहन और अवसंरचना की जानकारी को एक मंच पर लाने वाला एक एकीकृत समाधान है। यह राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की विभिन्न विशेषताओं और इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिसंपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि फेयरवे, अवसंरचनात्मक सुविधा, नदी के पार संरचनाएं, जेटी पर संपर्कता, अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और अन्य जलयानों के परिवहन की सुविधा के लिए आपातकालीन सेवाएं। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल यात्रा योजना में बाहरी हितधारकों की भी मदद करता है, जिससे व्यापार में आसानी होती है।

ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म सच्चाई के एकल स्रोत के आधार पर समय पर निर्णय लेने के लिए जानकारी की पारदर्शिता लाता है और इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और अन्य जलयानों के परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। यह उपयोगकर्ताओं को आवश्यक ड्राफ्ट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज निकासी के ऐतिहासिक डेटा का अनुकरण करके यात्रा की प्रत्याशित तारीख पर परिवहन की व्यवहार्यता का आकलन करने में भी मदद करता है।

ग. आईबीपी अनुमति पोर्टल (https://stagethree.ncog.gov.in/iwai)

आईबीपी अनुमति पोर्टल एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल है, जिसे आईबीपी मार्ग पर चलने वाले जलयानों को अनुमति (आवक/बाहरी) देने के लिए विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म एजेंटों के

पंजीकरण, जलयानों के पंजीकरण की अनुमति देता है जो बाद में प्राधिकरण-आधारित अनुमोदन कार्य के माध्यम से आवक/जावक के लिए उपयोग किए जाते हैं।

यह समय पर तरीके से पारदर्शिता और मानक संचालन प्रक्रियाओं को लाकर प्रसंस्करण समय और मैनुअल हस्तक्षेप को काफी कम कर देता है।

9. **स्थानीय समुदाय द्वारा कार्गो परिवहन की सुविधा:** अ.ज.प. का उपयोग पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा अपने उत्पादन और यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। अर्थ गंगा विजन के हिस्से के रूप में जलमार्ग और स्थानीय स्तर पर माल की आवाजाही की सुविधा अ.ज.प. के उपयोग को और बढ़ाएगी।

14.15 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

1. वित्त वर्ष 2022-23 में आईबीपी मार्ग पर लगभग 5.20 मिलियन टन यातायात की आवाजाही हुई।
2. भा.अ.ज.प्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच रा.ज.-64 में रा.ज.-5 के माध्यम से इफको की पारादीप उर्वरक इकाई से बिहार और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 के किनारे स्थित सीमेंट संयंत्रों तक कार्गो (जिप्सम) की आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
3. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1862.91 मीट्रिक टन नेफ्था की आवाजाही को पहली बार अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीअ.ज.प.टी) मार्ग पर प्रोटोकॉल के माध्यम से बीडी फ्लैग पोत एमवी ओटी शंघाई-8 द्वारा हल्दिया से मोंगला तक पहुंचाया गया था।
4. चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों (एसीएमपी) के उपयोग पर समझौते के तहत सीमा शुल्क के 13 वें संयुक्त समूह की बैठक के निर्णय के अनुसार समुद्री और मल्टी-मॉडल परिवहन मार्गों पर मोंगला-तमाबिल (एकल कंटेनर) और मोंगला-बीबीरबाजार (एकल कंटेनर) पर भारतीय पारगमन कार्गो के दो परीक्षण संचालित किए गए हैं। 1441.125 मीट्रिक टन परियोजना कार्गो (निर्यात कार्गो) ले जा रहा बांग्लादेश ध्वज पोत एमवी रिशद रिहान 18.680 मीट्रिक टन और 8.525 मीट्रिक टन (उपरोक्त ट्रायल रन के लिए ट्रांजिट कार्गो) कंटेनर कार्गो सहित क्रमशः 01.08.2022 को कोलकाता से रवाना हुआ और अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार मार्ग के माध्यम से 07.08.2022 को मोंगला पहुंचा।
5. बोगीबील रिवरफ्रंट (रेलवे) पर पर्यटक जेट्टी का उद्घाटन और रा.ज.-2 (भा.अ.ज.प्रा) पर बोगीबील और गुइजान में फ्लोटिंग जेटी के निर्माण के लिए आधारशिला का अनावरण 19 सितंबर 2022 को बोगीबील, डिब्रूगढ़, असम में माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन, पोत परिवहन, पत्तन और जलमार्ग की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।
6. द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के स्वामित्व वाले एक नए कार्गो पोत "पर्ल ऑफ पेरियार" का सफल परीक्षण रा.ज.-3 पर 24.11.2022 को आयोजित किया गया था, जिसमें एफएसीटी पीडी (उद्योगमंडल नहर) से अंबालामुगल (चंपक्करा नहर) तक 36 किलोमीटर की लंबाई के लिए तरलीकृत अमोनिया गैस (एलएजी) ले जाया गया था।
7. माननीय प्रधानमंत्री ने 13.01.2023 को हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का वर्चुअल उद्घाटन किया है।

8. माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी, 2023 को वर्चुअल रूप से उ.प्र. में सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया और बिहार में सामुदायिक जेटी की नींव रखी।

9. माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2023 को असम में तीन प्रमुख परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें पांडु पोत पर जहाज मरम्मत सुविधा के निर्माण के लिए आधारशिला, पांडु पोत को एनएच -27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड और गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र शामिल हैं। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, माननीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक और माननीय संसद सदस्य क्वीन ओजा ने भाग लिया।

10. भा.अ.ज.प्रा ने 28 फरवरी 2023 को बोगीबील, डिब्रूगढ़ में ढाका के माध्यम से वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज "एमवी गंगा विलास" के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

11. केरल में अनुमानित मासिक मछली लैंडिंग के मासिक हस्तांतरण के लिए 08.02.2023 को भा.अ.ज.प्रा और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

12. रा.ज.-1 के साथ चारजात्रा सीढ़ी घाट, मझेरचर घाट, शर्माबाबू घाट और सप्तऋषि घाट पर भा.अ.ज.प्रा द्वारा विकसित सामुदायिक जेटी का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग) श्री शांतनु ठाकुर ने 26.03.2023 को किया है। माननीय मंत्री ने 26.03.2023 को रा.ज.-44 (इचामती नदी) के साथ विकासात्मक गतिविधियों की शुरुआत को भी देखा।

13. जलमार्ग सम्मेलन 11 और 12 अप्रैल, 2022 को डिब्रूगढ़ में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

14. 24.04.2022 को मैसर्स टाटा स्टील, कलिंगनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष की अध्यक्षता में भा.अ.ज.प्रा टीम, मैसर्स टाटा स्टील, जिंदल, एमसीएल और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से पीपीपी मोड पर राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास में भाग लेने का अनुरोध किया गया।

15. जलमार्गों के माध्यम से क्षेत्रीय माल यातायात को बढ़ाने पर एक हितधारक कार्यशाला 17.08.2022 को ताज बंगाल, कोलकाता में आयोजित की गई थी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के माननीय मंत्री और सचिव वर्चुअल रूप से कार्यशाला में शामिल हुए। भा.अ.ज.प्रा के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अन्य सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के साथ कार्यशाला में भाग लिया।

क. राष्ट्रीय जलमार्गों पर भा.अ.ज.प्रा के स्थायी जेटी (सुविधाओं सहित) का विवरण :

परिशिष्ट

राष्ट्रीय जलमार्ग-1				
गंतव्य	**जेटी/टर्मिनल**	**भंडारण सुविधा**	**उपकरण**	**अन्य सुविधाएं**
वाराणसी एमएमटी	आरसीसी जेटी (लंबाई-200 मीटर, चौड़ाई-35 मीटर) यात्री जेट्टी (फ्लोटिंग पंटून-लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई-10 मीटर)	कोई शामिल भंडारण सुविधा नहीं। ढके हुए भंडारण के विकास के लिए गंतव्य उपलब्ध है।	50 मीट्रिक टन क्षमता के दो मोबाइल हार्बर क्रेन	सड़क संपर्क, रेल संपर्क (प्रस्तावित)
गईघाट, पटना	कम बाढ़ स्तर आरसीसी जेटी (लंबाई-46 मीटर, चौड़ाई-15 मीटर) उच्च बाढ़ स्तर आरसीसी जेटी (लंबाई-70 मीटर, चौड़ाई-30 मीटर)	ट्रांजिट शेड (लंबाई -45 मीटर, चौड़ाई - 15 मीटर)	70 मीट्रिक टन क्षमता की एक रबर टायर मोबाइल क्रेन और दो 30 मीट्रिक टन रबर टायर मोबाइल क्रेन	सड़क संपर्क
साहिबगंज एमएमटी	आरसीसी जेटी (लंबाई- 270 मीटर, चौड़ाई-25 मीटर)	भंडारण शेड (132 मीटर x 30 मीटर), पत्थर के चिप्स और कोयले के लिए स्टॉक यार्ड विकास: 50,000 वर्ग मीटर।	एक मोबाइल हार्बर क्रेन, आठ फ्रंट एंड लोडर, फिक्स्ड हॉपर (1,200 टीपीएच) के साथ कन्वेयर सिस्टम, दो वजन पुल	सड़क संपर्क, सड़क संपर्क (प्रस्तावित)
गार्डन रीच जेट्टी द्वितीय, कोलकाता	आरसीसी जेटी (लंबाई - 70 मीटर)	भंडारण शेड (~ 1,100 वर्ग मीटर)	स्क्रू कंप्रेसर, लोडर, क्रेन, सामग्री हैंडलर	सड़क संपर्क, सीमा शुल्क अधिसूचित
एमएमटी हल्दिया	आरसीसी जेट्टी (लंबाई-465 मीटर)	भंडारण शेड (3960 वर्ग मीटर)	800 मीटर कन्वेयर गैलरी, 8 x 1200 मीट्रिक टन साइलो।	सड़क संपर्क
राष्ट्रीय जलमार्ग-2				
गंतव्य	**जेटी/टर्मिनल**	**भंडारण सुविधा**	**उपकरण**	**अन्य सुविधाएं**
पांडु, गुवाहाटी	निम्न स्तर आरसीसी जेटी - (लंबाई - 50 मीटर, चौड़ाई - 20 मीटर)	2 ट्रांजिट शेड (75 मीटर x 21 मीटर प्रत्येक), खुला भंडारण क्षेत्र: 553.90 वर्ग मीटर।	20 मीट्रिक टन और 75 मीट्रिक टन क्षमता के दो हाइड्रोलिक शोर क्रेन, एक वजन	सड़क संपर्क, रेलवे ब्रॉड गेज (बीजी) साइडिंग सीमा शुल्क अधिसूचित

	उच्च स्तरीय आरसीसी जेटी - (लंबाई - 50 मीटर, चौड़ाई - 20 मीटर)		पुल: 100 मीट्रिक टन क्षमता	
धुबरी	रो-रो आरसीसी जेटी - (लंबाई - 186 मीटर, चौड़ाई - 15.6 मीटर)	2 ट्रांजिट शेड (25 मीटर x 15 मीटर प्रत्येक), खुला भंडारण क्षेत्र: 553.90 वर्ग मीटर	एक शोर क्रेन - 20 मीट्रिक टन क्षमता, एक वजन पुल - 60 मीट्रिक टन क्षमता	सड़क संपर्क, सीमा शुल्क अधिसूचित
राष्ट्रीय जलमार्ग-3				
गंतव्य	**जेटी/टर्मिनल**	**भंडारण सुविधा**	**उपकरण**	**अन्य सुविधाएं**
कोट्टापुरम	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 800 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
अलुवा	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज 1500 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
सीएसईजेड (कक्कानाड)	केवल भूमि। अस्थायी बर्थिंग जेटी - 10 मीटर लंबाई	शून्य	शून्य	सड़क संपर्क
मराडू	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 2000 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
वायकोम	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 800 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क

तन्नीरमुक्कम	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 800 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
अलप्पुझा	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 2000 वर्गमीटर	शून्य	सड़क संपर्क
कायमकुलम	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 2000 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
चावरा	केवल भूमि	शून्य	शून्य	सड़क संपर्क
कोल्लम	आरसीसी जेटी: 30 मीटर लंबाई	शामिल स्टोरेज - 300 वर्गमीटर, ओपन स्टोरेज - 2000 वर्गमीटर	18 मीट्रिक टन क्षमता की एक मोबाइल हाइड्रोलिक क्रेन, 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक फोर्कलिफ्ट	सड़क संपर्क
बोलगाट्टी	रो-रो/लो-लो लैंडिंग पॉइंट	शून्य	शून्य	सड़क संपर्क
विलिंग्टन द्वीप	रो.रो./लोलो लैंडिग पॉइंट	शून्य	शून्य	सड़क संपर्क
राष्ट्रीय जलमार्ग-16				
गंतव्य	**जेटी/टर्मिनल**	**भंडारण सुविधा**	**उपकरण**	**अन्य सुविधाएं**
बदरपुर	आरसीसी जेटी - (लंबाई - 91 मीटर, चौड़ाई - 37 मीटर)	शामिल स्टोरेज (29.84 मीटर x 16.07 मीटर), ओपन स्टैक स्पेस	एक शोर की क्रेन, फ्लोटिंग पंटून, एक फोर्कलिफ्ट	
करीमगंज	आरसीसी जेटी - (लंबाई -136.5 मीटर, चौड़ाई - 14.5 मीटर)	शामिल भंडारण (85 मीटर x 23 मीटर), 553.90 वर्ग मीटर का खुला स्टैक क्षेत्र।	एक शोर क्रेन, फ्लोटिंग पंटून, एक फोर्कलिफ्ट	सीमा शुल्क अधिसूचित

ख. रा.ज.-1 और रा.ज.-2 पर चेनेज-वार टर्मिनल (स्थायी और फ्लोटिंग)

चेनेज	स्थायी टर्मिनल	फ्लोटिंग टर्मिनल *
0-100	हल्दिया में एमएमटी	हल्दिया
101-200	जीआर जेट्टी-2	बोटेनिक्ल गार्डन, जीआर जेट्टी/ बीआईएसएन, ट्रिबेनी
201-300		शांतिपुर, स्वरूपगंज
301-400		कटवा
401-500		हज़ारद्वारी
501-600		डी/एस फरक्का और यू/एस फरक्का, राजमहल
601-700	एमएमटी साहिबगंज	साहिबगंज, बटेश्वरस्थान
701-800		भागलपुर, मुंगेर
801-900		सैमारिया
901-1000	गायघाट (पटना)	
1001-1100	निम्न स्तर-उच्च स्तरीय जेटी, आईएमटी कालूघाट (प्रस्तावित)	
1101-1200	इंटर-मोडल टर्मिनल (आईएमटी) प्रस्तावित	बक्सर, गाजीपुर
1201-1300		
1301-1400	एमएमटी वाराणसी	राजघाट, वाराणसी
1401-1500		
1501-1620		इलाहाबाद

❖ फ्लोटिंग टर्मिनलों पर उपयुक्त कार्गो हैंडलिंग व्यवस्था जैसे क्रेन, पंटून आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

रा.ज.-2 पर चेनेज-वार टर्मिनल		
चेनेज	**स्थायी टर्मिनल**	**फ्लोटिंग टर्मिनल***
0-50	धुबरी	हतसिंगीमारी, धुबरी
50-100		
100-150		जोगीघोपा
150-200		
200-250		
250-300	पांडु	

300-350		
350-400		
400-450		तेजपुर, सिलघाट
450-500		बिश्वनाथ घाट
500-550		
550-600		
600-650		नेमती
650-700		
700-750		बोगीबिल
750-800		सैंगाजन, डिब्रूगढ़/ओकलैंड
800-850		
850-891		ओरियमघाट

❖ फ्लोटिंग टर्मिनलों पर उपयुक्त कार्गो हैंडलिंग व्यवस्था जैसे क्रेन, पंटून आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

15. रा.ज.-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना

15.1 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है, जो विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (हल्दिया से वाराणसी खंड 1380 कि.मी.) की क्षमता में वृद्धि के लिए जल मार्ग विकास परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

15.2 सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा 5369.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव का मूल्यांकन और अनुशंसा की गई थी, और इसे 03.01.2018 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा निम्नलिखित वित्त-पोषण स्वरूप के साथ अनुमोदित भी किया गया था:

(क) आईबीआरडी ऋण-2,512.00 करोड़ रुपये अर्थात (375.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर),

(ख) भारत सरकार के समकक्ष निधि (बजटीय आवंटन और अवसंरचना बांड जारी करने से प्राप्त आय: 2,556.00 करोड़ रुपये अर्थात (380.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर)

(ग) पीपीपी मोड में निजी क्षेत्र की भागीदारी 301.00 करोड़ रुपये अर्थात (45.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है।

15.3 भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच उचित संवाद के बाद, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 12.04.2017 को परियोजना के लिए 375 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते और विश्व बैंक और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच परियोजना समझौते पर 02.02.2018 को हस्ताक्षर किए गए। ऋण समझौता और परियोजना समझौता 23 मार्च, 2018 से प्रभावी थे।

15.4 जल मार्ग विकास परियोजना के सफल कार्यान्वयन के बाद अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली सक्षम हो गई, जो परिवहन विकल्पों का एक वैकल्पिक, लागत प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान कर सकती है और यह रा.ज.-1 के भीतरी इलाकों में उद्योगों, नए स्टार्टअप और आर्थिक समूहों को सुदृढ़ करने के लिए पूरे लॉजिस्टिक संरचना और समर्थन का पोषण करेगी। परियोजना कॉरिडोर में और उसके आस-

पास लॉजिस्टिक प्लेयर राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को शामिल करने वाले क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाता है।

15.5 भा.अ.ज.प्रा ने खरीद गतिविधियों से संबंधित बाजार से सुस्त प्रतिक्रिया के बावजूद जेएमवीपी उप परियोजना को पूरा करने में निरंतर प्रगति की है, जल मार्ग विकास परियोजना के परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम का विस्तार दिसंबर, 2026 तक सरकार के विचाराधीन है।

15.6 प्रधानमंत्री गतिशक्ति द्वारा त्रिपक्षीय परियोजना समीक्षा बैठक और परियोजना समीक्षा ने प्रभावी तरीके से परियोजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए जेएमवीपी टीम का समर्थन किया है, विश्व बैंक से प्राप्त इनपुट और सलाह जेएमवीपी टीम को बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। विश्व बैंक के अनुसार, जल मार्ग विकास परियोजना भारत में नदी परिवहन विकास के लिए पहली इस तरह की परियोजना है, अत: इसे अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए भी मॉडल किया जा सकता है। विश्व बैंक ने सलाह दी है कि जेएमवीपी में काम करने वाली जनशक्ति और विशेषज्ञता ने जानकारी प्राप्त की है और इन्हें जलमार्ग क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है और भा.अ.ज.प्रा के लिए दीर्घकालिक संपत्ति बन सकता है। प्राधिकरण को राष्ट्र निर्माण में अपनी संस्थागत स्मृति और ज्ञान के सर्वोत्तम उपयोग के लिए परियोजना जनशक्ति को बनाए रखने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करनी होगी। वर्तमान में जलमार्ग क्षेत्र प्रारंभिक अवस्था में है और अपर्याप्त प्रशिक्षित व्यवसायियों के मुद्दों का सामना कर रहा है और पूरे देश को तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सहायक इंजन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र से बहुत आशाएं हैं।

15.7 भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर, 2019 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जहां गंगा नदी के लिए समग्र विकास प्रक्रिया के लिए आग्रह किया गया। उस बैठक के दौरान, अर्थ गंगा को अ.ज.प. क्षेत्र से जोड़ने की अवधारणा विकसित हुई। इससे रा.ज.-1 के किनारे सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र पर अधिक प्रभाव पडने की संभावना है। अर्थ गंगा योजना राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के कॉरिडोर के साथ आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

15.8 जल मार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। जेएमवीपी-I पर राष्ट्रीय जलमार्गों के समग्र विकास का उत्तरदायित्व है जहां अ.ज.प. अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है, जबकि जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा कार्यक्रम) का लक्ष्य सामुदायिक जेट्टी का विकास, रो-रो सुविधा, फरक्का में नौवहन लॉक गेट का पुनर्वास और सुचारू नौवहन के लिए क्रॉस सेक्शन ड्राफ्ट विकसित करना आदि है। परियोजना के दोनों चरणों अर्थात (जेएमवीपी-1 और जेएमवीपी-2) को दिसंबर, 2026 की संशोधित समय-सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और आगे के विकास को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संरेखित किया जाएगा।

15.9 परियोजना तैयार करने के लिए रा.ज.-1 पर विस्तृत इंजीनियरिंग और फीड, ईएसआईए और अ.ज.प. क्षेत्र विकास कार्यनीति और व्यवसाय विकास अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, 4633.81 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत के साथ निष्कर्ष कार्यान्वयनाधीन हैं। जल मार्ग विकास परियोजना में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के साथ हल्दिया से वाराणसी (1380 कि.मी.) खंड तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) की नौगम्यता में सुधार करने की परिकल्पना की गई है।

15.10 जल मार्ग विकास परियोजना के लिए मध्यावधि समीक्षा विश्व बैंक द्वारा 8 से 21 दिसंबर 2020 के दौरान की गई थी, और विश्व बैंक समूह ने समग्र परियोजना विकास उद्देश्य को संतोषजनक दर्जा दिया।

(i) फेयरवे का विकास: हल्दिया से वाराणसी खंड पर 35/45 मीटर की निचली चैनल चौड़ाई के साथ 2.2 से 3 मीटर का नौगम्य ड्राफ्ट प्रदान करने के लिए फेयरवे विकास रखरखाव की परिकल्पना करने वाली परियोजना, इस घटक में नदी के मोड़ों की री-इंजीनियरिंग, ड्रेजिंग और बैंडलिंग नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) आदि शामिल हैं और रा.ज.-1 के साथ चलने वाले जलयानों को नौवहन सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

(ii) सिविल निर्माण-कार्य: एमएमटी वाराणसी, एमएमटी साहिबगंज और एमएमटी हल्दिया जैसे लाजिस्टिक अवसंरचना का निर्माण पूरा हो गया है और शेष अवसंरचना जैसे आईएमटी कालूघाट, न्यू नौवहन लॉक गेट फरक्का, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सामुदायिक जेटी का विकास, रो-रो टर्मिनल जारी हैं।

(iii) फेयरवे विकास: फरक्का से कहलगांव, सुल्तानगज से महेंद्रपुर और महेंद्रपुर से बाढ़ तक पांच वर्ष की सबसे कम गहराई वाली ड्रेजिंग परियोजनाएं चल रही हैं। शेष खंडों में फेयरवे विकास निविदा के विभिन्न चरणों में है।

(iv) पोत डिजाइन के लिए निवेश माहौल में सुधार और पीपीपी संरचना का विकास और अ.ज.प. के लिए खरीद: परिसंपत्ति प्रबंधन विशेषज्ञ और सलाहकारों से सहायता लेकर इस परियोजना में विपणन विकास के प्रयास निरंतर किए गए हैं। विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग के लिए पीपीपी संरचना की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, निविदा दस्तावेज विकसित किए गए थे। विपणन विशेषज्ञ ने अ.ज.प. परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अपेक्षित निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न निविदा चरणों के दौरान सहायता की है। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। भारत में पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सलाहकार मैसर्स डीएसटी-जर्मनी के माध्यम से 13 विभिन्न मानकीकरण पोत डिजाइन प्रकार अवधारणाओं को विकसित करके, प्राधिकरण ने पोत निर्माण गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक प्रचार के लिए वेबसाइट पर डिजाइन साझा किया है।

15.11 नदियों में ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के मुद्दों का भी समाधान किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने अपने निर्णय से अवगत कराया कि नदियों में रखरखाव ड्रेजिंग के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक एजेंसी द्वारा कुछ पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन कार्यान्वयन के लिए जल मार्ग विकास परियोजना के लिए रास्ता साफ किया गया है, जैसा कि एमओईएफ और सीसी द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली ने दिनांक 01.11.2018 के अपने आदेश में श्री भरत झुनझुनवाला और अन्य द्वारा दायर 2015 के ओ.ए. संख्या 487 को खारिज कर दिया। भा.अ.ज.प्रा और अन्य के विरूद्ध समय-समय पर संशोधित 2006 की ईआईए अधिसूचना में जल मार्ग विकास परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई।

15.12 जल मार्ग विकास परियोजना में प्राप्त उप-घटकवार परियोजना प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है:

1. **फेयरवे विकास:** राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के लिए ड्रेजिंग प्रबंधन योजना

- रा.ज.-1 के लिए ड्रेजिंग प्रबंधन योजना और कार्यनीति एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास सहित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तैयार की गई थी और डीएमपी को भा.अ.ज.प्रा बोर्ड द्वारा 02.06.2017 को आयोजित उनकी 164वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा बिंदु 164.20 पर अनुमोदित किया गया था, जहां रा.ज.- के साथ फेयरवे विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड का निर्णय लिया गया था।
- ड्रेजिंग प्रबंधन योजना की समीक्षा और अनुमोदन भा.अ.ज.प्रा बोर्ड द्वारा 08.09.2020 को कार्यसूची की मद संख्या 172 पर उनकी 172वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।
- फरक्का से कहलगांव (146 किलोमीटर खंड) तक निष्पादन आधारित सुनिश्चित ड्रेजिंग अनुबंध पर 3 मीटर की न्यूनतम सुनिश्चित गहराई (एलएडी) और 35/45 मीटर की निचली चैनल चौड़ाई को बनाए रखने के प्रावधान के लिए ठेका 09.04.2018 को मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को 150.00 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया था। 31.03.2023 तक 95.29% की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई थी।

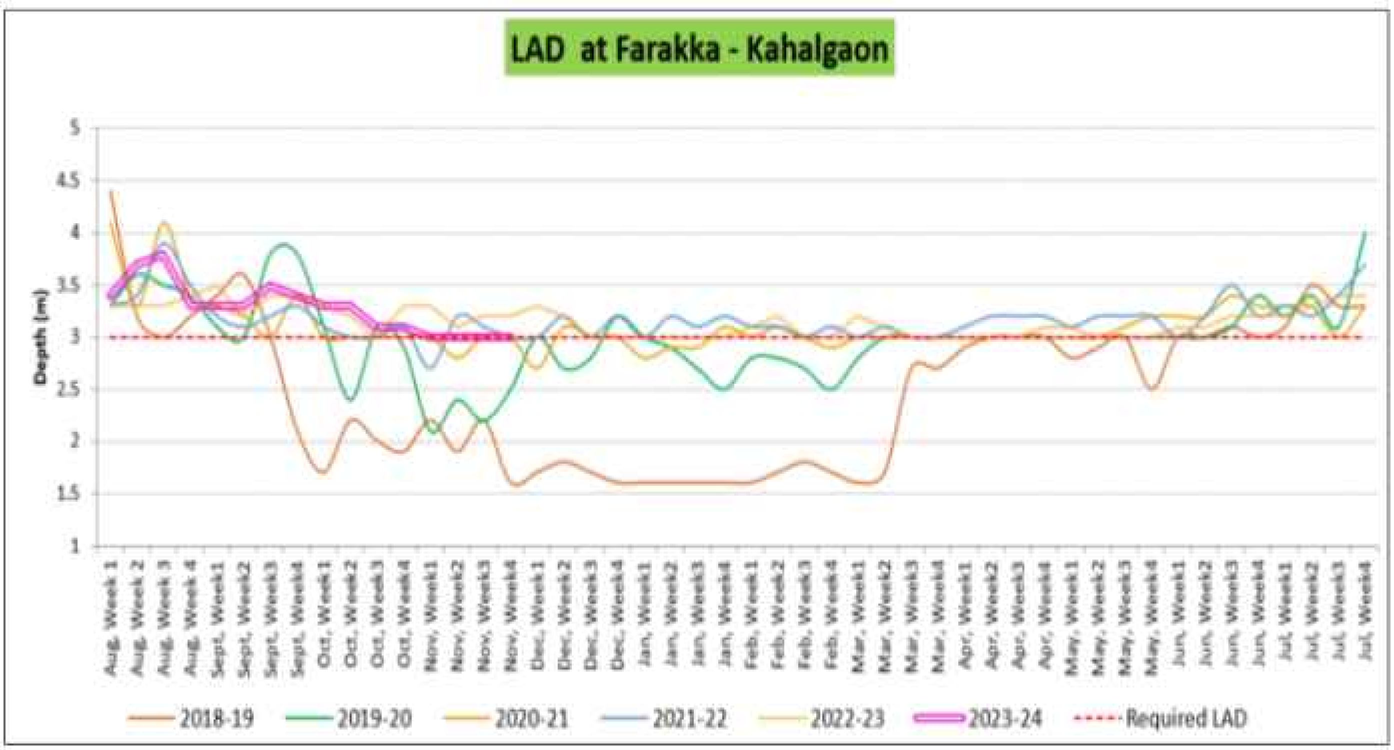

- सुल्तानगंज से महेंद्रपुर (74 किलोमीटर खंड) और महेंद्रपुर से बाढ़ (71 किलोमीटर खंड) पर निष्पादन आधारित सुनिश्चित ड्रेजिंग अनुबंधों पर 3 मीटर के एलएडी और 35/45 मीटर के निचले चैनल की चौड़ाई को बनाए रखने का प्रावधान भी 12.04.2019 को मेसर्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को क्रमशः 159.30 करोड़ रुपये और 182.90 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया था। सुल्तानगंज से महेंद्रपुर और महेंद्रपुर से बाढ़ खंड पर ड्रेजिंग के लिए 31.03.2023 तक 71.62% की भौतिक प्रगति हासिल कर ली गई है। अनुबंध 27 सितंबर, 2024 को पूरा हो जाएगा।

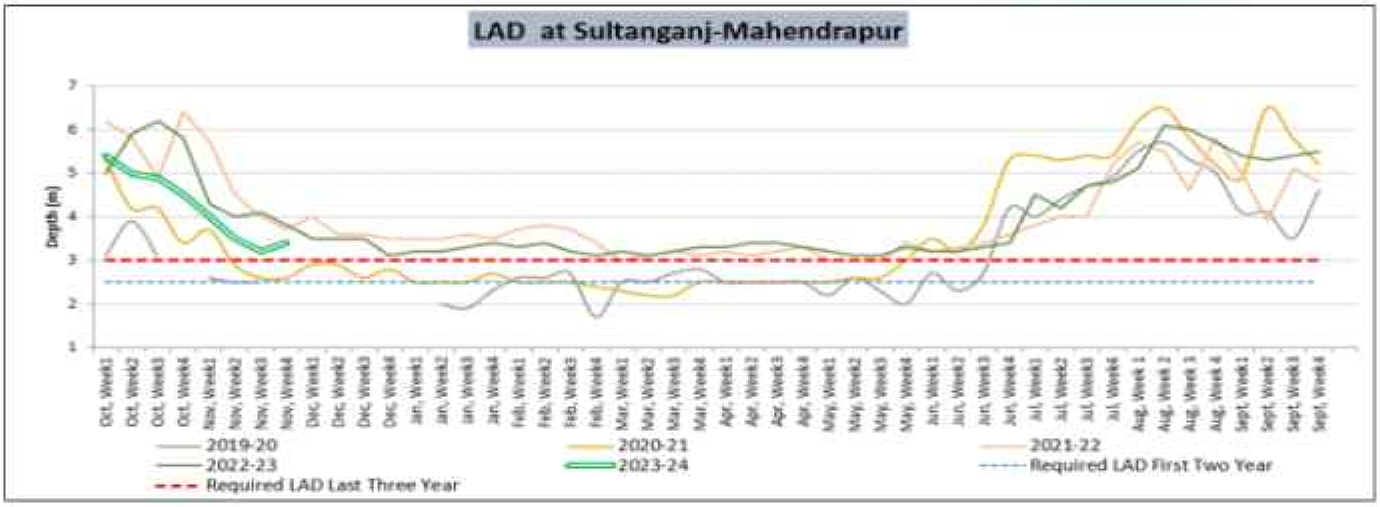

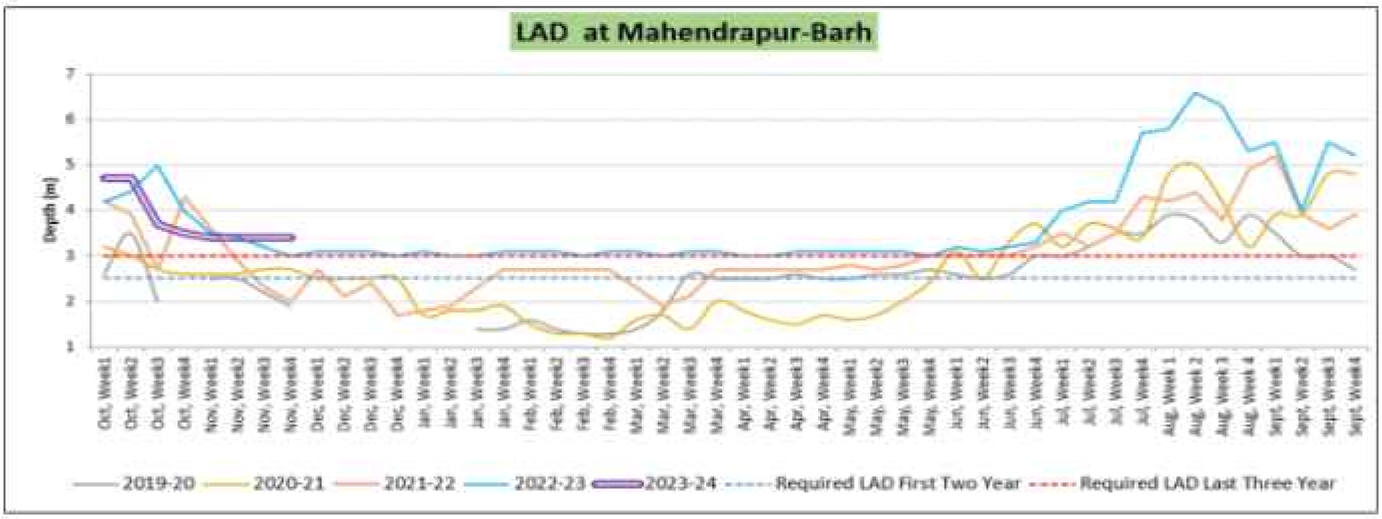

2. नौवहन उपकरण और आरआईएस :

- हल्दिया, गार्डन रीच (जीआर) जेट्टी, त्रिबेनी, स्वरूपगंज, कुमारपुर, बलिया और फरक्का में दूरस्थ बेस स्टेशनों के माध्यम से जलयानों की आवाजाही की निगरानी के लिए नदी सूचना प्रणाली को पूर्णत: चालू कर दिया गया था। इन स्टेशनों को फरक्का और जीआर जेट्टी में दो नियंत्रण स्टेशनों में एकीकृत किया गया था। दोनों नियंत्रण स्टेशन स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) के माध्यम से इस नदी खंड में चलने वाले जलयानों की निगरानी करेंगे और वीएचएफ के माध्यम से जलयानों के साथ

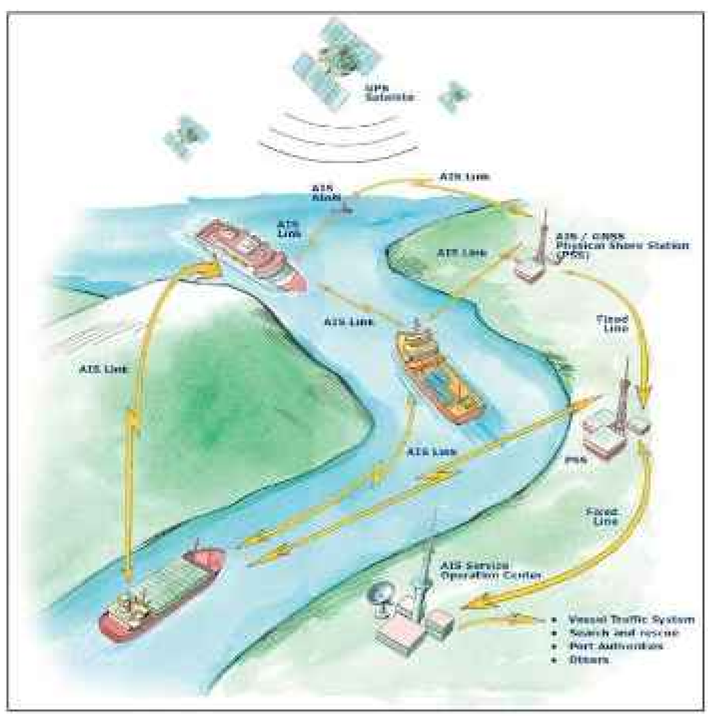

संपर्क करेंगे। भा.अ.ज.प्रा के स्वामित्व वाले जलयान पहले से ही अंतर्देशीय एआईएस प्रणाली, छोटी दूरी के रडार और वीएचएफ से लैस थे।

3. प्रमुख उप परियोजनाओं का विकास:

I. वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:

- 1.26 एमएमटीपीए की टर्मिनल क्षमता के साथ मल्टीमॉडल टर्मिनल वाराणसी, (चरण-1) का निर्माण राल्हूपुर खास, रामनगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। एमएमटी के विकास के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 6712 हेक्टेयर है और रा.ज.-7 से सड़क संपर्क सहित चरण-। और चरण-॥ के लिए 20.039 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसे भा.अ.ज.प्रा के नाम पर पंजीकृत किया गया है।
- मल्टीमॉडल टर्मिनल वाराणसी के चरण-। के लिए सिविल निर्माण कार्य मई, 2016 में 169.70 करोड़ रुपये की लागत से मैसर्स एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया था, और टर्मिनल का निर्माण 186.61 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर अक्तूबर, 2018 में पूरा किया गया था।
- एमएमटी वाराणसी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12.11.2018 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोतपरिवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री और माननीय संसद सदस्य, चंदौली, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में किया था।
- एनएच-7 के लिए एमएमटी रोड संपर्कता का काम दिसंबर, 2018 में पूरा हो गया था।
- पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) रेल हेड संपर्कता पर अ.ज.प. टर्मिनल से जियोनाथपुर रेलवे स्टेशन तक रेल संपर्कता की योजना बनाई गई है।
- मैसर्स ईपीआईएल और मैसर्स आरवी एसोसिएट्स, परामर्शदाता ने मार्च, 2018 में डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित रेलवे संपर्कता के लिए डीपीआर प्रस्तुत की है। मार्च, 2019 में प्रस्तुत इंजीनियरिंग स्केल योजना को उत्तर मध्य रेलवे और डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित किया गया। अंतिम गंतव्य निर्धारण सर्वेक्षण और पुलों की सामान्य व्यवस्था ड्राइंग परामर्शदाता द्वारा तैयार की जा रही है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 15 मई, 2017 को हुई अपनी बैठक में वाराणसी में काशी कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के माध्यम से अंतर्देशीय जलयानों की आवाजाही और संचालन की अनुमति देने की अनुशंसा की थी, परन्तुक भा.अ.ज.प्रा भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा निर्धारित मानक शमन उपायों और राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करे। भा.अ.ज.प्रा ने शर्तों के अनुसार शमन उपायों का अनुपालन किया है, आगे सरकार ने 17.03.2020 को काशी

कछुआ वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित (डि नोटिफाइ) कर दिया है और अभयारण्य को प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है।

II. साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:

- साहिबगंज जिले के समदनाला गांव में 3.03 एमएमटीपीए की टर्मिनल क्षमता वाले मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 06.04.2017 को इस मल्टीमॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी है।
- मल्टीमॉडल टर्मिनल के चरण-1 का निर्माण कार्य 27.10.2016 को मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो को 280.90 करोड़ रुपये की लागत से सौंपा गया था।
- एमएमटी साहिबगंज का निर्माण मैसर्स एल एंड टी लिमिटेड द्वारा 278.56 करोड़ की संशोधित लागत पर पूरा किया गया है और ईपीसी ठेकेदार ने 06.08.2022 को परियोजना स्थल को सौंप दिया है।
- टर्मिनल से एनएच-80 तक टर्मिनल और संपर्क सड़क के विकास के लिए 192.37 एकड़ भूमि की मांग की गई थी, भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और यह भा.अ.ज.प्रा के कब्जे में है। टर्मिनल सड़क के माध्यम से एनएच-80 से जुड़ा हुआ है और भविष्य में टर्मिनल को रेलवे द्वारा सकारीगली रेलवे स्टेशन से जोड़ने की योजना है।
- परियोजना प्रभावित 485 परिवारों (पीएएफ) का पुनर्वास और पुनर्स्थापन जिला प्रशासन, साहिबगंज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भा.अ.ज.प्रा ने आर एंड आर के कार्यान्वयन के लिए जिला प्रशासन को 67.63 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। 485 पीएएफ में से 417 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुर्नवास और पुनः स्थापन सहायता दी गई। समदनाला और पलटनगंज गांवों में 32.28 एकड़ भूमि पर सभी आवश्यक अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं के साथ दो पुनर्वास कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। दोनों कॉलोनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; समदनाला कॉलोनी का प्लॉटिंग पूरा हो गया और पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर 288 परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए; पलटनगंज पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉटिंग पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा 5.93 लाख रुपये प्रति घर की अनुमोदित लागत से घरों का निर्माण किया जाएगा और परिवारों को सौंप दिया जाएगा। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा 417 आवासों के निर्माण का ठेका दिया गया। 44 घरों का निर्माण पूरा हो गया है और 44 पीएएफ को परियोजना भूमि से आर एंड आर कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। आर एंड आर कॉलोनी में चारदीवारी के साथ प्राथमिक विद्यालय भवन, दो सामुदायिक केंद्र और दो मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है।

- रेल संपर्कता: मैसर्स राइट्स को 25.07.2018 को टर्मिनल से सकरीगली रेलवे स्टेशन तक रेल संपर्कता के विकास के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सलाहकार ने अगस्त 2018 में फील्ड सर्वेक्षण पूरा किया और प्रारंभ में विकसित 3 वैकल्पिक संरेखणों में से एक संरेखण व्यवहार्य पाया गया, इसे 19.09.2018 को पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीजन द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित भी किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 29.11.2018 को एनएच-80, साहिबगंज पर आरओबी के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन में भी सूचित किया, पूर्वी रेलवे द्वारा टिप्पणियाँ की गई। मैसर्स राइट्स ने साइट का पुन: सर्वेक्षण किया और नाले पर पुल के साथ और उसके बिना संरेखण के लिए लागत अनुमान के साथ लेआउट योजना प्रस्तुत की। भा.अ.ज.प्रा द्वारा लेआउट अनुमोदित कर दिया गया है और परामर्शदाता से व्यवहार्यता और डीपीआर रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

III. हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:

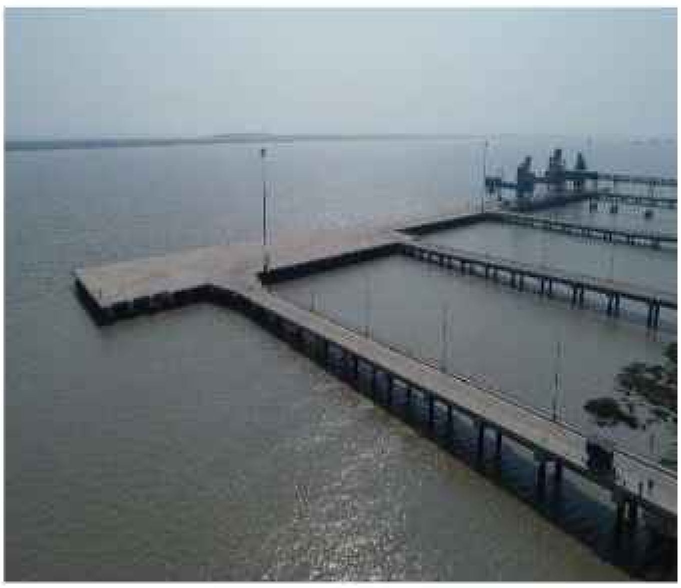

- हल्दिया में 3.18 एमएमटीपीए की टर्मिनल क्षमता वाले मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) से 30 वर्ष के कार्यकाल के लिए पट्टे पर लिए गए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में 61 एकड़ भूमि पर दो चरणों में किया जा रहा है।
- मैसर्स आईटीडी सीमेंटेशन को 517.36 करोड़ रुपये की लागत से 30.06.2017 को चरण-I का कार्य दिसंबर, 2019 की मूल समय सीमा में पूर्ण करने के लिए सौंपा था और अब कोविड-19 के मद्देनजर परियोजना ने 31.03.2023 तक 99.61% की भौतिक प्रगति और 509.05 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रगति हासिल की है। टर्मिनल का निर्माण काफी हद तक पूरा हो गया और परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 06.11.2017 को टर्मिनल के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी प्रदान की, बशर्ते भा.अ.ज.प्रा निर्धारित मानक शमन उपाय करे। भा.अ.ज.प्रा शर्तों के अनुसार शमन उपायों का अनुपालन कर रहा है।

IV. फरक्का में नौवहन लॉक:

- फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) में 14.86 हेक्टेयर भूमि पर नए नौवहन लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसे 02.03.2016 को एफबीपी से हस्तांतरण पर लिया गया था।

- मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को 359.19 करोड़ रुपये की लागत से 24.11.2016 को सौंपे गए इस लॉक का निर्माण कार्य वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने की आशा है। परियोजना ने मार्च 2023 तक 96.73% की भौतिक प्रगति और मार्च 2023 तक 351.83 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रगति हासिल की है। 31 मार्च 2023 को जलयान के गुजरने से लॉक का परीक्षण सफल रहा और नवंबर 2023 तक निर्माण के पूरा होने की आशा है।
- फरक्का बैराज परियोजना द्वारा 7.155 हेक्टेयर भूमि के साथ फरक्का में मौजूदा नौवहन लॉक गेट को 06.04.2018 को भा.अ.ज.प्रा को सौंप दिया गया था। भा.अ.ज.प्रा ने नए नौवहन लॉक गेट को चालू करने के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए इसके आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
- काम पूरा होने पर, नौवहन लॉक फरक्का बैराज के पार जलयानों को दो-तरफा मार्ग प्रदान करेंगे, जिससे अ.ज.प. जलयानों के सुचारू और निर्बाध मार्ग की सुविधा होगी।

V. कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल:

- टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण जिले के कालूघाट में 5.159 हेक्टेयर (12.80 एकड़) भूमि पर किया जा रहा है, जिसमें एनएच-19 से सड़क संपर्क है।
- 82.48 करोड़ रुपये की लागत से 10.09.2021 को मैसर्स संजय कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को सौंपे गए इस टर्मिनल का निर्माण कार्य दिसंबर, 2023 तक पूरा होने की आशा है। परियोजना ने मार्च 2023 तक 36% की भौतिक प्रगति हासिल की है।
- इंटरमॉडल टर्मिनल के पूरा होने पर, नेपाल जाने वाले कंटेनर यातायात को भी यहां संभाला जाएगा।

VI. **रो-रो टर्मिनल**:

- जल मार्ग विकास परियोजना-II के अर्थ गंगा कार्यक्रम में रो-रो टर्मिनलों के विकास के लिए कम लागत वाले व्यवहार्य समाधान पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

4. **संस्थागत सुदृढ़ीकरण और निवेश वातावरण में सुधार; पोत डिजाइन और खरीद, परिसंपत्ति प्रबंधन, बाजार विकास और नागरिक निर्माण ढांचा आदि।**

निम्नलिखित परामर्श जारी हैं और इस घटक में खरीद कार्रवाई भी प्रारंभ की गई थी, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद कार्यों की प्रगति काफी हद तक हासिल की जा रही है।

I. **अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों का डिजाइन**

- अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों के डिजाइन को विकसित करने के लिए नियुक्त परामर्शदाताओं मैसर्स डीएसटी, जर्मनी ने तैयार किए गए जलयानों के 13 डिजाइन प्रस्तुत किए। इन मॉडलों का परीक्षण जर्मनी के नुरेम्बर्ग में सलाहकार की सुविधाओं में किया गया था। अनुमोदित डिजाइनों को सार्वजनिक सूचना के लिए भा.अ.ज.प्रा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, संभावित पोत निर्माता और हितधारक मानकीकृत जलयानों के निर्माण के लिए इन डिजाइनों का उपयोग कर सकते हैं।
- इस बीच, बाजार की स्थितियों के उचित मूल्यांकन के बाद, भा.अ.ज.प्रा पोत निर्माण गतिविधि प्रारंभ करने के लिए पोत की खरीद करने और कम ड्राफ्ट वाहक विकसित करने के लिए निजी पोत बिल्डरों/शिपर्स को उनकी प्रभावशीलता का निष्पादन करने के निष्कर्ष पर पहुंचा है। तदनुसार, भारत में जलयानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं।

II. **रा.ज.-1 पर व्यवसायीकरण**

- रा.ज.-1 पर व्यावसायीकरण के लिए योजना और कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त सलाहकार मैसर्स हैम्बर्ग पोर्ट कंसल्टिंग, जर्मन कंसल्टेंट्स ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के लिए व्यावसायीकरण पहलुओं को प्रारंभ करने के लिए भा.अ.ज.प्रा द्वारा रा.ज.-1 पर कार्गो जलयानों के 20 पायलट संचलनों की व्यवस्था करने की अनुशंसा की थी। इनमें से 18 पायलट संचलनों का आयोजन किया गया और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, जो एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के लिए जल परिवहन की प्रभावशीलता को भी प्रदर्शित करता है।

- भारत में ऐतिहासिक पायलट संचलनों में से एक, अ.ज.प. पोत एमवी रवींद्रनाथ टैगोर, स्वतंत्रता के बाद से अंतर्देशीय जलमार्गों पर पहली बार कंटेनर संचलन का आयोजन किया गया, जलयान ने कोलकाता से वाराणसी तक ले जाए गए भोजन और स्नैक्स के 16 कंटेनर (16 ट्रक लोड के बराबर) का परिवहन किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कंटेनर पोत को वाराणसी में 12 नवंबर, 2018 को प्राप्त किया गया था।

III. **रा.ज.-1 पर नौका सेवाओं का विकास**

- मैसर्स थॉम्पसन डिजाइन ग्रुप और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी/आईएएल, परामर्शदाताओं ने रा.ज.-1 पर नौका सेवाओं के विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं, परियोजना ने वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया में नौका सेवाओं के विकास के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की है ताकि इन शहरों के क्षेत्रीय यातायात को कम किया जा सके।
- ग्रुप-ए शहर अर्थात वाराणसी और पटना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है और ग्रुप-बी शहरों अर्थात मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन और साइट विश्लेषण रिपोर्ट भी पूरी हो गई है।

IV. **संचार और आउटरीच कार्यक्रम**

- मैसर्स एएमएस कंसल्टिंग (पी) लिमिटेड, लखनऊ, जेएमवीपी के लिए संचार आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं ने कई उपायों की अनुशंसा की थी। इन सिफारिशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 16 जुलाई से 09 अगस्त, 2018 तक 26-दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

V. **जेएमवीपी वेबसाइट डिजाइन करना**

- मैसर्स कॉम्पटन कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कालकाजी, नई दिल्ली द्वारा डिजाइन की गई जेएमवीपी की वेबसाइट लाइव है।

VI. **रा.ज.-1 पर डॉल्फ़िन पर नौचालन गतिविधियों के प्रभाव पर अध्ययन के लिए परामर्श सेवाएं।**

- मैसर्स ईक्यूएमएस, जिसे 20.12.2017 को अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने जुलाई, 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अध्ययन पूरा हो गया है।

VII. **रा.ज.-1 के लिए जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना**

- मैसर्स किटको लिमिटेड, कोच्चि को 04.04.2018 को रा.ज.-1 के लिए जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन योजना के लिए 69.47 लाख रुपये की लागत से परामर्श ठेका दिया गया। सलाहकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

VIII. **रा.ज.-1 के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन संरचना का विकास**

- मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस सॉल्यूशंस बी.वी.; और मैसर्स अद्वैत लीगल के संयुक्त उद्यम को 13.02.2018 को 7.95 करोड़ रुपये की लागत से रा.ज.-1 के लिए संपत्ति प्रबंधन संरचना के विकास के लिए परामर्श का कार्य सौंपा गया।
- सलाहकार ने रा.ज.-1 के साथ जलमार्ग विकास परियोजना द्वारा निर्मित संपत्ति के लिए पीपीपी रियायतग्राही को किराए पर लेने के लिए पीपीपी संरचना, बोली दस्तावेज और रियायत समझौते के विकास के दौरान भा.अ.ज.प्रा की सहायता की है।

- **एमएमटी वाराणसी के परिचालन के लिए प्रयास:** परिसंपत्ति प्रबंधन परामर्शदाता ने बोली दस्तावेजों और मॉडल रियायत समझौतों आदि के विकास में सहायता की है। एमएमटी वाराणसी के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं

प्रथम प्रयास

- वाराणसी एमएमटी के संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी मॉडल) के लिए आरएफक्यू 11 जुलाई, 2018 को प्रकाशित किया गया था।
- आरएफक्यू के उत्तर में चार आवेदन प्राप्त हुए और आरएफपी चरण के लिए योग्य पाए गए।
- बोली जमा करने के समय अर्थात 15 जनवरी, 2020 को कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

द्वितीय प्रयास

- खरीद प्रक्रिया पुन: इक्विप, ऑपरेट और ट्रांसफर (ईओटी) मॉडल पर प्रारंभ की गई थी।
- आरएफपी के लिए बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2021 थी।
- केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी।
- चूंकि एकल बोली प्राप्त हुई थी, अत: भा.अ.ज.प्रा बोर्ड के अनुमोदन से बोलियां पुन: आमंत्रित की गई थीं।

तृतीय प्रयास

- 28.06.21 को प्रकाशित लेनदेन दस्तावेज के अनुसार, सुसज्जित, प्रचालन और हस्तांतरण (ईओटी) मॉडल पर खरीद प्रक्रिया पुन: प्रारंभ की गई थी।
- बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2021 थी, और कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

चतुर्थ प्रयास

- कई हितधारक सम्मेलनों के दौरान एकत्र किए गए बाजार फीडबैक के आधार पर, पीपीपी मॉडल को ओएमटी मॉडल में बदल दिया गया था, मसौदा परियोजना मूल्यांकन ज्ञापन, मसौदा बोली दस्तावेज, मसौदा रियायत समझौते को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए 10.01.2022 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था।
- ओएमटी मॉडल को एसएफसी द्वारा 19 मई, 2022 को अवगत कराया गया था।
- खरीद प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
- बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी, बोली खोलने की तारीख 3 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गई थी।

एमएमटी साहिबगंज के परिचालन के लिए प्रयास: परिसंपत्ति प्रबंधन परामर्शदाता ने बोली दस्तावेजों और मॉडल रियायत समझौतों आदि के विकास में सहायता की है। एमएमटी साहिबगंज के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं

प्रथम प्रयास

- साहिबगंज एमएमटी के संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी मॉडल) के लिए आरएफक्यू 14 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया था।
- आरएफक्यू के उत्तर में तीन आवेदन प्राप्त हुए थे।
- चूंकि, केवल एक आवेदन पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाया गया था, अत: पुन: निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।

द्वितीय प्रयास

- आरएफक्यू को आमंत्रित किया गया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मार्च, 2021 रखी गई।
- एक ही आवेदन प्राप्त हुआ था।
- चूंकि, आरएफक्यू चरण में एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, अत: प्रतिस्पर्धी मूल्य बोली सुनिश्चित करने के लिए निविदा रद्द कर दी गई थी।

तृतीय प्रयास:

- 28.06.2021 को पुन: निविदा आयोजित की गई और जहां कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

चौथी स्थिति:

- कई हितधारकों के सम्मेलनों के दौरान एकत्र किए गए बाजार फीडबैक के आधार पर, पीपीपी मॉडल को ओएमडी से ओएमटी में बदल दिया गया था, मसौदा परियोजना मूल्यांकन ज्ञापन, मसौदा बोली दस्तावेज, मसौदा रियायत समझौते को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए 10.01.2022 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था।
- एमएमटी साहिबगंज के लिए पीपीपी के ओएमटी मॉडल को एसएफसी द्वारा 19 मई, 2022 को अवगत कराया गया था।
- खरीद प्रक्रिया 24 दिसंबर, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
- बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 थी, बोली खोलने की तारीख 3 अप्रैल, 2023 निर्धारित की गई थी।

एमएमटी हल्दिया के परिचालन के लिए प्रयास: एमएमटी हल्दिया के ओ एंड एम के लिए 10+2 वर्षों की अवधि के लिए रियायतग्राही की नियुक्ति के लिए पीपीपी के इक्विप, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल को अपनाया गया था। हल्दिया एमएमटी ईओटी परियोजना के लिए निविदा 14.05.2020 को प्रकाशित की गई थी और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 21.01.2021 थी, जहां चार बोली प्राप्त हुई थी।

इसके लिए 17.12.2021 को मैसर्स आईआरसी नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड (सफल रियायतग्राही) को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था और रियायत समझौते पर शीघ्र हस्ताक्षर होने की आशा है।

IX. जेएमवीपी में सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए तकनीकी सहायता सेवाएं

- मैसर्स ईजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और ईजिस फ्रांस इंटरनेशनल के संयुक्त उद्यम को 22.01.2018 को एमएमटी वाराणसी और एमएमटी साहिबगंज पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए परामर्श अनुबंध दिया गया था।
- मैसर्स आर्किटेक्नो कंसल्टेंट्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर और मेसर्स आईआर क्लास सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के संयुक्त उद्यम को 08.11.2017 को नौवहन लॉक फरक्का से एमएमटी हल्दिया पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए परामर्श अनुबंध प्रदान किया गया था।
- मैसर्स इनरॉस लेकनर एसई जर्मनी को 06.01.2020 को रा.ज.-1 पर ड्रेजिंग अनुबंध के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सहायता सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, वर्तमान में तीन चल रहे ड्रेजिंग अनुबंधों अर्थात फरक्का से कहलगांव, सुल्तानगंज से महेंद्रपुर, महेंद्रपुर से बाढ़ का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
- मैसर्स आर्किटेक्नो कंसल्टेंट्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर को आईएमटी कालूघाट की निर्माण गतिविधि के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सहायता सेवा परामर्श के लिए ठेका दिया गया था।

X. साहिबगंज के लिए पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन का चयन

- साहिबगंज में पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) के कार्यान्वयन के लिए काम करने के लिए एनजीओ मैसर्स क्रैडल को 16 दिसंबर, 2019 को नियुक्त किया गया है। गैर-सरकारी संगठन सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए अग्रिम चरण में है और तदनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

XI. जेएमवीपी में अतिरिक्त हस्तक्षेप के लिए ईएसआईए, ईएमपी और आरएपी

- अतिरिक्त हस्तक्षेपों के लिए परामर्श कार्य ईएसआईए, ईएमपी और आरएपी 27.02.2019 को मैसर्स इको-केम सेल्स और सेवाओं को दिया गया था, अध्ययन पूरा हो गया है।

XII. जेएमवीपी में किए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय

- जल मार्ग विकास परियोजना के प्रत्येक परियोजना स्थल पर किए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, ठेकेदार ने हस्तक्षेप पर पर्यावरणीय दायित्व के अनुपालन का पालन करना सुनिश्चित किया अर्थात परिवेशी वायु गुणवत्ता/डीजी स्टैक उत्सर्जन निगरानी, सतह/पेयजल/भूजल गुणवत्ता निगरानी, शोर निगरानी, हरित पट्टी विकास, नदी अवसादन और मिट्टी की गुणवत्ता, जलीय पारिस्थितिकी निगरानी आदि नियमित रूप से की जाती है।
- विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए पर्यावरणीय निगरानी सुरक्षा उपायों का आवश्यक विनियामक और सांविधिक अनुपालनों के साथ अनुपालन किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार ने पर्यावरण संरक्षण और उसमें बनाए गए नियमों, विनियमों, नवीनतम अधिसूचनाओं और राज्य/केंद्र सरकार

और स्थानीय प्राधिकरणों के उपनियमों आदि पर मौजूदा अधिनियमों का पालन करने के लिए आवश्यक नियामक परमिट प्राप्त किए हैं।

पर्यावरण सुरक्षा के उपाय:

1. **टर्मिनल स्थल पर ठोस और तरल कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए उपकरणों की तैनाती:**

   क. ट्रक माउंटेड सीवर सक्शन मशीन

   ख. ट्रक माउंटेड ऑयल सक्शन मशीन

   ग. राइड-ऑन टाइप रोड स्वीपिंग मशीन

   घ. ट्रक माउंटिड रिफ्यूज कंपैक्टर

   ङ. 1100 लीटर के कचरा टिपर द्वारा उठाने के लिए उपयुक्त कूड़ेदान

   च. (2*60) लीटर के लिए कचरा टिपर द्वारा उठाने के लिए उपयुक्त कचरा डिब्बे

5. **ईएमपी और विश्व बैंक पर्यावरण सुरक्षा उपायों के संबंध में प्रत्येक परियोजना स्थल की मासिक/त्रैमासिक पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**

i. **ईएमपी के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया सहित सांविधिक/विनियामक आवश्यकताएं:**

क. पेड़ काटने की अनुमति, यदि कोई हो।

ख. श्रम लाइसेंस

ग. बैचिंग प्लांट/खदान के लिए सीटीई और सीटीओ, यदि कोई हो

घ. वाहनों के लिए पीयूसी

ङ. कचरा संग्रहण के लिए विक्रेता समझौता

च. पानी निकालने/खरीदने की अनुमति

छ. खतरनाक कचरे के उत्पादन, भंडारण और निपटान के लिए एनओसी

ज. एमएमटी हल्दिया के लिए कॉस्टल रेगुलेशन जोन क्लीयरेंस

झ. कासी कछुआ अभयारण्य से वन्यजीवों की मंजूरी

ii. **पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट:**

क. वायु गुणवत्ता (परिवेश, डीजी सेट)

ख. जल गुणवत्ता (सतही जल, पेयजल, भूजल)

ग. शोर (दिन/रात, अधिकतम/मिनट)

घ. मिट्टी (गुणवत्ता, बनावट, कटाव)

ङ. ग्रीनबेल्ट का विकास

च. जलीय पारिस्थितिकी अध्ययन

छ. तटबंध की अखंडता

परियोजना स्थल पर परिवेशी शोर निगरानी (न्यू नेविगेशनल लॉक फरक्का)

परियोजना स्थल पर जलीय पारिस्थितिकी निगरानी

परियोजना स्थल पर सुरक्षा माह मनाया गया

परियोजना स्थल पर अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण

कालूघाट आईएमटी में वृक्षारोपण

कालूघाट आईएमटी में नेत्र जांच शिविर

परियोजना स्थल पर रक्तदान शिविर

iii. सामाजिक प्रबंधन योजना का अनुपालन: सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रारंभ से ही अच्छी तरह से अनुपालन किया गया है और परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए उत्कृष्ट कार्य

जारी है, प्रत्येक परियोजना स्थल पर परियोजना प्रभावित परिवारों और प्रत्येक परियोजना स्थल पर काम करने वाले श्रमिकों आदि की शिकायतों को दूर करने के लिए सामाजिक विकास विशेषज्ञ की नियमित तैनाती की गई है।

- सामाजिक शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर शिकायत रजिस्टर उपलब्ध है, टोल फ्री नंबर जनता के लिए प्रदर्शित किया गया है, आपातकालीन संपर्क नंबर भी प्रदान किया गया है और परियोजना व्यवस्थापक और ईएसएच कार्मिक सहायता आदि के लिए साइट पर उपलब्ध हैं।
- श्रम शिविरों में बुनियादी सुविधाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं जैसे कि टॉयलेट क्षेत्र, पेयजल सुविधा, शौचालय और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं सहित स्वच्छता सुविधाएं आदि।
- परियोजना श्रमिकों को प्रदान किए गए प्रेरण प्रशिक्षण; सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्रों को परियोजना स्थल पर उचित रूप से रखा जाता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा आवश्यकताओं से निपटने के लिए स्थानीय अस्पताल के साथ गठजोड़ किया जाता है जहां परियोजना कार्यकर्ताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है और इस दौरान टाई-अप अस्पतालों से किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए लिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा किट सदैव परियोजना स्थल पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

iv. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान श्रम शिविर का प्रबंधन:

जल मार्ग विकास परियोजना ने प्रत्येक परियोजना हस्तक्षेप क्षेत्र में कोविड-19 रोकथाम उपायों के प्रबंधन के लिए सुनिश्चित किया है, निम्नलिखित गतिविधियों को नियमित रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है और नोएडा से परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा निगरानी की जा रही है।

- श्रमिकों की स्क्रीनिंग और संगरोध उपायों का पालन किया।
- हाथ धोने और सैनिटाइज़र से हाथ धोना।
- श्रम शिविर में कोरोना वायरस के संबंध में सूचना बोर्ड लगाया गया।
- पृथक संगरोध कक्ष की व्यवस्था की गई है।
- श्रम शिविर में सामाजिक दूरी को बनाए रखा गया था और श्रमिकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिक शिविर में श्रमिकों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की।
- किसी भी बाहरी व्यक्ति को श्रमिक शिविर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और श्रमिकों को किसी भी आपात स्थिति में श्रम शिविर के बाहर जाने की भी अनुमति नहीं है।
- श्रम शिविर में प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायियों का नियमित दौरा और परियोजना श्रमिकों के बीच कोविड-19 के बारे में जागरूकता सुनिश्चित की गई और कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित श्रमिकों के प्रश्नों का अच्छी तरह से समाधान किया गया।
- परियोजना स्थल पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।
- कोविड के समय गैर-आवश्यक आगंतुकों को हतोत्साहित किया जाता है।
- परियोजना स्थल के अंदर गुटखा, तंबाकू का उपयोग और थूकना प्रतिबंधित था।
- गेट से प्रवेश करने वाले संवर्ग/स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग

साहिबगंज में जल मार्ग विकास परियोजना द्वारा आर एंड आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया

साहिबगंज में पुनर्वास स्थल पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

साहिबगंज में पल्टनगंज पुनर्वास स्थल में सामुदायिक भवन

पुनर्वास कॉलोनी, साहिबगंज में सड़क का निर्माण

साहिबगंज में पुनर्वास स्थल पर मकानो का निर्माण

साहिबगंज में शिकायत निवारण के लिए समुदाय आधारित परामर्श

v. संस्थागत निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अ.ज.प. क्षेत्र के कार्मिकों के लिए क्षमता विकास के लिए निम्नलिखित तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

क. 14 अक्तूबर 2022 को नदी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

ख. परिसंपत्ति प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 21 अक्तूबर 2022 को किया गया था।

ग. प्रापण प्रबंधन पर प्रशिक्षण 28 अक्तूबर 2022 को आयोजित किया जाता है।

vi. रा.ज.-1 के साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना "वाराणसी से गंगा विलास विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज पर्यटन का शुभारंभ"।

माननीय प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में, वाराणसी में 13 जनवरी, 2023 को लक्जरी क्रूज एमवी गंगा विलास लॉन्च किया गया था, प्रमुख अ.ज.प. अवसंरचना के विकास की पहल ने क्रूज पर्यटन संभावनाओं के नए युग को देखने का नेतृत्व किया है।

एमवी गंगा विलास ने भारत के पांच राज्यों और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणाली में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इस सेवा के शुभारंभ के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता अनवरण के लिए तैयार है।

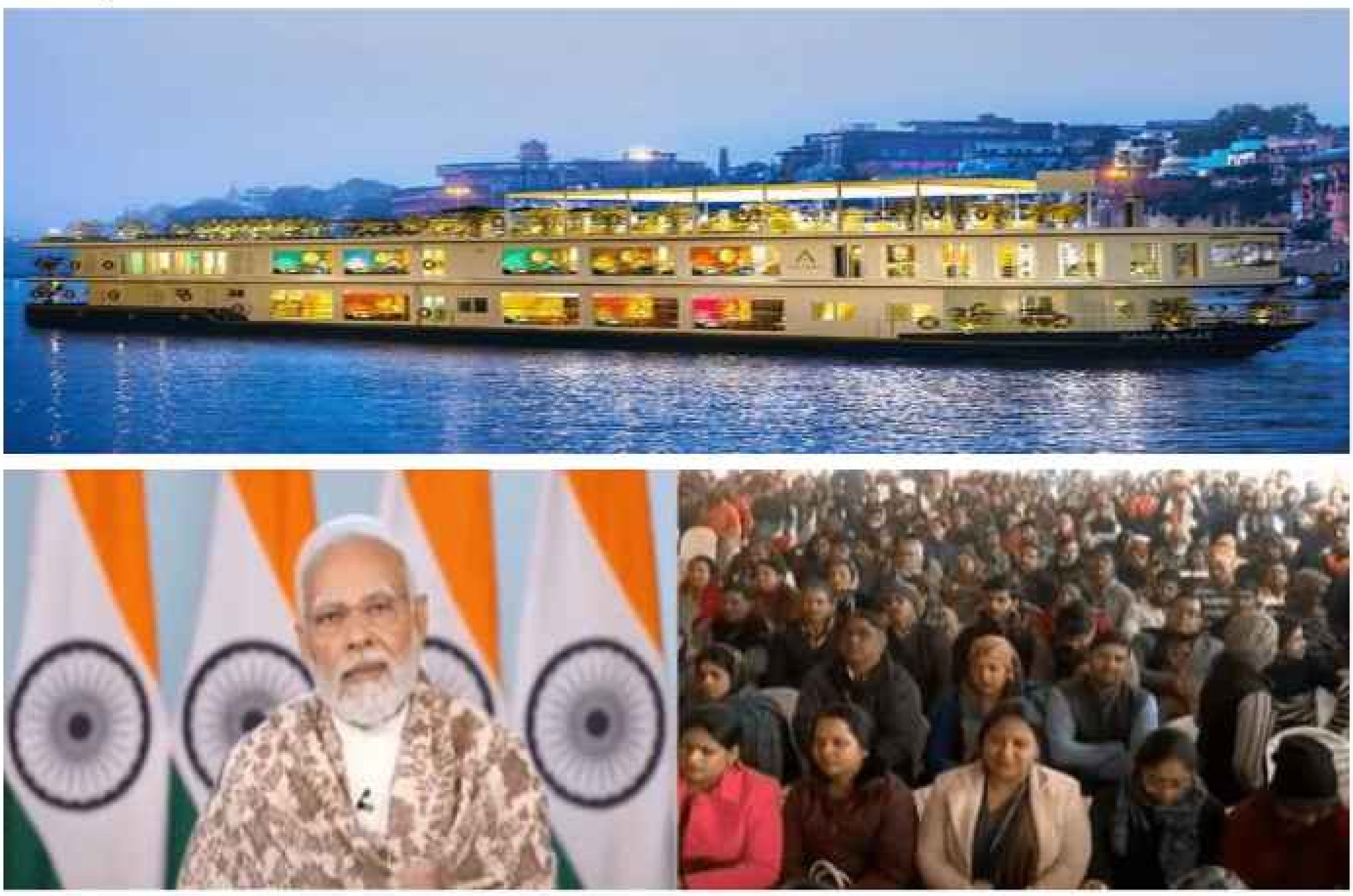

51 दिनों में 27 नदियों को पार करने वाले विश्व के सबसे बड़े क्रूज को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

vii. **दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'गंगा विलास' ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिवर क्रूज पर्यटन की संभावनाओं को खोल दिया है।**

- **13 जनवरी, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमवी गंगा विलास नदी क्रूज पर्यटन का शुभारंभ किया गया।**
- **लक्जरी क्रूज ने भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है**
- **राष्ट्रीय जलमार्गों में इस सेवा के शुभारंभ के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का पता चला है**
- **एमवी गंगा विलास इस तरह की पहली रिवर क्रूज सेवा है।**

जल मार्ग विकास परियोजना-॥ (अर्थ गंगा कार्यक्रम)

14 दिसंबर, 2019 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने एक समग्र सोच प्रक्रिया के लिए आग्रह किया, जहां 'नमामि गंगे' 'अर्थ गंगा' में विकसित हो। 'अर्थ गंगा' का अर्थ है एक सतत विकास मॉडल जिसमें गंगा नदी में और उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का उद्देश्य गंगा नदी को नौचालन के व्यावसायिक रूप से संपोषणीय और सुरक्षित मोड के रूप में विकसित करना है। अर्थ गंगा कार्यक्रम जेएमवीपी में जेएमवीपी-2 के रूप में विकसित किया जा रहा है और सतत विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। चूंकि, कुशल लॉजिस्टिक और परिवहन प्रणाली गंगा नदी के किनारे आर्थिक विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक हैं, जेएमवीपी में गंगा नदी के साथ आर्थिक गतिविधियों को बहुत अधिक प्रसारित करने की क्षमता है, इस प्रकार अर्थ गंगा कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ संरेखित किया गया है।

बड़े कार्गो संचलन के लिए एक परिवहन मॉडल होने के अलावा, गंगा नदी छोटे डेयरी किसानों को जलमार्ग के माध्यम से अपनी उत्पादों का परिवहन करने का अवसर भी प्रदान करेगी जो लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। भा.अ.ज.प्रा के आंतरिक संचार अध्ययनों में पाया गया है कि वाराणसी के कैथी से गेंदा, गाजीपुर और मुंगेर से सब्जियां, हाजीपुर से केला और पान और भागलपुर से फल जैसे उत्पाद आसपास के शहरों में बहुतायत में पहुंचाए जाते हैं।

जेएमवीपी-॥ (अर्थ गंगा) का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे छोटे जेटी स्थापित करना है। गंगा के किनारे बसे समुदाय राज्य आजीविका मिशनों और प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना, दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाओं के समन्वय से भा.अ.ज.प्रा द्वारा प्रदान की जा रही आजीविका बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का भी हितलाभ उठा रहे हैं।

ज़ेएमवीपी-2 (अर्थ गंगा) अगले 5 वर्षों में स्थानीय लोगों, व्यापारियों, नाविकों, लघु उद्योगों, फेरी प्रचालकों आदि को आर्थिक हितलाभ उत्पन्न करने के लिए गंगा बेसिन में आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करेगा। यह परियोजना बड़े पैमाने पर कौशल वृद्धि और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता विकास भी सुनिश्चित करेगी।

जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) को सतत विकास मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण पर विकसित किया जा रहा है, जो स्थानीय समुदायों को जलमार्गों के साथ-साथ कौशल विकास और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता विकास के माध्यम से अपने माल और यात्री (पर्यटक सहित) संचलनों के परिवहन का अवसर प्रदान करके रा.ज. के भीतरी इलाकों में और उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है:

जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) के इच्छित हितलाभ:	
1.	गंगा बेल्ट के आसपास रहने वाले किसानों, व्यापारियों और जनता को आर्थिक हितलाभ
2.	लघु उद्योगों का विकास
3.	रोजगार के अवसर
4.	कार्गो का आसान, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन
5.	छोटे जेटी के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक
6.	कार्गो संचलन के लिए लॉजिस्टिक मोड का व्यापक विकल्प

अर्थ गंगा जेएमवीपी-II की अनुमानित लागत 746 करोड़ रुपये की कुल लागत पर परिकल्पित की गई थी, जिसे संशोधित कर 684.80 करोड़ रुपये कर दिया गया है (संशोधित प्रस्ताव अनुमानों और दिसंबर 2026 तक समय के विस्तार के साथ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया)। अर्थ गंगा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की प्रगति को नीचे दिए गए उप-खंडों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

फेयरवे विकास

i. इस घटक में फेयरवे का सुधार और रखरखाव शामिल है जिसका उद्देश्य पारगमन समय को कम करना और जलमार्गों के उपयोग की विश्वसनीयता में वृद्धि करना है। फेयरवे विकास घटकों में जेएमवीपी-II के लिए व्यापक अध्ययन, नदी संरक्षण कार्य, जलयानों के तेज और सतत आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पोंटून पुल खोलने के मशीनीकरण का डिजाइन और विकास शामिल है।

ii. नदी संरक्षण कार्यों में रा.ज.-1 (कोलकाता-फरक्का, कहलगांव-सुल्तानगंज, बाढ़-दीघा, दीघा-मझौआ, मझौआ-गाजीपुर और गाजीपुर-वाराणसी) के कई स्थानों पर बैंडलिंग और डे नौवहन सहायता का निर्माण और रखरखाव शामिल है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और सितंबर 2023 तक पूरा होने की आशा है।

iii. अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी), आईआईटी खड़गपुर को पांटून खोलने के मशीनीकरण के लिए एक विस्तृत तकनीकी अध्ययन करने के लिए लगाया गया है ताकि बजरों के लिए आसान और त्वरित मार्ग के लिए यंत्रीकृत पंटून स्विंग पुलों की एक प्रणाली बनाई जा सके, जिसे क्विक पंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) कहा जाता है। पंटून के मशीनीकरण से पारगमन समय कम हो जाएगा। डीपीआर का मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है और निविदा को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है।

iv. त्वरित पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) के लिए निर्माण और निष्पादन कार्य प्रारंभ में 02 पायलट स्थानों पर किया जाएगा और शेष 08 स्थानों को 02 पायलट स्थानों पर क्यूपीओएम के सफल आरंभ और परीक्षण के बाद प्रारंभ किया जाएगा।

सामुदायिक जेटी का विकास और आधुनिकीकरण

इस परियोजना घटक में लगभग 60 परियोजनाओं का विकास और आधुनिकीकरण शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैले स्थानों पर सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे सामुदायिक जेटियों की संख्या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

राज्य का नाम	सामुदायिक जेट्टी
उत्तर प्रदेश	15
बिहार और झारखंड	22
पश्चिम बंगाल	22
योग	**59***
भविष्य में अतिरिक्त जेटी का प्रावधान	

सामुदायिक जेटी के विकास में अपतटीय फ्लोटिंग जेटी और तटवर्ती टर्मिनल सुविधाएं शामिल होंगी। चार राज्यों में गंगा नदी के किनारे इस विकास से यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय उत्पादों की आवाजाही में किसानों के लिए लॉजिस्टिक लागत भी कम हो जाएगी।

क. **अपतटीय फ्लोटिंग जेटी-** अपतटीय फ्लोटिंग जेटी नदी में स्थित होंगे और नदी के किनारे के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था के साथ लंगर डाले जाएंगे। अपतटीय फ्लोटिंग जेटी में उपयुक्त सामग्री का एक फ्लोटिंग पंटून और एक गैंगवे शामिल होगा जो पंटून को तटवर्ती क्षेत्र/टर्मिनल से जोड़ता है। जलयान फ्लोटिंग जेटी पर बर्थ कर सकते हैं और यात्री सुरक्षित रूप से जलयान पर चढ़ या उतर सकते हैं और गैंगवे के माध्यम से तटवर्ती टर्मिनल क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 11 जेटी पूरी हो चुकी हैं और बिहार और झारखंड राज्य में 22 जेटी के लिए कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 11/11/2022 को उत्तर प्रदेश में 7 जेटी का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के लिए दिनांक 11/11/2022 को 7 सामुदायिक जेटियों का उद्घाटन किया गया है:

- अस्सीघाट/संत रविदास घाट (जिला, वाराणसी)
- कैथी (जिला, वाराणसी)
- जिलाधीश घाट (जिला: गाजीपुर)
- रामनगर (जिला, वाराणसी)
- शिवपुर (जिला, बलिया)
- उज्जियरघाट (जिला, बलिया)
- बलुआघाट (जिला, चंदौली)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 13/11/2023 को उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपयोग के लिए 04 सामुदायिक जेटियों का उद्घाटन किया गया

- जमानिया (जिला, गाजीपुर)
- चोचकपुर (जिला, गाजीपुर)

- कांसपुर (जिला, बलिया)
- सैदपुर जिला, गाजीपुर)

सार्वजनिक उपयोग के लिए यूपी में सामुदायिक जेटी स्थापित की गई

ख. **तटवर्ती टर्मिनल सुविधाएं** – तटवर्ती सुविधाओं में अपतटीय फ्लोटिंग जेटी से सटे उपयुक्त भूमि पार्सल पर विकसित एक टर्मिनल शामिल होगा। इसमें प्रतीक्षा क्षेत्र, टिकटिंग रूम, सुरक्षा कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय गंतव्य, पैंट्री स्थल, भंडारण गंतव्य सार्वजनिक शौचालय, गंतव्य और साइट आवश्यकताओं के आधार पर पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। टर्मिनल पर्याप्त सड़क और आवश्यक बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली द्वारा सुलभ होगा।

एन डब्ल्यू-1 पर चैनल स्थिरीकरण कार्य

जलयानों के सुचारू नौवहन की सुविधा के लिए, इस परियोजना घटक में नौगम्य चैनल के रखरखाव के लिए पर्यावरण के अनुकूल चैनल स्थिरीकरण कार्य किए जाएंगे। बांस में डूबे हुए वैन और बल्ली स्क्रीन का सहारा मुख्य चैनल को सघन करने के लिए नदी की ऊर्जा और खसखस घास का विधिवत उपयोग करने के लिए किया जाता है ताकि कटाव से बचा जा सके और नदी के किनारों को और सुदृढ़ किया जा सके।

यह दो चरणों में किया जाएगा अर्थात चरण-1: 07 गंतव्य और चरण-2: 17 गंतव्य। कार्य के गंतव्य की पहचान, निष्पादन और निगरानी और निष्पादन के बाद आउटपुट विश्लेषण के लिए, आईआईटी रुड़की को तकनीकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया है।

आईआईटी इंदौर को 07 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण कार्यों के लिए ईआईए और ईएमपी करने के लिए नियुक्त किया गया था। चैनल स्थिरीकरण कार्य (सीएसडब्ल्यू) करने के लिए निम्नलिखित 07 स्थानों पर अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

- चरण-I - निम्नलिखित 07 स्थानों पर कार्यों का निष्पादन जून 2022 में प्रारंभ किया गया था और आईआईटी रुड़की के पर्यवेक्षण और निगरानी में अगस्त 2022 में पूरा किया गया था:

क्र.सं.	गंतव्य (उत्तर प्रदेश)
1	मथारा डी/एस ज़मानिया
2	छतरपुर
3	रघुनाथपुर
4	ग़ाज़ीपुर-खालिशपुर
5	अर्जुनपुर
6	श्रीरामपुर
7	हल्दी

- **चरण-II** - 17 गंतव्यों की गंतव्य पहचान की जा चुकी है और आईआईटी रुड़की द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। निष्पादन आईआईटी रुड़की की देखरेख और निगरानी में अगले मानसून पूर्व मौसम मे किया जाएगा।

रो-रो टर्मिनल

अर्थ गंगा कार्यक्रम में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर रो.रो. टर्मिनलों की स्थापना लॉजिस्टिक में सुधार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की जानी है।

इन टर्मिनलों के लिए विभिन्न निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ एक बाजार प्रबलता प्रक्रिया आयोजित की गई थी और उसी पर प्रतिक्रिया के आधार पर हितधारकों ने केवल 2 जोड़े अर्थात कहलगांव-तिनटंगा और समदाघाट-मनिहारी के लिए रुचि दिखाई है। इन रो-रो टर्मिनलों का विकास योजना के चरण में है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और जलयान स्टेशनों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) और व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी)।

इस परियोजना उप-घटक के अंतर्गत कार्य में सीएएमसी, आरआईएस स्टेशनों के 07 का प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा 30 पोत स्टेशनों का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण शामिल है। कार्य सौंप दिए गए हैं और व्यापक रखरखाव प्रगति पर है। इसके अलावा, सीएएमसी और नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) स्टेशनों-चरण-II (रा.ज.-1 का फरक्का-पटना खंड) के ओ एंड एम के लिए भी कार्य सौंपा गया है और यह प्रगति पर है।

हाइड्रोग्राफिक उपकरण, स्वचालित ज्वार गेज, ईएनसी, आईडब्ल्यूएन और नदी पायलट एजेंसी के साथ सर्वेक्षण नौकाएं

इस परियोजना घटक में जल स्तर निर्वहन और निगरानी स्टेशनों के लिए सेवाएं, एफआरपी और निरीक्षण (वीआईपी) नौकाओं की खरीद, सर्वेक्षण उपकरण, एआईएस उपकरण और तट से तट तक सर्वेक्षण करने जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं।

तट से तट तक सर्वेक्षण, एफआरपी और निरीक्षण (वीआईपी) नौकाओं की आपूर्ति, सर्वेक्षण उपकरण और एआईएस उपकरण के लिए अनुबंध दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है।

फरक्का में मौजूदा नौवहन लॉक का आधुनिकीकरण और नवीकरण कार्य

इस घटक में फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और डीपीआर के आधार पर कार्यों का निष्पादन शामिल है। डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

16. भारत-म्यांमार कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना

यह परियोजना म्यांमार में कलादान नदी और सितवे बंदरगाह के माध्यम से उत्तर पूर्व को वैकल्पिक संपर्कता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में मिजोरम से पलेतवा (म्यांमार) तक सड़क संपर्कता, उसके बाद पलेतवा से सितवे (म्यांमार) तक जलमार्ग संपर्कता और सितवे से भारत के किसी भी बंदरगाह तक तटीय संपर्कता और इसके विपरीत शामिल है। भा.अ.ज.प्रा. म्यांमार में कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के पोर्ट और अ.ज.प. घटकों के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) का परियोजना विकास सलाहकार (पी.डी.सी.) है। यह परियोजना विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित और वित्त पोषित है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय और भा.अ.ज.प्रा के बीच 19 मार्च, 2009 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 28.04.2016 को पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

चरण-। के कार्यों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

क. चरण - । कार्य

1. सितवे
   - सितवे में बंदरगाह का निर्माण
   - सितवे में अ.ज.प. टर्मिनल का निर्माण।
   - सितवे बंदरगाह पर ड्रेजिंग एक्सेस चैनल और पोर्ट बेसिन।
   - बैकअप सुविधाओं की संरचनाओं का निर्माण (पोर्ट ऑफिस, अ.ज.प. ऑफिस, कवर्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल और जेनरेटर रूम, कैंटीन / रेस्ट रूम आदि)
2. पलेतवा
   - अ.ज.प. टर्मिनल
   - बैकअप सुविधा जैसे अ.ज.प. कार्यालय, कवर्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल और जेनरेटर
   - कक्ष, कैंटीन/विश्राम कक्ष आदि।
3. नदी ड्रेजिंग कार्य
4. 300 टी क्षमता वाले 6 बार्जों का निर्माण।
5. नौवहन सहायता की स्थापना.

ख. चरण - ॥ कार्य

चरण- ॥ के दौरान परिकल्पित प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी सहित सितवे/पलेटवा में कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का निर्माण - विदेश मंत्रालय द्वारा डीपीआर स्वीकृत ।
2. पूर्ण परियोजना घटकों का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) - चरण- । के तहत पूरी की गई संपत्ति 31 जनवरी 2020 को म्यांमार सरकार के विभागों के माध्यम से बंदरगाह ऑपरेटर को सौंप दी गई है और संचालन और रखरखाव 1 फरवरी 2020 से शुरू हो गया है।

पीडीसी की अपनी भूमिका में भा.अ.ज.प्रा ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास - यांगून, पोत परिवहन मंत्रालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, म्यामांर सरकार, ठेकेदारों तथा सलाहाकारों के साथ नियामित समन्वय बनाए रखा।

17. वित्तीय निष्पादन, आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय से 62063.99 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि जमाराशियों पर ब्याज, निविदा प्रपत्रों की बिक्री, ओवर डाइमेंशन कार्गो/जनरल कार्गो मूवमेंट, बर्थिंग/पायलटेज चार्जर आदि के माध्यम से 1397.04 लाख रुपए की राशि अर्जित की गई थी; प्रमुख योजना-वार व्यय नीचे दर्शाया गया है:-

			(रुपये लाख में)
क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय	
		पिछले वर्ष 2021-22	वर्तमान वर्ष 2022-23
1	**राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–1**		
(i)	नदी संरक्षण/फेयरवे	2295.53	1716.95
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण और रखरखाव	4733.91	1586.17
(iii)	सुरक्षित 24 घंटे नौवहन	679.13	799.62
(iv)	नया जलमार्ग (घाघरा)	0.00	165.13
(v)	जलयानों/पैंटूनों के जलयानों/आर एंड एम का अधिग्रहण	517.29	1684.17
(vi)	एनआईएनआई	204.49	172.78
(vii)	कार्गो/अ.ज.प. संवर्धन गतिविधियां	348.68	218.83
(viii)	फ्रेट विलेज	27.10	36.59
(ix)	आर एंड एम नौवहन लॉक		271.72
	उप-योग	**8806.13**	**6651.97**
2	**राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक-2**		
(i)	नदी संरक्षण/ फेयरवे	1671.01	1968.63
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण एवं रखरखाव	743.45	631.45
(iii)	अ.ज.प. टर्मिनल-जोगीघोपा का विकास	2800.00	
(iv)	जलयानों का अधिग्रहण/जलयानों/पोंटूनों का आर एंड एम	94.63	1062.80
(v)	सुरक्षित 24 घंटे नौवहन	588.16	625.01
(vi)	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय	3.19	7.25
(vii)	आईबीपी रूट	421.77	446.98
(viii)	मालवाहक जलयान और अ.ज.प. प्रचार गतिविधियाँ	233.70	715.19
(ix)	मौजूदा तटीय सुविधा का नवीनीकरण-एनडब्लू-16	0.00	155.63
(x)	जलयान मरम्मत सुविधा का विकास-पांडु (स्लिपवे)	1247.80	499.52

(xi)	बोगीबील में पर्यटन-सह-कार्गो आईईटी का डिजाइन, निर्माण और तैनाती	0.00	105.00
(xii)	त्रिपुरा में लॉजिस्टिक, संचार और जलमार्ग केंद्र की स्थापना	0.00	3000.00
(xiii)	2 फ्लोटिंग जेटियों का डिजाइन, निर्माण और तैनाती	0.00	146.11
(xiv)	सोनामुरा में अ.ज.प. टर्मिनल का डिजाइन, निर्माण विकास	0.00	81.52
(xv)	कौशल विकास	0.00	231.06
(xvi)	पांडु टर्मिनल से एनएच-31 तक एप्रोच रोड का निर्माण	0.00	19.65
(xvii)	फ़ेयरवे विकास रा.ज.-16 और आईबीपी रूट	0.00	322.63
	उप-योग	**7803.72**	**10018.43**
3	**राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–3**		
(i)	नदी संरक्षण/ फेयरवे	232.56	343.34
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण	541.60	165.43
(iii)	लॉक्स का निर्माण एवं मरम्मत (विविध विकास कार्य)	166.88	-322.86
(iv)	आरओ-पैक्सवेसल्स/जलयानों के आर एवं एम का अधिग्रहण	63.55	121.27
(v)	सुरक्षित 24 घंटे नौवहन	78.31	72.48
(vi)	अ.ज.प. प्रोमोशनल, कार्गो प्रमोशन गतिविधियाँ	0.00	1.43
(vii)	आई.टी गतिविधियों का खर्च	0.00	1.15
	उप-योग	**1082.91**	**382.24**
4	**राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–4**		
(i)	फेयरवे विकास कार्य	307.85	103.00
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण और रखरखाव		-130.98
(iii)	जलयानों/पोंटूनों के जलयानों/आर एंड एम का अधिग्रहण		9.81
	उप-योग	**307.85**	**-18.17**
5	**राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–5**		
(i)	विकास कार्य	257.96	76.29
	उप-योग	**257.96**	**76.29**
6	**जल मार्ग विकास परियोजना**		
(i)	लीज भूमि हल्दिया	0.00	
(ii)	परामर्श शुल्क और वृद्धिशील परिचालन व्यय	3295.65	4973.43
(iii)	भूमि अधिग्रहण/एमएमटी वाराणसी	3577.45	3022.19

(iv)	कोलकाता-फरक्का, फरक्का-कहलगांव, कहलगांव-सुल्तानगंज, सुल्तानगंज-महेंद्रपुर खंड में फेयरवे विकास	6748.65	13694.28
(v)	एमएमटी-हल्दिया का निर्माण	3546.32	1620.60
(vi)	एमएमटी साहिबगंज का निर्माण	1968.73	223.34
(vii)	फरक्का में नये नौवहन लॉक का निर्माण	3074.29	7946.61
(viii)	आईएमटी टर्मिनल-कालूघाट का निर्माण	749.30	2081.40
(IX)	फ्लोटिंग जेट्टियों का निर्माण		359.65
	उप-योग	**22960.40**	**33921.50**
7	आई.टी गतिविधियों का खर्च	114.11	99.61
8	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना	0.00	94.25
9	अ.ज.प. प्रमोशनल/कार्गो प्रमोशनल गतिविधियाँ	210.64	127.93
10	अन्य जलमार्ग का विकास	999.57	86.01
11	स्थापना	5094.31	4899.72
12	बांड संबंधित खर्च	7634.91	7632.31
	उप-योग	**14053.53**	**12939.82**
	कुल योग	**55272.50**	**63972.07**

18. प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

प्राधिकरण अपनी सभी गतिविधियों में संघ की राजभाषा नीति को प्रगतिशील तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं और अन्य संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा। प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह/दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नोएडा के सभी सदस्य कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति को लागू करने का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय), नोएडा के अध्यक्ष हैं। नराकास (कार्यालय), नोएडा के विभिन्न सदस्य कार्यालयों की समस्याओं और कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से अर्ध-वार्षिक बैठकें आयोजित की गई । सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समय-समय पर नराकास (कार्यालय), नोएडा के तत्वावधान में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं एवं अन्य संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया गया। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के बच्चों को प्रत्येक वर्ष 'हिंदी प्रतिभा पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

19. कार्मिक और प्रशासन

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार भा.अ.ज.प्रा के उपलब्ध 264 अधिकारियों और कार्मिकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	जीआर	पदनाम	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर	7वें सीपीसी के अनुसार	उपलब्ध
1	2	3	5	6	8
		समूह-क			
1	क	सचिव	13	123100 - 215900	1
2	क	मुख्य अभियन्ता	13	123100 - 215900	2
3	क	जल सर्वेक्षण प्रमुख	13	123100 - 215901	1
4	क	मुख्य लेखा अधिकारी	12	78800 - 209200	1
5	क	निदेशक (तकनीकी)	12	78800 - 209200	7
6	क	निदेशक (हाइड्रोग्राफी)	12	78800 - 209200	2
7	क	उप-सचिव (प्रशासन)	12	78800 - 209200	1
8	क	उप-निदेशक	11	67700 - 208700	8
9	क	(उप-निदेशक) वित्त/लेखा)	11	67700 - 208700	2
10	क	वरिष्ठ जल सर्वेक्षण सर्वेक्ष (एसएचएस)	11	67700 - 208700	3
11	क	प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)	11	67700 - 208700	1
12	क	सहायक सचिव	11	67700 - 208700	3
13	क	सहायक निदेशक (अभियन्ता)	10	56100 - 177500	7
14	क	सहायक जल सर्वेक्षण सर्वेक्षक (एएचएस)	10	56100 - 177500	9
15	क	प्रोग्रामर सह सिस्टम विश्लेषक (पीसीएसए)	10	56100 - 177500	-
16	क	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	10	56100 - 177500	2
17	क	हिंदी अधिकारी	10	56100 - 177500	1
		योग			**51**

समूह-ख					
18	ख	लेखा अधिकारी	7	44900 - 142400	2
19	ख	अनुभाग अधिकारी	7	44900 - 142400	5
20	ख	अंतर्देशीय ड्रेज मास्टर	7	44900 - 142400	3
21	ख	निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक	7	44900 - 142400	3
22	ख	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	6	35400 - 112400	3
23	ख	तकनीकी सहायक	6	35400 - 112400	19
24	ख	कनिष्ठ जल सर्वेक्षण सर्वेक्षक) जेएचएस(	6	35400 - 112400	24
25	ख	लाइसेंसधारी इंजन चालक	6	35400 - 112400	-
26	ख	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-प्रथम	6	35400 - 112400	1
27	ख	इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सहायक) ईडीपीए(	6	35400 - 112400	1
28	ख	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	6	35400 - 112400	-
29	ख	सहायक	6	35400 - 112400	8
30	ख	लेख सहायक	6	35400 - 112400	15
31	ख	ड्रेज नियंत्रण ऑपरेटर	6	35400 - 112400	8
32	ख	निजी सहायक	6	35400 - 112400	3
33	ख	मास्टर प्रथम श्रेणी	6	35400 - 112400	2
34	ख	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-द्वितीय	6	35400 - 112400	5
योग					**102**
समूह-ग					
35	ग	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	4	25500 - 81100	-
36	ग	अवर श्रेणी लिपिक	4	25500 - 81100	12
37	ग	स्टोर कीपर	4	25500 - 81100	1
38	ग	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-तृतीय	4	25500 - 81100	5
39	ग	पाइपलाइन प्रभारी	4	25500 - 81100	1
40	ग	मास्टर द्वितीय श्रेणी	4	25500 - 81100	14
41	ग	चालक प्रथम श्रेणी	4	25500 - 81100	10
42	ग	निम्न श्रेणी लिपिक	2	19900 - 63200	2
43	ग	पाइपलाइन सहायक	2	19900 - 63200	1

44	ग	बिजली मिस्त्री	2	19900 - 63200	1
45	ग	स्टाफ़ कार चालक	2	19900 - 63200	3
46	ग	मास्टर तृतीय श्रेणी	2	19900 - 63200	2
47	ग	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	1	18000 - 56900	24
48	ग	लॉस्कर	1	18000 - 56900	8
49	ग	पायलट निरीक्षक	1	18000 - 56900	2
50	ग	सिकुनी	1	18000 - 56900	1
51	ग	प्रमुख पायलट	1	18000 - 56900	3
52	ग	मार्किंग डांडी	1	18000 - 56900	12
53	ग	कुक	1	18000 - 56900	3
54	ग	मांझी मार्किंग	1	18000 - 56900	4
55	ग	पायलट	1	18000 - 56900	2
योग					**111**
कुल योग					**264**

पावती

भा.अ.ज.प्रा सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अमूल्य सहयोग और योगदान की सराहना करता है।

भा.अ.ज.प्रा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता व सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है ।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

(संजय बंदोपाध्याय)

अध्यक्ष

20. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. निधि के स्रोत	3		
i. आधारभूत निधि/पूंजी			
क. भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम की धारा 11 (1) (ग) के तहत पूंजी		94,37,244.00	94,37,244.00
ख. भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम की धारा 19 के तहत भा.अ.ज.प्रा. निधि		25,87,80,58,944.00	22,42,24,23,023.00
ii. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	4	-	-
iii. निर्धारित/अक्षम	**5**	-	-
iv. गैर-वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान			
क. लंबी अवधि के उधार	6	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
ख. अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ	7	73,51,19,260.00	76,35,37,557.00
ग. दीर्घकालिक प्रावधान	8	-	1,79,47,467.00
v. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान			
क. अल्पावधि उधार	9	25,09,66,575.00	25,09,66,575.00
ख. विविध लेनदार	10	71,19,00,861.00	61,49,86,444.00
ग. अन्य वर्तमान देनदारियां	11	56,92,05,073.00	50,74,51,693.00
घ. प्रावधान	12	9,97,01,449.00	3,17,98,993.00
योग		**38,25,43,89,406.00**	**34,61,85,48,996.00**
2. निधि का अनुप्रयोग			
i. अचल परिसंपत्तियां	13		
क. मूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		18,53,60,34,241.00	17,86,02,73,911.00
घटा: मूल्यह्रास		(4,41,14,71,262.00)	(3,98,67,39,660.00)
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		2,43,28,229.00	1,81,18,302.00
ग. पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	14	18,88,79,83,829.00	15,52,18,54,317.00
घ. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	14	-	

ii. गैर-चालू संपत्तियां, ऋण और अग्रिम			
क. गैर चालू निवेश	15	16,25,16,414.00	12,56,08,484.00
ख. जमा, ऋण और अग्रिम	16	2,65,88,76,809.00	2,67,99,06,442.00
ग. अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	17	10,64,14,821.00	17,39,35,635.00
घ. विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है या समायोजित नहीं किया गया है)			
iii. वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम			
क. वर्तमान निवेश	18	2,01,15,865.00	3,69,07,930.00
ख. माल-सूची	19	6,20,85,220.00	2,96,59,418.00
ग. विविध देनदार	20	14,06,10,020.00	13,89,86,780.00
घ. नकद और नकद समकक्ष	21	1,10,62,76,500.00	1,04,98,00,662.00
ङ. जमा, ऋण और अग्रिम	22	89,51,29,664.00	97,49,49,047.00
च. अन्य वर्तमान संपत्ति	23	8,10,25,724.00	93,71,765.00
योग		**38,25,43,89,406.00**	**34,61,85,48,996.00**
टिप्पणी:			
क. महत्वपूर्ण लेखा नीति **ख. लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग है।**	1 2	-	-

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

21. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. आय			
क. राजस्व अनुदान/सहायिकी			
- केंद्र सरकार से		76,32,99,000.00	1,27,37,53,679.00
- राज्य सरकार से			
- अंतरराष्ट्रीय संगठन			
- अन्य (निर्दिष्ट करें)			
ख. भा.अ.ज.प्रा. निधि से हस्तांतरित		38,62,57,337.00	38,26,59,229.00
ग. अन्य आय (प्रकृति निर्दिष्ट की जानी है)			
कुल आय (क)		**1,14,95,56,337.00**	**1,65,64,12,908.00**
2. व्यय			
क. परिचालन एवं रखरखाव व्यय	24	1,34,23,19,423.00	1,18,31,05,859.00
ख. कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	25	48,58,71,301.00	50,18,61,183.00
ग. वित्त प्रभार	26	76,32,69,954.00	76,34,90,886.00
घ. मूल्यह्रास	13	38,62,57,337.00	38,26,59,229.00
ङ. सहायिकी		-	-
च. अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय।		-	-
कुल व्यय (ख)		**2,97,77,18,015.00**	**2,83,11,17,157.00**
व्यय से अधिक आय की अधिकता/व्यय की अधिकता यदि आय से अधिक हो (क-ख)		(1,82,81,61,678.00)	(1,17,47,04,249.00)
जमा/घटा: पूर्व अवधि मदें	27	14,57,45,449.00	37,08,638.00
जमा/घटा: असाधारण मदें			
जमा/घटा: विशेष आरक्षित निधियों में/से स्थानांतरण (निर्दिष्ट करें)		-	-
जमा/घटा: सामान्य आरक्षित निधियों में/से अंतरण			

शेष राशि अधिशेष/(घाटा) होने पर भा.अ.ज.प्रा. निधि में स्थानांतरित कर दी गई			
		(1,68,24,16,229.00)	(1,17,09,95,611.00)
टिप्पणी:			
क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति **ख. लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं**	1 2	-	-

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

22. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्राप्तियां		
1. **प्रारंभिक शेष**		
क. उपलब्ध नकद		
- भारतीय रुपए	18,216.00	14,426.00
- विदेशी मुद्रा	-	
ख. उपलब्ध स्टम्प	-	-
ग. बैंक मे जमा नकद	30,16,03,235.00	(23,63,03,249.00)
घ. बैंक के अल्पावधि जमा	74,81,97,427.00	2,49,04,61,667.00
ङ. मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
2. **प्राप्त अनुदान**		
क. केंद्र सरकार से	6,20,63,99,000.00	5,44,30,00,000.00
ख. राज्य सरकार से	-	-
ग. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	
घ. अन्य अनुदान (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	4,91,45,000.00	-
3. **उधार से प्राप्तियां**		
क. बांड/प्रतिभूतियों से		-
ख. ऋण से	-	1,80,000.00
ग. अन्य से प्राप्ति (भा.अ.ज.प्रा. निधि और अन्य)	4,66,05,40,708.00	1,84,23,36,400.00
4. **आंतरिक प्राप्तियाँ**		
क. प्राप्त किराया		
- किराया आय (भवन)	54,79,717.00	55,95,910.00
- किराया आय (अन्य निर्दिष्ट करें)	4,57,276.00	4,02,363.00
ख. प्राप्त ब्याज आय		
- अल्पावधि जमा पर ब्याज	4,93,44,711.34	4,70,61,799.00
- स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	-	-
- संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	58,22,848.00	-
- अन्य प्राप्त ब्याज (निर्दिष्ट करें)	1,26,82,297.00	39,28,464.00
ग. अन्य आंतरिक प्राप्तियां (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
- निवेश से आय	-	-
- परामर्श शुल्क	-	-
- जलमार्ग उपयोग शुल्क	-	-
- बर्थिंग शुल्क	-	-

- टोवेज शुल्क	-	-
- पायलटेज शुल्क	-	-
- टर्मिनल शुल्क	-	14,539.00
- ट्रांजिट शेड शुल्क		
- ओवर डायमेंशनल शुल्कों का संचलन (ओडीसी)	74,784.00	7,27,57,401.00
- क्रेन (पोंटून क्रेन सहित) किराया शुल्क	-	-
- कंटेनर क्रेन शुल्क	-	-
- फोर्क लिफ्ट शुल्क		-
- जलयान को विद्युत आपूर्ति		-
- वार्फेज		-
- डेमरेज	-	-
- निविदा प्रपत्रों की बिक्री	2,57,345.00	2,29,037.00
- प्रोटोकॉल शुल्क	-	100.00
- नौचालन चार्ट की बिक्री	-	-
- जलयान किराया शुल्क	-	-
- छात्रावास आदि। प्रभार	-	-
- ट्यूशन फीस	-	
- वर्दी शुल्क	-	
- दावा वसूली योग्य	79,37,032.00	
- शुल्क और कर	19,47,001.00	
- अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	23,95,926.00	-
- सुरक्षा जमा प्राप्त	3,02,85,204.00	2,13,04,281.00
- प्राप्त बयाना राशि	2,35,15,704.00	14,04,687.00
- अग्रिम की वसूली	3,06,86,325.00	-
- देनदारों से वसूली	-	-
- एनपीएस ट्रस्ट से वसूली	-	-
- विविध प्राप्तियाँ	8,93,610.00	43,67,893.00
- अन्य आय	4,15,752.00	10,97,677.00
कुल	**12,13,80,99,118**	**9,69,78,53,395.00**

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
भुगतान		
1. व्यय		
क. परिचालन और रखरखाव व्यय	4,02,58,17,292.00	3,06,85,61,554.00
ख. कार्मिक व्यय	20,65,73,246.00	22,80,52,698.00
ग. वित्त शुल्क	40,050.00	25,67,27,158.00
घ. पूर्व अवधि के व्यय	1,15,078.00	-
2. उधार का पुनर्भुगतान		

क. बांड/प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान	-	-
ख. ऋण का पुनर्भुगतान	-	-
3. किया गया निवेश और जमा		
क. निर्धारित निधि से।	-	-
ख. निजी निधि से	-	-
4. अचल संपत्तियों और प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
क. अचल संपत्तियों की खरीद	52,97,533.00	23,35,50,089.00
ख. व्यय पूंजी कार्य प्रगति पर'	13,30,891.00	10,50,973.00
ग. फ़्लोटिंग जेटियां	-	-
घ. इन्वेंटरी	4,56,050.00	2,410.00
5. ऋण एवं अग्रिम का भुगतान		
क. गृह निर्माण अग्रिम	9,66,585.00	18,14,939.00
ख. विभागीय अग्रिम	59,45,819.00	50,87,413.00
ग. यात्रा अग्रिम	56,61,125.00	12,89,613.00
घ. एलटीसी एडवांस	22,01,998.00	4,45,671.00
ङ. कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम	2,02,139.00	2,72,000.00
च. पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) एडवांस	2,00,000.00	-
छ. कर्मचारियों को अन्य अग्रिम	5,36,019.00	7,03,029.00
ज. आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अग्रिम	51,20,99,823.00	20,69,72,321.00
झ. जीपीएफ अंशदान पर भुगतान	2,40,77,279.00	
ञ. विभिन्न वसूलियों (दावों) का भुगतान	39,22,153.00	34,65,223.00
6. अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी की वापसी		
भारत सरकार को।	-	
राज्य सरकार को।	-	
अन्य निधि प्रदाताओं के लिए	-	
7. अन्य भुगतान		
क. प्रतिभूति जमा की वापसी	88,32,501.00	42,69,172.00
ख. बयाना राशि की वापसी	1,16,80,324.00	15,82,118.00
ग. सुरक्षा जमा का भुगतान	7,03,53,220.00	19,49,98,646.00
घ. शुल्क और कर का भुगतान	30,96,84,993.00	21,97,71,884.00
ङ. पूर्वदत्त व्यय	-	-
च. पोत परिवहन मंत्रालय को भुगतान (आंतरिक रसीद)	-	4,90,97,740.00
छ. पेंशन अंशदान भुगतान		-
ज. तीसरी पार्टी के एवज में भुगतान		-
झ. जीपीएफ अंशदान पर भुगतान		82,30,761.00

ञ. जीपीएफ अग्रिम वसूली पर भुगतान		-
ट. रोके गए करों का भुगतान	70,111.00	23,09,55,014.00
ठ. आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को भुगतान		-
ड. बांड संबंधी खर्चों का भुगतान	8,791.00	5,658.00
ढ. संबंधित विभागों को विभिन्न वसूलियों का भुगतान		-
ण. प्रावधानों के लिए भुगतान	27,93,113.00	5,05,48,645.00
त. प्रोटोकॉल व्यय		-
थ. अन्य व्यय	41,58,513.00	48,80,857.00
द. भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	2,52,93,607.00	52,99,62,000.00
ध. ब्याज का भुगतान	62,48,20,736.00	36,14,26,483.00
8. अंतिम शेष		
क. उपलब्ध नकद		
- भारतीय रुपए	13,313.00	18,216.00
- विदेशी मुद्रा	-	-
ख. उपलब्ध स्टाप	-	-
ग. बैंक में जमा नकद	25,07,91,931.00	30,16,03,235.00
घ. बैंक के पास अल्पावधि जमा	85,54,71,257.00	74,81,97,427.00
ङ. मार्गस्थ विप्रेषण	-	
च. अंतिम शेष मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय	5,17,86,83,628.00	2,98,43,10,448.00
कुल	**12,13,80,99,118.00**	**9,69,78,53,395.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

23. "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां"

अनुसूची-1

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर ऐतिहासिक लागत अवधारणा के तहत और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, अन्यथा रिपोर्ट किए जाने के अलावा, तैयार किए गए हैं, । इन लेखांकन नीतियों और मानकों को सतत अनुपालन किया गया है।

2. भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत भा.अ.ज.प्रा. निधि:

अधिनियम की धारा 19 के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि का गठन किया गया। इनको निम्नलिखित में जमा किया जाएगा -

क. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचना की सुविधा के विकास और रखरखाव के लिए सरकार से प्राप्त कोई भी अनुदान

ख. अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और प्रभार (सभी आंतरिक प्राप्तियाँ)।

ग. प्राधिकरण को ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशि, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

घ. प्राप्त कोई अन्य अनुदान।

ङ. "आय और व्यय लेखे" का कोई अधिशेष

निम्नलिखित में डेबिट किया जाएगा-

क. भारत सरकार (जीओआई) को उनके निर्देशों के अनुसार देय कोई भी राशि।

ख. अनुदान से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के बराबर राशि।

ग. अचल परिसंपत्तियों का बही मूल्य, जो वर्ष के दौरान बेचा/बट्टे खाते में डाला गया है और परिसंपत्ति पहले अनुदान से खरीदी गई है।

घ. "आय एवं व्यय" लेखे का कोई घाटा

3. सरकारी अनुदान:

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान, अर्थात कर्मचारी लागत, सामान्य प्रशासनिक व्यय और किसी के लिए राजस्व अनुदान के रूप में निर्दिष्ट अन्य अनुदानों को "आय और व्यय लेखे" में राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता दी जाएगी।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचनात्मक की सुविधा के विकास और रखरखाव के लिए अनुदान। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचना के विकास और रखरखाव और संबंधित गतिविधियों के संबंध में सरकारी

अनुदान को भा.अ.ज.प्रा. फंड में जमा किया जाएगा, और प्राधिकरण द्वारा ऐसे अनुदानों के लेखांकन के लिए आस्थगित आय पद्धति को अपनाया गया है।

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल परिसंपत्ती):

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में परिसंपत्तियों को लाने के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल होती है।

ख. प्रारंभिक मान्यता के बाद, संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अचल परिसंपत्ति की लागत निर्धारित की जाती है।

ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को स्वामित्व के हस्तांतरण की तारीख या उपयोग में लाने की तारीख, जो भी पहले हो, पर पूंजीकृत किया गया है।

घ. पूंजीगत कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी):

पूंजीकरण की तारीख तक निर्माण/निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर सामग्री की लागत, निर्माण/निर्माण शुल्क और अचल परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए गए अन्य खर्चों को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया है।

ङ. अवमूल्यन और परिशोधन:

- मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति से की गई है।
- उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों को आधार मानकर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दरों और तरीके से मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, सिवाय इसके कि जहां परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन भा.अ.ज.प्रा. बोर्ड द्वारा परिभाषित किया गया है।
- वर्ष के दौरान अर्जित या निपटाई गई नई परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास आनुपातिक समय अनुपात के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर किया जाता है, इसका उपयोग उस तारीख को प्रांरभ होता है, जिस तारीख से परिसंपत्ति इसके उपयोग के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध होती है, लेकिन दस साल की अवधि से अधिक नहीं होती है।

5. माल-सूची मूल्यांकन:

माल-सूची अर्थात स्टोर, स्पेयर और उपकरण (मशीनरी स्पेयर सहित) आदि का मूल्यांकन रखाव-लागत पर किया जाता है।

6. राजस्व निर्धारण:

सभी राजस्व को संचय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

7. निवेश:

"दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश रखाव-लागत पर किए जाते हैं। अस्थाई को छोड़कर ऐसे निवेशों की वहन लागत में अन्य कमियों का प्रावधान किया गया है।

8. पट्टा:

पट्टे का किराया पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ:

सभी कर्मचारियों के हितलाभों के लिए प्रावधान लागू लेखांकन मानक-15 के अनुसार बनाए गए हैं।

10. पूर्व अवधि मदें:

पूर्व अवधि मदें आय या व्यय (25000/- रुपये से अधिक) हैं जो एक या अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं। पूर्व अवधि की वस्तुओं की प्रकृति और राशि, जहां भी लागू हो, आय और व्यय लेखे के विवरण में अलग से इस तरह से प्रकट की जाती है कि वर्तमान अधिशेष या घाटे पर उनके प्रभाव को लागू लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुसार माना जा सकता है।

11. व्यय का संव्यवहार:

जलीय सर्वेक्षण, अध्ययन (अर्थात, व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर, ईआईए, एसआईए आदि) बैंडलिंग, बॉटम-पैनलिंग, ड्रेजिंग, टर्मिनलों के संचालन और रखरखाव, चैनल मार्किंग में अस्थायी संरचना और जहाजों के रखरखाव आदि पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। जबकि चैनल मार्किंग, टर्मिनल निर्माण और भूमि, जहाजों की लागत, सर्वेक्षण लॉन्च, टग, बार्ज, ड्रेजर इत्यादि में स्थायी संरचनाओं के निर्माण पर व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, जलमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं पर किए गए वेतन, मजदूरी और अन्य प्रशासनिक व्यय को प्रत्येक जलमार्ग पर तैनाती के अनुसार आवंटित किया जाता है।

12. अशोध्य या संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:

अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रबंधन अनुमानों के आधार पर पहचाना जाता है जो प्रबंधन के पिछले अनुभव और देनदारों के साथ उत्पन्न होने वाली किसी घटना या विवाद पर आधारित होगा।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

प्रावधान को मान्यता तभी दी जाती है यदि, किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण के पास वर्तमान विधि देयता है, जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान रिपोर्टिंग तिथि पर देयताओं को निपटाने के लिए आवश्यक आर्थिक लाभ के बहिर्प्रवाह के सर्वोत्तम अनुमान द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जहां कोई विश्वसनीय अनुमान

नहीं लगाया जा सकता है, वहां आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब कोई संभावित देयता या वर्तमान देयता होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो पहचाना जाता है और न ही उनका खुलासा किया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा लेनदेन:

अचल परिसंपत्तियों, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद/अधिग्रहण से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन का हिसाब लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

24. 31.03.2023 तक लेखों पर टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं

अनुसूची-2

1. (क) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण ने प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) और पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित व्यय किया:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि (से - तक)	परिलब्धियां	यात्रा खर्च	कुल
1.	श्री. संजय बंदोपाध्याय	अध्यक्ष	22 अप्रैल से 23 मार्च	44,32,500.00	14,73,907.00	59,06,407.00
2.	श्री. जयन्त सिंह	उपाध्यक्ष	22 अप्रैल से 23 मार्च	35,70,768.00	9,26,952.00	44,97,720.00
3.	श्री. प्रवीण नंदवाना	सदस्य (वित्त)	22 अप्रैल से 23 मार्च	39,14,026.00	14,100.00	39,28,126.00
4.	श्री. आशुतोष गौतम	सदस्य (तकनीकी)	22 अप्रैल से 23 मार्च	38,89,460.00	1,14,216.00	40,03,676.00
5.	श्री. विनायक आज़ाद	सदस्य (यातायात)	23 फरवरी से 23 मार्च	3,39,456.00	1,05,961.00	4,45,417.00
	कुल			**1,61,46,210.00**	**26,35,136.00**	**1,87,81,346.00**
	कुल (पिछला वर्ष)			**1,23,81,038.00**	**7,81,691.00**	**1,31,62,729.00**

अध्यक्ष ने 04.04.2022 से 07.04.2022 की अवधि के दौरान नॉन-शिपिंग में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नॉर्वे का दौरा किया। उन्होंने 12.07.2022 से 15.07.2022 की अवधि के दौरान सिंगापुर में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के अध्ययन दौरे के सिलसिले में सिंगापुर का भी दौरा किया।

उपाध्यक्ष ने 12.07.2022 से 15.07.2022 की अवधि के दौरान सिंगापुर में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के अध्ययन दौरे के सिलसिले में सिंगापुर का दौरा किया।

(ख) भा.अ.ज.प्रा. बोर्ड के किसी भी सदस्य पर कोई ऋण/ऋण/अग्रिम बकाया नहीं है।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.15(4)-बी(सीडीएन)/2015 दिनांक 03.10.2016 के माध्यम से 2016-17 के दौरान 1,000.00 करोड़ रुपये की सीमा तक ईबीआर बढ़ाने के लिए भा.अ.ज.प्रा. को मंजूरी प्रदान की।

दिनांक 20.10.2016 के का.ज्ञा. संख्या एफ.सं.15(4)-बी(सीडीएन)/2015 के अनुसार, "अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए बांड जारी करने के लिए अलग से सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बांड भारत सरकार द्वारा आम बजट के माध्यम से" पूरी तरह से सेवा में (ब्याज का सिद्दांत) रहेंगे।

पोत-परिवहन मंत्रालय बांड के कार्यकाल के दौरान अर्धवार्षिक ब्याज भुगतान और जारी व्यय और अन्य विविध खर्चों और परिपक्वता के समय मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए उपयुक्त रूप से बजटीय प्रावधान करेगा।

इलेक्ट्रॉनिक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 01.03.2017 को 7.90 प्रतिशत (अर्धवार्षिक) की कूपन दर पर 10 वर्षों के कार्यकाल की निजी प्लेसमेंट मोड में "सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांड्स" के माध्यम से बोली लगाई और सफलतापूर्वक 340.00 करोड़ रुपये का ईबीआर जुटाया। वित्त वर्ष 2017-18 में, प्राधिकरण ने पोत-परिवहन मंत्रालय से पहले की तरह समान नियमों और शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में रुपये 1,000.00 की स्वीकृति से शेष 660.00 करोड़ रुपये के लिए ईबीआर बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। पोत-परिवहन मंत्रालय ने पत्र क्रमांक. IWT/45/2016-IWT (खंड-II) भाग द्वारा दिनांक 27.07.2017 वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 660.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने की अनुमति के पुन: सत्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भा.अ.ज.प्रा. ने 13.10.2017 को इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच पर निजी प्लेसमेंट मोड में 7.47 प्रतिशत की कूपन दर पर 10 साल की अवधि के लिए अर्द्ध वार्षिक)। "जी.ओ.आई. फुली सर्विस्ड बॉन्ड" के माध्यम से 660.00 करोड़ रुपये का ईबीआर सफलतापूर्वक जुटाया। जुटाया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राधिकरण ने अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और ईबीआर के माध्यम से जुटाए गए धन का पूरा उपयोग किया गया है।

3. माननीय वित्त मंत्री द्वारा जुलाई, 2014 के अपने बजट भाषण में घोषित जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को मूल रूप से एनडब्ल्यू-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के हल्दिया-इलाहाबाद खंड-प्रणाली-1620 किमी) के पूरे हिस्से को कवर करने के लिए परिकल्पित किया जिसे विश्व बैंक की 4,200 करोड़ रुपए की रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी और निवेश सहायता से छह साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इसके बाद, विश्व बैंक की सिफारिश पर, हल्दिया-वाराणसी खंड पर परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।

पोत-परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2014 की एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, जेएमवीपी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के साथ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) को नामित किया। परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं:

I. भा.अ.ज.प्रा. प्रधान कार्यालय में पीएमयू की अध्यक्षता परियोजना निदेशक के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। परियोजना निदेशक को सदस्य (तकनीकी), उप-परियोजना निदेशक के रूप में, परियोजना प्रबंधक के रूप में मुख्य अभियंता, सदस्य (वित्त) और प्रशासन, वित्त और लेखा, इंजीनियरिंग, खरीद, विपणन और व्यवसाय विकास, पर्यावरण, सामाजिक विकास और संचार में डोमेन विशेषज्ञ द्वारा सहायता प्रदान करते हैं।

II. परियोजना निरीक्षण समिति में परियोजना का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और मूल्यांकन प्रदान करने के लिए भा.अ.ज.प्रा. के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी, पोत-परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

III. पटना, कोलकाता, वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ संबंधित निदेशकों के प्रभार में हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग, भूमि अधिग्रहण, आजीविका प्रबंधन, सामाजिक विकास आदि क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्व निवेश गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग, फीड तथा सहायक कार्यों ई एस आई ए तथा विपणन एवं कारोबार विकास के क्षेत्र में, परामर्शदाताओं ने हल्दिया-वाराणसी प्रखंड का अध्ययन किया।

इन सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, परियोजना के हल्दिया-वाराणसी खंड पर जेएमवीपी की अनुमानित लागत को परियोजना की मध्यावधि समीक्षा में संशोधित कर 5,369.18 करोड़ रुपए किया था, इसे आगे संशोधित कर 4,633.81 करोड़ रुपए किया गया। अब प्रस्तावित हस्तक्षेपों में पूरे खंड के लिए 2.2 मीटर से 3 मीटर की एलएडी और 45 मीटर की निचली चैनल चौड़ाई प्रदान करने के लिए फेयरवे विकास ; पांच मल्टीमॉडल/इंटरमॉडल टर्मिनलों का निर्माण; फरक्का आदि में एक नए नेविगेशनल लॉक का निर्माण शामिल है। संशोधित परियोजना लागत में अर्थ गंगा के घटक सहित लागत 746 करोड़ रुपए है जिसमें फेयरवे डेवलपमेंट, रिवर ट्रेनिंग, मौजूदा फरक्का लॉक का आधुनिकीकरण, रो-रो टर्मिनल, सामुदायिक जेटी, फ्लोटिंग टर्मिनल आदि शामिल है।

परियोजना की लागत का वित्तपोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जा रहा है:

I. 2,125.37 करोड़ रुपये (US$ 317.22 मिलियन) का आईबीआरडी ऋण।

II. भारत सरकार समकक्ष निधि (बजटीय आवंटन और बांड जारी करने से प्राप्त आय: रुपये 2,207.58 करोड़ (US$329.49 मिलियन) और

III. पीपीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी: रुपये 300.86 करोड़ (US$ 44.90 मिलियन)।

आईबीआरडी ऋण घटक का मूल्यांकन आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 27.09.2016 को किया गया था; 15.03.2017 को विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण वार्ता हुई; इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने 12 अप्रैल, 2017 को ऋण (ऋण संख्या 8752-आईएन) को मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 03.01.2018 को 5,369.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। 375.00 मिलियन अमरीकी डालर के आईबीआरडी ऋण से संबंधित ऋण समझौते और परियोजना समझौते पर 02.02.2018 को विश्व बैंक और आर्थिक मामलों के विभाग और भा.अ.ज.प्रा. के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और ये दोनों दस्तावेज़ 23 मार्च, 2018 से प्रभावी हो गए। 4,633.81 करोड़ रुपये संशोधित अनुमानित लागत पर मध्यावधि समीक्षा के दौरान परियोजना पर दोबारा गौर किया गया और दिनांक 11.06.2020 को पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सूचना दी गई। पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव को आर्थिक मामलों के विभाग को भेज दिया था। इसके अलावा, संशोधित लागत प्रस्ताव दिनांक 11.06.2020 को आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व बैंक को भेजा गया था। ऋण समझौते के संशोधन पर दिनांक 03.09.2020 को हस्ताक्षर किये गये। ऋण समझौते के सक्रिय वित्तपोषण खंड के तहत, जेएमवीपी ने 1,021.99 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया है। उसी राशि में से सीएएए को

1,017.44 करोड़ रुपये जिसमें पूर्वव्यापी और परियोजना तैयारी अग्रिम शामिल है, मार्च, 2023 के अंत तक भारत के समेकित कोष में जमा किया गया है। उपरोक्त परियोजना के लिए प्राधिकरण को उपरोक्त परियोजना के लिए बनाए गए बजट शीर्ष और उपलब्ध अतिरिक्त बजटीय संसाधन के तहत बजटीय संसाधन के माध्यम से धन प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष में 2022-23, प्राधिकरण को 285.00 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ जिसे भारत सरकार ने पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से जारी किया है।

जेएमवीपी की प्रमुख परियोजनाएं, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जा रही हैं, उनमें साहिबगंज में 278.56 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण; 481.37 करोड़; रुपये की लागत से हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल; और फरक्का में 374.40 करोड़ रुपये की लागत से नया नेविगेशनल लॉक; 82.48 करोड़ रुपये की लागत से कालूघाट में इंटर-मॉडल टर्मिनल; एलएडी ड्रेजिंग अनुबंध; फरक्का-कहलगांव के बीच 177.00 करोड़ रुपये; सुल्तानगंज-महेंद्रपुर के बीच 159.30 करोड़ रुपये; महेंद्रपुर-बाढ़ के बीच 182.90 करोड़ की लागत से एलएडी ड्रेजिंग अनुबंध सौपां।

इसके अलावा, कोलकाता-फरक्का, कहलगांव-सुल्तानगंज और बाढ़-वाराणसी के बीच बैंडलिंग और नेविगेशनल एड्स के निष्पादन और रखरखाव के लिए अनुबंध 13.72 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर), 21 एचडीपीई सामुदायिक जेटियों का विकास 8.68 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर), रुपये 21.97 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के 13 स्टील पोंटून का डिजाइन, निर्माण, परिवहन और स्थापना; नेविगेशनल चैनल का विकास रुपये 9.40 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर), एफआरपी निरीक्षण नावों की आपूर्ति रुपये 3.00 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर), त्रिबेनी से वाराणसी के बीच बैंक टू बैंक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण रुपये 3.64 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर), सर्वेक्षण उपकरण की खरीद रुपये 8.63 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर), आरआईएस स्टेशनों के सीएएमसी के साथ संचालन और रखरखाव रुपये 23.34 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ रुपये 10.95 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) के अनुबंध दिए गए हैं। परियोजना पर व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया है। परियोजना की शुरुआत के बाद से रुपये 31 मार्च 2023 तक कुल व्यय 2,45,002.86 लाख (पिछले वर्ष 2,13,413.86 लाख रुपये) का व्यय किया गया है, जिसके नामे वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31,589.00 लाख (पिछले वर्ष 22,960.40 लाख रुपये) का व्यय हुआ है। (संदर्भ: अनुसूची-13, 14, 16 और 22)। इसके अलावा, जेएमवीपी की मुद्रा को 31.12.2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को पत्र दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में अनुमानित परियोजना लागत को संशोधित कर रुपये 5,362.27 करोड़ (जो सीसीईए द्वारा मूल अनुमोदित लागत 5,369.18 करोड़ रुपये से कम है) जिसमें मूल स्वीकृत कार्यों की आवंटित लागत/निष्पादित लागत/वर्तमान व्यय, मूल मंजूरी से हटाए गए कार्य और अर्थ गंगा के तहत नए कार्य आदि शामिल हैं।

4. कछुआ वन्यजीव अभयारण्य प्रबंधन के लिए ट्रस्ट की स्थापना के लिए प्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी को 02.08.2018 को 0.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ 9.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की गई है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और 9.37 करोड़ रुपये हमारे बही-खातों में वसूली योग्य दावे के तहत परिलक्षित हो रहे हैं, मामले के निर्णय पर खातों में समायोजन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

5. 11 टर्मिनलों के लिए भूमि और संकीर्ण नहर के चौड़ीकरण के लिए भूमि की लागत के लिए 4,818.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,816.19 लाख रुपये) की राशि केरल सरकार को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है। उपरोक्त में से 31.03.2023 तक (पिछले वर्ष 2,212.04 लाख रुपये) 12.3589 हेक्टेयर भूमि को 2,365.90 लाख रुपये में पूंजीकृत किया गया। नहर के चौड़ीकरण के लिए 1,785.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,785.47 लाख रुपये) की लागत से 21.5305 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 31.03.2023 तक जलमार्गों के चौड़ीकरण के बाद भूमि के जलमग्न हो जाने के कारण राजस्व व्यय के लिए 1,621.11 लाख रुपये की राशि वसूल की गई है। यदि केरल में विभिन्न न्यायालयों निर्देश मिलते हैं तो प्राधिकरण अधिग्रहित भूमि पर ब्याज और लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है। केरल में विभिन्न जिला कलेक्टरों के पास 666.82 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है **(संदर्भ: अनुसूची - 13 और 16)**

6. टर्मिनलों के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में 3,442.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,440.02 लाख रुपये) का भुगतान किया गया है। 31.03.2023 तक 3,288.41 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,288.41 लाख रुपये) पूंजीकृत (टर्मिनल और भवन) और 101.52 लाख रुपये राजस्व व्यय के रूप में दिखाए गए हैं। अ.ज.प. कायमकुलम टर्मिनल तक पहुंच मार्ग के निर्माण की लागत के लिए 8.51 लाख रुपये और अलप्पुझा टर्मिनल के निर्माण की लागत के लिए 9.51 लाख रुपये की राशि 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी को देय है **(संदर्भ: अनुसूची-16)**

7. बोलगट्टी और विलिंगटन द्वीप पर जेटी के निर्माण के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को जमा के रूप में 1,660.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,660.00 लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया गया। इसमें से अब तक 1,575.02 लाख रुपये पूंजीकृत किए जा चुके हैं और शेष 84.98 रुपये सीपीटी के पास उपलब्ध हैं।**(संदर्भ: अनुसूची-16)**

8. कोविलथोट्टम, चावरा में एनडब्ल्यू-3 पर सिंगल लेन पुल के निर्माण के लिए कार्यकारी अभियंता, हार्बर इंजीनियरिंग डिवीजन, आश्रमम, कोल्लम, केरल सरकार को अग्रिम के रूप में 138.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष 138.75 लाख रुपये) का भुगतान किया गया है। **(संदर्भ: अनुसूची-16)**

9. एनडब्ल्यू -3 के त्रिक्कुन्नप्पुझा में नेविगेशनल लॉक के पुनर्निर्माण के लिए निदेशक, अंतर्देशीय नौवहन निदेशालय, कोल्लम, केरल सरकार को 3,800 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,300 लाख रुपये) की राशि जारी की गई है। 31.03.2023 तक किए गए व्यय में 1,874.67 लाख रुपये पूंजीगत कार्य के रूप में बुक किए गए और 31.03.2023 तक उपरोक्त जमा राशि से 293.15 लाख रुपये (पिछले वर्ष तक 224.91 लाख रुपये) ब्याज के रूप में अर्जित किए गए हैं और जिसमें से 224.91 लाख रुपये भारत सरकार को भेज दिए गए थे और 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 1925.33 लाख रुपये निदेशक अंतर्देशीय नौवहन निदेशालय, कोल्लम, केरल सरकार के पास उपलब्ध हैं। **(संदर्भ: अनुसूची -14 और 16)**

10. i. एनडब्ल्यू-3 की चंपक्कारा नहर में एचटी लाइनों को स्थानांतरित करने की लागत के लिए मैसर्स केएसईबी लिमिटेड को 31.03.2023 तक 597.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 515 लाख रुपये) की राशि जारी की गई है और 417.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष 417.06 लाख रुपये) की राशि राजस्व व्यय के रूप में बुक की गई है और शेष 180.00 लाख रुपये राजस्व व्यय के रूप में मैसर्स केएसईबी लिमिटेड के पास उपलब्ध हैं। **(संदर्भ: अनुसूची -16)**

ii. बोलगट्टी में रो-रो जेट्टी में हुई क्षति को ठीक करने और विलिंगडन द्वीप पर डॉल्फ़िन के मूरिंग में क्षतिग्रस्त फेंडरों को बदलने की लागत के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को 1227 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1227 रुपये) की राशि जारी की गई है।

11. सेक्टर-34, नोएडा में 53 फ्लैटों को दिसंबर, 2002 को भा.अ.ज.प्रा. के कर्मचारियों के लिए लाइट हाउस एंड लाइट शिप (डीजीएलएल), पोत परिवहन मंत्रालय के महानिदेशक से 225.28 लाख रुपये के कुल हस्तांतरण मूल्य पर लिए गए। अधिकार-पत्र अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।

मकानों की प्रमुख मरम्मत पूरी करने के बाद रुपये 307.33 लाख (पिछले वर्ष तक 307.33 लाख रुपये) का पूंजीकरण किया गया है। हालाँकि, भा.अ.ज.प्रा. के नाम पर स्थानांतरण पंजीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि फ्लैट अभी तक पहले मालिक डीजीएलएल के नाम पर पंजीकृत नहीं हुए हैं। नोएडा में भूमि किराया आदि का भुगतान करने के लिए डीजीएलएल के साथ अनुनय के बाद, नोएडा के साथ प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के समय फ्लैटों के पंजीकरण की वास्तविक देनदारी का ध्यान रखा जाएगा।

12. मार्च, 2009 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक समझौते के माध्यम से म्यांमार में सित्तवे और पलेतवा के बीच कलादान नदी पर मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को परियोजना विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इसे "कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट" के नाम से जाना जाता है।

उपरोक्त परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। चरण-1 का कार्य दो भागों में निष्पादित किया गया है अर्थात (i) प्रारंभिक कार्य और (ii) अतिरिक्त कार्य। पत्तन और अ.ज.प. घटक का प्रारंभिक सौंपा गया कार्य और चरण-1 के तहत अतिरिक्त कार्य जैसे स्टाफ क्वार्टर, ढलान संरक्षण कार्य, तट संरक्षण कार्य, ईंधन बंकरिंग स्टेशन, कार्यशाला इत्यादि पूरे हो चुके हैं।

चरण-2 के कार्यों में सित्तवे और पलेतवा में कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, सित्तवे में दो मलबे को हटाना और चरण-1 कार्यों के तहत परिसंपत्तियों का ओ एंड एम पूरा करना शामिल है। मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है. केएमटीटीपी के पोर्ट और अ.ज.प. घटकों के चरण-1 के तहत पूरी की गई संपत्ति 31.01.2020 को म्यांमार सरकार के विभागों के माध्यम से नियुक्त पोर्ट ऑपरेटर को सौंप दी गई है और 01.02.2020 से काम शुरू हो गया है।

परियोजना विकास सलाहकारों का उपरोक्त व्यय समझौते के अनुसार विदेश मंत्रालय से प्राप्त परामर्श शुल्क (परियोजना लागत का 6%) से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि उपरोक्त परियोजना पर प्राप्तियां और व्यय भा.अ.ज.प्रा. द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए परियोजना पर वार्षिक अधिशेष/घाटे को भा.अ.ज.प्रा. निधि में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, कलादान परियोजना से संबंधित आय और व्यय को परियोजना की शुरुआत के बाद से भा.अ.ज.प्रा. के वार्षिक लेखों में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि यदि इसे शामिल किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप आय और व्यय खाते के दोनों तरफ के आंकड़े बढ़ जाएंगे और वार्षिक अधिशेष का हस्तांतरण हो जाएगा। भा.अ.ज.प्रा. फंड में घाटा उचित नहीं है। प्राधिकरण परियोजना पर लेखों की अलग-अलग पुस्तकें रखता है और वार्षिक लेखों को स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित किया जाता है।

अस्थायी अनुमोदित परियोजना लागत रुपये 39,641 लाख (चरण-I) और रुपये 47,870 लाख (चरण-II)। उपर्युक्त में से, कंटेनर हैंडलिंग सुविधा से संबंधित 30,000 लाख रुपये के कार्य को विदेश मंत्रालय द्वारा अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हालाँकि, अंतिम परियोजना लागत विदेश मंत्रालय द्वारा अंतिम बिल के निपटान के बाद निकाली जाएगी।

भा.अ.ज.प्रा. और एमईए के बीच समझौते के अनुसार, पीडीसी शुल्क 3,553.00 लाख रुपये @ परियोजना की प्रभावी अनुमानित लागत का 6% है। प्राधिकरण को अब तक पीडीसी शुल्क के रूप में 2,904.98 लाख रुपये (कंटेनर हैंडलिंग सुविधा के लिए 199 लाख रुपये सहित, जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा रोक कर रखा गया है) और सेवा कर के रूप में प्रतिपूर्ति के रूप में 211.44 लाख रुपये; जीएसटी 171.75 लाख रुपये और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण व्यय 98.87 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, 294.68 लाख रुपये (पिछले वर्ष 282.73 लाख रुपये) की आंतरिक प्राप्तियां हुई हैं, जो मुख्य रूप से 31.03.2023 तक परियोजना पर उत्पन्न बैंक ब्याज है। परियोजना के अंतिम परिणाम प्राधिकरण के वार्षिक खातों में परियोजना के पूरा होने/बंद होने के बाद विधिवत प्रतिबिंबित/समायोजित किए जाएंगे।

उपरोक्त में से 3,024.69 लाख रुपये का व्यय किया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 में 410.09 लाख रुपये की निधि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, बैंक ब्याज और अन्य प्राप्तियों से पीडीसी शुल्क पर अर्जित 294.68 लाख रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2022-23 के भा.अ.ज.प्रा. के वार्षिक खातों में आंतरिक प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त के अलावा, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि वित्त वर्ष 2022-23 में विदेश मंत्रालय से पीडीसी शुल्क का दावा किया गया है, जबकि विदेश मंत्रालय ने 8.078 करोड़ रुपये के दावे पर सहमति व्यक्त की है, जिसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म द्वारा कलादान परियोजना के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा **अनुबंध-क** में संलग्न हैं।

13. प्राधिकरण ने भा.अ.ज.प्रा. कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी के नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ली है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने तीनों पॉलिसियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान किया है। 31.03.2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन के लिए 16,170.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,465.00 लाख रुपये), ग्रेच्युटी के लिए 1,861.20 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,277.69 लाख रुपये) और लीव इनकैशमेंट के लिए 1,823.32 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,622.31 लाख रुपये) की आवश्यकता है।

प्राधिकरण ने प्राधिकरण के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन/ग्रेच्युटी फंड के प्रशासन और प्रबंधन के लिए 25.03.2003 से "भा.अ.ज.प्रा.-कर्मचारी पेंशन फंड" के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है। भा.अ.ज.प्रा.-कर्मचारी पेंशन फंड और छुट्टी नकदीकरण का प्रबंधन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। भा.अ.ज.प्रा.-कर्मचारी पेंशन फंड खाते के अनुसार ट्रस्ट के पास, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए क्रमशः 15,697.00 लाख रुपये और 1,819.87 लाख रुपये और छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए 1,731.20 लाख रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में पेंशन के लिए रुपये 284.00 लाख, ग्रेच्युटी के लिए रुपये 41.32 लाख और छुट्टी नकदीकरण के लिए रुपये 92.12 लाख का प्रावधान किया गया है। **(संदर्भ: अनुसूची-12)**

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए, धारणाएँ हैं:
मृत्यु दर : आईएएलएम (2006-08) अंतिम।

निकासी दर: सभी उम्र के लिए 1% से 3%।
छूट की मूल्यांकन दर: 7.25% प्रति वर्ष.
वेतन वृद्धि: 7% प्रति वर्ष

14. प्राधिकरण ने प्राधिकरण के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) का बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया है। बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ पर देयता रुपये 31.03.2023 को 326.77 लाख (पिछले वर्ष 290.25 लाख रुपये) है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23, के दौरान इसके लिए 82.83 लाख रुपये (पिछले वर्ष 87.28 लाख रुपये) प्रदान किए गए हैं। **(संदर्भ: अनुसूची-12)**

15. प्राधिकरण ने तीन कंपनियों अर्थात् (i) मेसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लिमिटेड, कोलकाता (ii) मेसर्स एसकेएस वाटरवेज लिमिटेड, कोलकाता और (iii) मेसर्स विवाडा लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड कोलकाता. के साथ तीन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में शेयरधारकों का समझौता किया। मेसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लिमिटेड, कोलकाता और मेसर्स एसकेएस वॉटरवेज़ लिमिटेड, कोलकाता के साथ शेयरधारकों के समझौते के अनुसार प्रत्येक कंपनी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5.00 लाख रुपये थी और जे.वी. भागीदारों द्वारा 70% और भा.अ.ज.प्रा. द्वारा 30%अनुपात में समान योगदान करना आवश्यक था। । तदनुसार, प्राधिकरण ने मेसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लिमिटेड, कोलकाता और मेसर्स एसकेएस वाटरवेज लिमिटेड, कोलकाता में प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के रूप में रु. 1.50 लाख के अपने हिस्से का अंशदान कर दिया।

मेसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लिमिटेड और मेसर्स एसकेएस वाटरवेज़ लिमिटेड नाम की फर्मों को पत्र दिनांक 22.08.2016 और ईमेल दिनांक 17.01.2017 के माध्यम से धारित इक्विटी राशि के लेखों के निपटान के लिए उनके द्वारा और कोई प्रगति नहीं होने पर संयुक्त उद्यम को समाप्त करने के निर्णय लेने पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

मेसर्स शाही शिपिंग लिमिटेड (पूर्व में एसकेएस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड) ने जवाब में, अपने पत्र दिनांक 16.06.2017 के माध्यम से सूचित किया कि वे संयुक्त उद्यम फर्मों जैसे रॉयल लॉजिस्टिक्स और एसकेएस वॉटरवेज को बंद कराना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

16. 31.03.2023 तक मध्यस्थों के समक्ष तीन मध्यस्थता मामले लंबित हैं, जिनका भा.अ.ज.प्रा. पर आकस्मिक देयता है और भा.अ.ज.प्रा. द्वारा दावा किया गया है। ये हैं (i) एनडब्ल्यू-3 (डीडीसीएल) में ड्रेजिंग कार्य, (ii) जहाजों का निर्माण (नेपच्यून मैरीटाइम), और (iii) बराक में ड्रेजिंग कार्य (आरडीएल-एसपीवी) । वर्तमान में उप-न्यायालय, केरल में एलएआर/एलएए से संबंधित मामला आकस्मिक देयता के साथ लंबित है। देनदारी सहित लंबित अदालती मामलों की सूची नीचे सारणीबद्ध प्रारूप में दिखाई गई है: -

न्यायालय	केस की संख्या	भा.अ.ज.प्रा. पर देयता	भा.अ.ज.प्रा. द्वारा दावा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय	03	-	-
एनजीटी, दिल्ली	01	-	-
एनजीटी दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई	01	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	04		
माननीय उच्च न्यायालय, केरल	16	-	-
माननीय उच्च न्यायालय,पटना	06		-
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	10		-
माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	09		
माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी	04		-
माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद	02		-
अतिरिक्त-तृतीय मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजुवाका विशाखापत्तनम	01		
जिला न्यायालय, वाराणसी	06	-	-
एडीजे-14 वाराणसी (राज-राजेश्वर)	01		
जिला न्यायालय/नगर न्यायालय गुवाहाटी	01		
एएलसी कार्यालय, गुवाहाटी	02	-	-
एएलसी कार्यालय, इलाहाबाद	01		
सिटी कोर्ट, कोलकाता	01	-	-
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कोलकाता	03	-	-
मुंसिफ कोर्ट, केरल	04	-	-
मजिस्ट्रेट कोर्ट, केरल	03		
एसीजेएम, जंगीपुर मुर्शिदाबाद (कोलकाता)	01		
सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कोलकाता	03		
वाणिज्यिक न्यायालय अलीपुर (विजाग रोडलाइन्स)	01	3.28	
वाणिज्यिक न्यायालय जीबी नगर भा.अ.ज.प्रा. बनाम आरडीएल	03	20.14	

*** **वाणिज्यिक न्यायालय अलीपुर 24 दक्षिण परगना पश्चिम बंगाल-भा.अ.ज.प्रा. बनाम के बीच मध्यस्थता। आरडीएल** रा.ज.-5	03	इस मामले का आधार उपरोक्त जैसा ही है	
वाणिज्यिक न्यायालय जीबी नगर भा.अ.ज.प्रा. बनाम योजाका	01	4.73 (पंचाट घोषित)	
भा.अ.ज.प्रा. बनाम डीडीसीएल के बीच मध्यस्थता	01	-	-
भा.अ.ज.प्रा. बनाम मैसर्स नेप्च्यून मैरीटाइम के बीच मध्यस्थता (विपक्षी पक्ष इतने लंबे समय से उपस्थित नहीं हो रहा था और उसका पता नहीं चल सका)	01	-	-
रीच ड्रेजिंग बराक एसपीवी प्राइवेट बनाम भा.अ.ज.प्रा. के बीच मध्यस्थता	01	14.91	71.04
उप न्यायालय, केरल (एलएआर/एलएए मामले)	03	0.0667	0.00
उप न्यायालय, वाराणसी (एलएआरआर मामले)	06		
उप न्यायालय, सारण छपरा (एलएआर मामले पटना)	01		
कुल	**104**	**43.1267**	**71.04**

** एनडब्ल्यू-5 के लिए रीच ड्रेजिंग लिमिटेड जेवी बनाम भा.अ.ज.प्रा. के बीच मध्यस्थता में दिनांक 28.07.2022 को मध्यस्थता पंचाट पारित किया गया है। मध्यस्थता पंचाट के अनुसार, आरडीएल संयुक्त उद्यम रु. 20,14,73,447/- (अर्थात रुपये 6,38,71,912/- (स्ट्रेच-ए) + रुपये 6,62,21,757/- (स्ट्रेच-बी) + रुपये 7,13,79,778/-(स्ट्रेच-सी) रुपये की पंचाट राशि का हकदार है। उपर्युक्त मध्यस्थता पंचाट दिनांक 28.07.2022 को चुनौती देने के लिए भा.अ.ज.प्रा. द्वारा मध्यस्थता सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत 24.01.2023 को माननीय वाणिज्यिक न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के समक्ष आवेदन दायर किए गए हैं।

** आरडीएल द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अलीपुर 24 दक्षिण परगना पश्चिम बंगाल में दिनांक 28.07.2022 को मध्यस्थता पंचाट का निष्पादन दायर किया गया।

वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय के बाद अंतिम परिणाम लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाएगा। हालाँकि, भा.अ.ज.प्रा. को 4.72 करोड़ रुपये, यदि न्यायालय ऐसा निर्देश दे, का भुगतान करना पड़ सकता है।

17. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राधिकरण को भारत सरकार से विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत 62,063.99 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने पूंजीगत व्यय. 39,514.92 लाख रुपये और राजस्व व्यय रुपये को 24,457.15 लाख रुपये का खर्च किया। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने 1,397.04 लाख रुपये की आंतरिक प्राप्तियां अर्जित कीं। इसे तब तक देयता के रूप में दिखाया गया है जब तक यह राशि भारत सरकार को उनके पत्र संख्या के तहत राज्य मंत्री के जी-20017/7/2013-अ.ज.प. दिनांक 06.12.2013 के निर्देशों के अनुसार देय है। सारांशित विवरण इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त निधि और व्यय का सार		
		(आंकड़े लाख में)
विवरण		कुल
प्राप्त धनराशि		
(क) योजना/अन्य	62,063.99	
(ख) वित्तीय वर्ष का घाटा 2021-22	(3,959.22)	**58,104.77**
घटा: - किया गया व्यय		
(क) राजस्व व्यय	24,457.15	
(ख) पूंजीगत व्यय	39,514.92	**63,972.07**

18. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 1,397.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,182.34 लाख रुपये) की आंतरिक प्राप्तियां अर्जित हुई हैं। पोत-परिवहन मंत्रालय के पत्र क्रमांक जी-20017/7/2013-अ.ज.प. दिनांक 06.12.2013 के अनुसार इसे सरकारी खाते में जमा करना होगा। आंतरिक प्राप्तियों की राशि को भारत सरकार के प्रति देयता के रूप में दर्शाया गया है। आंतरिक प्राप्तियों का विवरण इस प्रकार है:- **(संदर्भ: अनुसूची-3)।**

क्र. सं.	आंतरिक प्राप्तियां	राशि (रुपये में)
1	पायलटेज शुल्क	13,81,576
2	बर्थिंग शुल्क	2,33,34,949
3	ओवर डायमेंशन कार्गो आय	34,30,846
4	प्रोटोकॉल शुल्क	35,90,700
5	लॉक गेट शुल्क	5,07,285
6	विविध. प्राप्तियां	7,93,148
7	किराया प्राप्त टर्मिनल	40,45,403
8	निविदा प्रपत्रों की बिक्री	3,81,186
9	नेविगेशन चार्ट की बिक्री	7,000
10	पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास शुल्क एनआईएनआई	44,38,906
11	ड्राई कार्गो	16,25,207
12	पोंटून किराया शुल्क	28,90,759
13	जहाजों को किराये पर लेना	2,12,67,341
14	जमा/निवेश पर ब्याज	5,17,28,110
15	मोबिलाइजेशन पर ब्याज	1,50,90,839
16	वाहन/एचबीए पर ब्याज	7,41,077
17	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	7,017
18	किराया-भवन	44,42,173
19	भण्डारण एवं प्रचालन शुल्क	342

कुल	**13,97,03,864**

19. अग्रिम भुगतान के आधार पर नोएडा, एमएमटी हल्दिया, पतिखली टर्मिनल हल्दिया और प्रिंसेस घाट कोलकाता में लीज भूमि का अधिग्रहण किया गया है। विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित पट्टा किराया की राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। **(संदर्भ: अनुसूची-13) ।**

20. अतीत में, मेसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा मौजूदा संविदा, अनुमोदित बजट, के भीतर तीन वेब-पोर्टल अर्थात एमआईआरएस, पानी और सीएआर-डी विकसित करने की और लॉक-डाउन के दौरान उपलब्ध समय और घर से काम की सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए अपने संसाधनों द्वारा पुन: तैनाती की परिकल्पना की गई थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है.

वित्तीय वर्ष 2022-23. के दौरान, 1 रुपये प्रत्येक की टोकन राशि के साथ पूंजीकरण (अमूर्त संपत्ति प्रमुख के तहत) किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त जांच के निष्कर्ष के बाद, अंतिम निष्कर्षित मूल्य पर पूंजीकरण, भा.अ.ज.प्रा. की लेखा पुस्तकों में किया जाएगा।

21. वाटर एयरोड्रोम की स्थापना के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जमा आधार पर कार्य निष्पादित करने के लिए सौंपा गया है। नियत कार्य के दायरे के अनुसार, प्राधिकरण को निम्नानुसार 5 स्थान समनुदेशित किए गए है:-

- सरदार सरोवर बांध–स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात
- साबरमती रिवर फ्रंट–गुजरात
- शत्रुंजय बांध–गुजरात
- गुवाहाटी रिवर फ्रंट–असम
- उमरांगसो जलाशय–असम

चूंकि सरदार सरोवर बांध और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली सीप्लेन सेवाओं का उद्घाटन किया जाना था, इसलिए पानी के किनारे की अवसंरचना अर्थात, फ्लोटिंग जेटी का निर्माण, नेविगेशनल बोय के प्रावधानों को भा.अ.ज.प्रा. को सौंप दिया गया था।

चूंकि परियोजना समयबद्ध थी, भा.अ.ज.प्रा. ने मोर्मुगाओ पोर्ट अथॉरिटी को फ्लोटिंग जेटी की आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग का काम और डीजीएलएल को नेविगेशनल बॉय का काम सौंपा, जो निर्धारित समय सीमा से पहले सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था।

बाद में तत्कालीन सचिव (नागरिक उड्डयन) की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान, दोनों स्थानों पर एंकर ब्वॉय स्थापित करने का काम अतिरिक्त रूप से डीजीएलएल को सौंपा गया था, जिस पर कार्यान्वयन जारी है और 15 अगस्त 2023 तक पूरा होने की संभावना है।. उपरोक्त 5 स्थानों में से शेष 3 स्थानों का कार्य पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, द्वारा एसपीएमपीए को सौंपा गया था। **(संदर्भ: अनुसूची-11)।**

22. राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और 2 पर रिवर क्रूज़ के चढ़ने/उतरने के नौ मुख्य बिंदुओं पर जेटियों के विकास का कार्य अर्थात (i) बॉटनिकल गार्डन जेट्टी (ii) वाराणसी (iii) इलाहाबाद-I (iv) इलाहाबाद-II (v) मुंगेर टर्मिनल (vi) नेमाटी, जोरहाट (vii) बिश्वनाथ

घाट, सोनितपुर (viii) सिलघाट, नागांव और (ix) पांडु टर्मिनल, पांडु के विकास का कार्य को जमा आधार पर कार्य निष्पादित करने के लिए आईडी-डिवीजन, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय के पत्र दिनांक 22.05.2023 के अनुसार इस स्तर पर एनडब्ल्यू-1 पर 2 जेटियों का विकास नहीं करने और रिवर क्रूज़ के लिए एनडब्ल्यू-110 (यमुना नदी) के लिए एनडब्ल्यू-1 पर 3 जेटियों के विकास के लिए सीएफए रिलीज के नामें फेरी सेवाएं मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में 3 जेटियों के विकास के लिए डीपीआर भेजने का निर्देश दिया गया है और इसे एक अलग परियोजना के रूप में माना जाएगा।

उपरोक्त कार्य के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 700.76 लाख रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कुल सीएफए का 25% है। जमा पर ब्याज के रूप में 47.48 लाख रुपये अर्जित किए गए हैं। इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। **(संदर्भ: अनुसूची-11)**

23. भा.अ.ज.प्रा. ने मार्च, 2017 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) को 30 वर्षों के लिए दीर्घकालिक पट्टे पर स्वरूपगंज, नादिया जिले (पश्चिम बंगाल) में लिए गए अलग-अलग भूखंडों के लिए अग्रिम पट्टे के किराए के रूप में 2.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसे अग्रिम के रूप में दिखाया गया है क्योंकि केपीटी के साथ लीज करार अभी निष्पादित किए जाने हैं। **(संदर्भ: अनुसूची-16)**

24. i. आईटीएटी, नई दिल्ली ने मूल्यांकन वर्ष 1988-89 से 1997-98 (आकलन वर्ष 1990-91 को छोड़कर) के लिए जुलाई, 2006 में निर्णय लिया कि प्राधिकरण को दिया जाने वाला अनुदान प्रकृति में राजस्व नहीं है और इसलिए कर योग्य नहीं है। आईटीएटी आदेश को प्रभावी करते हुए, एसीआईटी, नोएडा ने नवंबर, 2010 में नया मूल्यांकन आदेश जारी किया, जिसमें प्राधिकरण की विविध प्राप्तियों को आय माना गया है और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। जुर्माना सहित बकाया कर वसूल कर लिया गया है। इसके बाद, प्राधिकरण ने आईटीएटी, नई दिल्ली; सीआईटी (अपील), गाजियाबाद में प्राधिकरण की आय के रूप में विविध प्राप्तियों को खारिज करने के संबंध में एसीआईटी (छूट), नोएडा का आदेश प्राप्त करने के लिए अपील और जवाबी अपील के माध्यम से मामले को लगातार आगे बढ़ाया।

प्राधिकरण ने सीआईटी (अपील) के आदेश के खिलाफ आईटीएटी, नई दिल्ली में अपील दायर की। आईटीएटी, नई दिल्ली ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2014 के तहत इस दृष्टिकोण से समेकित आदेश पारित किया था कि बाद के वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करते समय विविध प्राप्तियों को सरकार को समायोजित/वापस कर दिया जाए। इसलिए, इसे प्राधिकरण के लिए आय के रूप में नहीं माना जा सकता है। आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश को प्रभावी करने के लिए मामला डीसीआईटी (छूट), गाजियाबाद के पास लंबित है।

ii. एसीआईटी, नोएडा ने नवंबर, 2010 के नए मूल्यांकन आदेश में जुर्माना भी लगाया और 11.80 करोड़ रुपये की मांग की, जिसे आईटी विभाग द्वारा एकत्र किया गया है। आयकर विभाग द्वारा एकत्र की गई राशि उस विशेष वित्तीय वर्ष में प्राप्त अनुदान से ली गई थी।

इसके बाद, एसीआईटी, नोएडा ने इस तर्क के साथ एक आदेश जारी किया कि आईटीएटी निर्देश के मद्देनजर धारा 271(1) (सी) के तहत जुर्माने का कोई नया निर्णय आवश्यक नहीं है। एसीआईटी, नोएडा के उक्त आदेश के खिलाफ, प्राधिकरण ने आईटीएटी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मामले की समीक्षा करने के लिए एसीआईटी,

नोएडा/गाजियाबाद में धारा 154 के तहत एक आवेदन दायर किया है। इस मामले को प्राधिकरण ने आयकर विभाग के साथ आगे बढ़ाया है और वर्तमान में यह डीसीआईटी (छूट), गाजियाबाद के पास लंबित है।

iii. प्राधिकरण को 01.04.1998 से प्रभाग आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12(क) के तहत छूट दी गई है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से निर्धारण वर्ष 1998 और उसके बाद से धारा 10(23) (ग) (iv) के तहत छूट प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। धारा 10 के खंड (23ग) के पहले प्रावधान के खंड (i) के तहत प्राधिकरण को 02.01.2022 को 5 साल की अवधि अर्थात निर्धारण वर्ष. 2022-23 से 2026-27के लिए छूट बढ़ा दी गई है।

iv. प्राधिकरण ने निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एसीआईटी (छूट), गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सीआईटी (अपील), एनएफएसी, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। एसीआईटी ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से यह विश्वास करने का कारण दिया कि प्राधिकरण को दिया जाने वाला अनुदान प्रकृति में राजस्व नहीं है और इसलिए कर योग्य नहीं है।

भा.अ.ज.प्रा. ने अपने पुराने PAN-AAACI4690M पर आय से बचा लिया है और निर्धारण वर्ष 2016-17 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए 15.21 करोड़ रुपये और 0.22 करोड़ रुपये की मांग उठाई है। प्राधिकरण को अपील में पूरी राहत मिलने की उम्मीद है। मामला लंबित है और अभी सीआईटी (अपील), नई दिल्ली द्वारा सुनवाई की जानी है।

25. प्राधिकरण के पास 31.03.2023 को बैंक शेष 11,062.63 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,498.00 रुपये) में से 8,554.71 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7,481.97 रुपये) का अल्पावधि जमा (बचत सह फ्लेक्सी बैंक खाता) है। **(संदर्भ: अनुसूची-21)**

26. भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीपी):-

i. विदेश मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश में कुशियारा नदी के आशुगंज-जकीगंज/करीमगंज खंड और जमुना नदी के सिराजगंज-दाइखोवा खंड की ड्रेजिंग के लिए 305.84 करोड़ रुपये (305.84 करोड़ रुपये में से, भारत का हिस्सा 80% अर्थात 244.67 करोड़ रुपये होगा) की कुल लागत से एक अलग परियोजना स्वीकृत की गई है।

a. आशुगंज-जकीगंज की स्थिति (295 किमी):

- ड्रेजिंग शुरू - मार्च'2019
- प्रारंभिक ड्रेजिंग का समापन-अप्रैल'2021
- भौतिक प्रगति रखरखाव ड्रेजिंग 5 वर्ष-अप्रैल'2021 से अप्रैल'2026 - प्रगति पर
- वित्तीय प्रगति-29.32%* (पंचाट लागत- बीडीटी 95,49,37,000.00)

b. सिराजगंज-दैखोवा की स्थिति (175 किमी):

- ड्रेजिंग शुरू-अप्रैल'2019
- रखरखाव ड्रेजिंग 7 वर्ष - अप्रैल'2019* से अप्रैल'2026 तक
- भौतिक प्रगति: 2026 तक 7 साल का रखरखाव-प्रगति पर
- वित्तीय प्रगति: 28.16%* (सम्मानित लागत-बीडीटी 227, 46, 44,500.00)

* चैनल की स्थिति में बार-बार बदलाव के कारण, 20 फरवरी 2020 को ढाका में आयोजित जेएमसी की तीसरी बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जलमार्ग को चालू रखने के लिए सिराजगंज-डाइखोवा खंड में केवल रखरखाव ड्रेजिंग का काम किया जाएगा।

ii. कार्गो यात्री और पर्यटन के परिवहन को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के कुशल, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकास के लिए दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार आईबीपी मार्गों का विकास किया गया है। भा.अ.ज.प्रा. और बिअ.ज.प.ए संबंधित सरकार के लिए कार्यान्वयन के रूप में कार्य करते हैं। उद्धृत मार्गों के संचालन में दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को हल करने के लिए जेएमसी, जिसमें सदस्य (तकनीकी) की अध्यक्षता में दोनों देशों के सदस्य शामिल हैं, भा.अ.ज.प्रा. को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

27. आकस्मिक देयताएं:

I. अक्टूबर 2009 के महीने के दौरान विलिंगटन द्वीप और बोलगट्टी द्वीप के बीच रो-रो सेवा के संचालन के लिए भा.अ.ज.प्रा. और सीओपीटी के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया था और मेसर्स सीओपीटी द्वारा नवंबर 2010 में 10 वर्षों की अवधि के लिए लॉट्स शिपिंग कंपनी को काम सौंपा गया था। इसके बाद ठेकेदार अर्थात मैसर्स लॉट्स शिपिंग कंपनी ने ड्राफ्ट को बनाए नहीं रखने के लिए एक मुद्दा उठाया और बाद में इस मुद्दे को मध्यस्थ के पास भेज दिया गया। दिनांकित 25.09.2019 के, एकमुश्त निपटान पंचाट के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिया गया; भा.अ.ज.प्रा. को 57.99 लाख रुपये रुपये की राशि का भुगतान पंचाट की तारीख से वसूली तक 9% ब्याज के साथ मेसर्स को लॉट्स शिपिंग कंपनी करना आवश्यक है। । वर्तमान में, सीओपीटी ने मध्यस्थता पंचाट के खिलाफ अपील दायर की है।

II. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) ने राष्ट्रीय राजमार्ग और असंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए संरक्षक के रूप में सीअ.ज.प.सी लिमिटेड से 103 एकड़ जमीन ली थी। इस संबंध में उक्त भूमि अतिक्रमण के अधीन है। अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालाँकि, उक्त रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.03.2023 और 20.04.2023 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया था। भा.अ.ज.प्रा. प्राधिकरण और सचिव रसद के बीच आयोजित बैठक के संदर्भ में भूमि को मुक्त कराने के लिए अतिक्रमणकारियों को 264.51 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। हालाँकि, 71 अतिक्रमणकारियों को रुपये 23.90 लाख के चेक लौटा दिए। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 23.90 लाख रुपये की पूंजीगत कार्य-प्रगति में उक्त राशि से कमी की गई। तदनुसार भविष्य में 23.90 लाख रुपये की देनदारी आ सकती है।

28. सीएसएल की सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) को जमा कार्य के आधार पर जहाज मरम्मत सुविधा का निर्माण सौंपा गया। 26.08.2021 को भा.अ.ज.प्रा. और एचसीएसएल (सीएसएल की एक

सहायक कंपनी) के बीच समझौते के परिशिष्ट-। पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर 16.02.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। 208.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर परियोजना के लिए डीआईबी दिनांक 03.01.2023 को स्वीकृत किये गये।

यह कार्य 31.03.2023 को एचसीएसएल द्वारा मेसर्स एल एंड टी जियोस्ट्रक्चर कुल 145,49,50,258.00 रुपये की लागत पर प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई को सौंपा गया है। एचसीएसएल ने 04.05.2023 को साइट मेसर्स एल एंड टी जियो स्ट्रक्चर को सौंप दी है। स्थलाकृति पूरी हो गई है, एनटीपीसीडब्ल्यूसी के साथ समीक्षाधीन है। 23.05.2023 से कच्चे माल का परीक्षण शुरू हुआ और ट्रेल मिश्रण शुरू हुआ। पाइलिंग उपकरण 19.05.2023 को जुटाए गए। मार्च, 2025 तक पूरा होने की संभावना है। एचसीएसएल को जारी की गई कुल धनराशि रु 19.87 करोड़ है।

29. आईपीआरसीएल को 21.12.2022 को एक कार्य-आदेश जारी किया गया है और भा.अ.ज.प्रा. और आईपीआरसीएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफएसआर को भा.अ.ज.प्रा. ने स्वीकार कर लिया और 08.02.2023 को डीपीआर और निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए आईपीआरसीएल को निर्देशित किया। काम को बहुत ही संक्षिप्त समय-सीमा में पूरा करने के लिए भा.अ.ज.प्रा. ने दिनांक 24.02.2023 के पत्र के माध्यम से आईपीआरसीएल की खरीद नीति के अनुसार समानांतर रूप से डीपीआर और निविदा तैयार करने की अनुमति दी। तदनुसार, आईपीआरसीएल ने 08.03.2023 को सिविल कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की और निविदा में रखी गई अनुमानित लागत से 31.87% अधिक होने के कारण दिनांक 15.04.2023 के पत्र के माध्यम से भा.अ.ज.प्रा. की सहमति मांगी। मंत्रालय के पत्र क्रमांक IWT-11011/118/2023- अ.ज.प. दिनांक 11.05.2023 के जवाब में सचिव (अ.ज.प.), मंत्रालय की अध्यक्षता में 09.05.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अग्रेषित करते हुए, जिसमें भा.अ.ज.प्रा. को लागत वृद्धि के लिए आईपीआरसीएल के औचित्य पर अपनी सिफारिश देने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। भा.अ.ज.प्रा. बोर्ड की मंजूरी, और 33,55,97,000.00 (निविदा में लगाई गई अनुमानित लागत से 28.09% अधिक) रुपये की लागत पर L-1 बोलीदाता को उद्धृत कार्य सौंपने के आईपीआरसीएल के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 31.05.2023 को आयोजित भा.अ.ज.प्रा. की बोर्ड बैठक में एजेंडा रखा गया था। बोर्ड के प्रस्ताव का प्रतीक्षा है। 5.26 रुपये की मांग के मुकाबले आईपीआरसीएल को 9,72,45,120 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।.

30. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 18.11.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) सभी खरीद नियमों के साथ-साथ जीएफआर, सीवीसी दिशानिर्देशों और समय-समय पर जारी भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भा.अ.ज.प्रा. की ओर से कार्य निष्पादित करेगा। परियोजना लागत रुपये लगभग 204.47 करोड़। [(धनसिरी नदी (एन डब्ल्यू -57), कोपिली नदी (एन डब्ल्यू -57) आर-पैक्स मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी (एन डब्ल्यू-2) और बराक नदी (एन डब्ल्यू -16) ।

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 18.11.2022 की स्वीकृति 22.11.2022 को डीसीआई को सूचित की गई थी। डीसीआई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खोजी गई लागत और भा.अ.ज.प्रा. द्वारा विधिवत अनुमोदित-प्लस खोजी गई दर के 5% आधार पर उक्त कार्य को पूरा करेगा। भा.अ.ज.प्रा. और डीसीआई के बीच 02.02.2023 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धनसिरी में ड्रेजिंग की वास्तविक तैनाती/आवश्यकता अगले बाढ़ के मौसम के दौरान होगी।

31. सरकार ने देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) को बढ़ावा देने के लिए, 12.04.2016 से प्रभावी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 24 राज्यों में फैले 111 (5 मौजूदा और 106 नए सहित) राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) की घोषणा की।.

बाद में व्यवहार्यता/डीपीआर अध्ययन के परिणाम के अनुसार, यह स्थापित किया गया है कि 5 पूर्व-मौजूदा एनडब्ल्यू (नंबर 1 से 5) के अलावा लगभग 18 नए एनडब्ल्यू को अब तक कार्गो परिवहन के लिए संभावित रूप से व्यवहार्य पाया गया है और अन्य 25 नए एनडब्ल्यू को नौका/क्रूज आदि के लिए व्यवहार्य पाया गया है और तदनुसार उनके विकास के लिए कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार 2030 तक 26 एनडब्ल्यू (एनडब्ल्यू-1 से 5 सहित) को चालू करने के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा, विजन 2047 के तहत विकास के लिए 50 एनडब्ल्यू को भी प्रस्तावित/योजनाबद्ध किया गया है, जिसे सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें श्रेणी सी के कुछ एनडब्ल्यू शामिल हैं, का चयन भी कर लिया गया है।

अध्ययन पूरा होने पर 106 नए एनडब्ल्यू का अंतरिम वर्गीकरण उनके विकास की प्राथमिकता के लिए एनडब्ल्यू की पहचान के उद्देश्य से था, जिसमें 18 एनडब्ल्यू श्रेणी ए (कार्गो आंदोलन के लिए सबसे व्यवहार्य), 23 एनडब्ल्यू पर्यटन / यात्री आंदोलन के लिए व्यवहार्य थे और 63 एनडब्ल्यू को श्रेणी सी के तहत रखा गया था, जिसे वित्तीय या आर्थिक बाधाओं के कारण उस समय विकास के लिए नहीं माना जा सकता था। बाद में, वित्त की उपलब्धता के अनुसार और श्रेणी ए और बी के तहत एनडब्ल्यू के विकास के बाद, परिदृश्य विकसित होगा जो उनके विकास के लिए शेष 63 एनडब्ल्यू को लेने में मदद करेगा और इसलिए इन एनडब्ल्यू को हमेशा के लिए अव्यवहार्य घोषित करना उचित नहीं लगता है। इन नदियों और नहरों को एनडब्ल्यू के रूप में घोषित करने से जलमार्गों के विकास को बेहतर ढंग से विनियमित करने में भी मदद मिली है ताकि बढ़ती अर्थव्यवस्था और उन्नत औद्योगिकीकरण के साथ जरूरत पड़ने पर भविष्य की नौवहन आवश्यकताओं के लिए उनकी क्षमता को संरक्षित किया जा सके।'

32. लेखों को लेखा नीति सहित सीएजी द्वारा अनुमोदित और विधिवत जांचे गए लेखों के संशोधित प्रारूप पर तैयार किया गया है। लेखों का संशोधित प्रारूप दिनांक 13.07.2020 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

33. निष्पादित की जाने वाली पूंजी से सम्मानित संपर्कों पर देयता मार्च 2023 के अंत तक रुपये होने की उम्मीद है। निष्पादित किए जाने वाले पूंजीगत पंचाट संपर्कों पर देनदारी रुपये 34,283.67 होने की उम्मीद है।

34. 31,031.58 लाख (पिछले वर्ष 26,363.81 लाख रुपये ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से उन्हें दिए गए कार्यों/ठेकों के एवज में सुरक्षा जमा, बयाना राशि और मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में) 30.03.2023 तक प्राप्त हुए हैं।

35. इन्वेंटरी जैसे स्टोर (पीओएल सहित), स्पेयर और टूल्स (मशीनरी स्पेयर सहित) आदि का मूल्यांकन भा.अ.ज.प्रा. की लेखांकन नीति के अनुसार लागत पर किया जाता है।

36. 31.03.2023 तक प्राधिकरण के कब्जे में स्थान-वार भूमि/पट्टा भूमि का विवरण "**अनुलग्नक-ख**" में संलग्न है।

37. 31.03.2023 तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास सहित विवरण "**अनुलग्नक-ग**" में संलग्न है।

38. अ.ज.प. अनुभाग, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 23.06.2022 के पत्र के माध्यम से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) को ड्राइंग सीमा के असाइनमेंट के माध्यम से धन के हस्तांतरण के लिए "केंद्रीय नोडल एजेंसी" (सीएनए) के रूप में नामित किया है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 09.03.2022 को जारी ओएम संख्या 1(18)/PFMS/FCD/2021 के अनुसार धन के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के लिए किया गया।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अ.ज.प. अनुभाग, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मंजूरी आदेशों के अनुसार भा.अ.ज.प्रा. (सीएनए होने के नाते) ने मिजोरम और असम सरकार के क्रमशः और उपरोक्त ओएम दिनांक 09.03.2022 के अनुसार उप-एजेंसियों को रुपये 16,46,000/- और रुपये 4,74,99,000/- की निकासी सीमा सफलतापूर्वक सौंपी थी। हालाँकि, पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रुपये 4,91,45,000/- की पूरी निधि सीएनए के पास है क्योंकि उप-एजेंसियों ने अभी तक इसके विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान 2022-23 में, 7,31,542/- रुपये की राशि ब्याज के रूप में अर्जित की गई थी और इसे भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में भेज दिया जाएगा।

39. वार्षिक लेखा यथासंभव सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

40. जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहीकरण और पुनः वर्गीकरण किया गया है।

41. सभी आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है और ( ) में आंकड़े नकारात्मक आंकड़े दर्शाते हैं।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

25. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रुपये में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 3 " **पूंजी** "			
1	भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम की धारा 11 (1) (ग)) के तहत पूंजी	94,37,244.00	94,37,244.00
2	भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम की धारा 19 के तहत भा.अ.ज.प्रा. निधि		
	निधि का प्रारंभिक शेष	22,42,24,23,023.00	19,81,20,59,194.00
	जमा:		
	भारत सरकार से प्राप्त पूंजीगत अनुदान	5,44,31,00,000.00	4,16,66,32,495.00
	आंतरिक प्राप्तियाँ (सूची के अनुसार)	13,97,03,864.00	11,82,33,829.00
	अन्य प्राप्त अनुदान (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	4,91,45,000.00	
	अन्य (निर्दिष्ट करें)	2,94,68,166.00	
	घटा:		
	भारत सरकार को देय राशि	(13,97,03,864.00)	(11,82,33,829.00)
	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	26,13,826.00	(26,13,826.00)
	आय एवं व्यय खातों में हस्तांतरित	(38,62,57,337.00)	(38,26,59,229.00)
	वर्ष के दौरान बेची/बट्टे-खाते डाली गई अचल संपत्तियों का बही मूल्य	(17,505.00)	
	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	- मूल्यह्रास का समायोजन		-
	जमा/घटा: आय और व्यय खातों से हस्तांतरित अधिशेष/घाटा	(1,68,24,16,229.00)	(1,17,09,95,611.00)
	भा.अ.ज.प्रा. निधि का अंतिम शेष	25,87,80,58,944.00	22,42,24,23,023.00
	योग		
अनुसूची - 4 **"आरक्षित निधि एवं अधिशेष"**			
1	पूंजीगत आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष		-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती		-
	अंतिम शेष	-	-
2	सामान्य आरक्षित निधि		

	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	कोई अन्य आरक्षित निधि (निर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (1+2+3)	-	-
अनुसूची - 5 "**निर्धारित/अक्षय निधि**"			
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान दान/अनुदान से वृद्धि	-	-
	निधियों संबंधित निवेश से आय	-	-
	अन्य वृद्धि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
अनुसूची - 6 " **दीर्घकालिक ऋण**"			
क	सुरक्षित		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) सावधि ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-

	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क)सावधि ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों और एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बांड/डिबेंचर**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	**अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख	**असुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) सावधि ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क)सावधि ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-

	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों और एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बांड/डिबेंचर**		
	प्रारंभिक शेष	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो		-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
6	**अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची - 6)	**10,00,00,00,000.00**	**10,00,00,00,000.00**
अनुसूची - 7 " **अन्य गैर-चालू देनदारियां** "			
1	प्राप्त प्रतिभूति जमा	21,28,86,005.00	21,43,07,897.00
2	प्राप्त बयाना राशि	18,87,751.00	19,08,144.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि		
4	रोका गया कर	1,70,72,244.00	3,50,51,288.00
5	व्ययों हेतु देयताएं	32,65,39,696.00	36,32,15,152.00
6	देय ड्यूटी एवं कर	23,73,129.00	1,33,35,607.00
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्ति	-	
8	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	27,600.00	-
9	प्रतिधारण राशि	-	
10	अन्य		
	- छुट्टी नकदीकरण के लिए देयताएँ	16,22,16,414.00	12,36,29,303.00

	- देय दावा	1,21,16,421.00	1,20,90,166.00
	योग	**73,51,19,260.00**	**76,35,37,557.00**
अनुसूची - 8 " **दीर्घकालिक प्रावधान** "			
1	ग्रेच्युटी का प्रावधान	-	-
2	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान का प्रावधान	-	-
	(प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए)	-	-
3	पेंशन अंशदान का प्रावधान	-	-
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	-
5	नई पेंशन योजना का प्रावधान	-	-
6	बोनस का प्रावधान	-	-
7	शुल्कों और करों के लिए प्रावधान	-	-
8	बांड/डिबेंचर पर ब्याज का प्रावधान (अर्थात अर्जित लेकिन देय नहीं)	-	-
9	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
10	अन्य प्रावधान	-	1,79,47,467.00
	योग		**1,79,47,467.00**
अनुसूची - 9 " **अल्पावधि ऋण**"			
क	**सुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) सावधि ऋण		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-

	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क) सावधि ऋण		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों और एजेंसियों से ऋण**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बांड/डिबेंचर**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	**अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)**	-	
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-

	अंतिम शेष	-	-
ख	**असुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) सावधि ऋण		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क)सावधि ऋण		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-

	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों और एजेंसियों से ऋण**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बांड/डिबेंचर**		
	आरंभिक शेष	25,09,66,575.00	25,09,66,575.00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो		-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	(25,09,66,575.00)	(25,09,66,575.00)
	उपार्जित और देय ब्याज	25,09,66,575.00	25,09,66,575.00
	अंतिम शेष	25,09,66,575.00	25,09,66,575.00
6	**अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)**		
	आरंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची - 9)	**25,09,66,575.00**	**25,09,66,575.00**
अनुसूची - 10 " **विविध लेनदार** "			
1	आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार	10,30,08,491.00	8,13,14,838.00
2	पेशेवर	-	-
3	अन्य	60,88,92,370.00	53,36,71,606.00
	योग	**71,19,00,861.00**	**61,49,86,444.00**
अनुसूची - 11 " **अन्य वर्तमान देनदारियां** "			
1	प्राप्त सुरक्षा जमा	8,56,61,848.00	8,36,19,728.00
2	प्राप्त बयाना राशि	1,19,78,923.00	4,84,032.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि	-	-
4	रोका गया कर	1,00,22,525.00	13,08,382.00
5	व्ययों के लिए देनदारियाँ	13,35,95,404.00	15,70,20,469.00
6	देय शुल्क और कर	4,84,80,696.00	2,66,72,950.00

7	भारत सरकार को देय आंतरिक रसीद	13,97,03,864.00	11,82,33,829.00
8	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	-	26,13,826.00
9	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	8,28,17,977.00	5,26,13,810.00
10	प्रतिधारण राशि	-	-
11	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	5,69,43,836.00	6,48,84,667.00
	योग	**56,92,05,073.00**	**50,74,51,693.00**
अनुसूची - 12 " **प्रावधान**"			
1	ग्रेच्युटी का प्रावधान	41,32,353.00	-
2	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान का प्रावधान (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए)	44,70,342.00	2,32,451.00
3	पेंशन अंशदान का प्रावधान	4,73,90,848.00	1,89,00,000.00
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	92,67,637.00	-
5	नई पेंशन योजना का प्रावधान	2,99,226.00	-
6	बोनस का प्रावधान	14,63,921.00	15,88,802.00
7	शुल्कों और करों के लिए प्रावधान	-	
8	बांड/डिबेंचर पर ब्याज का प्रावधान (अर्थात अर्जित लेकिन देय नहीं)	-	
9	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	
10	अन्य प्रावधान (चिकित्सा)	3,26,77,122.00	1,10,77,740.00
	योग	**9,97,01,449.00**	**3,17,98,993.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

26. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च, 2023 को अचल संपत्तियों की अनुसूची

अनुसूची - 13

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/ परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	कटौती	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	01.04.2022 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान	परिवर्धन / कटौती	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7	8	9 = (6+7+8)		10 = (2 - 6)
(क) मूर्त संपत्ति										
भूमि एवं भवन										
भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड										
- भूमि (चौड़ीकरण, कोच्चि)	1,64,35,921	-	-	1,64,35,921		-	-	-	1,64,35,921	1,64,35,921
- भूमि टर्मिनल (कोलकाता)	**1,24,83,75,749**	1,08,23,700		1,25,91,99,449	-	-	-	-	1,25,91,99,449	1,24,83,75,749
- भूमि टर्मिनल (पटना)	**2,16,20,100**	-		2,16,20,100					2,16,20,100	2,16,20,100
- भूमि-टर्मिनल (गुवाहाटी)	**12,85,49,214**	3		12,85,49,217					12,85,49,217	12,85,49,214
- भूमि टर्मिनल (साहिबगंज)	**36,734**	27,23,88,382		27,24,25,116					27,24,25,116	36,734
- भूमि टर्मिनल (कोच्चि)	**22,12,03,970**	1,53,85,845		23,65,89,815					23,65,89,815	22,12,03,970
- भूमि टर्मिनल (इलाहाबाद)	**24,05,763**	-		24,05,763					24,05,763	24,05,763
- भूमि टर्मिनल (वाराणसी, जेएमवीपी)	**1,26,06,89,168**			1,26,06,89,168					1,26,06,89,168	1,26,06,89,168
- भूमि टर्मिनल (कालूघाट, जेएमवीपी)	**6,00,14,617**			6,00,14,617					6,00,14,617	6,00,14,617
- भूमि टर्मिनल (रामनगर, जेएमवीपी)	**1,46,01,610**	20,97,44,480	(35,66,228)	22,07,79,862					22,07,79,862	1,46,01,610
- भूमि टर्मिनल (फरक्का, जेएमवीपी)	**2,35,80,160**			2,35,80,160					2,35,80,160	2,35,80,160
- भूमि टर्मिनल (गाजीपुर, स्केट वीपीएन)	**14,76,70,289**			14,76,70,289					14,76,70,289	14,76,70,289
- भूमि टर्मिनल (साहिबगंज, स्केट टर्मिनल)	**1,17,19,35,919**		-	1,17,19,35,919					1,17,19,35,919	1,17,19,35,919
- भूमि (फ्रेट विलेज, वाराणसी)	29,72,38,163	-	(20,97,44,480)	8,74,93,683					8,74,93,683	29,72,38,163
- भूमि (निनी)	16,58,81,542	-		16,58,81,542					16,58,81,542	16,58,81,542
- भूमि (एनडब्ल्यू-4)	1,62,99,933	3,78,33,917		5,41,33,850					5,41,33,850	1,62,99,933
(ख) लीजहोल्ड								-	-	-
- भूमि (चौड़ीकरण)				-	-	-	-	-	-	-
- भूमि टर्मिनल (कोलकाता)	40,28,49,355		-	40,28,49,355	5,83,27,111	1,46,10,351	-	7,29,37,462	32,99,11,893	34,45,22,244
- भूमि (हल्दिया)	3,23,49,012	-		3,23,49,012	21,56,600	10,78,300		32,34,900	2,91,14,112	3,01,92,412
-लीज भूमि एमएमटी हल्दिया-वाटरफ्रंट (उपयोग शुल्क)		11,89,19,099		11,89,19,099		2,38,79,361		2,38,79,361	9,50,39,738	
- भूमि (प्रिंसेस जेटी)	2,73,72,520	-		2,73,72,520	18,24,834	9,12,417	-	27,37,251	2,46,35,269	2,55,47,686
- भूमि (नोएडा कार्यालय)	1,79,51,542	-	-	1,79,51,542	10,86,620	2,71,655	-	13,58,275	1,65,93,267	1,68,64,922
भवन									-	

(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर									-	
- भवन	8,67,64,911	-	-	8,67,64,911	96,64,535	11,38,157	-	1,08,02,692	7,59,62,219	7,71,00,376
- कार पार्किंग		-	-	-			-	-	-	-
- कार्यशाला	11,37,39,075	-	-	11,37,39,075	2,37,01,918	17,61,820	-	2,54,63,738	8,82,75,337	9,00,37,157
- अस्थायी संरचना	1,06,98,654		-	1,06,98,654	1,06,98,654	-	-	1,06,98,654	-	-
- सिविल संरचना (नदी सूचना प्रणाली)	7,49,51,957	-	-	7,49,51,957	24,88,434		-	24,88,434	7,24,63,523	7,24,63,523
- सिविल संरचना (डिजिटल जेनरेटर सुरक्षा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) लीजहोल्ड भूमि पर									-	
- भवन	12,30,46,693	-	-	12,30,46,693	4,54,89,687	21,07,823		4,75,97,510	7,54,49,183	7,75,57,006
- कार पार्किंग	2,33,92,491	-	-	2,33,92,491	46,07,395	3,45,457	-	49,52,852	1,84,39,639	1,87,85,096
- कार्यशाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अस्थायी संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- सिविल संरचना (नदी सूचना प्रणाली)	1,98,69,240	-	-	1,98,69,240	19,62,911	3,14,973	-	22,77,884	1,75,91,356	1,79,06,329
- सिविल संरचना (डिजिटल जेनरेटर सुरक्षा)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य (अस्थायी संरचना-नोएडा)	7,10,114	-	-	7,10,114	7,10,114	-	-	7,10,114	-	-
(ग) आवासीय क्वार्टर									-	
नोएडा	3,08,57,003	-	-	3,08,57,003	98,43,063	4,86,285	-	1,03,29,348	2,05,27,655	2,10,13,940
योग (ट)	**5,76,10,91,419**	**66,50,95,426**	**(21,33,10,708)**	**6,21,28,76,137**	**17,25,61,876**	**4,69,06,599**	**-**	**21,94,68,475**	**5,99,34,07,662**	**5,58,85,29,543**
टर्मिनल										
- सिविल संरचनाएँ	5,38,11,89,670	13,38,35,601	-	5,51,50,25,271	1,23,17,13,779	16,77,22,606	-	1,39,94,36,385	4,11,55,88,886	4,14,94,75,891
अन्य (अस्थायी टर्मिनल)	22,95,158	-	-	22,95,158	16,13,418	1,38,244		17,51,662	5,43,496	6,81,740
योग (II)	**5,38,34,84,828**	**13,38,35,601**	**-**	**5,51,73,20,429**	**1,23,33,27,197**	**16,78,60,850**	**-**	**1,40,11,88,047**	**4,11,61,32,382**	**4,15,01,57,631**
पुल, पुलिया, बंकर इत्यादि।										
- फुट ओवर ब्रिज धौदापल्ली	21,88,615	-	-	21,88,615	13,47,397	69,306	-	14,16,703	7,71,912	8,41,218
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (III)	**21,88,615**	**-**	**-**	**21,88,615**	**13,47,397**	**69,306**	**-**	**14,16,703**	**7,71,912**	**8,41,218**
संयंत्र और मशीनरी										
- यात्री लिफ्टें	46,12,400	-	-	46,12,400	9,08,460	2,92,119	14,28,489	26,29,068	19,83,332	37,03,940
- फोर्क लिफ्टें	63,70,925	-	-	63,70,925	60,52,380	-	-	60,52,380	3,18,545	3,18,545
- एयर कंडिशनर	2,90,07,964	7,93,413	-	2,98,01,377	2,16,48,503	33,78,155	-	2,50,26,658	47,74,719	73,59,461
- रात्रि नौचालन उपकरण	15,73,52,250	-	-	15,73,52,250	9,22,08,863	79,37,821	-	10,01,46,684	5,72,05,566	6,51,43,387
- नदी सूचना प्रणाली स्टेशन	20,06,62,138	-	-	20,06,62,138	8,61,88,576	1,58,99,706	-	10,20,88,282	9,85,73,856	11,44,73,562
- डिजिटल जेनरेटर सुरक्षा स्टेशन	7,73,39,780	-	-	7,73,39,780	4,20,72,401	40,51,696	-	4,61,24,097	3,12,15,683	3,52,67,379
- हाइड्रोलिक क्रेन	16,02,41,797	-	-	16,02,41,797	12,55,28,464	6,41,741	-	12,61,70,205	3,40,71,592	3,47,13,333
- जनरेटर सेट	1,05,12,514	-	-	1,05,12,514	61,47,557	5,64,425	-	67,11,982	38,00,532	43,64,957
- कार्यशाला उपकरण	4,02,778	-	-	4,02,778	3,45,544	5,996	-	3,51,540	51,238	57,234
- फायर मॉक अप उपकरण	52,37,144	-	-	52,37,144	49,75,288	-	-	49,75,288	2,61,856	2,61,856
- सर्वेक्षण उपकरण/यंत्र	12,75,64,096	2,43,13,411	-	15,18,77,507	8,46,65,512	51,34,339	-	8,97,99,851	6,20,77,656	4,28,98,584
- उपकरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट	1,53,85,666		(1,53,85,666)	-		19,07,138	(19,07,138)	-	-	1,53,66,978
- अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-रसोई उपकरण	8,720		-	8,720	8,284	-	-	8,284	436	436
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	1,08,52,000	-	-	1,08,52,000	38,16,299	6,99,464	-	45,15,763	63,36,237	70,35,701
योग (IV)	**80,55,50,172**	**2,51,06,824**	**(1,53,85,666)**	**81,52,71,330**	**47,45,66,131**	**4,05,12,600**	**(4,78,649)**	**51,46,00,082**	**30,06,71,248**	**33,09,65,353**
फर्नीचर और फिटिंग्स										
- छात्रावास एवं रसोई	10,91,994	-	-	10,91,994	5,71,896	93,049	-	6,64,945	4,27,049	5,20,098
- फर्नीचर तथा फिक्सचर	3,22,86,921	22,42,860	(6,16,038)	3,39,13,743	2,30,86,142	21,93,457	(5,85,226)	2,46,94,373	92,19,370	92,00,779
- अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (V)	**3,33,78,915**	**22,42,860**	**(6,16,038)**	**3,50,05,737**	**2,36,58,038**	**22,86,506**	**(5,85,226)**	**2,53,59,318**	**96,46,419**	**97,20,877**
मोटर वाहन										
- मोटर वाहन	1,03,51,029	-	(7,389)	1,03,43,640	63,43,323	7,98,512	(7,020)	71,34,815	32,08,825	40,07,706
- साइकिल	35,067	-	(1,290)	33,777	33,138	167	(1,225)	32,080	1,697	1,929
-मोटर वाहन (उपकरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट)			1,53,85,666	1,53,85,666	18,688	-	19,07,138	19,25,826	1,34,59,840	1,929
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (VI)	**1,03,86,096**	-	**1,53,76,987**	**2,57,63,083**	**63,95,149**	**7,98,679**	**18,98,893**	**90,92,721**	**1,66,70,362**	**40,11,564**
जहाज और जलयान										
- जलयान साधारण	2,65,91,91,611	3,12,781	(95,698)	2,65,94,08,694	52,54,71,413	7,99,61,337	(90,913)	60,53,41,837	2,05,40,66,857	2,13,37,20,198
- स्पीड बोट	1,28,21,996	39,37,247	-	1,67,59,243	1,05,81,628	2,67,686	-	1,08,49,314	59,09,929	22,40,368
- जलयान निकर्षण इकाई	2,58,19,75,171	-	-	2,58,19,75,171	1,20,36,27,086	6,21,53,574	(542)	1,26,57,80,118	1,31,61,95,053	1,37,83,48,085
- बार्ज और पोंटून	39,98,12,589	1,32,24,000	-	41,30,36,589	18,93,82,109	82,10,005	-	19,75,92,114	21,54,44,475	21,04,30,480
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (VII)	**5,65,38,01,367**	**1,74,74,028**	**(95,698)**	**5,67,11,79,697**	**1,92,90,62,236**	**15,05,92,602**	**(91,455)**	**2,07,95,63,383**	**3,59,16,16,314**	**3,72,47,39,131**
कार्यालय उपकरण										
- वाटर कूलर और रेफ्रिजरेटर	9,92,892	13,389	-	10,06,281	7,55,030	41,695	-	7,96,725	2,09,556	2,37,862
- पंखे और एयर कूलर	16,91,038	43,673	(50,626)	16,84,085	14,30,493	33,561	(48,095)	14,15,959	2,68,126	2,60,545
- अन्य (प्रिंटर/फैक्स/कॉपियर, आदि)	2,42,05,466	22,09,148	(3,04,985)	2,61,09,629	1,88,55,752	19,14,822	(2,76,395)	2,04,94,179	56,15,452	53,49,716
योग (VIII)	**2,68,89,396**	**22,66,210**	**(3,55,611)**	**2,87,99,995**	**2,10,41,275**	**19,90,078**	**(3,24,490)**	**2,27,06,863**	**60,93,136**	**58,48,123**
कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयां										
- कंप्यूटर -	6,74,08,307	80,27,648	(12,77,314)	7,41,58,641	5,63,81,509	52,07,892	(12,02,762)	6,03,86,639	1,37,72,002	1,10,26,798
- संचार उपकरण -	1,36,61,510	-		1,36,61,510	1,00,24,068	13,79,753	-	1,14,03,822	22,57,688	36,37,442
- सिमुलेटर -	3,25,79,248	-	-	3,25,79,248	3,02,79,050	1,25,699	-	3,04,04,749	21,74,500	23,00,199
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (IX)	**11,36,49,065**	**80,27,648**	**(12,77,314)**	**12,03,99,399**	**9,66,84,627**	**67,13,344**	**(12,02,762)**	**10,21,95,210**	**1,82,04,190**	**1,69,64,439**
विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण							-			

- विद्युत प्रतिष्ठान -	6,54,44,693	3,73,65,983	(43,089)	10,27,67,587	2,36,86,389	77,73,339	(41,500)	3,14,18,228	7,13,49,359	4,17,58,304
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (X)	**6,54,44,693**	**3,73,65,983**	**(43,089)**	**10,27,67,587**	**2,36,86,389**	**77,73,339**	**(41,500)**	**3,14,18,228**	**7,13,49,359**	**4,17,58,304**
पुस्तकें और पत्रिकाएँ										
- पुस्तकालय पुस्तकें	38,79,346	52,887	-	39,32,233	38,79,346	52,887	-	39,32,233	-	-
- पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण(निनी)	5,29,999	-	-	5,29,999	5,29,999	-	-	5,29,999	-	-
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (XI)	**44,09,345**	**52,887**	**-**	**44,62,232**	**44,09,345**	**52,887**	**-**	**44,62,232**	**-**	**-**
योग - (क) मूर्त संपत्ति (I से XI)	**17,86,02,73,911**	**89,14,67,467**	**(21,57,07,137)**	**18,53,60,34,241**	**3,98,67,39,660**	**42,55,56,790**	**(8,25,189)**	**4,41,14,71,262**	**14,12,45,62,984**	**13,87,35,36,183**
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां										
इन-हाउस विकसित										
- सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
खरीदा गया									-	
- सॉफ्टवेयर	1,81,18,302	62,09,927	-	2,43,28,229	1,40,84,037	14,52,631	-	1,55,36,668	87,91,561	40,34,265
- अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग - (ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	**1,81,18,302**	**62,09,927**	**-**	**2,43,28,229**	**1,40,84,037**	**14,52,631**	**-**	**1,55,36,668**	**87,91,561**	**40,34,265**
सकल योग (क + ख)	**17,87,83,92,213**	**89,76,77,394**	**(21,57,07,137)**	**18,56,03,62,470**	**4,00,08,23,697**	**42,70,09,421**	**(8,25,189)**	**4,42,70,07,930**	**14,13,33,54,545**	**13,87,75,70,448**
पिछला वर्ष	17,16,65,52,054	73,21,55,544	(2,03,15,385)	17,87,83,92,213	3,61,45,98,818	39,95,31,951	(1,33,07,073)	4,00,08,23,697	13,87,75,68,519	13,55,19,53,239
						(38,62,57,337)				

टिप्पणी: वर्ष के लिए 386257337/- रुपये के मूल्यह्रास में नोएडा कार्यालय में लीज भूमि के संबंध में 24481916/- रुपये, एमएमटी, हल्दिया टर्मिनल के लिए लीज लैंड टर्मिनलों के संबंध में 435198367/- रुपये, पतिखली हल्दिया टर्मिनल के लिए 32349012/- रुपये, 27372520 प्रिंसेप घाट टर्मिनल घाट के लिए शामिल है।

टिप्पणी:- वर्ष 2022-23 के दौरान तीन वेब-पोर्टल अर्थात एमआईआरएस, पानी और सीएआर-डी को अमूर्त संपत्ति के शीर्ष के तहत उप-शीर्ष सॉफ्टवेयर के तहत टोकन मनी के रूप में 1 रुपये लेकर पूंजीकृत किया गया है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

27. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण		प्रारंभिक शेष (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)	वर्ष के दौरान परिवर्धन 2022-23	वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियां	अंतिम शेष (31.03.2023 की स्थिति के अनुसार)
अनुसूची 14: " गैर- चालू निवेश"						
1	**नोएडा कार्यालय**					
1	मैसर्स एबी डिज़ाइन हैबिट एंड कंपनी,	संग्रहालय का डिज़ाइन, पर्यवेक्षण	3474805	0	0	3474805
2	मैसर्स इको मैरीन प्रा. लिमिटेड	सोनिया विहार और जगतपुर के 2 पोंटून की आपूर्ति	8600297	0	0	8600297
3	मैसर्स मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट		111671934	15787700	0	127459634
	योग नोएडा कार्यालय		**123747036**	**15787700**	**0**	**139534736**
	रा.ज - 1 - कोलकाता कार्यालय					
2	मैसर्स कलेगहॉर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	स्टील के पंटून बिछाने का काम	11341125		0	11341125
	ई.ई., पूर्वी मदनापुर		83366732		83366732	0
		ताजे पानी की सुविधा	1907485		1907485	0
	सिम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	4 बोयज की स्थापना	0	1980000		1980000
	योग - कोलकाता कार्यालय		**96615342**	**1980000**	**85274217**	**13321125**
	आईसीएलपी कांटेदार बाड़			2013908	0	2013908
	योग - साहिबगंज कार्यालय			**2013908**	**0**	**2013908**
	जल मार्ग विकास परियोजना					
1	मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण	2766662924	5500251	0	2772163175
		फरक्का में नए नौवहन लॉक का निर्माण	3198787927	45,89,95,426	0	3657783353
2	मैसर्स आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड	हल्दिया में एमएमटी का निर्माण	5021550781	84316661	0	5105867442
3	मैसर्स अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड	एलएडी-फरक्का-कहलगांव	1367824615	432557929	21332890	1779049654
4	मैसर्स अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड	एलएडी -महेंद्रपुर-बाढ़	191745161	603975512	0	795720673
5	मैसर्स अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड	एलएडी -सुल्तानगंज-महेन्द्रपुर	318353370	546078232		864431602
6	सीडब्ल्यूआईपी-परिचालन एवं रखरखाव	जेएमवीपी-पीएमयू	1616142997	446617843	479	2062760361
7	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन	क्रेडल	1995552			1995552
8	सीडब्ल्यूआईपी-परिचालन एवं रखरखाव	कोलकाता-पीआईयू	123182112	32622639	0	155804751
9	सीडब्ल्यूआईपी-परिचालन एवं रखरखाव	पटना-पीआईयू	15807464	5048340		20855804
10	डी.सी.सारण	कालूघाट टर्मिनल के लिए एसआईए अध्ययन के लिए जिला भूमि अधिकारी सारण	757103	0	0	757103
11	सीडब्ल्यूआईपी-परिचालन एवं रखरखाव	वाराणसी -पीआईयू	43971582	13054323	0	57025905
12	सीडब्ल्यूआईपी-परिचालन एवं रखरखाव	साहिबगंज-पीआईयू	52217086	16833973		69051059

13	वाराणसी के कार्यकारी अभियंता	पंप नहर प्रणाली की प्रतिस्थापन लागत	39000000		0	39000000
14	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी	साहिबगंज भूमि के लिए आर एंड आर	374419000		0	374419000
15	आर एंड आर-जिला प्रशासन साहिबगंज	साहिबगंज भूमि के लिए आर एंड आर	47232230	30778651		78010881
	मैसर्स एफकोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण		30014966	30014966	0
	मैसर्स संजय कंस्ट्रक्शन कंपनी	कालूघाट में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का निर्माण	74930000	254159825	46020000	283069825
	मैसर्स दास और कुमार	फ्लोटिंग जेट्टियों का निर्माण		35965120		35965120
	मैसर्स ए.सी.रॉय एंड शिपबिल्डर्स प्रा. लिमिटेड	स्टील पोंटून का निर्माण		82871800		82871800
	मैसर्स रमाशंकर प्रसाद	फेयरवे विकास अनुसूची - क		11967742		11967742
	मैसर्स दिनेश प्रसाद शर्मा	फेयरवे विकास अनुसूची -ख		12113192		12113192
	मैसर्स दुर्गावती इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड	फेयरवे विकास अनुसूची - घ		5357543		5357543
	मैसर्स दुर्गावती इंटरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड	चैनल स्थिरीकरण कार्य अनुसूची-I		52716812		52716812
	मैसर्स रमाशंकर प्रसाद	चैनल स्थिरीकरण कार्य अनुसूची -VI		43588934		43588934
	मैसर्स दिनेश प्रसाद शर्मा	चैनल स्थिरीकरण कार्य अनुसूची-IV		10758060		10758060
	योग - जेएमवीपी		**15254579904**	**3215893774**	**97368335**	**18373105343**
	रा. ज. -2					
1	मैसर्स योजाका इंडिया प्रा. लिमिटेड	स्लिपवे मरम्मत सुविधा का निर्माण	4913896	0		4913896
2	कार्यपालक अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी,गुवाहाटी	पांडु, जेमाटी और नागागुली में सीमा दीवार का निर्माण	4955566	5575596		10531162
3	मैसर्स सीसीएसपीएल	बोगीबील और गुइजान में 2 फ्लोटिंग जेट्टियों का डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना	0	14611350		14611350
		सोनामुरा में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का डिजाइन, निर्माण, विकास		8152384		8152384
4	जोगीघोपा में भूमि (103 एकड़)	1. अतिक्रमणकारियों - (139) रु. 36,75,000,2/- पट्टादार(46)रु.1,46,65,500/- ,3.जिरात (35)रु.81,10,673/- को देय	26494573	0	2390296	24104277
5	कार्यकारी अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी (सिल्चर)	करीमगंज और बदरपुर टर्मिनल पर मौजूदा तट सुविधा का नवीनीकरण	4632000	17953000		22585000
6	पीडब्लूआरडी	जोगीघोपा तक पहुंच मार्ग		25653862		25653862
7	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	जहाज मरम्मत सुविधा का विकास		16620418		16620418
8	मैसर्स एनएचआईडीसीएल	ईपीसी मोड पर एमएमएलपी जोगीघोपा, असम में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का विकास		45369000		45369000
			40996035	**133935610**	**2390296**	**172541349**
	रा. ज. -3					
1	निदेशक, अंतर्देशीय नौवहन निदेशालय, कोल्लम	त्रिक्कुन्नप्पुझा में नौवहन लॉक गेट का पुनर्निर्माण	0	187467368		18,74,67,368

	योग - रा. ज. -3		**0**	**18,74,67,368**	**0**	**18,74,67,368**
	रा. ज. -4					
1	मैसर्स वाटरवेज शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड	रा.ज.-4 में कृष्णा नदी पर फ्लोटिंग पंटून	5916000		5916000	0
	योग - रा. ज. -4		**59,16,000**	**0**	**59,16,000**	**0**
कुल योग			**15,52,18,54,317.00**	**3,55,70,78,360.00**	**19,09,48,848.00**	**18,88,79,83,829.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 15: " गैर चालू निवेश "					(राशि रुपये में)
क्र.सं.	विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान निपटान/ ह्रासित	इति शेष
क	निर्धारित निधि से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	ऋणपत्र और बांड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम	3,00,000.00	-	-	3,00,000.00
6	अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	-	-	-	-
	उप - योग (क)	**3,00,000.00**	-	-	**3,00,000.00**
ख	स्वयं की निधि से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में				-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	ऋणपत्र और बांड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6	अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम))	12,53,08,484.00	3,69,07,930.00		16,22,16,414.00
	उप - योग (ख)	**12,53,08,484.00**	**3,69,07,930.00**	-	**16,22,16,414.00**
	योग (क+ख)	**12,56,08,484.00**	**3,69,07,930.00**	-	**16,25,16,414.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रुपये में)

विवरण		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 16 " जमा, ऋण और अग्रिम "			
1	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	- पूंजीगत अग्रिम	2564977385	2606837903
	- राजस्व अग्रिम	30528720	17086010
2	स्टाफ को अग्रिम	9381713	8848544
3	विभागीय अग्रिम		
4	प्रदत्त प्रतिभूति जमा	47051211	46912746
5	अग्रिम शुल्क और कर का भुगतान	18464	0
6	अर्जित ब्याज एवं देय	6911968	221239
7	अन्य	7348	
	योग	**2658876809**	**2679906442**
अनुसूची - 17 " अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां "			
1	पूर्वदत्त व्यय	165853	3054559
2	दावे पुनर्प्राप्तियोग्य	106248968	170881076
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	योग	**106414821**	**173935635**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
सीएओ

(प्रवीण नंदवाना)
सदस्य (वित्त)

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (तकनीकी)

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 18: " वर्तमान निवेश " (राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान निपटान/ ह्रासित	अंतिम शेष
1	**सरकारी प्रतिभूतियों में**	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	ऋणपत्र और बांड	-	-	-	-
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)	3,69,07,930.00	2,01,15,865.00	3,69,07,930.00	2,01,15,865.00
	योग	**3,69,07,930.00**	**2,01,15,865.00**	**3,69,07,930.00**	**2,01,15,865.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रुपये में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 19 **"माल-सूची"**			
1	समुद्री स्पेयर	4959129	2527016
2	स्थायी भंडार	632814	773892
3	उपभोग्य वस्तुएं एवं स्टेशनरी	1059127	1149325
4	पीओएल स्टॉक	55434150	25209185
5	अन्य (निर्दिष्ट करें)		0
	योग	**62085220**	**29659418**
अनुसूची - 20 " विविध देनदार "			
1	छह महीने से अधिक	127956500	124525549
2	अन्य (अर्थात छह महीने से कम)	12653520	14461231
	योग	**140610020**	**138986780**
अनुसूची - 21 " नकद और नकद समतुल्य "			
1	उपलब्ध नकद		
	- भारतीय रुपए (आईएनआर)	13313	18216
	- विदेशी मुद्रा		
2	उपलब्ध स्टांप		
3	बैंकों जमा नकद		
	- चालू खाते	(45981368)	133301466.7
	- बचत खाता	296773299	168283553
4	बैंकों के पास अल्पावधि जमा	855471256	748197427
5	पारगमन में प्रेषण		0
	योग	**1106276500**	**1049800663**
अनुसूची - **22 " जमा, ऋण और अग्रिम "**			
1	ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	- पूंजीगत अग्रिम	735455847	792635227
	- राजस्व अग्रिम	148200653	168518604

2	स्टाफ को अग्रिम	1158799	2616309
3	विभागीय अग्रिम	235310	801407
4	सुरक्षा जमा का भुगतान किया गया	5158511	654731
5	अग्रिम शुल्क और कर का भुगतान	649752	4073218
6	अर्जित ब्याज एवं देय	4270792	5649551
7	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट की जाए)		
	योग	**895129664**	**974949047**
अनुसूचीv - 23 " अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां "			
1	उपचित आय	0	0
(क)	निवेश पर		
(ख)	ऋण और अग्रिम पर		
2	अन्य (वसूलीयोग्य दावों सहित)		
	- दावा वसूली योग्य	76803350	2823272
	- पूर्वदत्त व्यय	4222374	6548493
	योग	**81025724**	**9371765**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
सीएओ

(प्रवीण नंदवाना)
सदस्य (वित्त)

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (तकनीकी)

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

28. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2023 तक अचल संपत्तियों की अनुसूची

(राशि रुपये में)

विवरण	मुख्यालय	एनडब्ल्यू-1	एनडब्ल्यू-2	एनडब्ल्यू-3	एनडब्ल्यू-4	एनडब्ल्यू-5	नये जल मार्ग	पटना-लिमी	जल मार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची - 24 "परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय"											
(i) सर्वेक्षण		**91916098**	18248894	1981536	1697900	5604701			0	**119449129.00**	**125231344**
(ii) ड्रेजिंग		65710067	81213693	14960273	3103002	0				**164987035.00**	**128644271**
(iii) बैंडलिंग		12314607	88489295							**100803903.00**	**116039941**
(iv) नौचालन और चैनल मार्किंग में सहायता		3296665	23028212	0		119713928				**146038805.00**	**143447517**
(v) टर्मिनल सुविधाएं		92117783	67111889	16140332	480211	0			0	**175850215.00**	**159109857**
(vi) जलयानों की मरम्मत और रखरखाव		148068976	45872155	7183846	0	0				**201124977.00**	**96535193**
(vii) रात्रि नौचालन		74684830	62501192	7247521						**144433543.00**	**132969742**
(vii) प्रोटोकॉल व्यय			44698141							**44698141.00**	**42177197**
(viii) नदी तट संरक्षण			7813897	17163619						**24977516.00**	**10472376**
(ix) प्रशिक्षण व्यय		19240705								**19240705.00**	**20448901**
(x) परामर्श शुल्क	0	0	0	0	4980000	1439600	8052982		0	**14472582.00**	**45029765**
(xi) परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क	0		0	0	0	0	0		0	**0.00**	**20589092**
(xii) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना व्यय	0								0	**0.00**	**0**
(xiii) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय	8787997	0	725111	114877						**9627985.00**	**8584957**
(xiv) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्रोत्साहन व्यय	10250670	21883454	71518573	143349	32565	369305				**104197916.00**	**79334677**
(xv) वेतन मजदूरी और अन्य प्रशासनिक व्यय					0		547610		0	**547610.00**	**118468**
(xvi) अन्य- (क) फ्रेट विलेज	2695517.00	962749.00								**3658266.00**	**2709855**
(xvii) कौशल विकास			23105613							**23105613.00**	
(ख) नौचालन लॉक गेट्स की मरम्मत और रखरखाव		27171780		0						**27171780.00**	**36715894**
(ग) - बराक			1420561							**1420561.00**	**6997184**
(घ)-घाघरा		16513141					0			**16513141.00**	**7949628**
(ङ)-गंडक							0			**0.00**	**0**
कुल	**21734184**	**573880855**	**535747227**	**64935353**	**10293678**	**127127534**	**8600592**	**0**	**0**	**1342319423.00**	**1183105859**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2023 तक अचल संपत्तियों की अनुसूची

(राशि रुपये में)

विवरण	HO	एनडब्ल्यू -1	एनडब्ल्यू -2	एनडब्ल्यू -3	एनडब्ल्यू -4	एनडब्ल्यू -5	नए जलमार्ग	पटना - निनी	जल मार्ग विकास परियोजना	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 25 " कार्मिक और प्रशासनिक व्यय "											
(क) कार्मिक व्यय											
(i) वेतन और भत्ता	143440848	123037489	34186022	15096059	5415848	3546376				324722642	288859222
(ii) मानदेय	431000								0	431000	223500
(iii) चिकित्सा सुविधाएं	13705383	3616989	394408	1661504	112420	76920				19567624	19064963
(iv) दैनिक मजदूरी						0				0	0
(v) समयोपरि भत्ते (ओटीए)	50858	3168	0							54026	32498
(vi) बोनस	415056	752972	187667	62172	19573	6908				1444348	1585924
(vii) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन अंशदान छोड़ें	4490109									4490109	5671353
(viii) कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले आवास का किराया	0		0							0	2929394
(ix) वर्दी	0	10000	45000	0						55000	55000
(x) ट्यूशन फीस	783000	885588	81000	216000	78629	27000				2071217	3254040
(xi) पेंशन अंशदान	28400000	0	0	0	0					28400000	18900000
(xii) ग्रेच्युटी अंशदान	3695553	0	0	0	0	0				3695553	47299597
(xiii) अवकाश नकदीकरण	10767581	626713	102825	20904	0	66536				11584559	33699677
(xiv) नई पेंशन योजना (एनपीएस) में नियोक्ता का योगदान	2600403	1225030	904035	309808	277877	0				5317153	3823527
(xv) एलटीसी व्यय	1783009	990101	413586	20908	0	223462				3431066	1160690
(vi) स्टाफ भर्ती व्यय	8287221			0						8287221	2706945
(xvi) कर्मचारी कल्याण व्यय	2194928	274318	118865	43749	34766	17932				2684558	2144985
(vii) सेमिनार और प्रशिक्षण व्यय	583529		184212	0						767741	1613464
(xvii) अन्य व्यय (प्रकृति निर्दिष्ट की जानी चाहिए)										0	-
योग	**221628478**	**131422368**	**36617620**	**17431104**	**5939113**	**3965134**	**0**	**0**	**0**	**417003817**	**433024779**
										0	
(ख) प्रशासनिक व्यय										0	
(i) मरम्मत एवं रखरखाव	20481828	72115	17421	207786	108123	77652				20964925	18342080
(ii) संचार व्यय	1110409	238197	222170	67168	68816	62588				1769348	1697341
(iii) मुद्रण एवं स्टेशनरी	4119542	76746	29277	141434	29841	52149				4448989	3545187
(iv) वाहन संचालन एवं रखरखाव	7110848	779737	0	0	0	808430				8699015	7525600
(v) विज्ञापन एवं प्रचार	449381	16324		0	0	0				465705	937617
(viii) वाहन प्रतिपूर्ति	264263	53273	11960	0	3600	4964				338060	273241
(ix) यात्रा करना										0	-
- अंतर्देशीय	6680701	1890396	0	124249	144801	671626				9511773	6719379
- विदेश	1869287	0								1869287	0
(x) समाचार पत्र और पत्रिकाएँ	341156	104691	57708	28094	26028	12328				570005	514485
(xi) उपभोग्य वस्तुएं	240935	21285	21416	48294	27447	20246				379623	656056
(xii) बिजली और पानी	4701770	678385	0	133432	83079	52341				5649007	5006291
(xiii) कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	6274841	127400	36255	51330	0	0				6489826	18913244
(xiv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि										0	-
(xv)हिन्दी प्रचार	103980	269059	67948	58277	5000					504264	592886
(xvi) लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	2776824	5000		29000	7370	7006				2825200	2695715
(xvii) प्राधिकरण की बैठकों का खर्च	175682				0					175682	19249
(xviii) बीमा		1396			0					1396	205322
(xix) किराया, दरें और कर		3304477	0	0		43284				3347761	716507
(xx) बट्टे खाते में डाला गया										0	-
(xxi) अशोध्य ऋण										0	-
(xxii) विविध व्यय	42738	15007	0	69773	13282	10520				151321	137049
(xxiii) बांड संबंधी व्यय	0									0	0
(xiv अन्य (स्वच्छ भारत अभियान)	130347	21800	39711	242784	0	0				434642	67499

(xv) पट्टा किराया (बट्टे खाते डाला गया)	271655									271655	271655
योग	**57146187**	**7675288**	**503866**	**1201621**	**517387**	**1823134**	**0**	**0**	**0**	**68867484**	**68836404**
कुल योग (क + ख)	**278774665**	**139097656**	**37121486**	**18632725**	**6456500**	**5788268**	**0**	**0**	**0**	**485871301**	**501861183**
अनुसूची - 26 " वित्त प्रभार "											
(i) बैंक शुल्क	8554	16348	6553	5849	871	884		211	0	39270	39391
(ii) ब्याज का भुगतान										0	
- बांड/डिबेंचर पर	763230684									763230684	763451495
- अन्य पर				0						0	0
(iii) कमीशन / दलाली										0	
										0	
योग	**763239238**	**16348**	**6553**	**5849**	**871**	**884**	**0**	**211**	**0**	**763269954**	**763490886**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

29. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को तुलन-पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 27: " पूर्व अवधि के खर्च "		(राशि रुपये में)
विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
नोएडा कार्यालय		
मैसर्स तानिसी आईटी सर्विसेज	97984	
मेसर्स जॉनसन लिफ्ट्स प्रा. लिमिटेड	253237	
मैसर्स डिजाइनर कंसोर्टियन	1958658	
मूल्यह्रास	1428489	
योग (क)	**3738368**	
साहिबगंज		
मेसर्स केबी शरण सीए	31600	
योग (ख)	**31600**	
इलाहाबाद (प्रयागराज)		
मेसर्स आभा एंटरप्राइजेज	(851270)	
मेसर्स पांडे ग्रुप	(114337)	
मैसर्स तसलीम	(102795)	
टीडीएस	(680)	(3708638)
मैसर्स मातनश मार्कोम प्राइवेट लिमिटेड	336000	
मेसर्स ब्रिज एंटरप्राइजेज	500000	
मेसर्स राधाकृष्णन	1945000	
श्री मयंक कुमार	200000	
अतिरिक्त मूल्यह्रास	(1109)	
बैंक शुल्क	(138)	
योग (ग)	**1910671**	
गुवाहाटी		
पीओएल स्टॉक	(318327)	
योग (घ)	**(318327)**	
कोच्चि कार्यालय		
त्रिक्कुन्नप्पुझा में नौवहन लॉक गेट का पुनः निर्माण (31.03.2022 तक किया गया व्यय)	(151107761)	

योग (च)	**(151107761)**	
कुल योग (क+ख+ ग+ घ+ड़)	**(145745449)**	**(3708638)**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

30. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (चार्टड अकाउंटेंट) (अनुलग्नक-ए)

D S A & COMPANY
(formerly known as ATUL K. GARG & CO.)
Chartered Accountants

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कलादान परियोजना के संलग्न तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न आय और व्यय लेखा की भी लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करता है ।
3. हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ii. हमारी राय में, परियोजना द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियों को रखा गया है, जहां तक उन लेखा बाहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iii. इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा परियोजना के लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

iv. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामले और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

क. 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजना की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में

ख. आय और व्यय लेखा के मामले मे, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष/घाटे के मामले मे।

कृते डी.एस.ए & कम्पनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन15668एन)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.06.2023
यू.डी.आई.एन.:- 22090332ए के आर एल जे टी 3173

D S A & COMPANY DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

सी.ए.डी.डी.गोयल
सहभागी
एम.नं. 090332

एसएफ-1, द्वितीय तल, ऋषभ इपेक्स मॉल, आईपी एक्सटेंशन,(मैक्स अस्पताल के सामने) पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
दूरभाष सः 011-22246018,47036029 ई-मेलः ddgoel@gmail.com

भा.अ.ज.प्रा.-कलादान परियोजना

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

पिछले वर्ष	देयताएं		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	परिसंपत्तियां	अनुसूची		वर्तमान वर्ष
	पूंजीगत आरक्षित निधियां				**अचलपरिसंपत्तियां**	1		
3,62,150	अचल परिसंपत्तियों के लिए	3,62,150		3,62,150	सकल ब्लॉक		3,62,150	
3,33,553	पूंजी	3,37,304		3,33,553	घटा:मूलयह्रास		3,37,304	
	घटा: - प्रतिस्थापन रिजर्व				निवल ब्लॉक			24,846
28,597			24,846	28,597	ऋण और अग्रिम			
					नकद और बैंक शेष			
14,13,011	**वर्तमान देयताएं**		1,69,917		**केनरा बैंक, नोएडा**			54,69,630
-	देय व्यय / देयदावे		22,34,702	71,18,576	*पंजाब नेशनल बैंक, नोएडा(अल्पकालिक*			1,56,75,404
	विविध लेनदार		2,94,68,166	2,45,75,684	*जमा सहित) वसूली योग्य टीडीएस*			
3,04,33,638	आईडब्ल्यूएआई को देय		-		*विदेश मंत्रालय से वसूली योग्य राशि*			
	विदेश मंत्रालय से अवधारण				*(अनुसूची II की टिप्पणी 1 देखें)*			1,52,389
	निधि (अनुसूची II का नोट 1			1,52,389				1,05,75,362
	देखें)							
3,18,75,246			**3,18,97,631**	**3,18,75,246**				**3,18,97,631**

अनुसूची- I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है

समतिथि की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार

डी.एस.ए&कम्पनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन15668एन)

सीए.डी.डी.गोयल
सहभागी (एम.नं. 090332)
स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.06.2023
यू.डी.आई.एन. :- 22090332एकेआरएलजेटी3173

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(पी. सिरीनीवासा)
निदेशक (जलीय)

भा.अ.ज.प्रा.-कलादान परियोजना

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (राशि रुपये में)

पिछले वर्ष	व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	आय	वर्तमान वर्ष
0	आईडब्ल्यूएआई *को ब्याज भुगतान (अनुसूची-II की टिप्पणी III देखें)*	2,94,68,166	10,78,207	बैंक ब्याज	11,94,381
			0	विविध	
73,38,205	परामर्श शुल्क	1,23,72,727	0	पूर्व अवधि समायोजन	
	यात्रा खर्च- विदेश	3,25,411	62,83,726	परामर्श शुल्क (पीडीसी शुल्क)(*अनुसूची-II की टिप्पणी IIदेखें*)	
21,022	लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	21,984			
2,706	बैंक शुल्क	15,093	3,751		
3,751	मूल्यह्रास	3,751		प्रति के अनुसार प्रतिस्थापन रिजर्व (प्रति के अनुसार मूल्यह्रास होना) मूल्यह्रास होना)	
73,65,684		**4,22,07,132**	**73,65,684**		**4,22,07,132**

अनुसूची- I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है
समतिथि की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार
डी.एस.ए&कम्पनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन15668एन)

सीए.डी.डी.गोयल
सहभागी (एम.नं. 090332)
स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.06.2023
यू.डी.आई.एन. :- 22090332एकेआरएलजेटी3173

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(पी. सिरीनीवासा)
निदेशक (जलीय)

अनुसूची - I

भा.अ.ज.प्रा.-कलादान परियोजना

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अचल संपत्तियों के लिए अनुसूची

क्र.स.	विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक	मूल्यह्रास		कुल मूल्यह्रास	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक
						31.03.2022 तक	वर्ष के लिए मूल्यह्रास		
1.	फर्नीचर और फिक्सचर	1,03,334	0	0	1,03,334	86,910	3,751	90,661	12,673
2.	कंप्यूटर	2,43,452	0	0	2,43,452	2,31,279	0	2,31,279	12,173
3.	अस्थायी संरचना	15,364	0	0	15,364	15,364	0	15,364	0
	कुल	**3,62,150**	**0**	**0**	**3,62,150**	**3,33,553**	**3,751**	**3,37,304**	**24,846**

अनुसूची- I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है

समतिथि की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार

डी.एस.ए&कम्पनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन15668एन)

सीए.डी.डी.गोयल
सहभागी (एम.नं. 090332)
स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.06.2023
यू.डी.आई.एन. :- 22090332एकेआरएलजेटी3173

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(पी. सिरीनीवासा)
निदेशक (जलीय)

अनुसूची - II

31.03.2023 तक लेखों का अंश बनने वाली टिप्पणी

1. म्यांमार में कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट) प्रोजेक्ट को भारत सरकार (भारत सरकार) और म्यांमार सरकार (म्यांमार) के बीच दिनांक 02.04.2008 के फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार लागू किया जाना है ताकि मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मिजोरम के बीच एक वैकल्पिक परिवहन संपर्कता का विकास किया जा सके। एक मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली द्वारा म्यांमार के माध्यम से पारगमन प्रस्तावित संपर्कता का प्रमुख हिस्सा है। नोडल एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने दिनांक 19.03.2009 के करार और दिनांक 28.04.2016 के पूरक करार के माध्यम से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) को परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया है। पीडीसी के रूप में भा.अ.ज.प्रा की जिम्मेदारी वर्तमान में केवल पत्तन और अ.ज.प. घटकों के कार्यान्वयन के लिए है। भा.अ.ज.प्रा अनुमोदित प्रभावी अनुमानित लागत या वास्तविक/निविदा लागत (जो भी कम हो) और अन्य सांविधिक करों के 6% के परामर्श प्रबंधन शुल्क के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पीडीसी होगा। भा.अ.ज.प्रा को धनराशि जारी करना परियोजनाओं की सुपुर्दगी/विशिष्ट उपलब्धियों के अनुसार होगा और किस्तों में किया जाएगा। परियोजना को पूरी तरह से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार परामर्श प्रभारों के लिए विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (रुपये) वर्तमान वर्ष	राशि (रुपये) पिछले वर्ष
01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि	3,04,33,638	3,67,17,364
जमा: वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय से प्राप्त निधि	-	-
परामर्श प्रभार के लिए कुल निधि	**3,04,33,638**	**3,67,17,364**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग किया जाता है (नीचे नोट 2 देखें)	4,10,09,000	62,83,726
विदेश मंत्रालय से शेष अग्रिम/(प्राप्य)	**(1,05,75,362)**	**3,04,33,638**

2. परामर्शी प्रभारों को संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक शामिल किया गया है और इसे विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम से परामर्शी प्रभारों में समायोजित किया गया है।

3. 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भा.अ.ज.प्रा के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुपालन में, प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2022 तक 2,82,73,785/- रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 11,94,381/- रुपये की आंतरिक प्राप्तियों (बैंक ब्याज) को भा.अ.ज.प्रा को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

4. अचल संपत्तियों पर मूल लागत के पांच प्रतिशत के बचाव मूल्य पर विचार करने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी अवधि पर एसएलएम पद्धति पर मूल्यहृास का प्रावधान किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर विचार किया है। मूल्यहृास खरीद के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है और निपटान/बिक्री के वर्ष में कोई मूल्यहृास नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची- I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है

समतिथि की लेखा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार

डी.एस.ए&कम्पनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन15668एन)

सीए.डी.डी.गोयल
सहभागी (एम.नं. 090332)
स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.06.2023
यू.डी.आई.एन. :- 22090332एकेआरएलजेटी3173

कृते तथा भाआजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी

(पी. सिरीनीवासा)
निदेशक (जलीय)

31. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2023 तक कार्यालयवार भूमि का विवरण

अनुलग्नक.-ख

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 31/03/2023 तक कार्यालयवार भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि का स्थान	अर्जित भूमि (प्रति वर्ग मीटर)	स्वामित्व में भूमि (प्रतिवर्ग मीटर)	आईडब्ल्यूएआई के नाम निष्पादित शीर्षक विलेख	क्या परिवर्तन किया गया है (हां/नहीं)	अतिक्रमण (यदि कोई हो)	भूमि का स्वामित्व फ्रीहोल्ड है या लीज होल्ड	टिप्पणी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9
कोलकाता कार्यालय								
क	टर्मिनल							
1	हल्दिया आईडब्ल्यूटी टर्मिनल, पूर्व मेदिनीपुर, जिला।	10319	10319	पट्टे के आधार पर 01.01.2016 से 01.01.2046 (30 वर्ष) रुपए 65793/- (वार्षिक अग्रिम शुल्क)	नहीं	शून्य	पट्टे पर	रुपए 65793/- (वार्षिक अग्रिम शुल्क) (क) आईडब्ल्यूएआई ने एचडीसी को 30 साल के लीज रेंट पर 3,23,72,746/-रुपये की राशि का भुगतान/जमा किया है। (ख) फ्लाईऐश की लोडिंग के लिए 3 गैंगवे जेटियों का निर्माण किया गया है
2	बीआईएसएन जेट्टी और जी.आर. जेटियों -1	30409.64	30409.64	31.10.2018 को हस्तांतरण किया गया और बिक्री विलेख का पंजीकरण 08.02.2020 को किया गया	हाँ	शून्य	क्रय की गई	44,966.64 वर्ग मीटर (30409.64 वर्ग मीटर +14557 वर्ग मीटर) की भूमि एसएमपीएम (केओपीटी) द्वारा स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित कर दी गई है और बिक्री विलेख 08.02.2020 को आईडब्ल्यूएआई और एसएमपीके (केओपीटी) के बीच निष्पादित किया गया है।
3	जी.आर. जेट्टी-II टर्मिनल	14557	14557	हस्तांतरण 31.10.2018 को किया गया और बिक्री विलेख का पंजीकरण 08.02.2020 को किया गया	हाँ	शून्य	क्रय की गई	
4	बॉटनिकल गार्डन जेट्टी, हावड़ा जिला।	996	996	अनापत्ति प्रमाणपत्र/ उपयोग हेतु अनुमति।	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	दिसंबर 2004 से जेटी का उपयोग करने के लिए एसएमपीके (केओपीटी) से अनापत्ति प्रमाणपत्र।
5	शांतिपुर जेट्टी, नादिया जिला।	8000	8000	डी.एम. नादिया द्वारा अगस्त 2008 से निःशुल्क प्रदान किया गया।	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	(क) राज्य प्रशासन पश्चिम बंगाल सरकार से उपयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र। (ख) डी.एम. नादिया द्वारा अगस्त 2008 से निःशुल्क प्रदान किया गया।

6	प्रिंसेप घाट	446.75	446.75	18.01.2021 से 17.01.2051	लागू नहीं	शून्य	पट्टे पर	एसएमपीके को रुपए 30 साल की लंबी अवधि की लीज के लिए एकमुश्त अग्रिम प्रीमियम के रूप में 2,73,72,520/- का भुगतान किया गया।
7	बीटीपीएस जेट्टी त्रिबेनी	आरसीसी जेट्टी और जेट्टी के पार आसपास की भूमि	आरसीसी जेट्टी और जेट्टी के पार आसपास की भूमि	दिनांक 16.10.2020 से लीज आधार सात वर्षों के लिए (रुपए 50,000/-)	लागू नहीं	शून्य	पट्टे पर	डब्ल्यूबीपीडीसीएल से 7 साल के लिए पट्टा लिया गया. उपयोगकर्ता शुल्क पहले 24 महीनों के लिए जीएसटी और बिजली बिल को छोड़कर रुपए 50,000/- और पहले 24 महीनों के पूरा होने के बाद उपयोगकर्ता शुल्क में हर साल 5% की बढ़ोतरी की जाएगी।
8	कोलाघाट टर्मिनल	7203.40 (1.78 एकड़)	7203.40 (1.78 एकड़)	स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई में 15.06.2022 से स्थानांतरित	हाँ	शून्य	लागू नहीं	आईडब्ल्यूएआई द्वारा एडीएम (एलआर) और डीएल एंड एलआरओ, पूर्व मेदिनीपुर को 1,08,23,700/- रुपये का भुगतान किया गया है।
ख	जेएमवीपी के तहत							
1	हल्दिया, पूर्व मेदिनीपुर जिला।	246858.155 (61 एकड़)	246858.155 (61 एकड़)	23.04.2018 से 22.04.2048 तक लीज पट्टा रुपए 291292/- वार्षिक	नहीं	शून्य	पट्टे पर	मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए लिया गया वार्षिक लीज रुपए 291292/-
2	हल्दिया (रेलवे साइडिंग के लिए) पूर्व मेदिनीपुर जिला	10.17 एकड़	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	प्रशासनिक प्रभाग हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स द्वारा 09.11.2022 को आईडब्ल्यूएआई को 10.17 एकड़ भूमि आवंटन की पेशकश रद्द करना।
3	फरक्का (पश्चिम बंगाल) में नया नेविगेशनल लॉक	148600 (14.86 हैक्टर)	148600 (14.86 हैक्टर)	02.03.2016	नहीं	शून्य	लागू नहीं	एफबीपी, फरक्का से आईडब्ल्यूएआई में स्थानांतरित किया गया और उत्परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की गई।
4	मौजूदा नेविगेशनल लॉक	71550 (7.155 हैक्टर)	71550 (7.155 हैक्टर)	04.09.2018	नहीं	शून्य	क्रय की गई	फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का से आईडब्ल्यूएआई (एमओएस) में स्थानांतरण
5	एमएमटी साहेबगंज	741100.74 (183.13 एकड़)	741100.74 (183.13 एकड़)	जमाबंदी दिनांक: 11.11.2017- 25.96 एकड़ 11.11.2017- 119.855 एकड़ 07.12.2017- 19.85 एकड़ 08.03.2018- 4.42 एकड़ 08.03.2018- 6.42 एकड़	हाँ	शून्य	क्रय की गई	झारखण्ड सरकार द्वारा 741100.74 वर्ग मीटर भूमि स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित कर दी गई है। के और बिक्री विलेख आईडब्ल्यूएआई और झारखंड राज्य सरकार के बीच निष्पादित किया गया है।

				18.03.2018-6.625 एकड़				
6	आईसीएलपी भूमि साहेबगंज	485274.69 (119.19 एकड़)	485274.69 (119.19 एकड़)	स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई को 04.02.2023 से स्थानांतरित	नहीं	शून्य	क्रय की गई	(क) निजी मालिक द्वारा 453247.872 वर्ग मीटर (112 एकड़) भूमि को स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित कर दी गई है और शेष 29096.89 वर्ग मीटर (7.19 एकड़) भूमि झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थायी रूप से आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित कर दी गई है। (ख) 453247.872 वर्ग मीटर (112 एकड़) का उत्परिवर्तन किया गया है, जबकि 29096.89 वर्ग मीटर (7.19 एकड़) भूमि का उत्परिवर्तन करने के लिए झारखंड राज्य सरकार को पत्र जारी किया गया है।.
ग	आरओ कार्यालय/आरआईएस/डीजीपीएस							
1	खिदिरपुर, कार्यालय भवन कोलकाता जिला भवन।	941	941	01.07.2005 से लीज आधार रुपए 92878/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार	11 महीने के किराया आधार अवधि पर रुपए 92878/- (मासिक) और अब प्राधिकरण ने 30 वर्षों के लिए दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर प्रस्तावित किया है/भूमि दीर्घकालिक है अर्थात। 30 वर्ष का आधार. हालाँकि यह प्रस्तावित है कि भूमि को स्थायी आधार पर ले लिया जाए।
2	त्रिबेनी (बांसबेरिया) में आरआईएस स्टेशन	7150	7150	लीज आधार पर 01.01.2014 से प्रभावी रुपए 14662/-(मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार	श्री संजीब कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय प्रेण कुमार सिंह बंसेरिया जिला- हुगली (प. बंगाल) से रुपए 14662/- (मासिक) 5 साल के लीज रेंट के आधार पर, जिसे हर पांच साल के बाद 15% की वृद्धि पर 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
3	स्वरूपगंज (डीजीपीएस) नदिया जिला.	2000	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2000 वर्ग मीटर की लीज 12.12.2022 को एसएमपीके (केओपीटी) कोलकाता को सौंप दी गई है और डीजीपीएस स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया है।
4	स्वरूपगंज स्टोर नादिया जिला।	290	290	लीज आधार पर दिनांक 18.08.2001 रुपए से प्रभावी 36304/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से मासिक किराये के आधार पर
		22.5	22.5	18.08.2002 से लीज आधार पर रुपए 2401/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार	
		25	25	01.01.2003 से लीज आधार रुपए 2667/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार पर	

5	कुमारपुर मुर्शिदाबाद जिले में आरआईएस	9893.33	9893.33	लीज आधार पर दिनांक 01.11.2013 से रुपए 1725/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार पर	श्री तापस मंडल, पुत्र श्री शशिगोपाल मंडल, ग्राम+ डाकघर- कुमारपुर, प. बंगाल -742189 से 01.11.2013 से रुपए 1725/- (मासिक) 5 साल के लीज रेंट के आधार पर, जिसे हर पांच साल के बाद 15% वृद्धि की दर पर 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ली गई।
6	बलिया मुर्शिदाबाद जिले में आरआईएस	919.12	919.12	01.11.2013 से लीज आधार पर रुपए 2875/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार पर	श्री असित घोष, पुत्र स्वर्गीय बंकिम चंद्र घोष ग्राम+पीओ बलिया, पीएस सागर दिघी डब्ल्यूबी 742237। से रुपए 2875/- (मासिक) 5 साल के लीज रेंट के आधार पर, जिसे से हर पांच साल के बाद 15% वृद्धि दर पर 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ली गई।
7	हेमनगर एलसी स्टेशन	3222	3222	20.12.2022 से लीज आधार रुपए 19436/- (मासिक)	नहीं	शून्य	लीज होल्ड आधार पर	अतिरिक्त कार्यकारी कार्यालय, उत्तर 24 परगना बारासात पश्चिम बंगाल से हेमनगर में एकीकृत कार्यालय परिसर के भूतल पर, हेमनगर जिला परिषद गेस्ट हाउस से रुपए 19436/- (मासिक) का 3222 वर्ग मीटर का क्षेत्र पट्टे के आधार पर लिया गया है।
इलाहाबाद कार्यालय								
1	लवायन, कुंड नैनी, इलाहाबाद	8.759(हैक्टर)	8.759(हैक्टर)	25.01.2004	----	----	फ्रीहोल्ड	फ़्लोटिंग टर्मिनल
पटना कार्यालय								
1	गायघाट, पटना, जिला-पटना	11868.23 (2.9327 एकड़)	11868.23 (2.9327 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	निम्न स्तरीय जेटी, टर्मिनल
2	गायघाट, पटना, जिला-पटना	4046.86 (1.00 एकड़)	4046.86 (1.00 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	हाई लेवल जेट्टी, डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस स्टेशन
3	गायघाट, पटना, जिला-पटना	17401.50 (4.3 एकड़)	17401.50 (4.3 एकड़)	----	नहीं	नहीं	----	राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्थान और आईडब्ल्यूएआई आरओ पटना
4	गायघाट, पटना, जिला-पटना	5539.34 (1.3688 एकड़)	5539.34 (1.3688 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	निनी परिसर
5	बड़ी खंजरपुर, भागलपुर, जिला-भागलपुर	15620.87 (3.86 एकड़)	15620.87 (3.86 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन, फ्लोटिंग टर्मिनल
6	खास महल गिर्द किला, मुंगेर, जिला-मुंगेर	13759.31 (3.40 एकड़)	13759.31 (3.40 एकड़)	----	नहीं (खासमहल भूमि)	हाँ	----	आरआईएस स्टेशन फ्लोटिंग टर्मिनल

7	कालूघाट, सोनपुर सारण	53297.099 (13.17 एकड़)	53297.099 (13.17 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	आईएमटी का निर्माण, 26.09.2020 को डीएलएओ, सारण से भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र (एलपीसी) प्राप्त हुआ
	पट्टे की भूमि			----			----	
8	मनिहारी मसकन, (मनिहारी) जिला-कटिहार	742.52 (18.35 दशमलव)	742.52 (18.35 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
9	मरची- हातिदह जिला-पटना	744.14 (18.39 दशमलव)	744.14 (18.39 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
10	नवादा, बाढ़ जिला-पटना	758.71 (18.75 दशमलव)	758.71 (18.75 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
11	ग्राम मौजमपुर बरहरा, जिला भोजपुर (आरा)	796.73 (8576 वर्गफुट)	796.73 (8576 वर्गफुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
12	गोविंपुर खास जिला-बलिया	743.22 (8000 वर्गफुट)	743.22 (8000 वर्गफुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
13	धरम्मरपुर उपरवार जिला ग़ाज़ीपुर	632.11 (6804 वर्गफुट)	632.11 (6804 वर्गफुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
गुवाहाटी कार्यालय								
1	पांडु कामरूप मेट्रो जिला	5.86 हैक्टेयर	5.86 हैक्टेयर	भारत सरकार की भूमि (रेलवे)। स्वामित्व विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	नहीं	सरकारी भूमि (रेलवे)	मुख्यालय/मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 1995 में सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि अधिग्रहित की गई। हालाँकि, ज़मीन आईडब्ल्यूएआई के कब्ज़े में है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07-07-2018 द्वारा मुख्यालय से मामले को उच्च स्तर पर उठाने का अनुरोध किया गया था। इस भूमि पार्सल से स्थायी टर्मिनल और आरओ, आईडब्ल्यूएआई चल रहा है।
		1288	1288	आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में सरकारी भूमि का स्वामित्व विलेख निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	नहीं	सरकारी भूमि पर आईडब्ल्यूएआई का कब्ज़ा	आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय के पत्र संख्या IWAI/Estt./CIWTC/Assets/11/2015 दिनांक 12-10-2017 के निर्देशानुसार 10/11/2017 को सीआईडब्ल्यूटीसी से लिया गया। भारत सरकार की ओर से संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाला गया। (भूमि का आकार 56mX23m है)

		576	शून्य	सीआईडब्ल्यूटीसी भारत सरकार की भूमि (रेलवे) से ली गई	नहीं	हाँ	सरकारी भूमि	सीआईडब्ल्यूटीसी से जैसी है जहाँ है आधार पर ली गई है- पूरी तरह से अतिक्रमित (भूमि का आकार 36mX36m है)। अतिक्रमणकारियों को मुक्त कराने के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन दिया है. लैट मंडल द्वारा सर्वेक्षण किया गया और निष्कासन के लिए रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौंपी गई।
2	जोगीघोपा (टर्मिनल) बोंगाईगांव जिला	164700	164700	भारत सरकार की भूमि. शीर्षक विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	नहीं	फ्रीहोल्ड	शीर्षक विलेख निष्पादित नहीं किया गया. इस कार्यालय में म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है और यह प्रक्रिया में है। जोगीघोपा भूमि का यह हिस्सा अतिक्रमण से मुक्त है और आईडब्ल्यूएआई के कब्जे में है। इस बिंदु पर एक डीजीपीएस स्टेशन और एक अस्थायी टर्मिनल उपलब्ध है।
3	नेमाटी, जोरहाट जिला	20000	20000	शीर्षक विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित किया गया है।	हाँ	हाँ	फ्रीहोल्ड	भूमि आंशिक रूप से (लगभग 50%) नष्ट हो गई और छोटे हिस्से पर अतिक्रमण हो गया। आईडब्ल्यूएआई का रो-रो जलयान इस स्थान से चल रहा था। कुछ आईडब्ल्यूटी फेरी भी इस बिंदु से चल रहे हैं। एआईडब्ल्यूटीडीएस, असम सरकार ने पत्र संख्या के माध्यम से 11.03.2021 को आईडब्ल्यूटी निदेशालय असम को नेमाटी में जमीन सौंपने का अनुरोध किया। आईडब्ल्यूएआई/जीएचवाई/3(18)/एनएलए/1998-2008/392। आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय से सैद्धांतिक मंजूरी असम सरकार को भेज दी गई है। हालाँकि, 18-02-2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास के मद्देनजर, इस कार्यालय ने मुख्यालय से निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। 29.10.2021 को नेमाटी के अतिक्रमित हिस्से को हटाने के लिए डीसी जोरहाट को पत्र जारी किया गया और डीसी ने सीओ जोरहाट को एक पत्र भेजा है।
4	हटसिंगीमारी, धुबरी जिला	17240	17240	असम सरकार के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया। का स्वामित्व विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	_	फ्रीहोल्ड	उपायुक्त, दक्षिण सलमारा, मनकाचार, हाटसिंगिमारी के पत्र संख्या एचएलए-1/2017/21 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई।
5	नागाघुली डिब्रूगढ़ जिला	40190	40190	18.10.2012 को आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और डीजीपीएस स्टेशन/ दिनांक 20.02.2019 को ट्रेंच पिलर लगाकर टर्मिनल भूमि का सीमांकन किया गया। चारदीवारी का काम पूरा हो गया है।

6	सिलघाट, नागांव जिला	20070	20070	24.01.2013 को आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	एडीसी नगांव के पत्र क्रमांक एनआरएस/65/2014/63 दिनांक 18-09-2018 के अनुसार भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस स्थान पर स्टील पोंटून के साथ अस्थायी बर्थिंग उपलब्ध है।
7	बिश्वनाथ, सोनितपुर जिला	6300	6300	दिनांक 16.03.2013 को आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	इस स्थान पर एक डीजीपीएस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इस स्थान पर स्टील पोंटून के साथ अस्थायी बर्थिंग उपलब्ध है।
8	धुबरी, धुबरी	32500	32500	आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	इस स्थान पर आरसीसी रो-रो जेट्टी और अन्य तटीय सुविधा के साथ स्थायी टर्मिनल सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इस बिंदु पर एक डीजीपीएस+आईसीपी भी उपलब्ध है। आईडब्ल्यूएआई के नाम पर म्यूटेशन पूरा हो गया है. केस नंबर टीएस 03/2021 अभी भी जिला सिविल जज कोर्ट, धुबरी में लंबित है। जैसा कि आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय द्वारा अनुमोदित है। आईडब्ल्यूएआई गुवाहाटी ने सरकार को संबंधित दस्तावेजों के साथ पैरावाइज टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।
9	ओरियम घाट, धेमाजी जिला	26000	26000	शीर्षक विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया। असम सरकार के माध्यम से संसाधित.	नहीं	नहीं	फ्रीहोल्ड	भूमि का उत्परिवर्तन नहीं किया जा सका क्योंकि एसडीओ (सी), जोनाई ने भूमि मालिकों को केवल 80% पैसा वितरित किया है, और शेष 20% गलती से राजस्व जमा में डाल दिया गया है। मामले को डीसी धेमाजी के समक्ष उठाया गया है। एसडीओ जोनाई ने सचिव, राजस्व और आपदा प्रबंधन (एलआर), दिसपुर सचिवालय को दिनांक 01.11.19 के पत्र के माध्यम से निधि जारी करने के लिए पत्र लिखा। इस कार्यालय द्वारा मामले को निपटाने और उसके बाद पंजीकरण/ उत्परिवर्तन के लिए मामला उठाया गया है। 1.10.2021 को जट. सचिव, सरकार. असम के राजस्व एवं डायसेस्टर प्रबंधन (एलआर) विभाग ने अधिनियम के अनुसार एलए मामले को पूरा करने के लिए पत्र क्रमांक आरएलए137/2012/52 दिनांक 1.10.2021 के माध्यम से को एसडीओ (सिविल) जोनाई को एक पत्र लिखा।
10	पुराना जोगीघोपा बंदरगाह	416826	शून्य	भारत सरकार की भूमि। स्वामित्व विलेख के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया।	नहीं	हाँ	फ्रीहोल्ड	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मार्च 2021 में पत्र संख्या 13021/3/2013-CIWTC/Vol-II भाग (2) के माध्यम से जोगीघोपा में 103 एकड़ भूमि आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय में दो अदालती मामले WP(C) 6230 और WP(C) 6299 लंबित हैं। अदालती

								मामलों को निपटाने के लिए डीसी बोंगाईगांव ने भूमि मालिकों और अतिक्रमणकारियों के साथ बातचीत की और रुपए 2.64 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के लिए आईडब्ल्यूएआई को जमा की। आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय ने राशि स्वीकृत कर दी है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आरओ गुवाहाटी को भेज दी है। सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार व्यक्ति के नाम का चेक आईडब्ल्यूएआई द्वारा तैयार किया गया और आगे के वितरण के लिए डीसी बोंगाईगांव को सौंप दिया गया था। संवितरण प्रक्रिया चल रही है. जमीन का सीमांकन पूरा हो गया है।
11	डिब्रूगढ़ में एजेंसी बंगला	6314	6314	आईडब्ल्यूएआई के नाम पर दिनांक 7.11.2017 को निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	सीआईडब्ल्यूटीसी से लिया गया (उत्परिवर्तन) पूरा हो गया. आईडब्ल्यूएआई उप कार्यालय यहीं से चल रहा है।
12	करीमगंज, स्टीमर घाट	7237	7237	आईडब्ल्यूएआई के नाम पर दिनांक 30.01.2018 को निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि का अधिग्रहण। म्यूटेशन पूरा हो गया
13	बदरपुर, स्टीमर घाट	4361	4361	आईडब्ल्यूएआई के नाम पर 29.01.2018 को निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	सीआईडब्ल्यूटीसी की पट्टा भूमि का अधिग्रहण/ म्यूटेशन पूरा हो गया।
14	उज़ान बाज़ार	1258	1258	दिनांक 26.04.2018 को आईडब्ल्यूएआई के नाम से निष्पादित	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	म्यूटेशन पूरा हो गया। सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है.
15	फैंसी बाज़ार, गुवाहाटी	2154	2154	सरकार. भूमि। शीर्षक विलेख आईडब्ल्यूएआई के नाम पर निष्पादित नहीं किया गया। सीआईडब्ल्यूटीसी ने संरक्षक के रूप में जमीन आईडब्ल्यूएआई को सौंप दी।	नहीं	नहीं	फ्रीहोल्ड	आईडब्ल्यूएआई ने डीसी कामरूप (एम) को आईटीएटी के नाम पर भूमि को परिवर्तित न करने के लिए आवेदन किया और इस मुद्दे में आईडब्ल्यूएआई ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का पत्र डीसी कामरूप (एम) को सौंप दिया।
16 (क)	खरघुली हिल भूमि पार्सल (जज बंगला)	20541.42	20541.42	14.09.2024 को सीआईडब्ल्यूटीसी के लिए आईडब्ल्यूएआई	नहीं	हाँ	फ्रीहोल्ड	जमीन पूरी तरह से अतिक्रमित है।

	गुवाहाटी			को सौंपने का कार्य पूरा हुआ।				
16 (ख)	खरघुली हिल्स लैंड पार्सल (स्टाफ क्वार्टर) गुवाहाटी	5092	5092	14.09.2024 को सीआईडब्ल्यूटीसी के लिए आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरण का कार्य पूरा हुआ	नहीं	हाँ	फ्रीहोल्ड	जमीन पूरी तरह से अतिक्रमित है।
17	सिलचर जलयान घाट	2006.69	2006.69	14.09.2024 को सीआईडब्ल्यूटीसी के लिए आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरण का कार्य पूरा हुआ	नहीं	हाँ	फ्रीहोल्ड	जमीन पूरी तरह से अतिक्रमित है।
18	उजान बाजार हनुमान मंदिर	2733.36	2733.36	14.09.2025 को सीआईडब्ल्यूटीसी से आईडब्ल्यूएआई को हस्तांतरण का कार्य पूरा हुआ।	नहीं	हाँ	फ्रीहोल्ड	जमीन पूरी तरह से अतिक्रमित है।
कोच्चि कार्यालय								
1	कोट्टापुरम टर्मिनल, त्रिशूर जिला	5823	5823	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	भूमि आईडब्ल्यूएआई के नाम पर हस्तांतरित।
2	अलुवा टर्मिनल, एर्नाकुलम जिला	13310	13310	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
3	मरदु टर्मिनल, एर्नाकुलम जिला	20085	20085	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
4	कक्कानाड टर्मिनल, एर्नाकुलम जिला	12205	12205	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
5	वैक्कोम टर्मिनल, कोट्टायम जिला	5184	5184	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	भूमि आईडब्ल्यूएआई के नाम पर हस्तांतरित

				गया				
6	त्रिक्कुन्नापुझा टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	5057	5057	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
7	थन्नीरमुक्कोम टर्मिनल, अलाप्पुझा ज़िला	9170	9170	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
8	अलाप्पुझा टर्मिनल, अलाप्पुझा जिला	22550	22550	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
9	कायमकुलम टर्मिनल, कोल्लम जिला	16332	16332	कब्ज़ा और आनंद (एनज्वायमेंट) प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	वही
10	चावरा टर्मिनल, कोल्लम जिला	8061	8061	प्रक्रिया के तहत	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	भूमि को आईडब्ल्यूएआई के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।
11	कोल्लम टर्मिनल, कोल्लम जिला	5812	5812	प्रक्रिया के तहत	नहीं	नहीं	फ्रीहोल्ड	(i) क्र.स. 5/2-00.92 क्षेत्र और (ii) क्र.स. 75/2- 02.64 कोल्लम पूर्व गांव क्षेत्र के अलावा जो प्रक्रियाधीन है, भूमि आईडब्ल्यूएआई के नाम पर हस्तांतरित।
12	नहरों के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण;							
	1) अलाप्पुझा जिला	113147	113147	चूँकि जलमार्ग चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि नहर में डूब चुकी है तथा कोई भौतिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे उत्परिवर्तन के लिए संसाधित नहीं किया जाता है।		नहीं	फ्रीहोल्ड	गाँव के रिकॉर्ड में भूमि राष्ट्रीय जलमार्ग पुरम्बोकके के नाम पर हस्तांतरित की गई
	2) कोल्लम जिला	102178	102178			नहीं	फ्रीहोल्ड	गाँव के रिकॉर्ड में भूमि को राष्ट्रीय जलमार्ग पुरम्बोकके के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है
	उप योग	338914	338914					
	आर.ओ. विजयवाड़ा कार्यालय के अंतर्गत भूमि का विवरण							

1	मुक्तयाला जगय्यपेटा मंडल एनटीआर जिला आंध्र प्रदेश में भूमि अधिग्रहण	30,630.70 (एसी 7.57 सेंट)	30,630.70 (एसी 7.57 सेंट)	नहीं	नहीं	नहीं	फ्रीहोल्ड	एनडब्ल्यू-4 पर जग्गयापेटा (एम) के मुक्तयाला में टर्मिनल सुविधाओं के विकास के लिए एलए- 8.57 सेंट, सीमा तक आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जिसमें ए.सी. 7.57 सेंट का अधिग्रहण किया गया है और शेष एसी 1.00 सेंट के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। तहसीलदार, जगय्यापेटा ने मुक्तयाला टर्मिनल भूमि को 7.57 सेंट (जलमग्न भूमि को छोड़कर) की सीमा के लिए आईडब्ल्यूएआई को भौतिक रूप से सौंप दिया है। उक्त भूमि का अवार्ड पारित होना बाकी है। इस कार्यालय ने 15.02.2023 को तहसीलदार, जगय्यापेटा से राजस्व रिकॉर्ड में आईडब्ल्यूएआई विवरण शामिल करने का अनुरोध किया है। 24.02.2023 को, श्री चंद्रमौलेश्वर नर्सिंग होम ट्रस्ट ने इस कार्यालय से मुक्तयाला गांव के आर.एस. क्रमांक 153 में 4.86 एकड़ (जलमग्न भूमि) 50% सीमा तक मुआवजे के भुगतान के लिए अनुरोध किया है। हालाँकि, आईडब्ल्यूएआई को जेटी निर्माण हेतु केवल 1.00 एकड़ की आवश्यकता है। उपरोक्त सीमा भूमि में यही मुद्दा आगे के निर्देशों के लिए आईडब्ल्यूएआई, मुख्यालय को भेज दिया गया है। 1 एकड़ जलमग्न भूमि के लिए अधिग्रहण आ.प्र. राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
2	हरिश्चंद्रपुरम थुल्लूर मंडल, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में भूमि अधिग्रहण	14,690.09 (एकड़ 3.63 सेंट)	14,690.09 (एकड़ 3.63 सेंट)	हाँ (ऑनलाइन रिकॉर्ड)	हाँ (ऑनलाइन रिकॉर्ड)	नहीं	फ्रीहोल्ड (खरीद)	आईडब्ल्यूएआई, विजयवाड़ा द्वारा 28.03.2022 को अधिग्रहण किया गया।
3	इब्राहिमपटनम, एनटीआर जिला आंध्र प्रदेश में भूमि अधिग्रहण	भूमि का अधिग्रहण अभी बाकी है (एकड़.3.80 सेंट)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	अभी आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जाना	एकड़ 3.80 सेंट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। 12.09.2022 को ईएनसी, आंध्र प्रदेश जल संसाधन विभाग (एपीडब्ल्यूआरडी) ने सरकार के प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) को एक रिपोर्ट सौंपी। यह उल्लेख किया गया था कि मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार और अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई के साथ हुई बैठक के दौरान सहमति के अनुसार डब्ल्यूआरडी को वन टाइम कोस्ट के साथ स्वामित्व के आधार पर आईडब्ल्यूएआई को

							बाकी है।	उपलब्ध भूमि आवंटित करने में कोई आपत्ति नहीं है। 25.06.2021 को उक्त भूमि की एकमुश्त लागत रुपए 6,01,92,000/- है। इसकी सूचना आईडब्ल्यूएआई, मुख्यालय को दे दी गई है। 27.03.2023 को, मुख्य अभियंता (सिंचाई), एपीडब्ल्यूआरडी ने इस कार्यालय से अध्यक्ष आईडब्ल्यूएआई के साथ सहमति के अनुसार एकमुश्त लागत के साथ स्वामित्व के आधार पर भूमि सौंपने के निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया है। उपरोक्त मामले की स्थिति से आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है। आईडब्ल्यूएआई, मुख्यालय से उत्तर प्रतीक्षित है।
4	आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आरओ कार्यालय भवन के लिए भूमि अधिग्रहण	लीज होल्ड के स्थान पर अभी भी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है (एकड़.0.57 सेंट)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लीज होल्ड आधार	03.04.2023 को, इस कार्यालय ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, एएमआरडीए (एपीसीआरडीए), विजयवाड़ा से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए लीज होल्ड आधार पर 0.57 सेंट भूमि के अनंतिम आवंटन को रद्द करने का अनुरोध किया है। और कृष्णा नदी से सटे वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा जिला-वाराणसी टर्मिनल/बंदरगाह								
1	बन्दरगाह निर्माण राल्हूपुर, रामनगर, वाराणसी (गैर सरकारी भूमि)	55860 (5.586 हैक्टेयर)	55860 (5.586 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	बन्दरगाह निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं काश्तकार को भूमि का भुगतान किया जा चुका है।
2	बंदरगाह के विस्तार व सम्पर्क मार्ग हेतु राल्हूपुर रामनगर वाराणसी की (गैर सरकारी भूमि)	156645 (15.6645 हैक्टेयर)	156645 (15.6645 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	बन्दरगाह विस्तार हेतु ग्राम- राहूपुर, रामनगर, वाराणसी में प्रस्तावित रकबा 23.9460 हेठ में 15.8465 हे. कय किया जा चुका है, शेष भूमि 8.0995 हे. का विवरण निम्नवत है- 2.0745 (गाटा सं. -140,142,119 व 172) में से 0.182 हे. दिनांक 01.05.2023 को कय हो चुकी है (1895 हे. शेष)। शेष भूमि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। 4.367 हे. भूमि श्री गोपाल सिंह वगै. का है जिसमें (2.073 हे. भूमि के कय की प्रक्रिया चल रही है,

								प्राधिकरण के द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है।) शेष भूमि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। 0.094 हे. (गाटा सं0 120, 158, 197 व 126) भूमि के काश्तकार मृतक है व इनके 3 वारिसान का नाम वर्तमान में खतौना में दर्ज हो चुका है। यह भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। 0.388 हे. (गाटा सं0 110/0.125, 193/0.016, 198/0.247) के काश्तकार की सहमति प्राप्त नहीं है और ये आवासीय दर की मांग कर रहे है। काश्तकार कन्हैया, गोपाल, दिनेश, अशोक आदि तथा संतोष, मनोज, अनिल आदि, निवासी- रामनगर। यह भूमि अनिवार्य भमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। 1.257 हे. (गाटा सं. 138) जिसके सम्बन्ध में लेखपाल बनाम विश्वेश्वर शास्त्री उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31, 32 के अन्तर्गत वाद उपजिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन वाद का निस्तारण हो चुका है। नियमानुसार इसका विक्रय अनुमति जिला जज से प्राप्त होने के उपरान्त ही भूमि को निबन्धन कराया जा सकता है (वर्तमान समय में यह भूमि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है) 107/0.101 हे. के काश्तकार की सहमति नहीं है। इसलिए यह भूमि अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है।
3	बंदरगाह के विस्तार हेतु राल्हूपुर रामनगर वाराणसी की (सरकारी भूमि)	15780 (1.578 हैक्टेयर)	15780 (1.578 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	109/0.053 हे. भीटा है, 173/0.227. 181/0.125 हे. नाला है व 190/0.117 हे. भूमि रास्ता का कुल रकबा 0.522 हे. हैं। दिनांक 30.04.2023 को आयुक्त सभागार, वाराणसी में सचिव, एम. ओ. पी. एस. डब्लू., भारत सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि एम. एम. टी. विस्तार के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में से उक्त रकबा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दिया जाएगा। 139/0.016 हे. देवस्थान है। 1.680 हे. भूमि लोक निर्माण विभाग उ. प्र. का है जिसको प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण करने हेतु दिनांक 04.09.2021, 15.12.2021, 18.04.2022,

								20.05.2022 प्रेषित किया गया है। 19.04.2023 प्रेषित किया गया है। 121/0.089 हे. भूमि नवीन परती (मतरूक) का है। प्रशासन द्वारा निस्तारण किया जाना है। इस सम्बन्ध में सरकारी भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में हस्तानांतरण के लिए पत्रांक- भा. अ. ज. प्रा./ वारा./तक.(38)/2023-24 / 87. दिनांक- 10.05.2023 के द्वारा आयुक्त महोदय को अनुरोध किया गया था।
4	बन्दरगाह के सम्पर्क मार्ग हेतु सरकारी भूमि	5300 (0.530 हैक्टेयर)	530 (0.350 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	जमीन सीकस्त।
5	बन्दरगाह के सम्पर्क मार्ग हेतु गैर सरकारी भूमि, राल्हूपुर	7710 (0.771 हैक्टेयर)	7710 (0.771 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	प्राधिकरण के नाम से भूमि क्रय की जा चुकी है।
	कुल	236525 (23.6525 हैक्टेयर)	236525 (23.6525 हैक्टेयर)					
फ्रेट विलेज वाराणसी हेतु जिला-चंदौली एवं जिला मिर्जापुर								
1	फ्रेट विलेज हेतू ग्राम-मिल्कीपुर जनपद-चंदौली	27280 (2.728 हैक्टेयर)	27280 (2.728 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	आयुक्त महोदय वाराणसी व जिलाधिकारी महोदय चंदौली द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि काश्तकारों के द्वारा भूमि का विक्रय न करने पर परियोजना को अतिशीघ्र पूर्ण करने हेतु शेष भूमि को अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से जिला प्रशासन चंदौली के सहयोग से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया मे है। जिला प्रशासन जनपद-चंदौली के सहयोग से कार्यालय-विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) वाराणसी के द्वारा उक्त शेष भूमि (जनपद-चंदौली) को "अनिवार्य भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यालय-विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को दिनांक- 27.09. 2022 को अर्जन प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। तद्क्रम में धारा-19 (1) का प्रकाशन दिनांक 06.05. 2023 के अंक में हो चुका है और दिनांक-08.05. 2023 साईट पर उपलोड हो चुका है एवं आगे की कार्यवाही चल रही

								है। दिनांक-10.05.2023 को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हो गया है और दिनांक- 20.05.2023 को अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि का सीमांकन हेतु संयुक्त समूह के द्वारा पैमाईश उपरान्त पत्थर लगाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है किन्तु दिनांक-29. 05. 2023 को सीमांकन के दौरान काश्तकारों / ग्रामीणों के द्वारा अत्यधिक विरोध करने के कारण सीमांकन का कार्य अवरूद्ध है। इस सम्बन्ध में पत्रांक- 154 / 30.05.2023 के द्वारा आयुक्त व अन्य अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई एवं पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
	योग	27280 (2.278 हैक्टेयर)						
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा जिला-गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल/बंदरगाह								
1	बंदरगाह के लिए गैर सरकारी भूमि ग्राम-डुंगुरपुर परगना तहसील व जिला-गाजीपुर	36680 (3.668 हैक्टेयर)	36680 (3.668 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	प्रस्तावित शेष भूमि पूर्व में क्रय समिति द्वारा निर्धारित किए गये प्रक्रिया के अनुरूप काश्तकार से सहमति प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में भा०अ०ज०प्रा० के अधिकारी को माह-फरवरी 2019 में उप जिलाधिकारी, गाजीपुर के साथ बैठक कर स्थिति से अवगत करा दिया है। पुनः जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा दिनांक-26.04.2019 को जिला प्रशासन व राजस्व अधिकारी गाजीपुर से भूमि क्रय की प्रक्रिया को आगे बढने के लिए सम्पर्क किया गया है। कुछ काश्तकार अपनी भूमि का विक्रय करने को तैयार है जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी भा०अ०ज०प्रा० को उपलब्ध कराये है, जिसको क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है। जिसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा शासनादेश के नियमानुसार क्रय समिति में एक वर्ष पूर्ण होने के कारण पुनः सर्किल रेट निर्धारण हेतु दिनांक-07.09.2019 को आहूत हो चुकी है।
2	बंदरगाह सम्पर्क मार्ग के लिए गैर सरकारी भूमि ग्राम-जल्लापुर परगना तहसील व	7180 (0.718 हैक्टेयर)	7180 (0.718 हैक्टेयर)	हाँ	हाँ	नहीं	फ्रीहोल्ड	इस भूमि हेतु प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा काश्तकार से सम्पर्क किया जा रहा है। परन्तु काश्तकार नेअभी तक सहमति नहीं दी है। इस कार्य को आगे बढाने हेतु जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, जिला व राजस्व अधिकारी जनपद-गाजीपुर से सम्पर्क में है।

	जिला-गाजीपुर							
	गाजीपुर टर्मिनल हेतु वांछित कुल भूमि	43860 (4.386 हैक्टेयर)	43860 (4.386 हैक्टेयर)					

32. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2023 को अचल संपत्तियों की अनुसूची

	विवरण	31.03.2022 सकल ब्लॉक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन/कटौती	31.03.2022 सकल ब्लॉक की स्थिति के अनुसार	मूल्यह्रास/ परिशोधन		बेची/हस्तांतरित परिसंपत्तियों के खाते में समायोजन	कुल मूल्यह्रास 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	निवल ब्लॉक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार
						31.03.2022 सकल ब्लॉक की स्थिति के अनुसार	वर्ष के लिए			
					(3+4+5)				(7 + 8 + 9)	(6 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नोएडा	सर्वेक्षण उपकरण	25,61,260	-	-	25,61,260	23,98,973	4,124	-	24,03,097	1,58,163
	वाहन	22,58,620	-		22,58,620	17,81,930	1,01,377		18,83,307	3,75,313
	फर्नीचर और फिक्सचर	79,50,828	1,77,129	-	81,27,957	72,03,198	5,30,001		77,33,199	3,94,758
	कार्यालय उपकरण	1,45,51,286	87,980	-	1,46,39,266	1,16,49,124	10,77,255		1,27,26,379	19,12,887
	विद्युत स्थापना	1,17,19,138	-		1,17,19,138	92,01,960	18,94,298		1,10,96,258	6,22,880
	एयर कंडिशनर	2,13,67,889	-		2,13,67,889	1,74,53,275	28,43,597		2,02,96,872	10,71,017
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	1,82,751	13,389		1,96,140	1,73,614	2,209		1,75,823	20,317
	पंखे और एयरकूलर	11,87,013	7,000		11,94,013	11,27,658	580		11,28,238	65,775
	जनरेटर सेट	70,47,195	-		70,47,195	42,19,691	4,11,817	-	46,31,508	24,15,687
	साइकिल	27,711	-		27,711	26,328	-		26,329	1,385
	अस्थायी संरचना	7,10,114	-		7,10,114	7,10,114	-		7,10,114	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	15,91,391	38,294		16,29,685	15,91,391	38,294		16,29,685	-
	कंप्यूटर	3,33,42,007	10,34,391	-	3,43,76,398	2,92,93,216	23,89,242		3,16,82,458	26,93,940
	कंप्यूटर (सर्वेक्षण)	30,77,350	1,33,680		32,11,030	28,96,808	26,790		29,23,598	2,87,432
	कंप्यूटर (एफवी)	1,39,981			1,39,981	1,20,715	12,267		1,32,982	6,999
	कंप्यूटर (बांड)	3,38,845			3,38,845		1,61,172		1,61,172	1,77,673
	संचार उपकरण.	15,23,420			15,23,420	14,47,250	-		14,47,250	76,170
	भवन	11,01,97,880			11,01,97,880	4,00,59,947	17,00,738		4,17,60,685	6,84,37,194
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	29,48,281	4,503		29,52,784	26,30,346	94,402		27,24,748	2,28,036
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (सर्वेक्षण)	4,18,621			4,18,621	3,00,032	97,658		3,97,690	20,931
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (एफवी)	40,560			40,560	38,532	-		38,532	2,028
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (बांड)	59,937			59,937		28,509		28,509	31,428
	निवास क्वार्टर	3,08,57,003	-		3,08,57,003	98,43,063	4,86,285		1,03,29,348	2,05,27,655
	कार पार्किंग	2,33,92,491	-		2,33,92,491	46,07,395	3,45,457		49,52,852	1,84,39,639
	पट्टा-भूमि	1,79,51,542	-		1,79,51,542	10,86,620	2,71,655		13,58,275	1,65,93,267
	यात्री लिफ्ट	46,12,400	-		46,12,400	9,08,460	2,92,119	14,28,489	26,29,068	19,83,332
	योग (क)	**30,00,55,514**	**14,96,366**	**-**	**30,15,51,880**	**15,07,69,640**	**1,28,09,846**	**14,28,489**	**16,50,07,976**	**13,65,43,906**
	टर्मिनल	60,05,27,834	10,38,20,635		70,43,48,469	13,17,71,153	2,08,50,049		15,26,21,202	55,17,27,267
	वाहन	11,84,049		(7,389)	11,76,660	9,20,678	1,08,409	(7,020)	10,22,067	1,54,593
	फर्नीचर और फिक्सचर	16,46,449		(5,35,614)	11,10,835	14,16,182	29,109	(5,08,823)	9,36,468	1,74,367

कोलकाता	कार्यालय उपकरण	10,86,805		(3,04,985)	7,81,820	8,80,952	60,052	(2,89,712)	6,51,292	1,30,528
	विद्युत स्थापना	67,889		(43,089)	24,800	64,493	-	(40,933)	23,560	1,240
	सर्वेक्षण उपकरण	2,72,91,659			2,72,91,659	2,27,38,984	10,02,929	-	2,37,41,913	35,49,746
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,48,351	1,704		1,50,055	1,48,351	1,704		1,50,055	-
	स्पीड बोट	28,33,266		-	28,33,266	26,91,603	-	-	26,91,603	1,41,663
	साधारण जहाज	21,99,02,774		(95,698)	21,98,07,076	11,78,95,629	55,66,758	(90,913)	12,33,71,474	9,64,35,602
	पंखे और एयर कूलर	1,78,198		(50,626)	1,27,572	86,310	10,098	(48,095)	48,313	79,259
	संचार नेटवर्क	40,99,567		-	40,99,567	26,46,770	5,67,190		32,13,960	8,85,607
	बार्जे	13,41,62,007		-	13,41,62,007	4,52,84,640	28,02,706	-	4,80,87,346	8,60,74,661
	साइकिल	5,975		(1,290)	4,685	5,500	167	(1,225)	4,442	243
	जलयान निकर्षण इकाई	20,77,08,817		-	20,77,08,817	9,09,74,121	64,11,831	-	9,73,85,952	11,03,22,865
	कंप्यूटर	43,49,297	4,92,668	(9,37,594)	39,04,371	33,65,843	4,12,987	(9,03,074)	28,75,756	10,28,615
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	25,62,108	4,85,610		30,47,718	24,34,003	20,373		24,54,376	5,93,342
	रात्रि नौचालन उपकरण	6,72,76,321		-	6,72,76,321	3,60,62,602	33,22,966	-	3,93,85,568	2,78,90,753
	एयर कंडीशनर	10,46,856		-	10,46,856	6,73,091	83,229	-	7,56,320	2,90,536
	जनरेटर सेट	15,67,269			15,67,269	8,01,046	97,861	-	8,98,907	6,68,362
	आरआईएस स्टेशन संरचना	1,98,69,240			1,98,69,240	19,62,911	3,14,973		22,77,884	1,75,91,356
	आरआईएस उपकरण	14,06,67,890			14,06,67,890	5,55,28,477	89,08,966		6,44,37,443	7,62,30,447
	टर्मिनल-भूमि	1,24,83,75,749	1,08,23,700		1,25,91,99,449	-			-	1,25,91,99,449
	डी.जी.पी.स्टेशन	1,42,15,359	-		1,42,15,359	79,97,371	7,50,255		87,47,626	54,67,733
	हल्दिया में लीज भूमि	3,23,49,012			3,23,49,012	21,56,600	10,78,300		32,34,900	2,91,14,112
	पट्टा - प्रिंसेप घाट पर भूमि	2,73,72,520			2,73,72,520	18,24,834	9,12,417		27,37,251	2,46,35,269
	योग (ख)	**2,76,04,95,261**	**11,56,24,317**	**(19,76,285)**	**2,87,41,43,293**	**53,03,32,144**	**5,33,13,329**	**(18,89,795)**	**58,17,55,678**	**2,29,23,87,615**
पटना	भूमि	2,16,20,100		-	2,16,20,100	-			-	2,16,20,100
	वाहन	26,20,377		-	26,20,377	15,54,608	2,24,477	-	17,79,085	8,41,292
	फर्नीचर और फिक्सचर	26,90,062		-	26,90,062	18,23,728	1,97,923		20,21,651	6,68,411
	कार्यालय उपकरण	7,39,315	22,000	-	7,61,315	4,66,508	95,676		5,62,184	1,99,131
	विद्युत स्थापना	25,73,508		-	25,73,508	10,19,850	2,43,984		12,63,834	13,09,674
	एयर कंडिशनर	16,35,485	-	-	16,35,485	10,26,852	1,37,927	-	11,64,779	4,70,706
	वाटर कूलर	-			-	-			-	-
	रेफ्रिजरेटर	1,07,200	-	-	1,07,200	86,933	6,896	-	93,829	13,371
	जनरेटर सेट	-		-	-	-	-	-	-	-
	सर्वेक्षण उपकरण	3,72,75,205	-	-	3,72,75,205	2,09,15,186	15,00,873		2,24,16,059	1,48,59,146
	जलयान निकर्षण इकाई	73,31,44,158			73,31,44,158	42,91,38,710	1,34,72,617		44,26,11,327	29,05,32,831
	जहाज: साधारण	54,50,52,751	-	-	54,50,52,751	8,55,14,320	1,69,37,977	-	10,24,52,297	44,26,00,454
	स्पीड बोट	26,62,309		-	26,62,309	20,99,019	72,513	-	21,71,532	4,90,777

	बार्जे	9,22,33,341	-	-	9,22,33,341	4,79,74,645	16,85,924	-	4,96,60,569	4,25,72,772
	अस्थायी संरचना	4,24,845	-	-	4,24,845	2,87,735	1,15,868	-	4,03,603	21,242
	कंप्यूटर	47,59,903	1,79,423	-	49,39,326	44,80,903	42,084	-	45,22,987	4,16,339
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,36,475	11,999		1,48,474	1,36,475	11,999		1,48,474	-
	सर्वेक्षण उपकरण (कंप्यूटर)	55,28,544	2,71,485	-	58,00,029	50,40,248	1,54,235	-	51,94,483	6,05,546
	सर्वेक्षण स्तंभ	6,49,995			6,49,995	5,05,858	22,376		5,28,234	1,21,761
	संचार उपकरण.	13,45,844	-	-	13,45,844	12,65,187	13,364	-	12,78,551	67,293
	फ्री होल्ड भूमि पर निर्माण	5,70,87,430	-		5,70,87,430	59,47,732	9,04,306		68,52,038	5,02,35,392
	लीज होल्ड भूमि पर निर्माण	2,57,08,976	-		2,57,08,976	16,73,207	4,07,085		20,80,292	2,36,28,684
	चारदीवारी	63,93,000		-	63,93,000	6,06,054	1,01,009	-	7,07,063	56,85,937
	टर्मिनल और भवन	60,29,09,758	-	-	60,29,09,758	26,96,56,663	1,62,98,802	-	28,59,55,465	31,69,54,293
	रात्रि नेविगेशन बौयस	92,77,200			92,77,200	65,47,713	14,35,684		79,83,397	12,93,803
	डीजीपीएस स्टेशन	3,22,45,501	-	-	3,22,45,501	1,89,56,270	16,41,180	-	2,05,97,450	1,16,48,051
	बीकन टावर	1,58,95,321	-		1,58,95,321	1,09,84,856	10,30,336		1,20,15,192	38,80,129
	शौल विश्लेषण	49,26,846	-	-	49,26,846	46,80,503	2,46,343	-	49,26,846	-
	आरआईएस स्टेशन	12,54,94,233	-	-	12,54,94,233	2,76,95,674	66,98,532	-	3,43,94,206	9,11,00,027
	सीवेज उपचार संयंत्र	1,08,52,000	-		1,08,52,000	38,16,299	6,99,464	-	45,15,763	63,36,237
	क्रेन	4,63,26,824	-		4,63,26,824	4,34,14,823	99,413		4,35,14,236	28,12,588
	योग (ग)	**2,39,23,16,506**	**4,84,907**	**-**	**2,39,28,01,413**	**99,73,16,559**	**6,44,98,867**	**-**	**1,06,18,15,426**	**1,33,09,85,987**
गुवाहाटी	संचार उपकरण	15,04,388	-		15,04,388	13,79,285	66,150		14,45,435	58,953
	वाहन	13,15,402	-	-	13,15,402	5,56,832	1,24,937		6,81,769	6,33,633
	फर्नीचर और फिक्सचर	20,56,634	6,65,039		27,21,673	11,48,558	1,27,702		12,76,260	14,45,413
	कार्यालय उपकरण	9,25,206	9,34,742	-	18,59,948	7,16,568	95,801	-	8,12,369	10,47,579
	विद्युत स्थापना	50,819			50,819	46,787	364		47,151	3,668
	पंखे और एयर-कूलर	57,780	36,673		94,453	43,466	2,249		45,715	48,738
	सर्वेक्षण उपकरण	2,11,20,565	32,14,918	-	2,43,35,483	1,31,04,610	9,99,740		1,41,04,350	1,02,31,133
	साइकिल	680			680	646	-		646	34
	पुस्तकालय पुस्तकें	76,111			76,111	76,111	-		76,111	-
	जलयान स्पीड बोट	40,21,123	19,79,044		60,00,167	34,08,496	1,15,420	-	35,23,916	24,76,251
	जनरेटर सेट	1,19,500			1,19,500	58,412	5,281	-	63,693	55,807
	कंप्यूटर	74,57,584	39,16,174	-	1,13,73,758	53,77,544	9,18,761	-	62,96,305	50,77,453
	टर्मिनल- पांडु	1,83,72,41,499		-	1,83,72,41,499	49,72,67,554	5,30,51,732	-	55,03,19,286	1,28,69,22,213
	रात्रि नौचालन उपकरण.	1,71,97,082		-	1,71,97,082	1,22,33,541	5,90,396	-	1,28,23,937	43,73,145
	बार्जे	13,37,45,241	-		13,37,45,241	6,97,55,495	24,43,984	-	7,21,99,479	6,15,45,762
	जलयान-सामान्य	1,48,49,40,841	3,12,781	-	1,48,52,53,622	23,81,51,988	4,61,16,659		28,42,68,647	1,20,09,84,975
	भूमि टर्मिनल	12,85,49,214	3		12,85,49,217	-	-		-	12,85,49,217
	वेसल्स ड्रेजिंग यूनिट	1,50,42,54,532		-	1,50,42,54,532	61,84,35,009	3,79,34,984	-	65,63,69,993	84,78,84,539
	क्रेन	4,49,69,796			4,49,69,796	4,27,21,306	-	-	4,27,21,306	22,48,490

	एयर कंडीशनर	7,98,000	4,61,440	-	12,59,440	4,86,248	80,687	-	5,66,935	6,92,505
	आरआईएस उपकरण	42,07,723	-		42,07,723	13,41,337	2,66,549		16,07,886	25,99,837
	भवन	-		-	-	-	-	-	-	-
	योग (घ)	**5,19,46,09,720**	**1,15,20,814**	**-**	**5,20,61,30,534**	**1,50,63,09,793**	**14,29,41,396**	**-**	**1,64,92,51,189**	**3,55,68,79,345**
साहिबगंज	बोयस	54,467			54,467	51,744	-		51,744	2,723
	वाहन	13,88,939	-		13,88,939	6,86,681	1,17,486		8,04,167	5,84,772
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	2,76,402	-	-	2,76,402	2,23,885	10,123		2,34,008	42,394
	कार्यालय उपकरण	1,82,810	-		1,82,810	1,68,053	5,616		1,73,669	9,141
	विद्युत स्थापना	3,227			3,227	3,066	-		3,066	161
	पंखे और एयर कूलर	25,819			25,819	19,079	1,829		20,908	4,911
	सर्वेक्षण उपकरण	51,34,403			51,34,403	26,55,644	1,96,994	-	28,52,638	22,81,765
	बार्ज	-		-	-	-	-	-	-	-
	साइकिल	701			701	666	-		666	35
	पुस्तकालय पुस्तकें	25,805	890		26,695	25,805	890		26,695	-
	संचार उपकरण	1,57,026			1,57,026	1,49,175	-		1,49,175	7,851
	भूमि	36,734	27,23,88,382		27,24,25,116	-			-	27,24,25,116
	कंप्यूटर	2,37,197	-		2,37,197	2,25,338	-	-	2,25,338	11,859
	डीजीपीएस स्टेशन	1,83,20,308	-	-	1,83,20,308	1,22,76,737	10,28,894		1,33,05,631	50,14,677
	टर्मिनल-	45,70,826	-	-	45,70,826	11,15,801	1,38,053	-	12,53,854	33,16,972
	एयर कंडीशनर	20,000	-		20,000	15,330	1,922		17,252	2,748
	योग (ङ)	**3,04,34,664**	**27,23,89,272**	**-**	**30,28,23,936**	**1,76,17,004**	**15,01,807**	**-**	**1,91,18,811**	**28,37,05,125**
कोच्चि	फर्नीचर एवं फिक्सचर	13,50,571	97,923	(80,424)	13,68,070	10,33,622	65,283	(76,403)	10,22,502	3,45,568
	कार्यालय उपकरण	9,11,634	5,23,288		14,34,922	5,55,367	1,38,782		6,94,149	7,40,773
	पंखे और एयर कूलर	55,589	-		55,589	35,840	2,750		38,590	16,999
	एयर कंडीशनर	83,200	-		83,200	57,865	4,085		61,950	21,250
	सर्वेक्षण उपकरण	96,58,654	12,04,375		1,08,63,029	63,53,883	4,33,728		67,87,611	40,75,418
	संचार उपकरण	14,83,525			14,83,525	13,01,680	1,00,552		14,02,232	81,293
	जनरेटर	3,54,969			3,54,969	3,41,258	1,227		3,42,485	12,484
	कंप्यूटर	22,21,903		(3,39,720)	18,82,183	20,62,735	18,646	(3,22,736)	17,58,645	1,23,538
	रो-रो जलयान	22,53,73,061			22,53,73,061	1,07,54,101	71,36,814		1,78,90,915	20,74,82,146
	रो-रो जलयान-सामान्य	56,24,584			56,24,584	43,88,763	1,90,663		45,79,426	10,45,158
	स्पीड बोट	11,20,418	9,77,613		20,98,031	10,80,905	-		10,80,905	10,17,126
	भूमि (टर्मिनल)	22,12,03,970	1,53,85,845		23,65,89,815	-	-		-	23,65,89,815
	भूमि चौड़ीकरण	1,64,35,921			1,64,35,921	-	-		-	1,64,35,921
	पुस्तकालय पुस्तकें	28,608			28,608	28,608	-		28,608	-
	भवन	83,90,016			83,90,016	18,44,627	1,32,842		19,77,469	64,12,547
	टर्मिनल भवन	50,56,64,546			50,56,64,546	17,86,65,363	1,60,14,369		19,46,79,731	31,09,84,815
	निकर्षक	13,68,67,664	-		13,68,67,664	6,50,57,562	43,34,142	-	6,93,91,704	6,74,75,960
	रात्रि नौचालन	4,40,92,646	-		4,40,92,646	2,90,80,909	14,49,715		3,05,30,624	1,35,62,022
	फुट ओवर ब्रिज थोटापल्ली	21,88,615			21,88,615	13,47,397	69,306		14,16,703	7,71,912

	फोर्क लिफ्ट	63,70,925			63,70,925	60,52,380	-		60,52,380	3,18,545
	हाइड्रोलिक क्रेन	6,89,45,177			6,89,45,177	6,48,56,175	6,41,741		6,54,97,916	34,47,261
	विद्युत संस्थापन	12,66,828		-	12,66,828	6,26,144	1,20,349	-	7,46,493	5,20,335
	अस्थायी टर्मिनल	12,36,195	-		12,36,195	12,36,195	-		12,36,195	-
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	25,25,701	27,140		25,52,841	24,02,955	63,969		24,66,924	85,917
	योग (च)	**1,26,34,54,920**	**1,82,16,184**	**(4,20,144)**	**1,28,12,50,960**	**37,91,64,334**	**3,09,18,963**	**(3,99,139)**	**40,96,84,157**	**87,15,66,803**
इलाहाबाद	कंप्यूटर	8,24,351	-	-	8,24,351	7,47,368	15,562	-	7,62,930	61,421
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,54,339		-	1,54,339	1,46,622		-	1,46,622	7,717
	कार्यालय उपकरण	1,53,004	-		1,53,004	1,31,138	3,853		1,34,991	18,013
	पंखे और एयर कूलर	12,155			12,155	11,547	-		11,547	608
	पुस्तकालय पुस्तकें	58,784	-		58,784	58,784	-		58,784	-
	विद्युत संस्थापन	10,74,339	-		10,74,339	7,29,336	64,956	(567)	7,93,725	2,80,614
	एयर कंडीशनर	93,900	-		93,900	26,869	7,564		34,433	59,467
	भूमि	24,05,763			24,05,763	-	-		-	24,05,763
	टर्मिनल	58,82,942	-		58,82,942	20,68,845	1,67,660		22,36,505	36,46,437
	बॉयस	36,13,680	-		36,13,680	3,89,310	1,08,724		4,98,034	31,15,646
	वाहन	12,153		-	12,153	-	-		-	12,153
	डब्ल्यू.सी. एवं बाथरूम (टर्मिनल)	6,34,118		-	6,34,118	6,02,954	-	(542)	6,02,412	31,706
	सर्वेक्षण उपकरण	49,49,467	4,51,678	-	54,01,145	26,50,059	1,62,299		28,12,358	25,88,787
	योग (छ)	**1,98,68,995**	**4,51,678**	**-**	**2,03,20,673**	**75,62,832**	**5,30,618**	**(1,109)**	**80,92,341**	**1,22,28,332**
वाराणसी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10,65,607	-	-	10,65,607	3,70,548	86,070	-	4,56,618	6,08,989
	कंप्यूटर	6,77,397	-	-	6,77,397	6,22,031	21,497	-	6,43,528	33,869
	कार्यालय उपकरण	4,14,318			4,14,318	3,38,780	21,725		3,60,505	53,813
	पंखे और एयर कूलर	47,225			47,225	16,596	3,812		20,408	26,817
	एयर कंडीशनर	6,26,500			6,26,500	1,49,514	58,732		2,08,246	4,18,254
	विद्युत संस्थापन	52,550			52,550	12,899	4,878		17,777	34,773
	वाहन	15,71,489		-	15,71,489	8,42,594	1,21,826	-	9,64,420	6,07,069
	संचार उपकरण	-		-	-	-	-	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	10,909			10,909	10,909	-		10,909	-
	डीजीपीएस स्टेशन	1,25,58,612			1,25,58,612	21,71,510	3,85,024		25,56,534	1,00,02,078
	भूमि फ्रेट विलेज	29,72,38,163		(20,97,44,480)	8,74,93,683		-		-	8,74,93,683
	भवन	20,34,302		-	20,34,302	19,32,587	-		19,32,587	1,01,715
	आरआईएस स्टेशन	2,62,936			2,62,936	49,788	25,659		75,447	1,87,489
	सर्वेक्षण उपकरण	55,88,183	24,820	-	56,13,003	28,89,848	2,54,533	-	31,44,380	24,68,623
	योग (ज)	**32,21,48,191**	**24,820**	**(20,97,44,480)**	**11,24,28,531**	**94,07,604**	**9,83,756**	**-**	**1,03,91,359**	**10,20,37,172**
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	66,92,889			66,92,889	46,20,365	3,14,551		49,34,916	17,57,973
	जनरेटर सेट	14,23,581		-	14,23,581	7,27,150	48,239	-	7,75,389	6,48,192
	कंप्यूटर	24,48,893		-	24,48,893	18,77,138	74,654	-	19,51,792	4,97,101
	कार्यालय उपकरण	19,60,364	23,996	-	19,84,360	15,35,629	1,16,698	-	16,52,327	3,32,033
	एयर कंडीशनर	25,06,151		-	25,06,151	13,61,487	75,802	-	14,37,289	10,68,862

मिनी	भवन/कार्यशाला	11,37,39,075		-	11,37,39,075	2,37,01,918	17,61,820	-	2,54,63,738	8,82,75,337
	छात्रावास एवं रसोई	10,91,994			10,91,994	5,71,896	93,049		6,64,945	4,27,049
	कार्यशाला उपकरण	4,02,778			4,02,778	3,45,544	5,996		3,51,540	51,238
	फायर मॉक अप उपकरण	52,37,144			52,37,144	49,75,288			49,75,288	2,61,856
	ओबीएम के साथ एफआरपी नौका	5,28,962			5,28,962	3,50,093	25,590		3,75,683	1,53,279
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	6,33,142			6,33,142	4,43,355	25,702		4,69,057	1,64,085
	अस्थायी संरचना	16,61,542			16,61,542	16,61,542			16,61,542	-
	पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण	5,29,999			5,29,999	5,29,999			5,29,999	-
	सिम्युलेटर	3,25,79,248			3,25,79,248	3,02,79,050	1,25,699		3,04,04,749	21,74,499
	पुस्तकालय पुस्तकें	17,59,030			17,59,030	17,59,030			17,59,030	-
	कम्प्यूटर स्थापन	60,02,388			60,02,388	57,02,269			57,02,269	3,00,119
	विद्युत स्थापना	9,67,981			9,67,981	3,79,044	1,12,642		4,91,686	4,76,295
	पंखे और एयर कूलर	90,545	-		90,545	66,934	8,706		75,640	14,905
	सर्वेक्षण उपकरण	52,56,165	-		52,56,165	49,90,607			49,90,607	2,65,558
	जलयान (बक्सर, घोघरा)	5,16,10,000	-		5,16,10,000	4,89,67,750			4,89,67,750	26,42,250
	भूमि	16,58,81,542	-	-	16,58,81,542	-			-	16,58,81,542
	योग (झ)	**40,30,03,413**	**23,996**	**-**	**40,30,27,409**	**13,48,46,088**	**27,89,148**	**-**	**13,76,35,236**	**26,53,92,173**
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	62,34,230	2,60,279		64,94,509	40,98,988	6,03,742	-	47,02,730	17,91,779
	फर्नीचर एवं फिक्स्चर- पीआईयू-पटना	3,21,150	95,000	-	4,16,150	46,909	29,825		76,734	3,39,416
	फर्नीचर एवं फिक्स्चर- क्युयू-साहिबगंज	2,13,179		-	2,13,179	95,310	19,967		1,15,277	97,902
	फर्नीचर एवं फिक्सचर-कोलकाता	3,21,484	8,96,200		12,17,684	1,81,327	51,367		2,32,694	9,84,990
	कंप्यूटर	35,65,093	10,98,371	-	46,63,464	27,00,428	4,54,640	23,048	31,78,116	14,85,348
	कंप्यूटर- पीआईयू पटना	3,81,177	1,65,798	-	5,46,976	2,08,055	51,880		2,59,935	2,87,041
	कंप्यूटर-कोलकाता	7,08,799	9,13,750		16,22,549	4,03,233	1,69,867		5,73,100	10,49,449
	कंप्यूटर-वाराणसी पीआईयू	81,676			81,676	77,168	423		77,591	4,085
	कंप्यूटर-साहिबगंज-पीआईयू	1,87,133	-		1,87,133	1,47,506	30,270		1,77,776	9,357
	संचार उपकरण-कोलकाता	18,04,146			18,04,146	9,58,204	3,42,787		13,00,991	5,03,155
	संचार उपकरण-वाराणसी	8,61,859			8,61,859	3,93,958	68,668		4,62,627	3,99,231

जेएमवीपी	संचार उपकरण-साहिबगंज	8,81,735			8,81,735	5,75,425	2,21,042		7,96,467	85,268
	कार्यालय उपकरण	28,09,707	5,87,144		33,96,851	21,00,586	2,11,164	13,317	23,25,067	10,71,784
	कार्यालय उपकरण-साहिबगंज	43,650			43,650	20,542	8,384		28,926	14,724
	कार्यालय उपकरण-वाराणसी	31,363			31,363	10,039	4,354		14,394	16,969
	कार्यालय उपकरण - कोलकाता		29,998		29,998		602		602	29,396
	सर्वेक्षण उपकरण		1,85,88,408		1,85,88,408		2,41,904		2,41,904	1,83,46,504
	पुस्तकालय किताब	14,000			14,000	14,000			14,000	-
	एयर कंडीशनर-पीआईयू पटना	-		-	-	-			-	-
	एयर कंडीशनर-साहिबगंज- पीआईयू	4,08,000			4,08,000	1,93,700	38,738		2,32,438	1,75,562
	एयर कंडीशनर-कोलकाता		3,31,973		3,31,973		5,783		5,783	3,26,190
	मोटर वाहन (उपकरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट)			1,53,85,666	1,53,85,666	18,688		19,07,138	19,25,826	1,34,59,840
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	5,53,531	30,95,494		36,49,025	4,83,131	1,83,538		6,66,669	29,82,356
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पटना		9,56,980		9,56,980				-	9,56,980
	सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर कोलकाता		16,40,200		16,40,200		1,443		1,443	16,38,757
	अस्थायी संरचना	90,37,112			90,37,112	90,37,112			90,37,112	-
	विद्युत स्थापना	25,49,577			25,49,577	16,95,474	2,42,210		19,37,684	6,11,899
	विधुत संस्थापन वाराणसी-पीआईयू	1,16,19,270			1,16,19,270	22,08,267	11,04,133		33,12,400	83,06,870
	विधुत संस्थापन - साहिबगंज- पीआईयू	3,34,99,567			3,34,99,567	76,99,069	31,96,688		1,08,95,757	2,26,03,810
	विधुत संस्थापन - कोलकाता		3,73,65,983		3,73,65,983		7,88,837		7,88,837	3,65,77,146
	रसोई उपकरण	8,720			8,720	8,284	-		8,284	436
	वॉटरकूलर और रेफ्रिजरेटर	-	-	-	-	-			-	-
	वॉटरकूलर और रेफ्रिजरेटर-सही	27,800		-	27,800	24,255	2,138		26,393	1,407
	पंखा और एयर कूलर	23,030	-		23,030	18,165	2,243		20,408	2,622
	उपकरण ठोस एवं तरल अपशिष्ट	1,53,85,666		(1,53,85,666)	-		19,07,138	(19,07,138)	-	-
	पंखे एवं एयरकूलर-साहिबगंज	3,584			3,584	668	334		1,002	2,582

	जलयान साधारण-पटना	6,33,43,800			6,33,43,800	99,68,144	20,05,887		1,19,74,031	5,13,69,769
	जलयान साधारण-कोलकाता	6,33,43,800			6,33,43,800	98,30,719	20,06,579		1,18,37,298	5,15,06,502
	टर्मिनल-वाराणसी	1,82,43,92,265	3,00,14,966		1,85,44,07,231	15,05,87,130	6,12,01,941		21,17,89,071	1,64,26,18,160
	भूमि-वाराणसी-टर्मिनल	1,26,06,89,168			1,26,06,89,168	-			-	1,26,06,89,168
	भूमि-कालूघाट	6,00,14,617			6,00,14,617				-	6,00,14,617
	भूमि-रामनगर	1,46,01,610	20,97,44,480	(35,66,228)	22,07,79,862				-	22,07,79,862
	लीज भूमि-कोलकाता	40,28,49,355		-	40,28,49,355	5,83,27,111	1,46,10,351	-	7,29,37,462	32,99,11,893
	- लीज भूमि एमएमटी हल्दिया-वाटरफ्रंट (उपयोग शुल्क)		11,89,19,099		11,89,19,099		2,38,79,361		2,38,79,361	9,50,39,738
	भूमि-फरक्का-कोलकाता	2,35,80,160			2,35,80,160	-			-	2,35,80,160
	भूमि-गाजीपुर-टर्मिनल	14,76,70,289	-	-	14,76,70,289				-	14,76,70,289
	भूमि-साहिबगंज-टर्मिनल	1,17,19,35,919			1,17,19,35,919				-	1,17,19,35,919
	योग (ञ)	**5,12,39,97,221**	**42,47,04,123**	**(35,66,228)**	**5,54,51,35,117**	**26,21,31,595**	**11,36,88,228**	**36,365**	**37,58,56,190**	**5,16,92,78,932**
	कंप्यूटर	16,27,745	68,753		16,96,498	9,89,065	3,53,011	-	13,42,076	3,54,422
	कंप्यूटर-सॉफ्टवेयर	30,07,175			30,07,175	92,769	9,62,739		10,55,508	19,51,667
	विद्युत उपकरण		-		-	-			-	-
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	9,72,055		-	9,72,055	4,87,640	92,344	-	5,79,984	3,92,071
	पुस्तकालय पुस्तकें	29,882			29,882	29,882	-		29,882	-
	कार्यालय उपकरण	3,91,993			3,91,993	1,87,465	74,479		2,61,944	1,30,049
	वाटर कूलर	7,999			7,999	4,564	1,520		6,084	1,915
एनडब्ल्यू-4	स्पीड बोट (पी.बी.फाल्कन-I)	16,55,918	9,80,590	-	26,36,508	10,99,058	54,163	-	11,53,221	14,83,287
	बार्ज और पोंटून	3,96,72,000	1,32,24,000		5,28,96,000	9,03,489	11,77,978		20,81,467	5,08,14,533
	सर्वेक्षण उपकरण	25,49,996	4,18,182		29,68,178	3,69,703	1,80,003		5,49,706	24,18,472
	भूमि-फ्री होल्ड (हरिश्चंद्रपुरम)	1,62,99,933	31,50,902		1,94,50,835	-	-		-	1,94,50,835
	भूमि-मुक्त धारण (मुख्यालय)	-	3,46,83,015		3,46,83,015					3,46,83,015
	एयर कंडीशनर	2,13,000	-		2,13,000	1,02,126	20,236	-	1,22,362	90,638
	योग (ट)	**6,64,27,696**	**5,25,25,442**	**-**	**11,89,53,138**	**42,65,761**	**29,16,473**	**-**	**71,82,234**	**11,17,70,904**
	कंप्यूटर	9,81,976	24,640		10,06,616	7,80,266	54,139		8,34,405	1,72,211
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	3,41,042	51,290		3,92,332	1,89,260	35,450		2,24,710	1,67,622
	सर्वेक्षण उपकरण		1,39,545		1,39,545		2,977		2,977	1,36,568
एनडब्ल्यू -5	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	34,000			34,000	22,309	3,230		25,539	8,461

कार्यालय उपकरण	4,011			4,011	2,133	381		2,514	1,497
पंखा और एयर कूलर	10,100			10,100	4,230	960		5,190	4,910
बार्जे और पॉंटून	-			-				-	-
एयर कंडीशनर	2,08,983	-		2,08,983	1,02,146	19,853		1,21,999	86,984
योग (ठ)	**15,80,112**	**2,15,475**	**-**	**17,95,587**	**11,00,344**	**1,16,990**	**-**	**12,17,334**	**5,78,253**
सकल योग	**17,87,83,92,213**	**89,76,77,394**	**(21,57,07,137)**	**18,56,03,62,471**	**4,00,08,23,698**	**42,70,09,421**	**(8,25,189)**	**4,42,70,07,931**	**14,13,33,54,547**
(क से ठ तक)	-	-							
पिछला वर्ष	**16,74,95,00,732**	**42,08,83,207**	**(38,31,885)**	**17,16,65,52,054**	**3,22,33,19,675**	**39,48,05,180**	**(35,26,038)**	**3,61,45,98,818**	**13,55,19,53,239**

टिप्पणी:- वर्ष 2022-23 के दौरान तीन वेब-पोर्टल अर्थात एमआईआरएस, पानी और सीएआर-डी को इनेंजिबल एसेट्स के शीर्ष के तहत उप-शीर्ष सॉफ्टवेयर के तहत टोकन मनी के रूप में 1 रुपये लेकर पूंजीकृत किया गया है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(जतिंदर वर्मा)	(प्रवीण नंदवाना)	(आशुतोष गौतम)	(संजय बंदोपाध्याय)
सीएओ	**सदस्य (वित्त)**	**सदस्य (तकनीकी)**	**अध्यक्ष**

33. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985) की धारा 23 और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम 1986 (आईडब्ल्यूएआई नियम 1986) के नियम 28 (3) के तहत 31 मार्च 2023 तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) के संलग्न तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे;

(ii) पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (13 जुलाई 2020) रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है।;

(iii) हमारी राय में उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किया गया है जैसा कि आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2) (छ) के तहत अपेक्षित है और जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. **सामान्य**

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक समझौते (मार्च 2009) के माध्यम से म्यांमार में सितवे और पलेतवा के बीच कलादान नदी पर मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा के कार्यान्वयन के लिए निष्पादित की जा रही कलादान परियोजना के लिए आईडब्ल्यूएआई को परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया।

आईडब्ल्यूएआई कलादान परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। प्राप्त पीडीसी शुल्क के साथ-साथ उससे होने वाले खर्च आईडब्ल्यूएआई से संबंधित थे और इसलिए इसे आईडब्ल्यूएआई के लेखों में शामिल करने की आवश्यकता थी।

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की अनुसूची-2 के टिप्पणी संख्या 12 के अनुसार, आईडब्ल्यूएआई को विदेश मंत्रालय से 33.88 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 29.05 करोड़ रुपये का पीडीसी शुल्क, 2.11 करोड़ रुपये का सेवा कर, 1.72 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर और 31 मार्च 2023 तक 0.99 करोड़ रुपये के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक परियोजना

पर अर्जित बैंक ब्याज सहित ₹ 2.95 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां हुई हैं। उपर्युक्त में से 30.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। उपर्युक्त टिप्पणी के तथ्यों और आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 के लिए कलादान परियोजना के लेखों की अलग लेखा बही तैयार की हैं और उपरोक्त परियोजना के लेनदेन का कोई प्रभाव वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण के लेखों में शामिल नहीं किया गया है, सिवाय ₹ 2.95 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों को छोड़कर जो मुख्य रूप से 31 मार्च 2023 तक परियोजना पर अर्जित बैंक ब्याज है।

यह मुद्दा 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

(v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा संव्यवहारित तुलन-पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामले और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं;

क. जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से संबंधित है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निमित्त

(राजीव कुमार पांडेय)
लेखा परीक्षा महानिदेशक
(अवसंरचना)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 नवंबर 2023
नई दिल्ली

वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

आईडब्ल्यूएआई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

आईडब्ल्यूएआई द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।

4. माल-सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

आईडब्ल्यूएआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए माल-सूचीका भौतिक सत्यापन किया गया है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता।

सांविधिक देय राशियों के भुगतान में विलंब का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।

34. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा) के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन के उत्तर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विवरण	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर
हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985) की धारा 23 और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियम 1986 (आईडब्ल्यूएआई नियम 1986) की नियम 28 (3) के तहत 31 मार्च 2023 तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) के संलग्न तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:	वास्तविक स्थिति ।
(i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे ।	(i) कोई टिप्पणी नहीं।

(ii)	पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (13 जुलाई 2020) रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है।	(ii)	कोई टिप्पणी नहीं।
(iii)	हमारी राय में उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किया गया है जैसा कि आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2) (छ) के तहत अपेक्षित है और जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:	(iii)	कोई टिप्पणी नहीं।
(iv)	हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: क. सामान्य विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक समझौते (मार्च 2009) के माध्यम से म्यांमार में सितवे और पलेतवा के बीच कलादान नदी पर मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा के कार्यान्वयन के लिए निष्पादित की जा रही कलादान परियोजना के लिए आईडब्ल्यूएआई को परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया। आईडब्ल्यूएआई कलादान परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। प्राप्त पीडीसी शुल्क के साथ-साथ उससे होने वाले खर्च आईडब्ल्यूएआई से संबंधित थे और इसलिए इसे आईडब्ल्यूएआई के लेखों में शामिल करने की आवश्यकता थी। वितीय विवरणों की टिप्पणियों की अनुसूची-2 के टिप्पणी संख्या 12 के अनुसार, आईडब्ल्यूएआई को विदेश मंत्रालय से 33.88 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 29.05 करोड़ रुपये का पीडीसी शुल्क, 2.11 करोड़ रुपये का सेवा कर, 1.72 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर और 31 मार्च 2023 तक 0.99 करोड़ रुपये के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक	(iv)	क. विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने दिनांक 19.03.2009 के करार और दिनांक 28.04.2016 के पूरक करार के अनुसार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में कार्यरत है। आईडब्ल्यूएआई उक्त परियोजनाओं की देखरेख के अलावा विभिन्न परियोजना सुविधाओं के विकास के लिए निर्माण ठेकेदारों के चयन के लिए जिम्मेदार है और विदेश मंत्रालय (एमईए), एक नोडल एजेंसी के रूप में यदि आवश्यक हो तो मुख्य ठेकेदार और उप-ठेकेदारों को नियुक्त करेगा और आईडब्ल्यूएआई की सिफारिशों के आधार पर सीधे मुख्य ठेकेदार को भुगतान करेगा। आईडब्ल्यूएआई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पीडीसी के रूप में कार्यरत है और इसके बदले में परियोजना की मूल लागत का 6% परामर्श/प्रबंधन शुल्क का हकदार है। पीडीसी शुल्क के साथ-साथ खर्चों का वार्षिक आधार पर हिसाब लगाया जाएगा। लागू होने वाले सेवा कर, जीएसटी जैसे वैधानिक कर समझौते के अनुसार अलग से लिए जाएंगे। आय या/व्यय की अधिकता यानी, खर्चों में कटौती के बाद पीडीसी शुल्क का शुद्ध हिस्सा परियोजना के

	परियोजना पर अर्जित बैंक ब्याज सहित ₹ 2.95 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां हुई हैं। उपर्युक्त में से 30.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। उपर्युक्त टिप्पणी के तथ्यों और आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा सुरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 के लिए कलादान परियोजना के लेखों की अलग लेखा बही तैयार की हैं और उपरोक्त परियोजना के लेनदेन का कोई प्रभाव वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकरण के लेखों में शामिल नहीं किया गया है, सिवाय ₹ 2.95 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियों को छोड़कर जो मुख्य रूप से 31 मार्च 2023 तक परियोजना पर अर्जित बैंक ब्याज है। यह मुद्दा 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।		पूरा होने तक वार्षिक आधार पर एमईए से अग्रिम/प्राप्य के रूप में दिखाया जाएगा और परियोजना के पूरा होने के बाद यदि कोई अधिशेष है तो उसे भारत की समेकित निधि में वापस कर दिया जाएगा और घाटा, यदि कोई हो, विदेश मंत्रालय से वसूल किया जाएगा। तदनुसार, जैसा कि लेखापरीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया है, कलादान परियोजना के खातों को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाअजप्रा की लेखा पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया ऑडिट पैरा हटा दिया जाए।**
(v)	पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा संव्यवहारित तुलन-पत्र और आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।	(v)	कोई टिप्पणी नहीं.
(vi)	हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित, और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामले और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं; क. जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है;	(vi)	कोई टिप्पणी नहीं.

ख. जहां तक यह 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से संबंधित है।	
परिशिष्ट **(भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए)**	
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा की गई थी।	**1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता** वास्तविक स्थिति।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता आईडब्ल्यूएआई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है।	**2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता** वास्तविक स्थिति।
3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली। आईडब्ल्यूएआई द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।	**3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था** वास्तविक स्थिति।
4. माल-सूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था आईडब्ल्यूएआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए माल-सूचीका भौतिक सत्यापन किया गया है।	**4. माल-सूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** वास्तविक स्थिति।
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता। सांविधिक देय राशियों के भुगतान में विलंब का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।	**5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता।** वास्तविक स्थिति।